खण्ड-302, अंक-2
शुक्रवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(9 मार्च, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 9 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—374

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसेन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृया दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री,
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद , श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद , श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपूर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राम मूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री

श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 9 मार्च, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले में लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही

** 1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के लगभग सैकड़ों लेखपालों की नसबन्दी कोटा न पूरा करने के कारण उन्हें गैरहाजिर दिखाकर उनके विरुद्ध वारन्ट तथा अन्य दण्डनात्मक कार्यवाहियां नवम्बर/दिसम्बर, 1972 में की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)

जी नहीं, नसबन्दी कोटा पूरा न करने के कारण जिले में किसी भी लेखपाल के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि संबंधित अवधि में कितने कुछ लेखपालों के खिलाफ वारंट तथा अन्य दन्डात्मक कार्यवाहियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितनों के खिलाफ और किस आधार पर ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

वारंट की सूचना तो नहीं है, दंडात्मक कार्यवाही कुछ लोगों के खिलाफ की गयी है। उनकी तादात 8 है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब प्रश्न में उल्लिखित "वारंट" है तब आपने क्यों कह दिया कि सूचना नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, कोई दंडात्मक कार्यवाही, न वारंट की और न कोई अन्य, जहां तक कोटा पूरा न होने का संबंध है, उसके सिलसिले में नहीं की गयी।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या यह बात सही है कि सब लेखपालों का अपने-अपने हलके में नसबन्दी कराने का कोटा निश्चित किया गया था और आदेश ये कि अगर वह पूरा नहीं होगा तो प्रतिकूल उनके एंट्री की जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, उनको आदेश था इसमें पूरा-पूरा सहयोग देने के लिये, लेकिन कोटा निर्धारित उनके लिये किया गया था, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार ने कौन-सी नीति निर्धारित की है अगर कोटा पूरा करने की बात नहीं थी, कौन से आदेश प्रसारित किये हैं, उनकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी है कि पुलिस अधिकारियों को भी नसबन्दी के कार्य में लगाये जाने के आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, सामान्य आदेश दिये गये थे कि जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबसे अपेक्षा की जाती है कि नसबन्दी कार्यवाही में पूरा-पूरा सहयोग दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह आदेश पढ़कर सुना दिये जायं कि क्या आदेश आखिर दिये गये और क्या उसमें पुलिस अधिकारियों को भी शामिल करके आदेश दिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

कोटे के बारे में ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

कोटा के बारे में उनको कहा गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

कोटे के बारे में शासन से कोई आदेश नहीं भेजे गये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पूरे प्रदेश में नसबन्दी के लिये जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को काम सौंपा गया और जिन लोगों का काम पूरा नहीं पाया गया उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कीगयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यदि कहीं यह शिकायत बताई जायेगी तो हम उसे जरूर देख लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सारे प्रदेश में हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है । जब हम यह आरोपित कर रहे हैं तो जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

नसबन्दी के केसेज ज्यादा दे सकने में सक्षम नसबन्दी का ही आदमी है । पुलिस वाले भी हो सकते हैं कल्पनाथ जी के शब्दों में । तो क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी जिनका कोटा निश्चित कर दिया गया है, हर ए0 डी0 ओ0 को 15 मार्च तक 20-20 केसेज देने हैं, तो वह गलत चक गांवों में काटने के लिये मजबूर होते हैं और इससे भष्टाचार बढ़ता है ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं । यह सवाल नहीं है । आप सवाल पूछिये ।

श्री रामबिलास पाण्डेय---

चकबन्दी अधिकारियों को क्या ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि यदि वे कोटे के मुताबिक नसबन्दी के केसेज नहीं देंगे तो उनकी पदोन्नति रोक दी जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, शासन स्तर से ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं । यदि जिलास्तर से चाहते हैं तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

जिन 8 लेखपालों को निकाला या निलंबित किया गया है उनके खिलाफ क्या यही आरोप हैं कि उन्होंने नसबन्दी का कोटा पूरा नहीं किया या कोई और कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यदि आपका प्रश्न उन्नाव जिले से संबंधित है तो मैं उत्तर दे चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

मैं मंत्री जी को यह जानकारी देते हुए कि सारे उत्तर प्रदेश में नसबन्दी का अभियान बड़ी बेरहमी और जबरदस्ती के साथ चलाया गया है और रेवेन्यू आफिसर्स और पुलिस आफिसर्स खासतौर से मैं रेवेन्यू आफिसर्स को कहता हूं, के साथ जबरदस्ती की गयी है । तो क्या गवर्नमेंट की तरफ

ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई कोटा मुकर्रर किये गये थे नसबन्दी के लिये और अगर किये गये थे तो उसका आधार क्या है और अगर नहीं किये गये तो क्या सरकार इस बात की जांच कराने को तैयार है कि जिलों में क्यों इस तरह की ज्यादतियां आफिसर्स के साथ की गयीं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि शासन स्तर से कोई कोटा मुकर्रर करके नहीं भेजे गये थे।

श्री बलबीर सिंह—

मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं आया। क्या आप उसके लिये कोई इन्क्वायरी करायेंगे, इसका आश्वासन दिलवा दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या लेखपाल संघ के महामंत्री ने लिखित रजिस्टर्ड पोस्ट से माननीय राजस्व मंत्री को यह शिकायत भेजी है कि प्रदेश में 412 लेखपाल इसलिये मुअत्तिल किये गये कि वे नसबन्दी का पूरा कोटा नहीं दे सके?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद में गत नवम्बर व दिसम्बर माह में कितने लेखपालों को निलंबित किया गया उनकी सेवायें समाप्त की गयीं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि ऐसे 8 लेखपाल हैं।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में जिन 8 लेखपालों को निलंबित किया गया है वह क्यों किया गया है? किन कारणों से निलंबित किया गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उनको निलंबित किये जाने के दो कारण थे—एक तो हल्के से गैर-हाजिर रहना तथा दूसरा कृषि गणना ठीक न करना।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जब मैंने यही प्रश्न पूछा था कि किन कारणों से निलंबित किया गया तो आपने मेरे प्रश्न को रूल आउट कर दिया किन्तु जब उधर के माननीय सदस्य श्री जगदम्बा प्रसाद जी ने वही प्रश्न पूछा तो आपने इजाजत दे दी, यह भेदभाव क्यों है?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्नाव जिले के बारे में पूछा था इसलिये मैंने इजाजत दे दी।

श्री रामगोपाल संड—

आप उनसे डरते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

(व्यवधान के बीच) मंत्री जी ने प्रश्न के दो उत्तर बताये, उनका कौन-सा उत्तर सही है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

दोनों सही हैं । (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या उन्नाव जिले के लिये कोई कोटा फिक्स था नसबन्दी का ? (व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि मुझसे आप डरते हैं, यह बात तो बहुत गलत है ? इसे कार्यवाई से निकाल देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रोक दिया है, कोई डरने की बात नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह नहीं डरते हैं, उनसे तो हरिजन लोग डरते हैं ।

नये मेडिकल कालेज खोलने की योजना

** 2—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद) तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के समक्ष प्रदेश में और मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कालेज खुल जायेंगे तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

जी हां, प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है । परन्तु योजना की पूरी रूपरेखा अभी तय न होने के कारण इस संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना संभव नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कितने नये मेडिकल कालेज प्रदेश में खोलने की उनकी योजना है ? और जो नये खोले जायेंगे उनका आधार क्या है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दो मेडिकल कालेज खोलने का प्राविधान था, वह दोनों खोल दिये गये हैं । अब हमारी कोशिश और हो रही है और उसके लिये हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि उससे हम आगे अपने प्रदेश में और कुछ कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैंने तो यह पूछा है कि नये मेडिकल कालेज खोलने का आधार क्या है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

मैंने कह दिया कि दो मेडिकल कालेजों के खोलने की योजना थी, वह कर दिये और अब कुछ का और हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश के सभी मंडलों में मेडिकल कालेज हैं, केवल रुहेलखंड मंडल को छोड़कर, तो जहां मेडिकल कालेज नहीं है, वहां पर सरकार उसका इंतजाम करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

माननीय सदस्य ने कहा कि रुहेलखंड डिवीजन को छोड़कर सभी जगह मेडिकल कालेज हैं, किन्तु उनकी जानकारी सही नहीं है, फैजाबाद मंडल में भी कोई मेडिकल कालेज नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

ठीक है जहां नहीं है वहां खुलने वाला है, लेकिन रुहेलखंड ऐसा डिवीजन है जहां न है और न कोई खोलने की योजना है । इसके लिये बरेली में मंत्री जी का घेराव भी किया गया था, तो क्या इसे देखते हुए मंत्री जी उस डिवीजन में बरेली में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

बरेली और रुहेलखंड वालों के लिये आगरा में है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

बरेली के संबंध में आपने कहा । अब गवर्नमेंट आफ इंडिया से हम मांग कर रहे हैं और इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कुछ प्रारम्भिक कार्य भी प्रारम्भ करने का विचार है । हमने अभी स्थान का निश्चय नहीं किया है। बरेली के लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, वहां दूसरे और अच्छे अस्पताल हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी इस बात का अश्वासन देंगे कि जो नये मेडिकल कालेज गवर्नमेंट आफ इंडिया से आने वाले हैं, उनको रुहेलखंड के लिये प्राथमिकता मिलेगी ?

(बिना श्री अध्यक्ष की अनुमति के प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष---

ऐसा मालूम पड़ता है जो आपने (मंत्री जी) कहा उसकी वजह से उन पर कुछ असर पड़ गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

हमारे पर्वतीय जिले में लगभग 2-3 अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और मैदान के डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते । इस बात को देखते हुए क्या सरकार गढ़वाल मंडल में शीघ्रातिशीघ्र एक मेडिकल कालेज खोलने का आश्वासन देगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

मैंने अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया, आपकी बात भी है, उस पर भी विचार किया जायगा ।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर मंडल में मेडिकल कालेज हैं सिवा उनके मंडल को छोड़कर। मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद मंडल में कोई मेडिकल कालेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिये।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

प्रश्न कर रहा हूं। क्या मंत्री जी फैजाबाद मंडल में, उन मेडिकल कालजों में जो प्रपोज्ड हैं, एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था करेंगे और उस पर विचार करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

हां, यह माननीय सदस्य का कहना ठीक है केवल रुहेलखंड मंडल में बल्कि फैजाबाद मण्डल में भी ऐसा है जहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है। उस पर भी विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अभी बात हुई कि बरेली और आगरा में पागलखाना है, बाकी सब डिवीजन बाकी रह गये हैं वहां पागलखाना खोलने पर विचार करेंगे जिससे वहां के सिरफिरे ठीक हो सकें?

(हंसी में खो गया)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात की जानकारी हासिल करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में जुलाई, 1971 के पहले सप्ताह में पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की बैठक हुई, उसके अन्दर यह निश्चय हुआ कि देहरादून को मेडिकल कालेज दिया जायगा, इसी बात को माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन के रूप में कहा है या इस बात की जानकारी करके निर्णय लेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

माननीय सदस्य ने एक जानकारी दी है। उसके लिये हम भी जानकारी करेंगे माननीय सदस्य ने सुझाव पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री रामगोपाल संड---

मंत्री जी ने इस सदन में पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि एक कालेज बनारस में खुल गया था वहां पर 56 लड़कों ने प्रवेश ले लिया था, जब कोई नया मेडिकल कालेज सरकार खोलेगी ग्रामीण अंचल में इन बच्चों को कोचिंग करवा कर, बिना इम्तहान लिए हुए भरती कर लेंगे। क्या इस पर भी विचार करके तत्काल निर्णय लेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

जैसा मैंने निवेदन किया, अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको स्वीकृति भी नहीं दी है। तो अभी पहले से कहना असम्भव है। लेकिन जो बात कह रहे हैं वह भी हमारे विचाराधीन है और उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि उनसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बाजपेयी जी ने माननीय सदन में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि गढ़वाल मंडल में एक मडिकल कालेज खोलेंगे। यदि हां, तो क्या उस आश्वासन पर सरकार अभी तक कायम है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

वह तो मैं उसके संबंध में जानकारी करूंगा । लेकिन प्रदेश में अभी बहुत मेडिकल कालेजों की आवश्यकता है । आनेवाली पंचवर्षीय योजना में जो आज से एक वर्ष बाद प्रारम्भ हो जायगी उसमें और मेडिकल कालेज खोलेंगे । यह जो मांगे हो रही हैं इन सब पर सहानुभूति पूर्वक गुणावगुण के आधार पर विचार करेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कितने कालेजों के लिये केंद्र से अनुमति मांगी है, दूसरे यह अनुमति मांगते समय उन्होंने आवश्यकता के हिसाब से स्थान भी ध्यान में रखे हैं कि कहां-कहां यह कालेज खोले जायंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह तो मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बता दिया । स्थान का निर्णय जब होगा जब वहां से स्वीकृति मिलेगी । लेकिन हमारे यहां कालेजों की काफी आवश्यकता है क्योंकि प्रदेश में काफी आबादी है, उस हिसाब से हमको काफी मेडिकल कालेज चाहिए । हम पंचवर्षीय योजना जब कालेज खोलेंगे .....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम तो पूछते हैं कितने कालेजों के लिये इजाजत मांगीं ? यह काफी हाउस की बात नहीं है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बिलकुल निश्चित नहीं है । इसलिये कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

बनारस की जनता ने इसी सत्र में जो सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज खोला था और सरकार ने उसे बेन करते हुए यह आश्वासन दिया था कि वह बनारस में दूसरा मेडिकल कालेज खोलेगी और सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज के जो 150 विद्यार्थी मारे-मारे फिर रहे हैं उनको उस नये मेडिकल कालेज में वह ले लगी तो उस आश्वासन को सरकार कब तक पूरा करेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

मेडिकल कालेजेज के संबंध में काफी चर्चा इस सदन में हो रही है । हमारे सूबे को 18 मेडिकल कालेजेज की आवश्यकता यानी 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिये । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो मेडिकल कालेज खोले जा चुक हैं । केंद्रीय सरकार से आग्रह किया गया है कि वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में एक और मेडिकल कालेज खोलने की इजाजत दे हमें यह भी प्रार्थना है कि जनसंख्या को देखते हुए हमको प्रदेश में और अधिक मेडिकल कालेज खोलने की आज्ञा दी जाय । यह भी माननीय सदस्यों को मैं बतला दूं कि मेडिकल कालेजेज केवल उत्तर प्रदेश सरकार के संसाधनों पर नहीं खोले जा सकते जब तक कि केंद्रीय सरकार से सहायता न प्राप्त हो । जो सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं उन तमाम पर विचार करने के उपरान्त कोई निर्णय लिया जायगा क्योंकि पंचम पंचवर्षीय योजना में जो प्राविधान किया जायगा वह स्थान का नहीं, संख्या का किया गया है, उसकी धनराशि का किया जाता है जहां तक वाराणसी मेडिकल कालेज का संबंध है उसमें कोई आश्वासन इस प्रकार का नहीं दिया गया कि वहां हम कोई मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं । हमने यह कहा था कि जो छात्र उस मेडिकल कालेज में प्रवेश पा गये हैं उनके संबंध में सहानुभूति पूर्वक

विचार करेंगे कि किस प्रकार से उनका प्रवेश हो सके और उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो सके । उस पर हम आज भी विचार कर रहे हैं और आशा है कि सरकार किसी निर्णय पर पहुंच जायगी जिससे उन 154 छात्रों की कुछ व्यवस्था की जा सके ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है तो किन-किन स्थानों पर वह खोलने का विचार कर रही है और कब तक अंतिम निर्णय वह ले लेगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

विचार करने के लिये बहुत सी बातों को देखना पड़ता है जैसे कि किस क्षेत्र में मेडिकल कालेज नहीं है, कहां ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का मेडिकल कालेज खोला जा सकता है तथा पर्वतीय क्षेत्र में भी उसकी क्या आवश्यकता है । इन सारी चीजों की जानकारी के बाद निर्णय लिया जाता है कि कहां स्थान उपलब्ध हो सकेगा, कहां की जनसंख्या को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सकेगा और इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद स्थान का चयन होता है । जो विचारणीय है ।

डा० शम्भूनाथ रस्तोगी, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, परिवार नियोजन, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत

** 3—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद), श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) तथा श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको तथा उनके सचिव को विधायक श्री सर्वसुख सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 का डा0 शम्भूनाथ रस्तोगी, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, परिवार नियोजन, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद के विरुद्ध माघ मेला के टिन का निर्माण कार्य व टेन्डर सम्बन्धित आदि के लाखों रुपये के गोल-माल का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही किया है और दोषी अधिकारी को क्या दंड दिया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, किन्तु उस शिकायती पत्र में माघ मेला में टिन के निर्माण कार्य व टेन्डर से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं । तथापि इस बारे में तथा प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में विभागीय जांच कराये जाने पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ । प्रश्नगत टिन निर्माण कार्य व टेन्डर सम्बन्धित मामलों में कोई भी गोलमाल नहीं पाया गया । कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया अतः दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने जांच कराई थी और ये जो माननीय सदस्य श्री सर्वसुख सिंह जी हैं इन्होंने विभाग को एक पत्र लिखा था ? इस पत्र में उन्होंने क्या चार्ज लगाये थे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

डाक्टर चक्रवर्ती, एडीशनल डाइरेक्टर जो हैं उन्होंने जांच की है और यदि आप मुझे आज्ञा दें तो शिकायती पत्र को मैं आपके सामने पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में बता दें ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

इसमें 12 बातें कहीं गई हैं सभी बतानी पड़ेंगी । उसमें पहली बात तो यह है कि डाक्टर साहब प्रतिदिन अपने कर्मचारियों को अपमान के साथ झड़प कर फटकारते हैं तथा उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिससे कि कर्मचारियों में घोर असंतोष छाया हुआ है । दिनांक 21-12-72 को कमला देवी गौड़ तथा कमलेश पांडे भूत पूर्व परिवार नियोजन कार्यकर्त्री के साथ कुछ भूतपूर्व परिवार नियोजन कार्यकर्त्री अपनी पुनः नियुक्ति किये जाने के बारे में डा0 साहब के पास गई हुई थीं तो उनको बुरी तरह फटकार कर कमरे के बाहर निकाल दिया जो कि अपमानजनक था और आदर्श के विरुद्ध था ।

दूसरी बात यह थी कि अभीतक बिना किसी प्रकार के अधिकार के प्राप्त हुये ही पुराने अनुभवी कर्मचारियों को अपने कार्यालय से हटाकर मनमाने ढंग से नये कर्मचारियों को अपने यहां तैनात कर लिया है । बिना किसी उचित कारण के ही श्री बलिराज ड्राइवर का कानपुर के लिये स्थानान्तरण कर दिया और अपने यहां के क्लर्कों का भी स्थानान्तरण कर दिया है ।

इसी प्रकार की अन्य बातें भी हैं.....

श्री अध्यक्ष---

क्या अन्य भी इसी प्रकार की हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

जी हां ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माघ मेले के सम्बन्ध में जो टेन्डर और निर्माण-कार्य किये गये उन पर लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ । उसके बारे में किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि डाक्टर चक्रवर्ती जो कि एडीशनल डाइरेक्टर हैं, ने जांच की थी और उसमें उन्होने ये बातें निराधार पायीं ।

राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग

** 4---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1973 से राज्य के सेवा आयोग की परीक्षाओं में सामान्य अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस राज्य के सेवा आयोग की परीक्षाओं से सामान्य अंग्रेजी की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त करने पर विचार करेगी ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

मध्य प्रदेश सरकार से उस राज्य के सेवा आयोग की परीक्षाओं में सामान्य अंग्रेजी समाप्त किये जाने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है किन्तु यह प्रश्न इस शासन के विचाराधीन है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, सरकार की जागरूकता और तत्परता के लिये बधाई देता हूं । मेरा सवाल फरवरी का है और इसी में यह आ गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1973 से राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षायें अंग्रेजी में ही न लेने का निर्णय किया है क्या आपने इस सम्बन्ध में केन्द्र से तथा मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की जानकारी करने की कोशिश की है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, इस प्रश्न के प्राप्त होने के पहले ही केन्द्रीय हिन्दी समिति को पत्र लिखा गया और मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा गया था । अभी मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई उतर प्राप्त नही हुआ है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्यथा उपयुक्त होते हुये और अन्य विषयों की अच्छी जानकारी रखते हुये जो गरीब बच्चे हैं जो कि सेन्ट्रल स्कूलों और पब्लिक तथा इंगलिश मीडियम के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं किये हैं, वे पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं जिससे कि इस प्रदेश का नुकसान होता है अतः इस बात को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है । जो प्रश्न माननीय जायसवाल जी ने उठाया है वह बहुत सही है लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी हो जाता है कि हमें अपने प्रदेश का संतुलन दूसरे प्रदेशों के साथ भी रखना पड़ता है ।

अगर किसी को बिना अंग्रेजी जाने सर्विस में ले लिया जाय तो जब कि बहुत से प्रदेशों में अभी अंग्रेजी में कार्य होता है, उनकी तरक्की करनी हो और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में तरक्की देकर भेजा जाय तो वहां अंग्रेजी में काम करना होता है, ये दोनों प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री रामगोपाल संड---

मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में लगभग दो महीने पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वैकल्पिक अंग्रेजी को हटा दिया जायेगा और पब्लिक कमीशन की परीक्षायें हिन्दी माध्यम से ली जायेंगी । तो क्या शासन इसी सत्र में 30 अप्रैल तक इस पर निर्णय ले लेगा ताकि वे विद्यार्थी जो प्रदेश के गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं जहां अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती, उनको भी प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिल सके ?

श्री राजबिहारी सिंह---

यह कहना कि अप्रैल तक इस पर निर्णय हो जाय, यह तो संभव नहीं लेकिन शासन जल्दी ही इस पर विचार करेगा । लोक सेवा आयोग से भी लिखा पढ़ी चल रही है कि उनकी राय क्या है ? उनकी राय प्राप्त होने के बाद जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री रामगोपाल संड---

मान्यवर, राज्य भाषा विधेयक सन् 52 में पास हुआ था, और 21 वर्ष से राज्य का सारा काम हिन्दी में हो रहा है, तो क्या सरकार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अविलम्ब अंग्रेजी को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री राज बिहारी सिंह---

मैंने निवेदन किया कि विचार कर रहे हैं, इस पर ।

श्री रामगोपाल संड---

माननीय मंत्री जी लगातार कहते आ रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, जब इस देश की राज्य भाषा हिन्दी है तो उनको स्पष्ट रूप से यह एलान करने में क्या कठिनाई है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षायें हिन्दी में हों ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जहां तक कठिनाई की बात है, मैंने निवेदन किया कि सरकार के सामने यह मसला विचाराधीन है कि हमारे प्रदेश की सेवाओं में जो लोग लिये जायं, तो उन प्रदेशों में जहां की भाषा अंग्रेजी है, वे कैसे काम कर सकेंगे । क्योंकि अभी हमारे सारे देश में अंग्रेजी का चलन ह, तो कहीं ऐसा न हो जाय कि हमारे प्रदेश की सर्विस में आने वालों का कोई नुकसान हो जाय, क्योंकि वे दूसरे प्रदेशों की सेवाओं में भी तरक्की पर जा सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अंग्रेजी नहीं जानते थे इनटेलेक्चुअल जेंट कहे जाते हैं और महात्मा गांधी का भी स्पष्ट विचार था कि हिन्दुस्तान की बौद्धिक जीवन व भौतिक जीवन की तरक्की के लिये यहां से अंग्रेजी को तत्काल खतम किया जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं और अगर इस राय को सही मानते हैं फिर यह कैसे कहते हैं कि अगर यहां से अनिवार्य अंग्रेजी खतम कर दी जायेगी तो यहां लोग दूसरे प्रदेशों से कमपीट नहीं कर सकेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

यह बात सही है कि मौलाना आजाद और देश के और बहुत से लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, प्रदेश और देश के बड़े भारी सर्वमान्य नेता हो चुके हैं लेकिन शासन के लिये, देश की एकता को बांधने के लिये अपने प्रदेश में यह जरूरी है कि वह इस बात को देखे कि अंग्रेजी दूसरे प्रदेशों से संबंध बनाये रखने के लिये एक लिंक भाषा है और जब तक यह निणय न हो जाय कि अपने प्रदेश की सर्विसेज में जो लोग लिये जांयगे उनकी तरक्की रोक देने की बात हो सकती है, इन दोनों पहलुओं पर सरकार गम्भीरता के साथ विचार कर रही है।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)---

इस बात को देखते हुए कि स्पेशल लैंग्वेज ऐक्ट जब पार्लियामेंट में पास हुआ था उस समय नेहरू जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी तब तक रहेगी जब तक कि सब स्टेट्स हिन्दी को एक्सेप्ट न कर लें, क्या यह सही बात नहीं है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

पार्लियामेंट में क्या पास हुआ था, यह तो मुझे स्मरण नहीं है लेकिन यह बात सही है कि हमारे देश में आज भी तीन भाषा फारमूला चल रहा है और हमारे प्रदेश की स्कूलों में उनमें पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और उनमें अंग्रेजी भी एक भाषा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)---

क्या सरकार को मालूम है कि देश की भाषा हिन्दी है, राष्ट्रभाषा हिन्दी है और तामिलनाड की सरकार ने अपने प्रदेश के लोक सेवा आयोग से हिन्दी को निकाल दिया है और वहां के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई एकदम बन्द कर दी है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि लिंक भाषा अंग्रेजी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 32 करोड़ का भू-भाग ऐसे लोगों का है जिनकी लिंक भाषा हिन्दी है । जसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, बिहार आदि । हिन्दी में परीक्षा रखने से इन भू-भागों के लोगों की पदोन्नति हो सकेगी और नागालड वगैरा जिनकी आबादी केवल 8/10 लाख है उनकी चिन्ता न करते हुए इस प्रदेश की आयोग द्वारा परीक्षा हिन्दी म कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि हमारी हिन्दी राज्य भाषा है और विचार हो रहा है कि हिन्दी में ही परीक्षा ली जाये । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जखारुद्र पुर (एटा) में चकबन्दी का अपीलें तथा दुबारा चकबन्दी

*1—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जनपद के गांव जखारुद्रपुर की चकबन्दी अपीलों का निस्तारण बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा तिथि निश्चित करने के बाद भी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा 4 दिसम्बर, 1972 अपीलें तय करने के लिये निश्चित की गयी थी परन्तु उसी दिन एक और अपील प्रस्तुत होने के कारण सब लोगों को एक साथ सुनने के आशय से दिनांक 20 दिसम्बर 1972 नियत की गयी और उसी दिन सब अपीलों का निस्तारण किया गया ।

श्री तिरमल सिंह—

मान्यवर, जो जवाब मिला है उसमें तारीख गलत दी गई है। एस0 ओ0 सी0 द्वारा 22 तारीख डाली गई थी । लेकिन इसमें जवाब दिया है कि और अपीलें हो गईं । नई अपील बताई गई है जो गलत हैं । जो अपील की गई थी उसमें 218 चक थे और 12 अपीलें थीं । उनका निस्तारण न करके सारे गांव के चकों को उलट दिया गया । मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, अपीलों की तादाद 12 नहीं बल्कि 14 थीं । जहां तक मुझे सूचना है उसके अनुसार पहले चार तारीख अपील सुनने के लिये मुकर्रर थीं लेकिन एक अपील और आ गई। इस लिये फैसला नहीं हो सका क्योंकि चकबन्दी की अपीलों में ज्यादातर फसला एक साथ ही सुना जाता है क्योंकि यदि एक चक बदलता है तो उसके सारे पर असर पड़ सकता है। इसलिये 20 तारीख डाली गई है। दूसरा प्रश्न यह है कि 12 अपीलें थीं और चकों के बदलने की जरूरत नहीं थी । अगर ऐसे आदेश हुए हैं तो स्वाभाविक है कि एक अपील के ऊपर भी सारे

चकों का फिर से निर्माण हो सकता है । अगर कहीं गल्ती मालूम होती है तो फिर से दुबारा चक देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिये ।

श्री तिरमल सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक अपील के ऊपर सारे गांव के चकों को उल्टा जा सकता है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस गांव के अन्दर 5 प्रतिशत भी अपीलें नहीं थीं जबकि अन्य गांवों में 25 प्रतिशत अपील हुई और वहां चक नहीं उल्टे गये । क्या सरकार को मालूम कि जो चक समिति चुनी गई थी उसमें कोई दरख्वास्त सरकार को और डी० डी० सी० के यहां रिवीजन के लिये की ? यदि हां तो क्या आरोप एस० ओ० सी० पर लगाय हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह जो 14 अपीलें तय की गई थीं उन में से कुछ के खिलाफ रिवीजन भी किया गया था और वह शायद 4 में किया गया था ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जजमेंट के अनुसार किन कारणों से सारे गांव की चकबन्दी फिर से करायी गई ?

श्री उदित नारांयण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बलबीर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सारे चकों को किसके आदेश से उल्टा गया है और क्या कारण थे जिससे सारे गांव की चकबन्दी को उलट दिया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार चकों के काटने में और उनका जो वैल्यूएशन होता है उसमें बड़ी गम्भीर अनियमिततायें थीं जिस की वजह से वहां दोबारा चकबन्दी करानी पड़ी ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वेल्यूएशन लगाई जाती है उस पर काश्तकारों की अपील का और एतराज करने का मौका होता है, तो अपील जो चकों की हुई उसमें सवाल नहीं उठता तो यह सवाल कैसे पैदा हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमारी सूचना के अनुसार जब ए० सी० ओ० की अपीलों के संबंध में सारी कार्यवाही देखा गई तो मालूम पड़ा कि एक विशेष व्यक्तियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिये गलत कार्य किया गया था इस लिये जांच हो रही है और दोबारा चकबन्दी कराने का आदेश हुआ है।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या हमारी इस सूचना को सत्य मानकर कि मौजा जखारुद्रपुर की चकबन्दी जो दोबारा करायी गई है इसके पीछे राजनैतिक पहलू है, क्या मंत्री जी इस की किसी नियत अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक मैं जानता हूं कि राजनैतिक पहलू इसमें कोई नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि अपीलों में मालियत के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई थी, यह जो 14 अपीलें हुई हैं उनमें मालियत के बारे में कोई एतराज नहीं था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मत सिंह—

कहा गया है वेल्यूएशन की गड़बड़ थी, वेल्यूएशन की गड़बड़ होती है तो एतराज किये जाते हैं लेकिन इस गांव में वेल्यूएशन का कोई एतराज नहीं हुआ, तो फिर यह अपीलें क्यों की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि वैल्यूएशन की अपीलों का वक्त जरूर बाद में आता है लेकिन चकतराशी जब होती है तो मालियत का ध्यान रखा जाता है । इन अपीलों को देखते हुये यह समझा गया था कि उन्होंने कुछ लोगों के वेल्यूएशन गलत देकर गलत चक काटे हैं ।

श्री जयराम वर्मा—

मालियत गलत लगाई थी इस आधार पर चक क्वेश किये गये और जो अपीलें हुई हैं उनके बारे में मंत्री जी को पता नहीं कि किसी मे आपत्ति भी की या नहीं, यह उत्तर एक दूसरे के विरोधी हैं । अगर किसी अपील में भी माननीय मंत्री जी को निश्चित बात नहीं मालूम है तो किस आधार पर उन्होंने कहा कि मालियत के आधार पर चकतराशी की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि किन कारणों से अपीलें की गयी थीं इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन सारे चक दोबारा क्यों देखे जा रहे हैं जहां तक यह बात है उसके बारे में सूचना जो मेरे पास है उसके आधार पर मैंने यह जवाब दिया है कि सड़कें ठीक से नहीं छोड़ी गयीं थीं और कुछ लोगों की तरफदारी की गयी थी, मालियत ठीक-ठीक नहीं आंके गये थे इन सब कारणों से उन लोगों ने अपीलें वापस लीं और अब दोबारा उनको देखा जा रहा है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

(माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित) आपने अभी यह फरमाया था कि ए0सी0ओ0 के स्टेज से जब यह मालूम हुआ कि उन्होंने चक ठीक तराशा, तब यह कौन सा स्टेज था जिसमें यह राज मालूम हुआ कि मालियत के आधार पर ठीक नहीं था और तब इसको बदलने का मौका आया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, प्रस्तावित चकबन्दी योजना का प्रकाशन पहले होता है, वह 30 सितम्बर को हुआ । इसमें 44 आपत्तियां आयीं और उनका निस्तारण 29 अक्तूबर को किया गया । इनमें से 14 के खिलाफ फिर बन्दोबस्त अधिकारी के यहां अपीलें की गयीं जिनका जिक्र हो रहा है ।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह बात सही है कि एक इंटर कालेज वहां है जो 10 एकड़ जमीन, चकबन्दी की जमीन, अपने लिये चाहता है । वहां पर चकबन्दी कमेटी ने उनको देने से इन्कार कर दिया और फिर उनके एप्रोच करने पर ये चक क्वश किये गये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

अत्यधिक ठंड से निराश्रितों की मृत्यु

*2—श्री सरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि दिसम्बर, 72 में ही 38 दीन-हीन, असहाय गरीब आदमी प्रदेश में अत्यधिक ठंड से मर गये? यदि हां, तो सरकार ने उन गरीब आदमियों को ठण्ड से बचान हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

दिसम्बर 1972 में प्रदेश के 8 जिलों में 11 व्यक्ति अत्यधिक ठण्ड से मरे। शासन की ओर से निर्देश भेज दिये गये थे कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ रही हो, वहां के निराश्रितों और गरीबों को ठंड से बचाने का पूरा प्रबन्ध किया जाय, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाया जाय, लोगों को खुले स्थान पर रात में न सोने दिया जाय और धर्मशालाओं आदि में उनके ठहरने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उत्तर में कहा गया है कि केवल 8 आदमी मरे। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश भर में ठंढ से कितने आदमी मर गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

11 आदमी प्रदेश भर में मरे हैं।

श्री सरेंन्द्र विक्रम—

यह गलतबयानी है मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपने प्रश्न में केवल दिसम्बर का ही तो पूछा था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, अखबारों में यह खबरें छपती रहतीं है कि 80,85,300 आदमी मरे। आपने कभी इसको कंट्राडिक्ट तो किया नहीं है। अब यह जवाब आया है जरा श्रीमन् इस पर गौर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल दिसम्बर का है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

चुनाव में तो आप बिड़ला की रजाई और जयपुरिया के कम्बल बांटते हैं। शराब और न जाने क्या-क्या बांटते हैं। शीत में सैकड़ों आदमी मर गये और बताते हैं 11 आदमी क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंग कि जाड़े और शीत से कितने लोग मरे हैं ? क्या कारण है कि इतने लोग मरे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना की आवश्यकता होगी।

सरकिट हाउस, आगरा में मोटल बनाने की प्रार्थना

*3--चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित), श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभान गुप्त जी के समय सरकिट हाउस, आगरा में एक उद्योगपति ने (मोटल) बनाने की आज्ञा मांगी थी उस समय सुरक्षा की दृष्टि से वह आज्ञा नहीं दी गई थी और 20 दिसम्बर, 1972 को वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने श्री ओबराय फर्म को मोटल बनाने की आज्ञा प्रदान करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

पर्याप्त प्रयत्न करने के पश्चात् भी इस संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंशीधर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि सर्किट हाउस, आगरा, की जगह पर कोई प्रार्थना-पत्र मोटल बनाने का आपके पास प्राप्त हुआ है और यदि हुआ है तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मोटल बनाने का प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोटल बनाने का यदि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया, तो कोई और चीज बनाने का आया है....होटल बनाने का आया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

होटल बनाने के लिये आया है।

श्री अनन्तराम जायसवल--

जो यह प्रार्थना-पत्र आया है होटल बनाने के लिये, वह किसका है ? उसमें क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इसमें दो प्रार्थना-पत्र हैं, एक ओबराय का होटल के लिये और दूसरा आलोक उद्योग का है।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

मान्यवर, व्यवस्था का विषय है। आपने अभी कहा कि मोटल बनाने का प्रार्थना-पत्र नहीं आया और अब बता रहे हैं कि दो प्रार्थना-पत्र एक ओवराय फर्म का और एक और आये हैं। मान्यवर, होटल और मोटल एक ही होते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस सर्किट हाउस में कोई होटल या मोटल बनाने जा रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने ओबराय फर्म को मोटल बनाने का निश्चय किया है। उसका उत्तर है कि नहीं निश्चय किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या हमदर्दी से ही होटल बनाने का विचार किया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

कितना चंदा उनस पार्टी के लिये लिया है ?

सरकारी पक्ष के कई सदस्य—

आपने किस-किस से कितना-कितना लिया था ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

हमने नालायकी की, तो क्या आप भी करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आगरा का सर्किट हाउस ऐसी जगह पर है, जहां कि विदेशों के राष्ट्र-अध्यक्ष या नायक आते हैं । पहले भी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने वहां किसी ऐसे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था । तो क्या सरकार सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुये किसी भी ऐसे प्रार्थना-पत्र को रिजेक्ट करेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पहले जो प्रार्थना-पत्र आये थे, वे उसी जगह के लिये थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया । एक दूसरा प्रार्थना-पत्र आया है जो दूसरी जगह के लिये है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

मुरादाबाद जिले में चेचक का प्रकोप

*4—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद तथा श्री रियासत हुसैन) (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थय मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद में चेचक भयंकर महामारी के रूप में व्याप्त है विशेषतया मुरादाबाद नगर तथा उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक हजारों व्यक्ति तथा बच्चे रोग ग्रस्त हो चुके हैं एवं सैकड़ों मृत्युएं हो चुकी हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संक्रामक रोग को रोकने की अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मुरादाबाद जिले में दिसम्बर, 1972 से 24 फरवरी, 1973 तक प्राप्त आख्याओं के अनुसार 327 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये तथा 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । बीमारी की रोकथाम के लिये वर्ष 1972 में 1,36,556 प्राथमिक एवं 2,64,316 पुनर्भेद टीके लगाये गये । वर्ष 1973 में 24 फरवरी, तक 61,750 प्राथमिक टीके लगाये गये तथा 2,14,203 पुनर्भेद टीके लगाये गय ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गुन्नौर (सुल्तानपुर) के प्रधान एवं सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

*1—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़, फूलपुर), श्री नेतराम सिंह तथा श्री राम निहोर (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गुन्नौर विकास क्षेत्र मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम सरपंच (क्रमशः श्री अमर बहादुर सिंह और श्री सूर्यभान सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य गम्भीर आरोपों से युक्त सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी एवं श्री कल्याण सिंह की संस्तुति तथा पत्र के साथ कितने शिकायती-पत्र सन् 1972 में प्राप्त हुए तथा उन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित प्रकार के कुल 3 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें उल्लिखित शिकायतें पुलिस प्रशासन स संबंधित थी। जांच में शिकायतें निराधार पाई गई, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी में कृष्णा मेडिकल स्टोर्स से अस्पताल की दवाइयों का पकड़ा जाना

*2—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी में कृष्ण मेडिकल स्टोर्स से जून, 1970 में जो दवाइयां अस्पताल की पकड़ी गई थीं उस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और उससे संबंधित दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैनपुरी में कृष्णा मेडिकल स्टोर्स से जून, 1970 में जो दवायें अस्पताल की पकड़ी गई थीं उस मामले से संबंधित कागजातों के चोरी हो जाने के कारण उक्त फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी ।

उपर्युक्त मामले से संबंधित दो सरकारी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी निलम्बित है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी है ।

कत्तरनिया, जिला बहराइच के श्री परमात्मादीन फारेस्ट गार्ड के विरुद्ध शिकायत

*3—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माल उपमंत्री को दिनांक 11-4-72 को बहराइच जनपद के परगना धर्मापुर, तहसील नानपारा में ग्राम बोझिया के निवासियों का 14 वर्ष से एक ही स्थान पर स्थानीय वन विभाग में सेवारत कतरनिया घाट के श्री परमात्मादीन फारेस्ट गार्ड के विरुद्ध दी हुई शिकायती पत्र की जांच पूरी हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और इस संबंध में क्या उचित कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्री परमात्मादीन फारेस्ट गार्ड कतरनिया घाट पश्चिमी निशानगाड़ा रेंज में लगभग 7 वर्षों से तैनात हैं। उनके विरुद्ध दी गई शिकायती पत्र की पूरी जांच की गई है। शिकायतें निराधार पाई गईं इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले में नसबन्दी

*4—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायें कि जनपद फैजाबाद में 1 जनवरी, 1972 से 18 दिसम्बर, 1972 तक कितनी नसबन्दी की गई ? इनमें मुसलमानों की संख्या क्या है ? क्या यह सच है कि ग्राम सभा मुस्तफाबाद (बड़ा गांव), विकास क्षेत्र सोहावल में अविवाहित (30 वर्ष से 20 के बीच में) लड़कों की भी नसबन्दी की गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जनपद फैजाबाद में कथित अवधि में 4,973 लोगों की नसबन्दी की गई जिनमें मुसलमानों की संख्या 339 है। ग्राम सभा मुस्तफाबाद (बड़ागांव) विकास क्षेत्र सोहावल में किसी भी अविवाहित की नसबन्दी नहीं की गई।

परिवार नियोजन अभियान संबंधी मऊगरबी (राय बरेली) से शिकायत

*5—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को दिसम्बर, 1972 के दूसरे सप्ताह में ग्राम व पोस्ट मऊ गरबी, तहसील, महराजगंज, जिला रायबरेली से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि परिवार नियोजन के अन्तर्गत चल रहे अभियान में अनेक वृद्ध, विधुर और अविवाहित लोगों की नसबन्दी की जा रही है और उन्हें साधारणतया 30 या 40 रुपया ही दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

शिकायत प्राप्त होते ही जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया और उन्हें उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया मुख्यालय से भी एक संयुक्त निदेशक ने स्वयं जाकर महराजगंज शिविर का निरीक्षण किया और यह आदेश दिए कि वृद्ध व अनुपयुक्त व्यक्तियों की नसबन्दी न की जाय। ये आदेश भी दे दिए गए हैं कि यदि गलत बयानों की वजह से किसी अविवाहित व्यक्ति की नसबन्दी कर दी गयी हो तो उसकी नस जुड़वाने के संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जाय।

बासगांव, जिला गोरखपुर में टेस्ट वर्क चलाने का अनुरोध

*6—श्रीमती मसाली देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव विकास खण्ड में टेस्ट वर्क चलाने के अिये जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं राजस्व मंत्री जी को 1 सितम्बर, 1972 से 5 दिसम्बर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं प्रार्थना-पत्र में किन मार्गों पर टेस्ट वर्क चलाने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दो पत्र प्राप्त हुए, एक 16-9-72 को तथा दूसरा 19-9-72 को। इन पत्रों में निम्नलिखित मार्गों पर टेस्ट वर्क चालू कराने का अनुरोध किया गया था :—

(1) इटवार से भुसउल रोड।
(2) बांसगांव से सरसोपार।
(3) विकास कार्यालय बांसगांव से बांसगांव टाउन के पुराने कस्बे तक।
(4) जयन्तीपुर से धनौड़ा बुजुर्ग एवं बांसगांव रोड में से कर्बलहा से पाली मार्ग।
(5) ढेकवार से कस्बा संग्रामपुर (2 कि० मी०) तथा
(6) नकदह से कस्बा संग्रामपुर (2 कि० मी०)।

जांच से बांसगांव विकास खण्ड में टेस्ट वर्क चलाये जाने की परिस्थितियां नहीं पाई गयीं, इसलिये उक्त सड़कों पर टेस्ट वर्क नहीं शुरू किया गया।

[9 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रामगोपाल संड—

[10वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आय सीमा निर्धारण की बाबत जानकारी

*2—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बड़ी जोतों और शहरी सम्पत्ति की सीमा के साथ आय की सीमा भी निर्धारण करने जा रही है ? यदि हां, तो न्यूनतम और अधिकतम आय की सीमा का अनुपात क्या होगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जिगनी, जिला बलिया के श्री राम दास तथा उनके परिवार वालों की मृत्यु

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के बलिया तहसील के अन्तर्गत जिगनी गांव में गत 27 सितम्बर और 3 अक्तूबर सन् 1972 के मध्य एक ही परिवार के पिता रामदास, माता धनिया और पुत्र सुदामा, उम्र 40 वर्ष की मृत्यु भूख से हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बलिया जनपद के बलिया तहसील में जिगनी ग्राम में श्री रामदास, उनकी स्त्री श्रीमती धनिया तथा पुत्र श्री सुदामा की मृत्यु भूख से नहीं, बल्कि बीमारी से हुई।

फतेहगंज, जिला बरेली का प्राइमरी हेल्थ सेंटर

*4—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, फतेहगंज (प०) जिला बरेली को वहां (फतेहगंज प०) न बना कर अन्य कहीं बनाने जा रही है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

बरेली की सब्जी मंडी का अग्निकांड

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि बरेली की सब्जी मंडी में दिनांक 12 अक्तूबर, 1972 को रात के दस बजे भयंकर आग लगी जिसके फलस्वरूप 100 निम्नकोटि के गरीब दूकानदारों का सर्वस्व जल गया ? यदि हां, तो तत्काल क्या सहायता उन गरीबों को सरकार द्वारा दी गई और क्या यह भी सही है कि इस सब्जी मंडी का ठेका गत दस वर्ष से न होने से दो सम्प्रदाय के दो ठेकेदारों में झगड़ा था और उसी झगड़े के अन्तर्गत षड़यन्त्र में यह आग लगाई गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक 12–10–72 की रात में बरेली सब्जी मंडी में आग लगने के कारण 101 दुकानदारों को आर्थिक क्षति पहुंची। आर्थिक स्थिति को देखते हुए उक्त दूकानदारों में से 29 को 100-100 रुपये की दर से कुल 2,900 रुपये अनुदान के रूप में दिया गया तथा 35 दूकानदारों को नगद भुगतान पर जी0 सी0 शीट्स व नालीदार टीन की चादरें दिलवाई गयी।

जांच से मालूम हुआ कि यह अग्निकांड आकस्मिक था जो पेट्रोमैक्स के फट जाने के कारण हुआ था। यह तथ्यहीन है कि दो सम्प्रदाय के दो ठेकेदारों में झगड़े के अन्तर्गत षड़यंत्र में आग लगाई गई।

आगरा में बाढ़ से क्षति

*6—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या यह सही है कि आगरा में गत मास में आयी बाढ़ के कारण 20 करोड़ का नुकसान हुआ? क्या यह भी सही है कि इसमें सैकड़ों आदमी तथा हजारों पशु मर गये? क्या सरकार मरने वाले व्यक्तियों तथा पशुओं की संख्या बताने की कृपा करेगी और धन हानि का ब्यौरा देगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आगरा में मास अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के कारण 3,48,04,954.78 रुपये की अनुमानित क्षति हुई, 22 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 21 व्यक्ति लापता हो गये हैं तथा 911 पशु मर गये। धनहानि का ब्योरा इस प्रकार है :—

	रु0	पै0
1—मकानों को हानि	96,68,019	·00
2—चल सम्पत्ति को हानि	51,08,681	·00
3—कृषि को हानि	1,18,68,300	·00
4—पशुओं के मरने के कारण हानि	4,49,650	·00
5—जिला परिषद् की सड़क एवं भवनों को हानि ..	4,24,700	·00
6—नहर विभाग को हानि	50,01,000	·00
7—जिला पशुधन कार्यालय को हानि	50,000	·00
8—जिला कृषि विभाग को हानि	64,052	·64
9—प्लांट प्रोटेक्शन विभाग को हानि	6,093	·64
10—सार्वजनिक निर्माण विभाग को हानि	20,00,000	·00
11—उद्यान विभाग को हानि	22,248	·50
12—सहायक निबन्धक कार्यालय को हानि	1,61,510	·00
13—रेबिन रिक्लेमेशन विभाग को हानि	20,000	·00
14—व्रजभमि वन प्रभाग को हानि	5,700	·00
योग ..	3,48,04,954	·78

आगरा में आने वाली बाढ़ की सूचना

*7—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि आगरा में आने वाली बाढ़ की सूचना भरतपुर से आगरा के अधिकारियों को दिनांक 11 अगस्त, 1972 को ही मिल गई थी लेकिन अधिकारियों ने इसकी सूचना जनता को नहीं दी? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी भरतपुर से टेलीफोन द्वारा 11/12 अगस्त, 1972 की रात में लगभग 3–4 बजे भरतपुर के बांध टूटने की सूचना प्राप्त हुई थी? इसके पूर्व 11–8–72 को स्थानीय सूत्रों से यह सूचना प्राप्त होते ही कि तहसील खैरागढ़ के जगनेर क्षेत्र में तथा किरावली तहसील के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, परगनाधिकारी खैरागढ़ तथा अतिरिक्त परगनाधिकारी किरावली मौके पर पहुंच गये और गांव वालों को चेतावनी देते हुए गांवों को खाली कराने का तथा बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया। शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

कर सम्बन्धित केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को वर्ष 1972 में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा भेजा गया ऐसा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कृषि सम्पत्ति और आय पर कर लगाने से संबंधित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर राय मांगी गई है? यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या राय प्रकट की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रतिवेदन की मुख्य बातों तथा संस्तुतियों के सारांश की प्रतिलिपि †संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

गुन्नौर, जिला सुल्तानपुर के सभापति के विरुद्ध शिकायत

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के 27 मई, 1972 के पत्र के साथ ग्राम गुन्नौर, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र मई या जून में प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त ग्राम के सभापति के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाये गये थे? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मामले की जांच करने कौन-कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी उक्त ग्राम में गये तथा उन्होंने अपनी-अपनी क्या-क्या रिपोर्ट शासन को प्रेषित की?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम सभा प्रधान के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। तहसीलदार मुसाफिरखाना ने स्वयं गांव में जाकर जांच की। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर उनसे कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जिसके बारे में परगनाधिकारी, मुसाफिरखाना जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

इलाहाबाद जिले में जोत-बही का वितरण

*10—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील फूलपुर के कितने गांवों के किसानों को जोतबही वितरित कर दी गई और जिन गांवों में चकबन्दी समाप्त हो गई है वहां जोतबही अब तक वितरित न करने का कारण क्या है? क्या सरकार शीघ्र जोतबही वितरित कराने की व्यवस्था करेगी?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला इलाहाबाद के तहसील फूलपुर के 231 गांवों में जोतबही तैयार करके किसानों को वितरित कर दी गई है। इनके अतिरिक्त इस तहसील में जिन गांवों में चकबन्दी समाप्त हो गई है उनकी जोतबही तैयार करके किसानों को अब तक वितरित न कराने का मुख्य कारण जोत बहियों के फार्म का उपलब्ध न होना है। इनको उपलब्ध कराने तथा जोतबहियों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार आदेश दे चुकी है।

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन

*11—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री बलदेव सिंह आर्य कोई वन सम्बन्धी रिपोर्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वन विभाग ने छापी थी? यदि हां, तो वह रिपोर्ट कब छपी थी और अब तक उसकी संस्तुतियों पर क्या-क्या कार्य हुए हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, श्री बल्देव सिंह आर्य की अध्यक्षता में गठित कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति की रिपोर्ट वन विभाग ने वर्ष 1960 में छापी थी अब तक उसकी संस्तुतियों पर जो कार्यवाही हुई है उसका †विवरण संलग्न है।

बलरामपुर जनाना अस्पताल, जिला गोंडा का प्रान्तीयकरण

*12—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में बलरामपुर जनाना अस्पताल क्या बलरामपुर स्टेट का है और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बलरामपुर स्टेट सरकार को देना चाहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे तुरन्त लेकर उसकी व्यवस्था संभालने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। अस्पताल के प्रान्तीयकरण हेतु आदेश दिनांक 2-3-73 को जारी कर दिये गये हैं।

भारतीय जनसंघ, अलीगढ़ का शिकायती-पत्र

*13—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह मार्च, 1972 में भारतीय जनसंघ, अलीगढ़ का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाये गये हैं कि नगरपालिका अलीगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य अधिकारी ने स्थानीय रिक्शा-पुलर्स से पैसा लेकर 'हेल्थ सार्टीफिकेट' प्रदान किये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माह मार्च 1972 में शासन को तो ऐसे कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुए थे किन्तु नगर पालिका, अलीगढ़ को प्राप्त हुए थे।

शासन की जानकारी में फीस लेने की शिकायत अब आई है इसमें जांच करा ली जायगी और जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

---

†छापा नहीं गया।

लखनऊ कलेक्ट्रेट के अस्थाई कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न

*14—श्री राम सागर (जिला जौनपुर) तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कलेक्ट्रेट तथा उसके अधीनस्थ भूलेख विभाग में कितने ऐसे अस्थाई कर्मचारी हैं जो गत 10 वर्षों से कार्यरत हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? उन्हें कब तक और किस आधार पर स्थायी किया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

लखनऊ कलेक्ट्रेट तथा उसके अधीनस्थ भू-लेख विभाग में इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 40 एवं 9 है। जहां तक कलेक्ट्रेट के इन 40 कर्मचारियों का प्रश्न है इनकी वरिष्ठता सूची बनी हुई है और जैसे जैसे स्थायी पदों में रिक्तियां एवं नये स्थायी पदों का सृजन होता जावेगा, इन्हें इनकी वरिष्ठता एवं कार्य के आधार पर स्थाई किया जाता रहेगा। भूलेख विभाग के इन 9 कर्मचारियों में से सभी लेखपाल हैं। इनमें से एक को स्थाई रूप से सेवा के लिए अयोग्य घोषित किये जाने पर सेवा निवृत्त किया जा रहा है। शेष 8 को स्थायीकरण के योग्य न होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका।

*15—श्री राम सागर, श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री जगन्नाथ राव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, लखीमपुर शाखा का प्रतिवेदन

*16—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके दिनांक 16 जनवरी, 1972 के लखीमपुर के दौरे के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, लखीमपुर शाखा द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया गया था? यदि हां, तो क्या था? और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुख्य मन्त्री जी को उनके 16-1-72 के लखीमपुर के दौरे के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की लखीमपुर शाखा द्वारा दो प्रत्यावेदन दिये गये थे जिनकी प्रतियां संलग्न हैं। क्योंकि उनमें उल्लिखित मांगें शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, अतएव प्रत्यावेदन की प्रतियां संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 297 पर)

*17—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री राम निहोर राय तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[नवें शुक्रवार में तारांकित प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर जिले के तहसीलदारों का स्थानान्तरण

*18—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सुल्तानपुर के समस्त नायब तहसीलदार व तहसीलदारों की संख्या क्या है तथा उनमें नायब तहसीलदारों की संख्या व अलग-अलग नाम क्या हैं जिन्हें 5 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अन्य जिलों में तबादला नहीं किया गया और क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला सुल्तानपुर के नायब तहसीलदारों व तहसीलदारों की संख्या क्रमशः 13 व 4 है। ऐसा कोई नायब तहसीलदार नहीं है जिसे इस जिले में 5 वर्ष हो गये हों।

जिला अस्पताल, गोंडा के डाक्टर्स

*19—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि जिला अस्पताल गोण्डा में कितने डाक्टर सन् 1967 से काम कर रहे हैं और वे किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ? क्या उनमें से किसी का स्थानान्तरण इस वर्ष किया गया था ? यदि हां, तो उसे किस आधार पर रोक दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला अस्पताल, गोंडा में कोई ऐसा डाक्टर नहीं है जो 1967 से निरन्तर वहां कार्य कर रहा हो । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पी० एच० आई०, लखनऊ के प्रशिक्षित सेनेटरी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

*20—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम निहोर राय, श्री त्रिलोक चन्द्र, (जिला बुलन्दशहर), श्री सच्चिदानन्द तथा श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों की सेनेटरी इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग पी0 एच0 आई0, लखनऊ में दिसम्बर, सन् 1971 में समाप्त हुई थी उनमें से कितने व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हुए हैं और किस आधार पर, यदि नहीं तो क्यों ? जिन व्यक्तियों ने सन् 1971 दिसम्बर में पास की थी उनके नाम प्राप्त अंक कृपया दिये जायं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दिसम्बर, 1971 में पी0 एच0 आई0, लखनऊ से सेनेटरी इन्सपेक्टर के प्रशिक्षण में उत्तीर्ण किसी भी अभ्यर्थी को अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं दी गई है । इसका कारण यह है कि नवम्बर, 1970 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अभी भी कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति शेष है । नियुक्ति योग्यता-क्रम से (in order of merit) दी जाती है ।

दिसम्बर, 1971 में सेनटरी इन्सपेक्टर प्रशिक्षण में उत्तीर्ण 57 अभ्यर्थियों के नाम तथा उनके प्राप्तांकों की क्रमानुसार सूची संलग्न है ।

नगरपालिकाओं/नगरमहापालिकाओं में नियुक्तियों की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 300 पर)

जिलाधिकारी, गोंडा द्वारा सेवारत सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर विचार

*21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री जगदम्बा प्रसाद—

विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 30 क उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवारत सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी गोंडा ने अभी तक क्या कार्यवाही किया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी गोंडा द्वारा सम्बन्धित सेवारत सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया । सेवारत सैनिकों को भूमि के आवंटन में प्राथमिकता प्राप्त नहीं है । ग्राम फतेहपुर में 8 प्रतिशत से अधिक भूमि भी गांव सभा के पास नहीं है । अतएव उनको भूमि देना सम्भव नहीं पाया जा सका ।

कलेक्ट्रेट संस्थान, फर्रुखाबाद में कर्मचारियों की नियुक्तियों में हरिजन

*22—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक कलेक्ट्रेट संस्थान के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् कितने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां की और उनमें हरिजनों का क्या अनुपात है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

फर्रुखाबाद जनपद के वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (22-7-71) से अब तक कलक्ट्रेट संस्थान के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के 33 तथा चतुर्थ श्रणी के 30 कर्मचारियों की नियुक्तियां कीं और उनमें हरिजनों की संख्या क्रमशः 13 (लगभग 39 प्रतिशत) और 11 (लगभग 36 प्रतिशत) है ।

चकबन्दी विभाग में डेपुटेशन पर कार्य करने वाले अधिकारियों की वापसी

*23—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चकबन्दी विभाग में डेपुटेशन पर काम करने वाले अधिकारियों की वापसी के लिये सन् 1969 ई० में जो आदेश पारित हुए थे आज तक कार्यान्वित नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं हुए थे । परन्तु राजस्व परिषद् द्वारा वर्ष 1969 ई० में चकबन्दी विभाग में कार्यरत रेगुलर लाइन के अधिकारियों को वापस करने के आदेश अवश्य हुए थे जो पुनर्विचार के पश्चात् परिषद् द्वारा बाद में निरस्त कर दिये गये ।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के निलम्बित लिपिक

*24—श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में जून, 1970 से जिन लिपिकों का स्थानान्तरण आदेशों के पालन में विलम्ब करने के अभियोग में निलम्बित किया गया उनमें से कितने को निलम्बन आदेशों में नियमानुसार देय निर्वाह भत्ते का कोई प्राविधान ही न था तथा कितने निलम्बन आदेश शीघ्र ही वापस ले लिये गये और कितने को 2 वर्ष से अधिक तक कोई आरोप-पत्र भी न दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जून, 1970 से केवल दो लिपिकों के निलम्बन आदेशों में नियमानुसार देय निर्वाह भत्ते का प्राविधान करना रह गया था । एक लिपिक द्वारा कुछ ही समय बाद स्थानांतरण आदेश पालन करने पर निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये । दूसरे लिपिक को दिसम्बर, 1970 में निलम्बन आदेश की तिथि से निर्वाह भत्ता देने के आदेश दिय गये किन्तु निलम्बित लिपिक द्वारा नियमानुसार यह प्रमाण-पत्र कि उन्होंने निलम्बन की अवधि में ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें आय हुई हो न देने के कारण निर्वाह भत्ते का उन्हें भुगतान नहीं किया गया है । इसी कर्मचारी को निलम्बन के 13 माह उपरांत आरोप पत्र देना सम्भव हुआ क्योंकि उन्होंने अभिलेख जैसे कैश बुक आदि जिनमें गड़बड़ी करने के कारण उनका निलम्बन हुआ था, अनाधिकृत तौर पर 13 माह तक दबाये रखे रहे ।

तहसील लेखपाल संघ, अकबरपुर, जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र

*25—श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री भगेलू सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के समस्त लेखपालों को 1968 से लेकर 1972 तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और क्या यह सही है कि अकबरपुर तहसील लेखपाल संघ द्वारा उक्त आशय का कोई प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 26 मई, 1972 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कायवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह सही नहीं है कि इस तहसील के लेखपालों को 1968 से 1972 तक वेतन वृद्धि नहीं दी गई ह । तहसील लेखपाल संघ का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । उसके पहले ही देय वेतन वृद्धि के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा चुके थे । केवल उन्हीं लखपालों को वतन वृद्धि दना शेष है जिनकी वेतन वृद्धि अतिरिक्त परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा कारणवश रोक दी गई है । शेष लेखपालों को नियमानुसार वेतन वृद्धि स्वीकार की जा चुकी ह ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की परीक्षा

*26—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 अगस्त, 1971 को तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों का प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष एवं पंचम (पूरक) वर्ष की परीक्षा परिषद् से संचालित कराने हेतु उनके साथ उनक निवास स्थान पर कोई वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें तय हुई थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । उसमें निम्नलिखित बातें तय हुई थीं :

(1) परीक्षा 10 अक्तूबर, 1971 से करवायी जायेगी ।

(2) परीक्षा के संचालन के लिये यथा संभव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ, गरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार तथा आयुर्वेदिक कालेज वाराणसी के कुछ लोगों को आप्ट कर लिया जायेगा जो इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि परीक्षाफल को यदि आवश्यक हो माडरेट किया जा सके ।

(3) रोल नम्बर को कोड में बदल दिया जावेगा और परीक्षाफल आने के बाद फिर कोड को नाम में परिवर्तित कर दिया जायगा ।

(4) अंग्रेजी की परीक्षा के लिये जो परीक्षक उस समय थे उन्हें हटा कर किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षक कर दिया जाय ।

उपरोक्त नियमों का कार्यान्वन क्रमानुसार निम्न प्रकार से किया गया ।

(1) परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर, 1971 से किया गया था किन्तु बाद में छात्रों के अनुरोध पर परीक्षा का आयोजन 25 अक्तूबर, 1971 से किया गया ।

(2) अधिकांश छात्रों द्वारा परीक्षा का वहिष्कार करने के फलस्वरूप को आप्ट करने के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका ।

(3) रोल नम्बर को कोड नम्बर में परिवर्तित करने की कार्यवाही की गई किन्तु छात्रों के इस आग्रह पर पूर्व के अनुसार ही रोल नम्बर निर्धारित किये जायं, कोड नम्बर की प्रणाली को नहीं अपनाया गया ।

(4) प्रथम वर्ष में अंग्रेजी विषय में कोई छात्र सम्मिलित नहीं हुआ था । अतः अंग्रेजी के परीक्षक को बदलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

चकबन्दी कर्मचारियों का स्थायीकरण

*27.—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकबन्दी कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है ? क्या उन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिनके परिवार वाले सन् 1965 तथा 1971 में भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए या घायल हुए ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, प्रदेश में चकबन्दी कर्मचारियों के कुछ पदों को स्थायी किया जा रहा है । जहां तक उन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिये जाने का प्रश्न है जिनके परिवार वाले सन् 1965 तथा 1971 में भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए या घायल हुए, शासन द्वारा उन्हें स्थायीकरण में प्राथमिकता दना संभव नहीं है ।

*28—श्री रामवचन यादव तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

[मा0 सदस्यों द्वारा प्रश्न वापस लिया गया ।]

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ के विरुद्ध शिकायतें

*29—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र, 8 जून, सन् 1970 का एवं 2 फरवरी, सन् 1972 और 24 जुलाई, सन् 1972 और 18 अगस्त, सन् 1972 के प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रधानाचार्य, मेडिकल कालिज, मेरठ के कई लाख रुपये के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित है ? यदि हां, तो जांच किसने की, अलग-अलग आरोपीय प्रार्थना-पत्र क्या-क्या हैं ? जांच रिपोर्ट सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्य के कथित शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं जिनमें दिनांक 8 जून, 1970 को छोड़कर शेष पत्र मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित हैं ।

8 जून, 1970 के पत्र में मेरठ मेडिकल कालेज के भवनों के त्रुटिपूर्ण निर्माण सम्बन्धी आरोप हैं जिनकी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच कराई गई । मुख्य अभियंता के मतानुसार मेडिकल कालेज, मेरठ का निर्माण कार्य औसत से बहुत अच्छा है, अतएव त्रुटिपूर्ण निर्माण की शिकायत ठीक नहीं प्रतीत होती । मुख्य अभियंता की विशेषज्ञ राय को देखते हुए यह मामला समाप्त कर दिया गया ।

2 फरवरी, 1972 तथा 18 अगस्त, 1972 के पत्र श्री मुसद्दीलाल द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में हैं जिनमें मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप थे । 24 जुलाई, 1972 के पत्र के साथ जो दो फोटोग्राफ प्राप्त हुए थे वे भी श्री मुसद्दीलाल की उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों से ही संबंधित हैं । इन शिकायतों की जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने की थी और एक आरोप को छोड़कर,

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

जिसमें सतर्कता विभाग से जांच कराने का निश्चय किया गया है, शेष आरोप ऐसे नहीं पाये गये जिनके आधार पर प्रिंसिपल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के लिये विचार किया जा सके ।

24 जुलाई, 1972 के पत्र के साथ प्राप्त शिकायतें मुख्यतया मेडिकल कालेज में वर्ष 1972–73 में दूध की सप्लाई के सम्बन्ध में प्रिंसिपल द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं । इनके विषय में स्वास्थ्य सेवा निदेशक से और आख्या मांगी गयी है और उनकी आख्या प्राप्त हो जाने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी ।

उपर्युक्त स्थिति में इस मामले में सम्बन्धित जांच की रिपोर्ट आदि कागजात सदन के पटल पर रखना प्रशासनिक दृष्टि से जनहित में उचित न होगा ।

कुष्ट सेवा आश्रम, गोरखपुर, वर्कर्स यूनियन माया बाजार, गोरखपुर का शिकायती-पत्र

*30--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 27 दिसम्बर, 1972, के पत्र के साथ कुष्ट सेवा आश्रम, गोरखपुर वर्कर्स यूनियन मायावाजार, गोरखपुर का शिकायती-पत्र माह दिसम्बर, 1972 में प्राप्त हुआ है जिसमें श्री विजय नाथ त्रिपाठी, संचालक उपरोक्त आश्रम के ऊपर भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस शिकायती-पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां ।

शिकायती पत्र पर जांच हो रही है ।

बिसवां, सिधौली (सीतापुर) मेंचकबन्दी तथा टेस्ट वर्क द्वारा निर्मित सड़कें

*31—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी (जिला सीतापुर) तथा श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सिधौली में परगना कोडरी दक्षिणी में अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक कराने का विचार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीतापुर जनपद की तहसील सिधौली के परगना कोडरी (दक्षिणी) में नदी चौका व घाघरा के कटाव से प्रभावित होने के कारण अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है । इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराकर चकबन्दी के लिये उपयुक्त पाये गए ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जायेगा ।

*32—श्री कृष्णकान्त अवस्थी तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में तहसील बिसवां तथा तहसील सिधौली में जिन सड़कों का निर्माण टेस्ट वर्क द्वारा किया गया है, जिन पर लाखों रुपया व्यय हुआ है क्या उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पक्का किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

टेस्ट वर्क लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चलाये जाते हैं, इनके द्वारा सामान्य तौर पर पक्का काम कराना संभव नहीं है । इस वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि मिट्टी

के काम के मूल्य के एक चौथाई तक पुलिया आदि बनवाने का पक्का काम किया जा सकता है। सीतापुर जिले में इस वर्ष जिन सड़कों पर टेस्ट वर्क द्वारा काम हुआ है उनके बारे में जिला परिषद् को लिखा गया है कि वे उन्हें ले लें तथा उनके रख रखाव की व्यवस्था करें। जिला परिषद् धन उपलब्ध होने पर इनको पक्का कराने की भी व्यवस्था करेगी।

परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत जिलेवार नसबन्दी

*33—श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नवम्बर, दिसम्बर, 1972 के महीनों में परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने नसबंदी आपरेशन हुये जिलेवार मरने वालों की संख्या एवं कारण भी कृपया बतायें? प्रदेश में इस अभियान पर कुल कितना व्यय हुआ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कचनापुर (गोंडा) की सीलिंग भूमि के पट्टे

*34—श्री राम जियावन (जिला सुल्तानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा शीशामऊ, परगना ग्वारिच, तहसील तरबगंज, जिला गोन्डा के मौजा कचनापुर के अन्तर्गत कितनी और कबसे सीलिंग भूमि पड़ी हुई है? क्या सरकार उक्त सीलिंग की भूमि को भूमिहीनों तथा भूमिहीन हरिजनों के नाम पट्टे पर करने जा रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा शीशामऊ, परगना ग्वारिच, तहसील तरबगंज, जिला गोण्डा के मौजा कचनापुर में उ0 प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त घोषित भूमि नहीं है। अतः भूमिहीनों तथा भूमिहीन हरिजनों के नाम पट्टे पर उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

गोंडा जिले के वर्षा से प्रभावित क्षेत्र में वितरित अनुदान संबंधी सी0 आई0 डी0 जांच

*35—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने गोंडा जिले में गत वर्ष वर्षा से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा दिये गये 35 लाख रुपये के अनुदान वितरण में हुई घोर धांधली के विरुद्ध वहां के कुछ विधायकों की शिकायत पर सी0आई0डी0 द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये हैं जिसके फलस्वरूप अनुदान वितरण संबंधी सभी कागजात सील कर लिये गये हैं? यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट क्या है और शासन ने क्या कार्यवाही उस पर की?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोण्डा जिले में अनुदान वितरण संबंधी समस्त कागजात सतर्कता विभाग द्वारा सील कर दिये गये हैं। अभी तक सतर्कता विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शेरों की गणना एवं सिंह के वंश को पनपाने का विचार

*36—श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतलायेंगी कि प्रदेश में शेरों की कोई गणना की गई है? यदि हां, तो कब की गई है और उनकी संख्या क्या थी और इस समय क्या है और क्या सरकार यह भी

[श्री हरीसिंह विष्ट]

बतलायेगी कि कुछ वर्ष पूर्व गिरनार के वन से सिंह (शर) लाकर इस प्रदेश में उसके वंश के विकास हेतु परीक्षण किया गया था उसका क्या परिणाम निकला और उस परिणाम के अनुभव के आधार पर क्या सरकार पुनः इस प्रदेश में सिंह के वंश को पनपाने का विचार कर रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश में शेरों की गणना तीन बार हुई है। दिसम्बर, 1970 में शेरों की संख्या 504 थी और मई, 1971 में इनकी संख्या 452 तथा मई, 1972 में 262 थी। गिरनार से दो गिर सिंहनियां व एक गिर सिंह लाकर चन्द्र प्रभा पशु विहार (जिला बनारस) में वर्ष 1957 में छोड़े गये थे। प्रारम्भ में सिंह वहां पर भली प्रकार रहे। तथा 1965 तक इनकी संख्या 11 हो गई परन्तु बाद में इनका कोई पता नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि सूखा पड़ने के कारण यह सिंह बिहार के समीपवती क्षेत्रों में चले गये या नष्ट हो गये। इस प्रदेश में पुनः सिंह के वंश को पनपाने के लिये सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है।

ग्राम पिंजरावा (हरदोई) की तालाबी भूमि

*37—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पिंजरावा, तहसील सन्डीला, जिला हरदोई के प्रधान ने गांव के उत्तर छोर पर स्थित तालाबी भूमि पर खुद व अपने गुट के कुछ अन्य व्यक्तियों से नाजायज रकम ले करके अनधिकृत कब्जा कर लिये हैं जिस पर इस समय गेहूं की फसल खड़ी हुई है, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मौके की जांच करा कर प्रधान तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, प्रश्नगत भूमि पर किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। उसमें से कुछ भूमि गांव सभा द्वारा आसामी पट्टे पर उठायी गयी है। प्रधान या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

विशुनपुर भटयारा (गोरखपुर) की हरिजन आबादी के निकट की भूमि

*38—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झंगहा के गाम विशुनपुर भटयारा की हरिजन आबादी के नम्बर 419 में कुछ मल्लाह जाति के लोग आलू आदि की खेती करते चले आ रहें हैं ? यदि हां, तो क्या पूर्व क्रय किये हुये हरिजनों ने भमि को मल्लाहों को बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसी भूमि को शेष हरिजनों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

कानपुर जिले में परिवार नियोजन कार्य में प्रयुक्त जीपें

*39—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले में परिवार नियोजन के कार्य में कुल कितनी जीपों का प्रयोग 1 जनवरी, 1972 से 1 जनवरी, 1973 तक किया गया और कुल कितना पट्रोल कितनी धनराशि का खर्च हुआ तथा कुल मिला कर कितनी किलोमीटर जीपें चलीं इस बीच कितनी नसबन्दी हुईं और कितने लूप लगाये गये ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

कानपुर जिले में 1 जनवरी, 1972 से 1 जनवरी, 1973 तक परिवार नियोजन के कार्य में 17 जीपों का प्रयोग हुआ जिसमें 28,188 लीटर पेट्रोल, 42,000 रुपये 12 पैसे का खर्च हुआ तथा कुल मिलाकर 1,64,564 किलोमीटर जीपें चलीं। इस बीच 11,255 नसबन्दी और 1,849 लूप लगाये गए।

नैनीताल जिले में वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*40---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की तराई में 1,000 एकड़ से भी अधिक वन विभाग की भूमि पर कितने व्यक्तियों द्वारा और कितने लम्बे अर्से से अनधिकृत कब्जा है और उनकी बेदखली के लिये वन विभाग द्वारा क्या प्रयास किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जिला नैनीताल की तराई में 1,525.48 हैक्टेयर वन विभाग की भूमि पर 580 व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1963-64 से लेकर अब तक अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और उनकी बेदखली के लिये वन विभाग द्वारा पुलिस की सहायता ली जा रही है तथा उनके विरुद्ध न्यायालयों में वाद प्रस्तुत किये गये हैं।

टी0 बी0 क्लीनिक, बदायूं के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*41---श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 क्लीनिक बदायूं में वर्तमान डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से सम्बन्धित शिकायती-पत्र मन्त्री स्वास्थ्य विभाग व निदेशक और सिविल सर्जन बदायूं को श्री असरार अहमद, निवासी बरम जिला बदायूं तथा अन्य व्यक्तियों ने नवम्बर व दिसम्बर, 1972 में भेजा, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि वर्तमान डाक्टर टी0 बी0 क्लीनिक बदायूं के विरुद्ध और शिकायतें भी शासन की जानकारी में हैं ? तो क्या सरकार उन्हें मुअत्तल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले में सूखाग्रस्त किसानों को सहायता तथा टेस्ट वर्क

*42---श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सूखे से प्रभावित किसानों को सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितना रुपया 1972-73 में दिया है तथा उस रुपये में से कितना रुपया देवरिया जनपद के लिये दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

प्राकृतिक आपदा में सहायता कार्य राज्य सरकार अपने संसाधनों से करती है तथा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार हुये व्यय पर निर्धारित नीति के अनुसार अनुदान तथा ऋण स्वीकृत करती है। उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष 8.49 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा तक हुये व्यय पर निर्धारित नीति के

अनुसार प्रदेश को अनुदान तथा ऋण प्राप्त हो सकेगा। अब तक केन्द्र ने इस मद में 90 लाख रुपये ऋण का तथा 60 लाख रुपये के अनुदान के मोचन (release) किया है।

प्रदेश सरकार ने देवरिया जिले के लिये निम्नलिखित धनराशि आवंटित की है :—

1—निःशुल्क बीज .. .. .. 14 लाख रुपये

2—निःशुल्क सहायता . .. .. 1 लाख रुपये

3—टेस्ट वर्क .. .. 6 लाख रुपये

*43—श्री राम नगीना मिश्र—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में टेस्ट वर्क से कहां-कहां पर काम शुरू हो गया है और अभी कहां-कहां पर शुरू होने वाला है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां टेस्ट वर्क शुरू है, वहां की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त इस साल अन्य कहीं टेस्ट वर्क शुरू करने की योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 302 पर।)

गोरखपुर जिले में नसबन्दी से मरने वालों के आश्रितों की सहायता

*44—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि श्री प्रभुनाथ, पुत्र तेरस, ग्राम दवनाडीह एवं श्री शिव नन्दन, ग्राम कोडर, नीलकन्ठ ब्लाक, बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की गत वर्ष नसबन्दी कराने के बाद मृत्यु हो गई थी और उनके आश्रितों को एक हजार रुपये की धनराशि जो सरकार द्वारा अन्य लोगों को दी गई थी उन्हें आवेदन-पत्र देने के बाद भी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री शिव नन्दन के परिवार को रु0 1,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है। श्री प्रभुनाथ, पुत्र तेरस, ग्राम दवनाडीह, जिला गोरखपुर के संबध में जिले से जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

*45—श्री हरी सिंह विष्ट—

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव का भवन

*46—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज की इमारत बहुत पुरानी होने के कारण आफिसों में तथा तहसीलदार की अदालत में बरसाती पानी टपकता रहता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

भवन की छतें पुरानी तथा खपरैल की बनी हैं जो अधिक वर्षा होने के कारण टपकती थी। अब उनकी मरम्मत करा दी गई है।

श्री नौनिहाल सिंह, सदस्य विधान सभा की शिकायत

*47—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29 अगस्त, 1972 को राजकीय जिला अस्पताल, मुरादाबाद के किसी डाक्टर के दुर्व्यवहार का एक शिकायती-पत्र राज्य स्वास्थ्य मन्त्री को दिया था और उसमें उन्होंने जांच के आदेश प्रसारित किये थे। यदि हां, तो चार महीने व्यतीत हो जाने पर भी अब तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। जांच कराई जा चुकी है।

तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद के हरिजनों को आवंटित भूमि

*48—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा के किन-किन ग्रामों में राजस्व विभाग द्वारा हरिजनों को कितनी जमीन ग्राम समाज से दी गई तथा इसी के साथ अमरोहा तहसील में और किन-किन ग्रामों के हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आवंटित हेतु प्राप्त हुये हैं। उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील अमरोहा में भूमि 21 ग्रामों में कुल 238 व्यक्तियों को 591.28 एकड़ पट्टों पर आवंटित की गयी और 82 ग्रामों में 1066 व्यक्तियों को 34.97 एकड़ भूमि आवास स्थलों के लिये आवंटित की गई। तहसील अमरोहा के और 8 ग्रामों के हरिजनों के आवास स्थल के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जो विचाराधीन हैं। उक्त ग्रामों की सूचियां माननीय अध्यक्ष के यहां देखी जा सकती हैं।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, सराय मघई (प्रतापगढ़) के कार्यालय से कागजात का खोजाना

*49—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह बात सही है कि कुछ समय पूर्व जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी के ग्राम दाऊदपुर तथा ग्राम विरौती के बहुत से चकबन्दी के कागजात, सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय सराय मघई से लापता हो गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पट्टी में दिनांक 15 जून, 1972 को दर्ज करा दी गयी थी परन्तु इस मामले के संबंध में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसी संबंध में एक न्यायालय लिपिक तथा दो लेखपालों की सेवाय समाप्त कर दी गयी है।

बिलारी जिला मुरादाबाद के तहसीलदार का स्थानान्तरण

*50—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद के तहसीलदार उक्त तहसील में कितने समय से हैं और इस बीच में कितनी बार उनके स्थानान्तरण राजस्व परिषद् के स्तर से किये गये हैं जिनको शासन ने निरस्त किया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्तमान तहसीलदार उस तहसील में 24 अगस्त, 1968 से नियुक्त हैं। इस बीच केवल एक बार इनका स्थानान्तरण राजस्व परिषद् के स्तर से किया गया जिसे शासन के निदेश पर निरस्त किया गया।

तहसीलदारों के स्थानान्तरण आदेश का निरसन

*51—श्री महीलाल—

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि जून, 1972 से अगस्त, 1972 तक राजस्व परिषद् ने कुल कितन तहसीलदारों के स्थानान्तरण किय थे और उनमें से कितने शासन ने निरस्त किये और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस अवधि में राजस्व परिषद् ने कुल 42 तहसीलदारों के स्थानान्तरण किये थे जिनमें से 6 तहसीलदारों के स्थानान्तरण शासन के निर्देश पर जनहित में निरस्त किये गये।

तहसील गोंडा के स्थायी लेखपालों का बकाया वेतन

*52—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि गोंडा सदर तहसील में ऐसे भी स्थाई लेखपाल कार्य कर रहे हैं जिनको मार्च, सन् 1964 से मई सन् 1966 तक का अवकाश का वेतन अब तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लेखपालों का नाम व उनके वेतन अब तक न दिये जाने का कारण बताने की कृपा करेगी तथा ऐसे लेखपालों के बकाया वेतन वितरित कराने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें मार्च, 1964 से मई, 1966 तक के अवकाश का वेतन न मिला हो। एक मामला श्री जगन्नाथ प्रसाद, लेखपाल का है जो 23-3-64 से 2-6-66 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे और उनको इस अवधि का वेतन न देय था न दिया गया। बकाया वेतन वितरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*53—श्री प्यारेलाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

घरबासीपुर, जिला फतेहपुर, में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

*54—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला फतेहपुर में घाता विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम घरवासीपुर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का निर्णय रद्द करके किसी अन्य ग्राम में यह केन्द्र खोलने पर शासन द्वारा विचार हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

देवरिया जिले की सीलिंग ऐक्ट के अनुसार अतिरिक्त घोषित भूमि

*55—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मौजा खोटही तप्पा परवरपार, तहसील हाटा, जिला देवरिया के खेत नं0 1281, 3838, 2982, 4943, 4945, 4941,

1988, 686 और 684 सीलिंग ऐक्ट, 1960 के अनुसार सरप्लस लैण्ड घोषित हो गये किन्तु उसी ग्राम के निवासी सर्वश्री सत्यनारायण सिंह, पुत्र बसगित सिंह, राजकिशोर सिंह, पुत्र सत्य नारायण सिंह और जगदम्बा सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह ने अपने नाम से सीरदारी दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

ग्राम खोटही, तप्पा परवर पार, तहसील हाटा, जिला देवरिया के प्रश्नगत नम्बरान में से केवल गाटा संख्या 2982 क्षेत्रफल 11·27 एकड़, 4941 क्षेत्रफल 3·71 एकड़ तथा 1988 क्षेत्रफल 10·48 एकड़ की भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत परगनाधिकारी के आदेशों से अतिरिक्त घोषित हुई। इस आदेश को सिविल जज, देवरिया ने निरस्त कर दिया और वाद रिमान्ड कर दिया जो विचाराधीन है। इस प्रकार कोई भी भूमि इस समय अतिरिक्त घोषित नहीं है। मामला अदालत के विचाराधीन है।

ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में हुये साक्षात्कार

*56---श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालज, हरिद्वार को पूर्णरूप से शासनाधीन कर राजकीय (शासकीय) आयुर्वेदिक कालेज बनाने का कोई प्रस्ताव या योजना शासन के समक्ष है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा हो जायेगा ?

*57---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1972 को शासन द्वारा संचालित ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में हुए साक्षात्कार एवं तदनुसार हुई नियुक्तियों में कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*58-59---श्री शिव महेन्द्र सिंह---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मेडिकल कालेज, लखनऊ की स्टाफ नर्स का स्थानान्तरण

*60---श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली) तथा श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 जुलाई, 1972 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तथा 4 दिसम्बर, 1972 को सहायक स्वास्थ्य निदेशिका द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज से कुछ परिचारिकाओं के स्थानान्तरण आदेश जिला अस्पताल, बरेली को किये गये थे ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उसको इस आदेश के आधार पर कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही अनुशासन की की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां, एक स्टाफ नर्स का स्थानान्तरण किया गया था किन्तु बाद में स्थिति पर विचार करने के उपरान्त प्रशासकीय कारणों से स्थानान्तरण रोक दिया गया। ऐसी दशा में किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*61---श्री हर नारायण---

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*62--श्री प्रताप नारायण द्विवेदी--

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला जजी, देवरिया में फौजदारी के खारिज मुकदमें

*63--श्री हरवंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य सूची नत्थी (ख) दिनांक 12 जनवरी, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में जिला जजी, देवरिया में फौजदारी के कितने मुकदमे जिनमें शासन वादी था पैरवी की कमी के कारण खारिज हो गये अथवा अभियुक्तगण न्यायालय से दण्डित न हो सके ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 12 जनवरी, 1973 की विधान सभा की बैठक में दिया जा चुका है। जहां तक अभियुक्तगण के दण्डित होने का प्रश्न है तीन वर्षों (वर्ष 1970, 1971 तथा 15-12-72 तक) में देवरिया जिले में 269 मुकदमें सेशन सुपुर्द किये गये। इनमें से 65 मुकदमें शासन के पक्ष में तथा 90 मुकदमें विपक्ष में निर्णित हुये। असफलता का कारण जिला शासकीय अभिवक्ता की अयोग्यता या त्रुटि नहीं थी। अतः इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फूलपुर (आजमगढ़) में लेखपालों के वेतन की सी० टी०डी० एकाउन्ट हेतु कटौती

*64--श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि दिनांक 15, 16 दिसम्बर, सन् 1972 को कतिपय विधायकों के हस्ताक्षर से जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत फूलपुर तहसील से सी0 टी0 डी0 एकाउन्ट में लेखपालों के वेतन से 20,000 रुपया काटा गया है के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त धन पास बुकों में न जमा कर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अपहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। इस प्रकार का दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 का एक पत्र माननीय विधायक श्री छांगुर राम से प्राप्त हुआ था। मामले से सम्बन्धित हिसाब-किताब की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके पूर्ण होने में अभी समय लगेगा।

विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि से रबी की फसल को हानि

*65--श्री राम सागर--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत सप्ताह सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा अन्य जिलों में भीषण ओला वृष्टि से किसानों को रबी की फसल का भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले की क्षति का विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कौन सा कदम उठाया और नहीं तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस वर्ष जनवरी में प्रदेश के 21 जिलों में उपलवृष्टि से रबी की फसल को कुछ नुकसान हुआ। प्रारम्भिक जांच से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षति का विवरण संलग्न है। प्रभावित

क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता, तकावी, आदि के रूप में सहायता की गयी। अधिकतर जिलों में हानि मामूली थी अतः किसी विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 303 पर)

*66–67—श्री शिव महेन्द्र सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन के कारण निरस्त]

नगरपालिका, गाजियाबाद की एल० एम०सी० की भूमि

*68—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष, नगरपालिका, गाजियाबाद ने 1970–71 में एल0 एम0 सी0 की भूमि खसरा नं0 1066 व 67 अवधानिक रूप से अपनी नाती के नाम चढ़वाये थे और अब उक्त खसरा नं0 क पास ही जोहड़ (तालाब) को धीरे-धीरे भरवाकर अपने कब्जे में ले रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनक विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ जिले के सेवा मुक्त स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी

*69—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत कितने स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी सेवा से मुक्त किये गये उनका मुक्त करने का क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रतापगढ़ जनपद में किसी भी स्वास्थ्य सहायक को सेवा मुक्त नहीं किया गया है। अतएव सेवा मुक्त करने के कारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

*70—श्री गया प्रसाद—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन लोगों की सेवायें समाप्त की गई हैं उन लोगों ने नसबन्दी के केस कितने-कितने कराये हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसका प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले के परिवार नियोजन एकाउन्टेन्ट

*71—श्री नारायण दास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद के कितने परिवार नियोजन एकाउन्टेन्ट 1970 से लखनऊ विश्वविद्यालय में एम0 ए0 तथा एल-एल0 बी0 की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में कुल कितने बिल्स बनाये गये और उनमें से कितने इनकी हस्तलिपि में थे?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

बाराबंकी जनपद में केवल एक परिवार नियोजन एकाउन्टेन्ट सन् 1970 से लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस समय वे एल0 एल0 बी0 द्वितीय वर्ष के छात्र हैं।

उपरोक्त एकाउन्टेन्ट अपने कार्यकाल के समस्त बिल अपनी ही हस्तलिपि में बनाते चले आ रहे हैं।

*72--श्री लालसा तथा श्री रामलखन सिंह--

[65 मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*73--श्री शेर सिंह दानू--

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कर्ण प्रयाग (चमोली) का खतरनाक घोषित राजकीय चिकित्सालय भवन

*74--श्री शेरसिंह दानू--

क्या यह सत्य है कि कर्णप्रयाग (चमोली) स्थित राजकीय चिकित्सालय के भवन को खतरनाक घोषित किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और चिकित्सालय का प्रस्तावित भवन कब तक बन जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

शासकीय कर्मचारी की हैसियत से कार्य करने वाले पति तथा पत्नी की नियुक्ति

*75--श्री शिव कैलाश--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा कोई ऐसा आदेश है कि यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय कर्मचारी हों तो उनको एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाये? यदि हां, तो क्या उसका पालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

प्रश्न का प्रथम भाग--जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापपुर (इलाहाबाद) स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*76--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में प्रतापपुर स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल आफिसर के खिलाफ कोई शिकायती पत्र वहां के नागरिकों तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिसम्बर, 1971 में प्राप्त हुआ है और आगे भी नागरिकों द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जनपद शल्यक को अनेक शिकायती पत्र वर्ष भर में प्राप्त हुए हैं? क्या यह सच है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके ट्रांसफर की सिफारिश करते हुए उन शिकायती पत्रों के बारे में विशेष जांच के लिये लिखा है? क्या सरकार उक्त मेडिकल इन्चार्ज के शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही कर चुकी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*77--श्री राजितराम पाण्डेय तथा श्री राज बहादुर चन्द--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गौरीकला (बांदा) के हरिजनों को मकान बनाने हेतु दी जाने वाली भूमि

*78--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा के हरिजनों ने कितने प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश को माह जुलाई, 1972 से अब तक, इस सम्बन्ध में दिये हैं कि मकान बनाने के लिये दी जाने वाली भूमि ऊबड़-खाबड़ है तथा जो गांव समाज की मकान बनाने वाली भूमि है उसमें नाजायज लोग कब्जा किये हुये हैं यदि हां, तो सरकार ने नाजायज कब्जों को हटाने व हरिजनों को मकान बनाने लायक जमीन देने के लिये क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ग्राम गौरी कलां, तहसील व जिला बांदा के भूमिहीन हरिजनों की ओर से दिनांक 28-8-72 का ऐसा एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी, बांदा को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये जा चुके हैं। वैसे जिलाधिकारी ने रिपोर्ट भेजी है कि इस ग्राम में 31 भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल आवंटित किया जा चुका है और उन्हें कब्जा दिया जा चुका है।

श्रीमती भगवानदेई लेपरेसी अस्पताल, कानपुर का प्रान्तीयकरण

*79--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती भगवानदेई लेपरेसी अस्पताल, कानपुर का प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का प्रान्तीयकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां।

प्रान्तीयकरण की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

रजकपुर तथा बरवा, जिला आजमगढ़ की जमीन के खातेदार

*80--श्री रामबिलास पाण्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के मौजा रज्जकपुर खाता नम्बर 22/1-356 व 59/1-333 तथा मौजा बरवा खाता नम्बर 170/4-33 व 201/300 की जमीन चकबन्दी अधिकारियों ने डिप्टी डायरेक्टर, चकबन्दी जो इस समय जौनपुर में तैनात हैं के भाइयों के नाम कर दिया है ? जब कि वास्तविक अधिकारी अन्य व्यक्ति हैं ! यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नम्बरों की जमीन जिन व्यक्तियों की है उनको दिलवाने तथा कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मौजा रज्जकपुर के खाता नम्बर 59 पर श्री रामप्यारे (वर्तमान उप संचालक, चकबन्दी, जौनपुर) व उनके दो भाइयों के नाम चकबन्दी के पहले से अन्य खातेदारों के साथ दर्ज थे। चकबन्दी न्यायालयों में वादों के निर्णयों के फलस्वरूप अन्य सहखातेदारों के नाम काट दिये गये। इसी ग्राम के खाता नम्बर 22 पर श्री रामप्यारे या उनके भाइयों के नाम चकबन्दी के पहले दर्ज नहीं थे परन्तु अधिकार की आपत्तियों के निर्णय के आधार पर उनके नाम दर्ज किये गये और

अन्य लोंगों के नाम काटे गये। ग्राम बरवा के खाता नं0 170 पर श्री राम प्यारे व उनके भाइयों के नाम चकबन्दी के पहले खातदार की हैसियत से दर्ज नहीं थे परन्तु उसके कुछ गांटों पर अध्यासीन की हसियत से दर्ज थे। चकबन्दी में आपत्ति दायर हुई जिसके निर्णय के फलस्वरूप उनके अधिकार खाते के 1/6 भाग पर पाये गये और इसी प्रकार दर्ज किया गया। जहां तक ग्राम बखा के खाता नं0 201 का संबंध ह इसमें उपरोक्त व्यक्तियों के नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं हैं।

यह सब कार्यवाही चकबन्दी के न्यायालयों के नियमानुसार निर्णय के आधार पर की गयी जिसका निदान समक्ष न्यायालय में अपील, निगरानी इत्यादि दायर करने पर ही किया जा सकता था।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले में चकबन्दी का कार्य

1--श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली ब्लाक सलोन व ब्लाक ऊंचाहार के कितन गांवों में चकबन्दी का कार्य समाप्त होकर दफा 52 का प्रकाशन हो चुक है व शेष गांव कौन हैं और उनका काम कब समाप्त होगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ब्लाक सलोन के 16 तथा ब्लाक ऊंचाहार के 43 ग्रामों का धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन हो चुका है। ब्लाक सलोन व ऊंचाहार के क्रमशः 98 व 55 ग्राम जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है, शेष है। उनका कार्य वर्ष 1973-74 में समाप्त होने की आशा की जाती ह।

[देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 304 पर]

शीतलहरी से मृत्यु

2--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)

क्या शासन को जानकारी है कि वर्तमान सर्दी के मौसम में शीत लहरी के कारण दिनांक 5 जनवरी, 1973 तक प्रदेश में कितनी मृत्युयें हुई ? जिलेवार ऐसे मृत्युकों का नाम व पता क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रदेश में 5-1-73 तक शीतलहरी से केवल 11 मौतें हुई जिनके नाम व पते की जिलेवार सूची संलग्न ह।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 307 पर)

तहसील ज्ञानपुर (वाराणसी) में ग्रामों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

3--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री राम निहोर (जिला वाराणसं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के जोरई मिटिउरा, चकगंगाधर और कैड़ा गांव सभाओं की भूमि पर अनधिकृत रूप से कुछ व्यक्ति ईंट के भट्टे दिसम्बर, सन् 1972 तक अवैध रूप से चलाते रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ज्ञानपुर तहसील के जोरई, मिटिउरा तथा चकगंगाधर गांव सभाओं की भूमि पर 1971-72 में भट्टे चलते रहे परन्तु ग्राम केड़ा में चल रहा भट्टा गांव सभा की भूमि पर नहीं था। संबंधित ग्राम सभाओं के प्रधानों द्वारा भूमि इकरारनामा तहरीर करके गांव सभा के लाभ के लिये दी गई थी। इकरारनामा लिखने के पहले एक साल से अधिक के लिये भूमि उठाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं की गई। प्रधानों के विरुद्ध कायवाही प्रारम्भ की जा रही है।

बलरामपुर, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ, डफरिन अस्पताल, आगरा तथा जिला अस्पताल, रायबरेली की सिस्टर एवं स्टाफ नर्सों की वेतन वृद्धि तथा स्थानान्तरण

4--श्री राम सागर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ डफरिन अस्पताल, आगरा व जिला अस्पताल, रायबरेली में ऐसी कितनी ही सिस्टर एवं स्टाफ नर्स हैं जिन्हें उनका सालाना वेतन वृद्धि (ऐनुअल इनक्रीमेन्ट) का रुपया अभी तक नही दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस धन को यथाशीघ्र दिलाये जाने के निर्देश जारी करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य

जी हां।

इसके भुगतान के लिये स्वास्थ्य सेवा निर्देशक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

5--श्री राम सागर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जिला अस्पताल, बरेली, सिविल अस्पताल, लखनऊ व राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ में कितनी सिस्टर एवं स्टाफ नर्स ऐसी हैं जिन्हें उक्त अस्पताल में कार्य करते हुए 7-8 वर्ष से भी अधिक हो गया है ? यदि हां, तो इनको इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान में रखने का कारण क्या है और क्या इन्हें दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जायगी और हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां, ऐसी सिस्टर तथा स्टाफ नर्स की संख्या 4 है। उन्हें वहां रखने का कोई विशेष कारण नहीं है। प्रशासकीय दृष्टि से एवम् जनहित में जब आवश्यक होगा तब उनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की संस्तुति

6--श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी अभी भी अपने पद पर हैं और उनके कार्यकाल को और बढ़ाने की फिर संस्तुति शासन के समक्ष आई है ? यदि हां, तो उनकी आयु इस समय क्या है और इनका कितनी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक की संस्तुति पर उनके कार्यकाल को 11-10-72 से एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है और इस अवधि में उक्त पद को भरने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं। इनकी आयु इस समय लगभग 66 वर्ष 7 माह है इनका कार्यकाल छः बार बढ़ाया गया है।

शुगर फैक्टरी, शाहजहांपुर के फार्म की अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन

7--श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को मालम है कि केरू शुगर फैक्टरी, शाहजहांपुर के फार्म से सीलिंग ऐक्ट, 1961 के अन्तर्गत निकली हुई सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी है कई वर्षों से भूमिहीन किसानों और हरिजनों ने उपरोक्त जमीन के आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये किन्तु कोई कार्य-वाही न की गई। क्या सरकार उपरोक्त भूमि को भूमिहीनों को शीघ्र देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत केरू एण्ड कम्पनी, शाहजहांपुर (शुगर फैक्ट्री) की 80.11 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी। जिसमें से 10.46 एकड़ भूमि स्थायी रूप से आवंटित की जा चुकी है। अवशेष 69.65 एकड़ भूमि अस्थायी पट्टे पर उठी थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अब इस भूमि को स्थायी रूप में आवंटित किया जायगा।

बरेली मण्डल में राजकीय अस्पताल के डाक्टर

8--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मन्डल के अन्तर्गत कौन-कौन से ऐसे सरकारी अस्पताल जिनमें एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टरों की नियुक्ति का प्राविधान है और उनमें से किस-किस में और कब से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पे-क्लीनिक योजना

9--श्री उमाशंकर शुक्ल--

क्या सरकार बतायेगी कि अस्पतालों में पे-क्लीनिक बनाने की योजना कब से लागू की जायगी और पे-क्लीनिकों में काम करने वाले डाक्टरों को क्लीनिक की आमदनी का कितना अंश दिया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

पे-क्लीनिकों की योजना अभी शासन के विचाराधीन है।

जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर की नर्सिग स्कीम

10--श्री उमाशंकर शुक्ल--

क्या सरकार शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में शीघ्र पूर्णरूपेण नर्सिग स्कीम लागू करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला व महिला चिकित्सालय, शाहजहांपर में पूर्णरूपेण नर्सिंग स्कीम लागू करने का प्रश्न पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

अलीगढ़ जिले में खेती व आबादी हेतु वितरित भूमि

11—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत सिकन्दराराउ तहसील में कितनी जमीन किन-किन ग्रामों में खेती व आबादी के लिये वितरित की गई है व कितने ग्रामों में जमीन देना शेष है और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत सिकन्दराराउ तहसील के 176 ग्रामों में 2,067 एकड़ भूमि खेती के लिये तथा 83 ग्रामों में 33 एकड़ भूमि आबादी के लिये वितरित की गई है । कृषि हेतु भूमि का वितरण अब किसी ग्राम में शेष नहीं है । आबादी के लिये 130 ग्रामों में जमीन देना शेष है । इन ग्रामों में शासन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15-8-1973 तक आवास हेतु भूमि वितरित किये जाने का निश्चय है । प्रश्नगत ग्रामों की सूचियां अध्यक्ष महोदय के यहां से देखी जा सकती हैं ।

गोरखपुर जिले में उपलवृष्टि तथा अतिवृष्टि से हानि

12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की चारों तहसीलों में जनवरी, 1973 की हुई वर्षा में कुछ-कुछ स्थानों पर ओले से काफी क्षति हुई है ? यदि हां, तो तहसीलवार क्षति क्या है तथा पूरा विवरण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनवरी, 1973 में ओला से गोरखपुर जिले की दो तहसीलों सदर तथा बांसगांव के 345 गांवों में रबी की फसलों को कुछ क्षति पहुंची जिसका विवरण इस प्रकार है:—

तहसील सदर

नाम फसल	प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का प्रतिशत	क्षति रुपये में
आलू	287 एकड़	10	57,400
मटर	2,523 ,,	10	1,26,150
			1,83,550

तहसील बांसगांव

नाम फसल	प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का प्रतिशत	क्षति रुपये में
अरहर	1,429 एकड़	15 से 20	4,57,240
आलू	405 ,,	,,	1,24,000
मटर	23592 ,,	,,	8,71,040
			14,52,280

मेरठ जिले के विशाल परिवार कल्याण उत्सव पर नसबन्दी

13—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के विशाल परिवार कल्याण उत्सव के अवसर पर नसबन्दी कराने का क्या लक्ष्य था ? 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने आपरेशन किस-किस आयु के व्यक्तियों के किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मेरठ जिले के विशाल परिवार कल्याण उत्सव का लक्ष्य 17,375 नसबंदियां था।

31-12-72 तक 3,868 नसदन्दी आपरेशन निम्नलिखित आयु वर्ग के लोगों के हुए:—

आयु वर्ग (वर्षों में)	संख्या
20-24	4
25-29	224
30-34	625
35-39	957
40-44	1,129
45-49	913
50 और उससे अधिक	15
अनुपलब्ध	1
कुल योग	3,868

झांसी जिले में एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का निश्चय

14—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1972-73 तथा 1973-74 में झांसी जिले में कहां-कहां और कितने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

झांसी जिले में 1972-73 में चार एलोपैथिक अस्पताल ग्राम कुम्हेरी, देलवारा शाहजहांपुर तथा बानपुर में स्थापित किये जाने का निश्चय किया गया है। कोई आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। 1973-74 में झांसी जिले में और अस्पताल खोलने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

15—श्री हरीसिंह विष्ट—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भरकच्छा (गोरखपुर) की सीलिंग भूमि का अमलदरामद

16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के दिनांक 4 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के क्रम में राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम सीलिंग की भूमि का आबंटन रकबा 29.99 एकड़ का हुआ है उन्हें अमल दरामद के साथ कब्जा दिला दिया गया ? यदि हां, तो किस तिथि से ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

ग्राम भरकच्छा में सीलिंग की भूमि का जिन पट्टेदारों में आवंटन किया गया है उनका अमलदरामद कागजात में हो चुका है। इस समय खेतों में फसल खड़ी होने के कारण पैमाइश करने में कठिनाई है। फसल कट जाने के बाद, पैमाइश करके पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिला दिया जायगा ।

17---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुधेर जंगल, चकरौता रेंज का ठेका

18---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चकरौता रेंज के कनासर रेंज के बुधेर जंगल में 16 लाख 50 हजार रुपये के जंगल का एक सौदा सरकार (वन विभाग) तथा एक ठेकेदार के बीच दिनांक 5 जनवरी, 1972 को हुआ था परन्तु ठेकेदार ने अग्रिम धनराशि जो लगभग 1.65 लाख होती है नकद नहीं जमा की बल्कि बैंक गारन्टी के रूप में दी तथा उसी दिन उनकी सेल्स टैक्स के लिये देय धनराशि जो 1.73 लाख थी को अक्तूबर 1972 तक इसीलिये सेल्स टक्स जमा करने की छूट दी गई ताकि उसे बैंक में जमा धनराशि जो ठेके की अग्रिम देनी थी सेल्सटैक्स में न देनी पड़े, यदि हां, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

चकराता वन विभाग, कनासर रेंज का बुधेर जंगल लौट नं0 20/71-72 : दिनांक 5-1-72 को हुए नीलाम में एक ठेकेदार ने 16 लाख 50 हजार रुपये की सबसे ऊंची बोली पर खरीदा था। इसमें विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत के हिसाब से 1.65 लाख रुपया जमानत निर्धारित थी। बिक्री के प्रतिबंध के नियमों के अनुसार ठेकेदार ने 1,23,750 रुपया स्टेट बैंक आफ इंडिया, देहरादून को बैंक गारन्टी के रूप में तथा शेष 41,250 रुपया फिक्स डिपाजिट रसीद के रूप में दिनांक 5-1-72 को ही जमा कर दिये थे। बिक्री के प्रतिबन्धों के अनुसार विक्रय मूल्य का साढ़े दस प्रतिशत अर्थात् 1,73,250 रुपया खरीदार को बिक्रीकर के रूप में जमानत के साथ दिनांक 5-1-72 को जमा कर देना चाहिये था किन्तु खरीददार ने बिक्री कर की धनराशि जमा नहीं की तथा छूट की प्रार्थना करता रहा। खरीदार को नोटिस दी गयी है कि यदि वह बिक्री-कर की धनराशि एक निश्चित तिथि तक जमा नहीं करेगा तो ठेका रद्द करने, जमानत जप्त करने तथा लौट को दुबारा नीलाम करने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देहरादून में नसबन्दी शिविर समारोह उत्सव

20---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि दिनांक 5 जनवरी, 1973 को देहरादून में नसबन्दी शिविर के समारोह उत्सव के अवसर पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्लानिंग) ने प्रदेशीय सरकार द्वारा इस शिविर हेतु लक्ष्य निर्धारण की अव्यवहारिकता, साधनों की कमी तथा अन्य अव्यवस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान खींचा और उपस्थित उप मन्त्री श्री गुलाब सिंह जी से प्रार्थना की कि वे इन सभी विषयों पर सरकार का ध्यान खींचें ? यदि हां, तो वे क्या-क्या कमियां थीं जिनकी ओर ए0 डी0 एम0 (पी0) ने संकेत किया और सरकार ने उन सभी के विषय में क्या निर्णय लिया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिलाधिकारी, देहरादून व उप मंत्री श्री गुलाब सिंह जी ने देहरादून जिले की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए शासन से यह अनुरोध किया था कि वह अन्य पहाड़ी जिलों की भांति देहरादून के जिले के लिये विशाल परिवार कल्याण शिविरों का लक्ष्य 3 प्रति एक हजार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाय। शासन ने यह सुझाव मान लिया है और देहरादून जिले में लक्ष्य 5 प्रति हजार जनसंख्या से घटाकर अन्य पहाड़ी जिलों की भांति 3 प्रति एक हजार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने का निर्णय ले लिया है।

श्री नित्यानंद स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

पहले उपाध्यक्ष का कथन हो जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1972–73) का प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (श्री वासुदेव)---

मैं, नियन समिति का सभापति, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। नियम समिति ने अपने 3, 4 तथा 22 नवम्बर, 1972 के उपवेशनों में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के विषय में विचार-विमर्श के उपरान्त जो निर्णय लिये हैं वह इस प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 251(घ) के अन्तर्गत नियम समिति द्वारा पुनर्विचारोपरान्त किये गये कतिपय निर्णयों में अभिसूचित आपत्तियों या संशोधनों विशेषकर नियम समिति द्वारा प्रस्तावित नियम 14 के संबंध में श्री लक्ष्मीरमण आचार्य द्वारा की गयी आपत्ति और उनके संशोधन को सदन के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र विचारार्थ रखे जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर समिति ने विचार के उपरान्त यह सिफारिश की है कि नियमों में संशोधन के लिये इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उन्हें सदन के सारे कार्यक्रम के ऊपर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय।

समिति ने श्री नित्यानन्द स्वामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया :---

(1) सदन के परिसर के तात्पर्य से संबंधित नियम 3 (य) में शब्द "उनकी ओर जानेवाले मार्गों" के स्थान पर "विधान सभा के दोनों द्वारों व माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विधान सभा सचिवों के कमरों के सामने का बरामदा" रखा जाये।

संशोधन का यह उद्देश्य था कि निलम्बित सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व विधान सभा के सचिव के कमरों के सामने के बरामदों के अतिरिक्त विधान भवन के अन्य समस्त मार्गों पर जा सकेंगे। श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य, विधानसभा ने बताया कि परिसर की परिभाषा की प्राविधिकता एवं उसके उपयोग उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 83 व 84 में निहित हैं। उन्होंने परिसर की परिभाषा के अन्तर्गत मेनगेट से विधान मण्डप तक ही नहीं वरन माननीय सदस्यों के वास स्थान से विधान सभा के मार्ग को भी अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में लेने का सुझाव दिया। नियम 3 (य) में परिसर के अर्थ को

---

†छापा नहीं गया।

स्पष्ट करते हुये श्री अध्यक्ष ने बताया कि नियमों में पहिले से ही यह विद्यमान है कि परिसर में वह जगहें भी आ जायेंगी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

समिति ने निश्चय किया कि नियमों में संशोधन करने से कठिनाई पैदा हो सकती है तथा अध्यक्ष की शक्ति में कमी आ सकती है अतएव वर्तमान नियम ही रखा जाय ।

(2) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा से संबंधित नियम 53 में से निम्नलिखित परन्तुक हटाने के लिये श्री नित्यानन्द स्वामी के संशोधन के प्रस्ताव पर समिति ने विचार किया :—

"परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिये इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेंगे ।"

निश्चय किया गया कि प्रस्तावित संशोधन करने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, अतः वर्तमान नियम 53 ज्यों के त्यों रखा जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 218, 219 तथा 313 के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय में प्राप्त अभ्यावेदनों आदि पर याचिका समिति द्वारा विचार किये जाने के विषय में अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश पर विधायिका विभाग की आपत्ति के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया कि हाउस आफ कामन्स में कोई भी जनता का व्यक्ति याचिका ले जा सकता है तथा लोक सभा के भी वैसे ही नियम व निदेश हैं और वहां अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकों का तो इतना सम्मान होना ही चाहिये कि अगर कोई नागरिक कोई याचिका हमारे इस सर्वोच्च संस्थान के समक्ष देता है तो हम उस पर विचार करें तथा जनतन्त्र में उसका तिरष्कार उचित न होगा ।

समिति इस विषय में यह सिफारिश करती है कि याचिका समिति के संबंध में जो निदेश अध्यक्ष ने जारी किये हैं तथा जिनके अनुसार यहां कार्य हो रहा है तथा लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में भी जिन सिद्धान्तों पर अधिक विस्तार से कार्य चल रहा है, उन्हीं के आधार पर याचिका समिति कार्य करें । [माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये उक्त निदेश के लिये कृपया परिशिष्ट (1) देखें ।]

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम 4(1) में निम्न संशोधन पर विचार हुआ—

"नियम 4 (1) में शब्द "आह्वान" के पश्चात् शब्द "अध्यक्ष के परामर्श से" जोड़ दिया जाय ।

यह विचार व्यक्त किया गया कि उक्त प्रथा लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं में प्रचलित है । अतः उसे यहां भी लागू किया जाय । यह बताये जाने पर कि श्री राज्यपाल के इस सम्बन्ध में हुये आदेश के अनुसार उस प्रथा का अनौपचारिक रूप से अनुसरण स्वीकार किया गया है, समिति ने यह निश्चय किया कि उक्त संशोधन का नियमावली में समावेश करने की आवश्यकता नहीं है ।

समिति ने श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन पर कि—

"नियम 14 (1) में शब्द 'तथा सदन नेता के परामर्श से' निकाल दिये जायें ।"

विचार किया तथा विचारोपरान्त संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया ।

समिति ने नियम 3 (1) (फ) में प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया और उसे स्वीकार करने की सिफारिश की है:—

"सचिव" की वर्तमान परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"सचिव का तात्पर्य विधान सभा के सचिव से है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति का समावेश है जो सचिव का काय करने के लिये अधिकृत हों ।"

[श्री उपाध्यक्ष]

अधिष्ठाता अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट, 1971 द्वारा स्वीकृत लोक सभा के प्रस्तावित नियमों के अनुरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में समिति ने यह निर्णय लिया कि इस संबंध में लोक सभा की नियम समिति द्वारा निर्णय समिति ने अपने प्रतिवेदन के प्रारूप को अपने 5 मार्च, 1973 के उपवेशन में स्वीकार किये जाने तक उस पर विचार स्थगित किया जाय। [समिति की कार्यवाहियां के विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट (2) देखें।]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

चौधरी साहब का विषय विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित है। उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने गत 29 नवम्बर, 1972 को मुख्य मंत्री जी के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें राज्य सरकार द्वारा पिछले 20 महीनों में गठित निगम, समिति, आयोग परिषद् अथवा अन्य इसी प्रकारकी संस्थाओं के विषय में जिसके द्वारा विधायकों को सदस्य, चेयरमैन, या अन्य पद अधिकारी की हैसियत से नियुक्त किया गया हो, सूचना मांगी थी। उन्होंने दिनांक 28 फरवरी, 1973 को मेरे पत्र का जवाब भेजा था। वांछित सूचना उन्होंने अपने पत्र के साथ संलग्न की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना में से पद 20 इस प्रकार है :

20 यू0 पी0 स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड	6 विधायक सदस्य हैं।	केवल यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता उन्हीं दरों तथा उन्हीं शर्तों पर देय है जो विधायकों को विधान मंडल के सदस्य के रूप में अनुमन्य है।

तथ्य यह है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड के सदस्यों को 50 रु0 प्रति दिन बैठक या किसी कमेटी में भाग लेने हेतु कारपोरेशन की तरफ से मिलता रहा है। साथ ही 150 मील तक टैक्सी या कार से यात्रा करने की दशा में 50 पैसे प्रति मील की दर से रोड माइलेज तथा आने जाने में यात्रा की दूरी 150 मील से अधिक हो तो टैक्सी या कार द्वारा तय की गई दूरी को कम कर शेष दूरी के लिये प्रथम श्रेणी का रेलवे किराया तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय इन्सीडेन्टल भत्ता दिया जाता है। यह भत्ते विधान मंडल के सदस्यों के मिलने वाले भत्तों से कहीं अधिक हैं। इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलत बयानी करके सदन के विशेषाधिकार को भंग किया है या उसकी अवहेलना की है। अतएव मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय मेरे इस आरोप पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। मुनासिब तो यह होगा कि तत्काल सदन में ही इस प्रश्न का निस्तीर्ण किया जाय। जो करेन्ट निदेश हैं उसके 207 निदेश के अन्तर्गत यह है कि जो जवाब दिये जाते हैं उनके बारे में एक दफा मौका दिया जाता है जवाब देने वाल को कि जो जवाब उन्होंने दिया वह स्वयं अपनी जानकारी स दिया या अपने सबोर्डीनेट से लेकर दिया। अगर सबोर्डीनेट से लेकर दिया है और वह गलत है तो सबोडीनेट को सजा देते हैं। अगर उन्होंने स्वयं जानबूझकर गलत दिया हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में सबोर्डीनेट नहीं बैठते। यहां जो सरकार बैठती है वह चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को रिप्रीजेन्ट करती है। अगर आप यह कहेंगे तो फिर जब भी मंत्री गलती करेंगे तो कह देंगे कि हमने चपरासी से पूछा था या कलक्टा से पूछा था।

श्री अध्यक्ष—

सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

शासन के माने हैं मंत्रिमंडल से जो यहां पर बैठा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

207 करण में लिखा है कि ऐसी सूचना जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे और अगर उनकी खुद की गलती हो तो फिर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है । इसलिये मैंने हमेशा यह किया है कि यहां प्रश्नोत्तरकाल में जो गलत उत्तर दिये जाते हैं तो उनके संबंध में पहले मंत्री से पूछ लेते हैं कि आप उसके ऊपर स्पष्टीकरण दीजिये । अगर मंत्री जी स्वयं दोषी हों तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अधिकारियों की इनफार्मेशन के आधार पर हमारे मंत्री जो यहां पर सूचना देते हैं तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है । हर विभाग की इनफार्मेशन मंत्री स्वयं नहीं रखते हैं बल्कि विश्वास करके जिम्मेदारी को ओन करते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट से मंत्री जी की स्वयं की जिम्मेदारी बननी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह पत्र व्यवहार सदन में नहीं हुआ है बल्कि सदन के बाहर हुआ है । चौधरी साहब ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट जिम्मेदारीपूर्ण न माना जाए क्योंकि अधिकारियों ने सूचना दी थी ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अगर कोई जानकारी करता है तो किसी गर्ज से । चौधरी साहब ने किसी गर्ज से जानकारी करनी चाही थी । एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने वर्तमान मुख्य मंत्री से जानकारी करनी चाही । यह स्टेटमेंट जान बूझकर दिया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

पहले विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर चौधरी साहब को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता जबतक कि जानबूझकर गलत बयानी न की गयी हो ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जानबूझकर कहीं गलती होती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो सामूहिक मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष—

उनसे जवाब तलब करेंगे हम ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप जवाब तलब कब करेंगे ? अभी करें तो बड़ा अच्छा है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आपने तो उनके लिये एक रास्ता निकाल दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भेज दिया है उनके पास और उनसे जवाब तलब किया है ।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि आप अनजाने मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अन्याय नहीं कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह—

पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि चरण सिंह ने मुझे यह लिख कर भेजा है । मैं खड़ा हुआ । आपने इजाजत दी । इसी बीच आपके मन में और कोई विचार आया और आपने मना कर दिया । मुझे इजाजत मिलनी चाहिये खास तौर से जब कि आप मुझे पहले एक दफा बुला चुके थे । लेकिन आज भी कम से कम मुझे यह मौका दे देते अपनी बात कहने का लेकिन उससे पहले आपने रूलिंग की बात कह दी । दसों सदस्यों ने मजबूर होकर अपनी बात कही है । तो मुझे पहले मौका देते । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि इस तरह का नियम है, यह पहले नहीं था, अब हो गया है । अब जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है अगर वह मान लिया जाय तो किसी भी सूरत में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कितनी ही गलत बयानी करता है, वह जिम्मेदार नहीं है । तो गवर्नमेंट जो भी यहां बयान देगी उसकी कोई क्रेडिबिलटी नहीं रहेगी । क्योंकि यह चीज मौजूद है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि फैक्ट यह है कि यहां जो अफसरान करते हैं उस सभी की जिम्मेदारी मिनिस्टर की होती है, लिहाजा उसका इन्टरप्रेटेशन आपको ऐसा करना होगा । अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेक्ट के स्पेसिफिक प्राविन्जन्स के खिलाफ रूलिंग दी है तो अगर आप इस तरह का करेंगे कि किसी मामले में वह जिम्मेदार नहीं है तो यह हाउस मखौल हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—

जिम्मेदारी तो उनकी है ।

श्री चरण सिंह—

उनको सजा मिले तभी तो जिम्मेदारी है । तो मेरा मतलब है कि जहां तक सदन का ताल्लुक है वह सदन के प्रति (माननीय त्रिपाठी जी) जिम्मेदार हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामूली बात है । तीन महीने में जवाब आया है । 29 नवम्बर को मैंने लिखा था, आपको इस सिलसिले में सवाल भेजा, आपके यहां वह सवाल अटका रहा, फिर मैंने उनको लिखा । फिर बीच में दो बार सवाल उठाया तब जाकर 3 महीने में यह आया है । तो आन द स्पर आफ द मोमेन्ट कोई बात हो जाय तो माना जा सकता है कि यह मिनिस्टर कह दें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उससे अनजाने में यह हो गया है। तो उसूल की बात है। मैं तीन महीने से कह रहा हूं, तब जवाब आया है, इस सिलसिले में एक बिल भी आया है। ऐक्ट मौजूद है उसमें है कि एम0 एल0 एज0 सभी इन्सटीट्यूशन्स में हो सकते हैं। तो एक पालिसी आपकी चल रही है। उसमें इन्टरप्रेटेशन देने की बात है। पबलिक अन्डरटेकिंग कमेटी जो हाउस की तरफ से है और एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से पूछा गया। उन्होंने कहा कि 50 रुपया भत्ता मिलता है। तो चीफ मिनिस्टर से यह जवाब दिलाया जो कान्ट्रेरी टू फैक्टस है। अगर जवाब ठीक नहीं है तो आप उनसे पूछिये लेकिन हमको यह अंदेशा हो रहा है कि आपने उनकी ओर से एलीबाई पहले से बना ली है। मुझे शिकायत यह है कि आप करीब-करीब अपना जजमेन्ट दे चुके हैं। वह नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जजमेन्ट नहीं दे चुका हूं। जजमेन्ट उनसे पूछने के बाद होगा। उन्होंने सही जवाब दिया या नहीं वह खुद कहेंगे। अगर उनको किसी दूसरे ने यह सूचना दी है, तो वह रिग्रेट एक्सप्रेस करेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक निवेदन था.....

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में अब बहस नहीं होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

नियम की बात थी, बहस नहीं थी। यदि कोई शिकायत होगी तो विशेषाधिकार के संबंध में किसी सदस्य द्वारा दी जावेगी। उसके लिये आपकी नियमावली में प्राविधान है। आप देखें कि ग्राह्यता की शर्तें क्या हैं ?

"(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो, तथा

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।"

तो ये तीन चीजें हैं। प्राग्दर्शन में साफ मालूम हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से गलत बयानी की गयी है। यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है। जो चिट्ठी चौधरी साहब ने लिखी है और जो उन्होंने दिया है उससे साफ जाहिर होता है। अब उनसे आप जो जवाब तलब करना चाहते हैं वह सारा आप तलब कर लेंगे तो प्रिविलेज कमेटी कौन सा काम करेगी ? उसके सामने छान-बीन और सिफारिश के लिये यह बात जाती है।

श्री अध्यक्ष--

आपने पढ़कर सुनाया, अब मैं रूल को पढ़ कर सुना देता हूं "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, संम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।"

तो दोनों को सुनेंगे। अब इस चीज को स्वयं देखना है कि यह प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है उसके पूर्व यह चीज अगर सदस्य से संबंधित हो तो उनसे पूछने की जरूरत है। मैं पूछूंगा उनसे। भेज दिया है उनके पास।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

विशेषाधिकार का जो प्रश्न है, आप कृपया भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (2) का अवलोकन करें "मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

मान्यवर, जो अकाउंटिबिलिटी है कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की संविधान के अनुसार, वह विधान को है विधान सभा के सदस्यों को नहीं है। मान्यवर, इसलिये जो पत्र कोई माननीय सदस्य किसी मिनिस्टर को लिखते हैं वह शिष्टाचार की दृष्टि से, किसी अन्य व्यवहार की दृष्टि से जवाब दें, लेकिन जहां तक संवैधानिक प्रश्न है वह जवाब दें या न दें और जो जवाब देंगे उसके संबंध में कोई प्रश्न इस सदन में नहीं उठ सकता। सदन के अन्दर कोई सवाल आता है तो.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये, सदन में भी आपने इस प्रश्न को रखा था। यह कहा गया था उनसे कि आप इसको.....

श्री शिवराज सिंह—

आपने यह बताया कि आदरणीय चौधरी साहब ने एक पत्र मुख्य मंत्री जी को सदन के बाहर लिखा था। उसका उत्तर उन्होंने उनको बाहर दिया था। सदन के फर्श पर कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं आया, इसलिये उस उत्तर के संबंध में सदन के फर्श पर कोई बिशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। इस संबंध में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन में प्रश्न उन्होंने उठाया और यह बात कही गयी कि आप शीघ्र इनको लिस्ट दे दें, क्योंकि लिस्ट के बारे में बताया था कि किन-किन के बारे में, तो उसी सिलसिले में यह मामला चल रहा है। तो मैंने कहा था कि आप दे दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या अखबारों में अगर कोई मामला उठे और गलत बयानी करे सदन के बारे में तो क्या हम उसको उठा नहीं सकते और अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी हो तो क्या हम नहीं उठा सकते? इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

जो एतराज है, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है।

नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने लिख कर दिया था आपको.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं ले रहा हूं। यह मा0 उमाशंकर शुक्ल की तरफ से है। नैशनल हेराल्ड में छप गया है कि

"The walk-out was in protest against the refusal by Mr. Radha Krishna Goswami, Minister of State for Home to transfer the Superintendent of Police, Shahjahanpur and circle officer, Tilhar, who, the questioner alleged had threatened the life of four sitting Legislators and two former Legislators."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आज के नेशनल हेराल्ड में छप गया है। इसके बारे में श्री उमाशंकर शुक्ल का एतराज यह है कि हम जो बाहर गये वह अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करने के लिये सदन की कमेटी न बनाये जाने के विरोध में गये थे। और यह बात सही है। इसलिये नहीं गये थे कि उनका ट्रांसफर नहीं किया। तो कृपा कर के नेशनल हेराल्ड के जो करेस्पांडेंट यहां बैठे हुये हैं वह इसका प्रतिवाद छपवा दें।

श्रम राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कल्पनाथसिंह जी ने राज्य मंत्री, श्रम के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाया है। "18-1-73 को प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत एक सूचना मैंने आपकी सेवा में भेजी थी जिसमें राज्य मंत्री श्रम के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाया गया था। उसके पश्चात् मैंने एक पत्र द्वारा श्री जे0 एल0 मेहरा, प्रबन्धक, फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर के पत्र की प्रति भी संलग्न कर दी थी। किन्तु अभी तक माननीय अध्यक्ष जी ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। अतः इस प्रश्न को आज पुनः सदन में आने हेतु माननीय सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण कराने के बारे में और उनसे उत्तर लेने के बारे में कह दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपने तो जनवरी में ही उनको कह दिया है और यह मार्च है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। वह आ जाने दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कब तक? क्या इसी तरह से सब गलतबयानी करेंगे और आप उनसे जवाब नहीं तलब कर पायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

दो बार हो चुका। अब तलब करने के बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो हम ऐक्शन लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप देख लीजिये, किस तरह से ये लोग मगरूर होते जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने आज एक व्यवस्था का प्रश्न लिख कर दिया था। मुझे जरा एक मिनट सुन लीजिये। आपने मुझे कहा भी था कि आप मुझे अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रिविलेज वाले हो जायं, उसके बाद आयेगा।

विधान सभा के रिपोर्टरों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक श्री शम्भूनाथ चौधरी जी ने यह दिया है कि विधान सभा के पिछले सत्र में 22-1-73 को विधान सभा के रिपोर्टर के प्रश्न को ले कर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया तथा और मैंने (अध्यक्ष) वित्त मंत्रीजी से पूछा कि आप कोई विधेयक इस विषय में लाने के लिये तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी आज्ञा होगी। इस तरह का उन्होंने कहा था। लेकिन शम्भूनाथ जी का कहना यह है कि न तो अभी तक कोई कानून लाया गया और न उन्होंने उसके ऊपर कोई पहल की। मैं आपसे इतना बता देना चाहता हूं कि यह तो वह कह चुके, लेकिन यह भी मैंने कहा था कि अगर सदन के किसी सदस्य की तरफ से कोई प्राइवेट विधेयक आये तो वह ला सकते हैं। तो मेरे पास दो आ गये और दोनों कों जब लाटरी निकली तो 26 मार्च के लिये विचार करने के लिये रख दिया गया है। तो यह काम तो हो चुका कि इसके ऊपर विचार होगा। अब वह लायें या न लायें इसके लिये हमको अब परवाह नहीं करनी चाहिये। हमें तो यह है कि सदन में वह चीज आ जानी चाहिये और उसके ऊपर चर्चा हो कर अगर फैसला यह हो जाता है सदन का कि यह तनख्वाह और यह अधिकार उनको देने चाहिये तो वह चीज हो जायेगी क्योंकि विधेयक आ गया है। 26 मार्च, को उस पर विचार होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जहां तक हमको संसदीय प्रणाली की जानकारी आप ही के माध्यम से हुई है वह यह कि इस सदन में कोई प्रश्न उठाया जाता है तो सदन के सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के अपना विचार प्रकट करते हैं और श्रीमान जी को केवल निर्णय देने का अधिकार है। लेकिन श्रीमन्, यहां पर आप ही विवाद शुरू कर देते हैं और आप ही निर्णय दे देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे यहां पर दो लोगों के बीच कोई वार्तालाप चल रही है। तो आपको निर्णय देने का अधिकार है या विवाद करने का ?

श्री अध्यक्ष—

जिसमें निर्णय देना आवश्यक होता है निर्णय देता हूं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जब सरकार सोती है तो आप उसे जगा देते हैं।

वेतन आयोग की रिपोर्ट के कुछ अंशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने कल बजट के लीकेज का प्रश्न उठाया था। उस वक्त यह कह दिया गया कि जब बजट आवेगा तो देखा जायगा कि लीकेज हुआ या नहीं। मैं वेतन आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रश्न उठा रहा हूं। वेतन कमीशन की रिपोर्ट अभी सदन में पेश नहीं हुई है और उसका काफी अंश समाचार पत्रों में छप गया है तथा लोगों को मालूम हो गया है। तो कहीं पर लीकेज इसका हुआ जरूर है। तो इस चीज पर आप व्यवस्था दें कि यह सदन सुप्रीम है या यह सरकार क्योंकि सदन में तो उसको पेश नहीं किया और बाहर उसका लीकेज हो गया। बाहर वालों को रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया। तो जब सदन का सत्र चल रहा है तो रिपोर्ट का बाहर शाया होना कहां तक उचित है, इस पर आप व्यवस्था दें। आप इसकी छानबीन करें कि किस प्रकार से वह शाया हुई। किसकी गल्ती उसमें है। अगर यह सच है कि बाहर

इट रिपोर्ट लाया हुई है, लीकेज हुआ है, तो निश्चय ही यह सदन का अवमान है और आप इस प्रश्न को सदन के अवमान का प्रश्न ट्रीट कर लें ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है । आपका कहना सही है । अगर इस तरह से कोई चीज जो सीक्रेट है, वह डाकमेन्ट छपती है या उसका कोई हिस्सा छपता है तो वह ठीक नहीं है । आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसमें सरकार को फैसला लेकर सदन के सामने रखना होता है । अब यह मालूम नहीं कि कुछ लोगों ने अन्दाज से लिखा है या जानकारी प्राप्त करके लिखा है । इसकी जांच मैं करूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जांच के बाद यदि आपको यह मालूम हो कि यह लीकेज हुआ है तो आप इसे अवमान का प्रश्न ले लें ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

कार्य मन्त्रणा समिति में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि 7 तारीख को हम उस रिपोर्ट पर निर्णय ले लेंगे और बजट में उसको इनकारपोरेट करेंगे । बजट आज आ रहा है । उसमें रिपोर्ट को इनकारपोरेट कर दिया होगा । तो उसके पहले रिपोर्ट यहां सदन में आनी चाहिये थी । बजट में जब छप गयी तो उसका लीकेज हो गया । बजट में शामिल करने के पहले माननीय सदस्यों को वह रिपोर्ट मिलनी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह कहा था कि बजट के वक्त वे उसकी जानकारी देंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

पहले रिपोर्ट तो हमें देते ताकि हम कुछ अपने सुझाव दे सकते ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यही कहा था कि बजट में, जो रिपोर्ट के बारे में सरकार का फैसला होगा उसे वे बता देंगे । उसमें उसका संकेत होगा ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

यहां सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र सदन में वे रखेंगे। वह रिपोर्ट का लीकेज हो गया, वह जागरण तथा अन्य पेपर्स में भी छपी है । उसके कारण कर्मचारियों में असंतोष भी हुई । फेडरेशन ने पत्रक बांटा, यानी जितना वेतन पहले मिलता था, उससे कम पे-पैकेट अब उन्हें मिलेगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने उक्त रिपोर्ट को लीक आउट किया और जिसके कारण लाखों राज्य कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त हुआ है, कुछ कर्मचारी भूख-हड़ताल कर रहे हैं, कुछ ने 20-21 तारीख का आकस्मिक अवकाश लिया, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जिन्होंने अपनी वेतन बढ़ोत्तरी के लिए आकस्मिक अवकाश लिया उनका वेतन काट लिया गया है जिससे असंतोष अपनी सीमा पर पहुंच गया है । तो कैसे रिपोर्ट प्रकाशित हुई आप उसकी जांच करायें । तो श्रीमन्, इसे आप गंभीरता से देखें कि कैसे वह रिपोर्ट प्रकाशित हो गई जो कि कर्मचारियों के असन्तोष का कारण बना ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसकी जांच कराऊंगा और उसे पढ़ लूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

रिपोर्ट की कापी हमें अभी तक नहीं मिली है, इसलिए हमें बड़ा खेद है। बजट छपने में 15 दिन लगे होंगे और उसके दो-तीन दिन पहले उस पर निर्णय हुआ होगा, तो इतने दिन हुए उस पर निर्णय हुए किन्तु हम लोगों को अभी तक उसकी सूचना नहीं दी गई। जबकि पेपर्स में निकल चुका है सबको मालूम हो चुका है। आप व्यवस्था दें कि इस पर, आज बजट पेश हो रहा है और निर्णय बीसों दिन पहले लिया जा चुका है, लेकिन जब हम सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं तो कहते हैं कि अभी सरकार इस पर निर्णय ले रही है। कौन सा ऐसा प्रेस है जो दो-तीन दिन में बजट को छाप देगा। निर्णय लेने के बाद हमें वह रिपोर्ट मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

यह उन्होंने कहा था कि वह मैं आपको बताये देता हूं,---जब रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर सरकार विचार करेगी और जो हम बजट भाषण करेंगे, उसमें उसका संकेत होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

वह तो हमें पहले यहां मालूम होना चाहिये, पूरी तरह से।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे कमरे में आकर प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं।

रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट में चार सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। "रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट" में रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार पूर्व निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक 12 जुलाई, 1973 को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थानों पर विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है:---

(1) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय---23 मार्च, 1973 के अपराह्न 3 बजे तक।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय---24 मार्च, 1973 के अपराह्न 2 बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय---3 अप्रैल, 1973 के 4 बजे तक।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 9 अप्रैल, 1973 को दिन के 12 बजे से 5 बजे तक तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

2---उक्त निर्वाचन अनुमति प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable vote) द्वारा किया जायगा।

3---इस निर्वाचन सम्बन्धी नाम निर्देशन पत्र विधान सभा के नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

9 तारीख को तो सदन नहीं बैठेगा, इसलिये उस दिन हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह अभी तय तो नहीं हुआ है। यदि नहीं बैठेगा तो फिर उसके दूसरे दिन रख देंगे।

ब्लैक दिसम्बर संगठन द्वारा प्रशासन को अस्त-व्यस्त करने की धमकियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जब आपने "ब्लैक दिसम्बर" पर हमारा एडजर्न मोशन खारिज किया था तो आपने कहा था कि आपका भी मोशन जोड़ दिया जायगा इसमें। लेकिन वह आपके कार्यालय में वैसा क्यों नहीं हुआ ।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)---

मुझे यह निवेदन करना है कि मेरे चकबन्दी वाले सवाल का सही जवाब नहीं दिया माननीय मन्त्री जी ने ।

श्री अध्यक्ष---

वह चकबन्दी का सवाल तो खत्म हो गया ।

श्री तिरमल सिंह---

आप 49 में आध घंटे की चर्चा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप यह कर सकते हैं अगर आपको जवाब ठीक नहीं मिला, 49 में लिख कर भेज दें कि जवाब ठीक नहीं दिया । इस कारण आप नियम 49 में 1/2 घंटे की चर्चा चाहते हैं ।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)---

पिछले कुछ दिनों में "ब्लैक दिसम्बर" नामक संगठन के सदस्यों की ओर से कतिपय पत्र प्राप्त हुए हैं जो कुछ दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक तथा शासन को सम्बोधित हैं और जिनमें यह धमकी दी गई है कि उनकी मांगों को कार्यान्वित किया जाय अन्यथा वाराणसी, लखनऊ तथा इलाहाबाद के जलकलों की पानी की टंकियों में विष मिला दिया जायगा तथा नदियों के पुलों को उड़ा दिया जायगा । इसके अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जान से मार देने की भी धमकी दी गई है । इन पत्रों के भजने वालों की खोज की जा रही है और आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी । इस बीच समस्त जिलाधिकारियों को तथा

(इस समय 12 बजकर 41 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है तथा सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ कर लिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । ऐसे तत्वों पर, जिनसे ऐसी कार्यवाही किये जाने की आशंका है कड़ी निगाह रखने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण मिल जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । इसकी सूचना मिली होगी कि अपने प्रदेश में बहुत से पाकिस्तान से आये हुए व्यक्ति आज भी विराजमान हैं । बहुत दिन व्यतीत होने पर भी वे अपने देश वापस नहीं गये बल्कि केन्द्र के कुछ मन्त्री जैसे शाहनवाज साहब और किसी दूसरे सज्जन

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

ने सिफारिश भी की है कि यहां इनको रहने दिया जाय, देश का नागरिक बना दिया जाय, वहां न भेजा जाय। तो क्या यह करने की कृपा करेंगे कि सारे पाकिस्तानी एलिमेंट्स जितने हैं, जितने ब्लैक दिसम्बर से पाकिस्तान से सम्बन्धित हैं, ऐसों की लिस्ट बना कर, बिना किसी की सिफारिश को ध्यान में रखे हुए, उनको वापस करवाएंगे ? दूसरे जो इसेंशल सर्विसेज हैं उनकी सुरक्षा के लिये और कुछ लीडरों को जिनको जीवन का संकट है, माननीय मुख्य मन्त्री जी और अटल जी के बारे में, क्या कोई प्रोटेक्शन लिया है, और लिया है तो क्या?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जितने पाकिस्तानी नागरिक हिन्दस्तान में हैं या तो वे जेल में हैं या कोर्ट के आदेश पर जमानत पर हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और पुलिस की रिपोर्ट ही मुख्य आधार है। किसी की सिफारिश या कहने पर ध्यान देने की बात नहीं है। माननीय सदस्य को इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस में पुलिस की रिपोर्ट और जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्रमुख है। यदि उनके खिलाफ तनिक भी शंका होती है तो उनके खिलाफ विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है। पत्र तो लोग लिखते हैं। लेकिन पत्र कोई निर्णय का आधार नहीं है। सिफारिश और रेकमेंडेशन अपनी जगह पर है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

प्रोटेक्शन के लिए क्या किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जेल में हैं या मुकदमा चल रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसेंशल सर्विसेज की सुरक्षा की दृष्टि से.....

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो ब्लैक दिसम्बर के सम्बन्ध में इस तरह की सूचना मिली है कि जलाशय और वाटर सप्लाई को दूषित करेंगे उन पर ड्यूटी लगा दी गयी है। जिला अधिकारियों और पुलिस को सतर्क कर दिया गया है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेन्ट और एल0आई0यू0 को सतर्क कर दिया गया है। जिन लोगों को विशेष तरह की खतरे की आशंका है, जिन्होंने सूचना दी है और देंगे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। वैसे कहां तक वास्तविकता है, क्या आज कुछ लोगों की प्रवृत्ति के आधार पर टेरर पैदा करने के लिये उल्टे सीधे पत्र तो नहीं भेजे जा रहे हैं, इस सब बातों के बारे में भी बड़ी सतर्कता से जांच की व्यवस्था की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता कर लिया है कि यह संगठन किस प्रकार का है और इसकी बुनियाद कहां से शुरू हुई है, उसमें किस-किस प्रकार के लोग हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय, यह संगठन हिन्दुस्तान में अथवा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का है इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। हिन्दुस्तान से बाहर संसार में इसकी क्या रूपरेखा है यह माननीय सदस्य को पत्र-पत्रिकाओं से सूचित हो चुका होगा, उतनी ही जानकारी हमको भी है। वैसे हम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जागरूक हैं और उन्होंने जो चेतावनी दी है उसके लिये हम सचेष्ट तथा सक्रिय हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

प्रदेश के कौन से विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको ब्लैक दिसम्बर ने धमकी दी है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इससे कोई विशेष फायदा तो माननीय सदस्य को होगा नहीं। वैसे मुख्य मन्त्री को धमकी दी है कि इस्तीफा दे दो। दूसरे यह धमकी दी है कि पाकिस्तानियों को छोड़ दिया जाय। पूरी सूची मेरे पास नहीं है जिसे मैं पढ़ दूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

समाचार-पत्रों से प्रदेश की जनता को यह जानकारी अवश्य है कि ब्लैक दिसम्बर नाम की कोई संस्था इस प्रदेश में सक्रिय है लेकिन जो पत्र आते हैं वे व्यक्तिगत रूप से आते हैं अथवा कोई संगठित संस्था है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जांच से इस तरह के किसी संगठन के वजूद की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद के यू० एन० आई० के दफ्तर को किसी व्यक्ति ने फोन किया कि इलाहाबाद में जो 14 हजार पाकिस्तानी रखे गये हैं अगर उनको उचित सुविधायें नहीं दी गयीं तो फौरन बम्बर उड़ा दिया जायगा और जलकल के अभियन्ता को पत्र भेजा गया कि वाटरवर्क्स उड़ा दिया जायगा। क्या ऐसी कोई सूचना सरकार के पास आई या नहीं और सरकार ने उसका कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यू० एन० आई० को धमकी दी गयी है इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है लेकिन जलकल अभियन्ता को जो धमकी दी गयी है उसके बारे में जांच की जा रही है और उसकी व्यवस्था भी कर दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमारे दल के मुख्य सचेतक श्री मोहन लाल कपूर को धमकी दी गयी और यह समाचार पत्रों में भी छपा उस दिन से आज तक सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

समाचार-पत्र में यह छपा होगा लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं थी लेकिन हर जिला अधिकारी तथा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गयी है कि वह सुरक्षा की व्यवस्था करें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

सारे देश में जब यह संगठन काम कर रहा है तो क्या प्रदेशीय सरकार ने दूसरे प्रदेशों से भी सम्पर्क स्थापित किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां हो रही हैं रोकथाम के लिये उनको उजागर करने से न माननीय सदस्य को लाभ होगा न देश को।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मेरठ में एक आलम नामक पाकिस्तानी पकड़ा गया और 71 से लेकर 73 तक वह यों ही घूमता रहा और पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। क्या सरकार जांच करायेगी कि उसे क्यों नहीं पकड़ा गया?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह दूसरा प्रश्न है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जो ब्लैक दिसम्बर के बारे में चर्चा चल रही है और अब रेड अप्रैल भी आने वाला है उसके सम्बन्ध में आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है, सी0 आई0 डी0 का विभाग क्या कर रहा है? हमको इस बात की बड़ी चिन्ता है कि ऊपर से यदि कोई मन्त्री पत्र देता है और रिकमेन्डेशन देता है उस पर आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मुमकिन है कि इससे उनका भी सम्बन्ध हो।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री महाबीर सिंह चौहान, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त द्वारा दी गई जिसमें उन्होंने लिखा है "राज्य के सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्नों के अभाव के कारण उपभोक्ताओं को कष्ट"। इसे 12-3-73 को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। दूसरी सूचना श्री नित्यानन्द स्वामी ने दी है जिसमें उन्होंने हजारों वकीलों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के निवास पर प्रदर्शन तथा क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में लिखा है। इसे अस्वीकार किया गया और तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री राम बिलास पांडेय ने दी है जिसमें प्रदेश में बिरादरीवाद, कुनबापरस्ती तथा रिश्वत-खोरी परम सीमा पर पहुंचने से शासन में गतिरोध एवं भयंकर स्थिति का उत्पन्न होना लिखा है। इसे भी अस्वीकार किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कीमतों के बारे में मैंने भी आपको लिखकर दिया था.... (व्यवधान)

कतिपय सदस्यों द्वारा लाभ पद ग्रहण करने के कारण सदस्यता से अनर्ह्य होने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कल आपको यह कहा था कि मैं अपनी रूलिंग श्री चरण सिंह जी के मामले पर कल दूंगा। उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

माननीय चरण सिंह ने प्रश्न उठाया। उनके विचार से इस सदन के 3 माननीय सदस्य—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) श्री राम मूर्ति अंचल (शाहजहांपुर) तथा श्री त्रिवेणी राय (आजमगढ़) जो शासन द्वारा यू0 पी0 स्टेट ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में मनोनीत किये गये हैं, उनका स्थान संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के अन्तर्गत रिक्त समझा जाना चाहिये बल्कि रिक्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एग्रो इन्डस्ट्रियल

कारपोरेशन से 50 रुपये प्रति मील की दर से 150 मील तक का टैक्सी भत्ता तथा 50 रुपये प्रति-दिन के हिसाब से दैनिक भत्ता प्राप्त किया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा (3) (द) के साथ पठित धारा 2 (क) के उपबन्धों के प्रतिकूल है।

उक्त नियम की धारा 3 (द) तथा 2 (क) निम्न प्रकार है:—

3(द) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए खण्ड (ज) खण्ड (झ) खण्ड (य) खण्ड (ट) खण्ड (ठ) खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव, का पद, यदि ऐसे पद के धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो,

2(क) प्रतिकर भत्ता का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिसे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किये गये व्यय की पूर्ति कर सके ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों के अधिक अनुकूल हो जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों।

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के अनुसार यदि राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) (क) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। अनुच्छेद 191 (1) (क) निम्न प्रकार है:—

यदि कोई सदस्य ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाल का अनर्ह्य न होना उस राज्य के विधान मण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है तो वह सदस्य राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य होने के लिए अनर्ह्य होगा।

अनुच्छेद 192 (1) इस प्रकार है:—

"यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मण्डल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

इस अनुच्छेद में किसी सदस्य को अनु0 191(1) में वर्णित अनर्हताओं के भागी होने या न होने सम्बन्धी प्रश्न के विनिश्चय का उपबन्ध किया गया। इस प्रकार के प्रश्न का विनिश्चयन अन्तिम रूप से राज्यपाल पर छोड़ा गया, जो उसे निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करता है। राज्यपाल के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय को उस पर विचार करने का अधिकार नहीं है। किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न कोई भी उठा सकता है। सदस्य सदन में उठा सकते हैं। निर्वाचक या जनता राज्यपाल को शिकायत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्यपाल उस मामले को निर्वाचन आयोग को भेज देता है, जो उसकी जांच करता है और सदस्य को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है और अपना निष्कर्ष निकालने के बाद अपने निर्णय से राज्यपाल को सूचित कर देता है, जो उसे मानने के लिये बाध्य है। यथार्थ में, उस प्रश्न पर निर्णय निर्वाचन आयोग का होता है। राज्यपाल केवल उसके आधार पर अपने विनिश्चय की घोषणा करता है।

[श्री उपाध्यक्ष]

अनुच्छेद 193 में स्पष्ट है कि "यदि राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् म कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूं अथवा अनर्ह कर दिया गया हूं अथवा संसद द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये जबकि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये, प्रतिदिन के दण्ड का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।"

इस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति के जो सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् अनु0 188 के अधीन शपथ लेने से या प्रतिज्ञान करने से पूर्व, अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर या किसी विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किये जाने पर सदन में बैठता है या मतदान में भाग लेता है, 500 रुपय प्रतिदिन के हिसाब से, जब वह इस प्रकार भाग लेता है, दंड का भागीदार होता है, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाता है।

अनुच्छेद 192(1) के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मण्डल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं हो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। तो प्रश्न उठा। यह माननीय सम्बद्ध सदस्यों का दृष्टिकोण एवं उत्तरदायित्व है कि संविधान के प्राविधानों के अनुसार इस विषय में वह कार्य सम्पन्न करें। संविधान मे अनधिकारपूर्ण ढंग से सदन में बैठने के प्रतिकार की व्यवस्था है। उस प्राविधान को मैं पर्याप्त समझता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

आपकी रूलिंग के बाद उस प्रश्न पर फिर क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष---

बात यह है कि हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। यह तो आयोग करेगा। तथ्य मेरे सामने नहीं है कि वे क्या हैं। इसकी मैं कोई जांच नहीं कर सकता।

डी० आई० जी० गोरखपुर रेंज द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

अब नं0 8 पर श्री इन्द्रमणि जी अपना भाषण जारी रख।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अभी गोरखपुर रेंज के डी0 आई0 जी0 पुलिस लाबी में बैठकर जैसा व्यवहार कर रहे थे, उसको देखकर मैं उस समय उठा था और मैंने उस समय आपका ध्यान दिलाना चाहा था, लेकिन आप रूलिंग दे रहे थे, इसलिये मैं उस समय बैठ गया और वे भाग गये। उन्होंने हाथ उठा-उठा कर माननीय सदन के सदस्यों को बुलाते थे। मैंने देखा कि मेम्बर्स चपरासी की तरह से जाकर वहां दण्डवत कर रहे थे। वे सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे थे। ये सारी वीर्धायें पार्ट आफ दि हाउस है। मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा। मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के लिये बड़े अपमान की बात है। ऐसे अधिकारियों को तो पास भी नहीं देना चाहिये। वह हमको बुला कर इस तरह सदन की कार्यवाही में रुकावट डालें, यह सदन के लिये अपमानजनक है। अगर कोई इस तरह से माननीय सदस्यों को बुलाता है तो वह सदन की कार्यवाही को रोकता है। यह हमारा भी अपमान है और सदन का भी अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष---

पांडेय जी ने सवाल उठा दिया है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, यह तो हाउस के समक्ष हुआ है। जैसे कभी ऊपर से पर्चे फेंक दिये जाते हैं कोई चिल्लाता है, नारेबाजी होती है या मेम्बर को उठा कर ले जाता है, यह सब बात हाउस के सामने हुई है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप मौका दीजिये कि यहां सारी बात हो जाये। यह बिफोर दि हाउस हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

बिफोर दि हाउस कहां हुआ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, पांडेय जी ने जो कुछ कहा है वह रिपोर्टरों ने लिख लिया है। उसके अनुसार काम होना चाहिये। अलग से क्या लिखा जायेगा। जो कुछ हुआ है वह हमारे सामने है।

श्री बंशीधर पांडेय---

डी० आई० जी० पुलिस सरकारी नौकर हैं और उन्होंने अपने प्रभाव से इस तरह से मेम्बरों को अपने पास बुलाया।

श्री उपाध्यक्ष

जो माननीय सदस्य यहां बैठते हैं उनसे हमारा कार्य संचालन होता है। अब कोई इधर ध्यान नहीं देता है तो यह उचित नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, आप देखें कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह विशेषाधिकार का प्रश्न कहां बनता है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, आप पहले मुझको सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय---

मेरा कहना यह है कि यह सब इस हाउस के सामने हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

सामने कहां हुआ है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

हाउस के सामने का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि हाउस बैठा हुआ है और ऊपर से यह हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल आपका किसके खिलाफ है? आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मेरा उनके खिलाफ है जैसे कोई पर्चे बांटता है तो उसके खिलाफ प्रश्न उठता है । उसी तरह से डी0 आई0 जी0 पुलिस, गोरखपुर रेंज ने हाउस की प्रोसीडिंग्स में व्यवधान पैदा किया । मेम्बरों को अपने पास बिठाया तो हमारा ध्यान उधर खिंच गया । इसका परिणाम यही हुआ कि मैं नहीं समझ पाया । मैं उधर देख रहा था और मैंने आपके रूलिंग देने के बीच में प्रश्न उठा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में मैं पूर्वव्यवस्था दे चुका हूं कि जब माननीय सदस्य आदरणीय सदन म बैठें तो वे अपना ध्यान दूसरी तरफ न ले जायं और कृपा करके गम्भीरतापूर्वक अपना काम करें । अगर आप अपना ध्यान इधर-उधर ले जाते हैं तो हमारे कार्यरत विधायकों को बहुत अंशों में सफलता नहीं मिलती है । जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनका ध्यान सदन के कार्य के अतिरिक्त इधर-उधर नहीं जाना चाहिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

सदन के सामने ऐसी चीज हो तो यह कन्टेम्ट आफ दि हाउस है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर देंगे तो देखेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यहां की प्रोसीडिंग में यह चीज आ गई, दीर्घा में जो लोग बैठते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अब इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैंने श्री बड़ूनी को बुलाया है, वह बोलेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय---

इस मामले को आप कृपा करके.....

श्री उपाध्यक्ष---

वह हो गया, अब आप लिखकर दे दें ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय बंशीधर जी ने गोरखपुर रेंज के डी0आई0जी0 ने सदन के विधायकों को दीर्घा से इशारे से बुलाया और गोरखपुर के माननीय सदस्य चपरासी की भांति उनके बुलाने पर उनके पास चले गये और बातें कीं । लेकिन मैं जानता हूं कि सदन की मर्यादा

के बारे में माननीय बंशीधर जी स्वयं पूर्णतः जागृत हैं। मैं बता दूं कि मैं भी उन जाने वाले सदस्यों में से था जो उनके पास गये। यह तो मैं भी मानता हूं कि हमारी नजर सदन के कार्य से अलग होकर इधर-उधर नहीं जाना चाहिये। उनका ट्रान्सफर हो गया है, हम उनसे मिलने चले गये तो कौन सी ऐसी बात हो गई। उनके जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य के द्वारा यह कहना कि चपरासी की भांति दौड़े चले गये उनके इशारे पर, ऐसा कहना मैं निवेदन करूंगा कि उचित नहीं था, ऐसी भाषा का प्रयोग सदन के किसी भी सदस्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये। मैं तो अब भी उनसे यही उम्मीद करता हूं कि शायद अनजाने में उन्होंने ऐसी बात कह दी।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं माननीय राजमंगल जी आप से क्या कहूं, आप लोगों के इस तरह से जाने से मुझे इतनी ठेस लगी है, मुझे कहने में खुद अफसोस होता है लेकिन आपका जो रवैया मैंने सदन में देखा उस को इससे ज्यादा नीचे की और क्या संज्ञा दी जा सकती है, मैंने तो केवल इतना ही कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं भी यह कहना चाहता था कि हमारे बंशीधर जी ने कहा कि चपरासी की भांति डी० आई० जी० गोरखपुर के इशारे पर माननीय सदस्य उठकर चले गये उनसे मिलने के लिये, इस का प्रयोग, ऐसे शब्दों का नहीं होना चाहिये। बात तो जरूर छोटी लगती है लेकिन जिस तरह से उनकी आज्ञा पर सदन के माननीय सदस्य उठकर पहुंच गये, उसके लिये इससे ज्यादा मोस्ट अफेक्टिवली और कहा ही नहीं जा सकता था जिन शब्दों का कि प्रयोग उनके द्वारा किया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात जो चल रही है, यह सदन की गरिमा को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। कोई मजाक में चर्चा हुई, या गंभीरता से हुई उसको हम देख लेंगे लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह से कोई भी इस सदन पर असर डाल सकता है। किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि किसी सदस्य को प्रभावित कर दिया यह ठीक नहीं है। जो प्रभावित हुआ, उसको कुछ कहना हो तो बात दूसरी है, यह वही बात है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। अगर डी० आई० जी० दीर्घा में आते हैं तो वह पुलिस की हैसियत से नहीं आते, किसी और जरूरत से आते हैं। अगर सदन नियम बनाना चाहे तो हम तो इस हद तक जाने को तैयार हैं कि इस परिसर में कोई अधिकारी न आये जब तक कि जरूरी कार्य न हो लेकिन आप इस हद तक नहीं जायेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

हम उस हद तक जाने को तैयार हैं, माननीय सदस्यों को इस तरफ ध्यान देना चाहिये, हमारा ध्यान तो पहुंच ही गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कह ही दिया है कि सदन की जो दीर्घायें हैं वहां से हमारा ध्यान सिमट कर सदन के कार्य के सम्बन्ध में लगे तो अच्छा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

हमें शुभा है कि गवर्नर के यहां से उन्होंने पास भी दीर्घा का नहीं लिया होगा और वैसे ही यहां आकर घुस गये होंगे, चाहे आप इस का पता लगा लें, यही बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

किसी भी माननीय सदस्य का किसी ऐसे अधिकारी के बारे में, जो यहां आये हों और चले गये हों और जो सदन के सामने हाजिर होकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनका इस तरह से हवाला देना मर्यादा का अतिरेक है, कम से कम मर्यादा के अनकल नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

आप कम से कम यह तो पता लगा लें कि कोई पास उनके द्वारा लिया गया या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । अगर ऐसे ही चलेगा तो....

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

इसका मतलब तो यह होगा कि यहां पर कोई भी घुस आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि आप अपने काम की ओर ध्यान दें, इधर उधर बैठे लोगों से आपका क्या मतलब है?

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

माननीय राजमंगल पांडेय जी ने कहा कि वे मिलने के लिये गवर्नर गैलरी में गये जब सदन अपना काम कर रहा था । मैं चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य को गैलरी में बुलाया जाना उचित है या नहीं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर मैंने पहले ही कह दिया कि माननीय सदस्य को वहां नहीं जाना चाहिये । आप अपनी बात कहने में इतने डूबे हुए हैं कि मेरी बात सुनतेही नहीं हैं आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिये । डी० आई० जी० के विरुद्ध विशेषाधिकार का कोई सवाल मैं स्वीकार नहीं करता हूं । मैं किसी माननीय सदस्य को आई० जी० या डी० आई० जी० के सम कक्ष नहीं रखूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इतनी बात तो अवश्य है कि इसमें नियमों की ढिलायी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्, आप सामने की बेंचों की ओर देखें, एक दफ्तर इधर खुला हुआ है और दूसरा उधर ?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

लौबी के बारे में कोई नियम नहीं है । विधान सभा के जो माननीय सदस्य वहां पर गये, किसी के बुलाने से नहीं गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप फिर प्रश्न उठा रहे हैं (व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय--

जो भी सदस्य वहां पर गये, केवल इतनी बात पर उनके लिये यह कहा गया कि वे चपरासी की तरह से वहां बुलाने पर गये । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि उनका शब्द चपरासी कहना उचित है या नहीं?

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

आप इस पर बहस करवा दीजिये, हम तैयार । मैं बोलना नहीं चाहता था (व्यवधान) चपरासी शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें ?

राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री इंद्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

जो माननीय सच्चिदानन्द गुप्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प है, म उसके विषय में बोल रहा हूं । जैसा मैंने पहले कहा था इस समाजवादी सरकार को सबसे पहले यह करना चाहिए था कि इस मुल्क के प्रत्येक बच्चे के लिये एक तरह की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । जिस देश में आई० ए० एस०, आई० सी० एस० , मंत्रियों, एम० एल० एज०, एम० पी० के लड़कों और पैसे वाले लड़कों के लिये अलग तरह की शिक्षा हो और गरीबों के बच्चों के लिये शिक्षा अलग तरीके की हो, उस देश में कोई भी दल यह कहे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं या समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं , यह बात समझ में नहीं आती है । इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि यह जो संकल्प है आज की परिस्थितियों में जो दल आज शासन कर रहा है, उसके मतलब का है । उस दल को अगर वास्तविक समाजवाद लाना है, तो सबसे पहले उसे यह कार्य करना चाहिए कि इस मुल्क के प्रत्येक बच्चे के लिये एक तरह की शिक्षा का प्रबन्ध करे । यह सबसे पहला काम उस दल को कर लेना चाहिए , अगर वह वास्तव में समाजवाद में विश्वास करते हैं ।

हमारे एक साथी ने कहा था कि आज हमारे प्रान्त में या देश में जितने बड़े आफिसर्स हैं, या जितने शासन करने वाले हैं, वे इन्हीं पब्लिक स्कूलों से निकले हैं । अतः इनको बन्द न किया जाय । मैं उनसे पूछना चाहता हूं--हमारे वे साथी आज यहां मौजूद नहीं है--कि आज हमारे मुल्क की पहली योजना असफल हुई है, दूसरी योजना असफल हुई है, तीसरी योजना असफल हुई है, चौथी योजना असफल हुई है, और इसको गहराई में जाकर देखें तो पावेंगे कि इसके सबसे बड़े कारण ये आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स रहे हैं । इन लोगों को हमारे मुल्क का ज्ञान नहीं है । जो लोग यह बात करते हैं कि इन लोगों की वजह से अच्छा प्रशासन मिला है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे प्रशासन के सामने और गांव के आदमी के सामने बहुत बड़ा अंतर हो गया है । हमन कितनी ही जगह देखा है कि वे गांव वालों की बात को ही नहीं समझते हैं । अंग्रेज के जाने के बाद एक ऐसा अंग्रेज कायम कर दिया गया है जो न इस मुल्क को समझता है और न इस मुल्क की योजनाओं को समझता है जिसका फल हुआ कि जितना भी नियोजन था, वह सही रूप में नहीं चल पाया । इसके साथ ही, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारी शिक्षा की जो नीति है, वह वास्तविक शिक्षा की नीति ही निर्धारित नहीं हुई है । यह जो शिक्षा की नीति है, उसके बारे में श्रीमन्नारायण जी ने, जो एक बहुत बड़े शिक्षा-शास्त्री हुए हैं, लिखा है कि:--

"The present educational structure in India was designed several decades ago by the foreign rullers to fulfil their own needs and requirements."

यानी जो वर्तमान शिक्षा है, उसका सारा ढांचा अंग्रेजों ने खड़ा किया था ताकि उनको कुछ क्लर्क और बाबू लोग मिल जायं । बड़े दुख की बात है कि 25 वर्ष के बाद भी इस मुल्क में

---

† 12 जनवरी, 1973 की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

[श्री इंद्रमणि]

शिक्षा---पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जब परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसके आज क्या फल हुए हैं? आज फल यह हुए हैं कि हमारे नौजवान चौराहों पर भटक रहे हैं। उसको कोई दिशा नहीं मिल रही है। प्लानिंग और शिक्षा का कोई समन्वय नहीं हुआ। जवाहर लाल नेहरू जी ने शिक्षा-शास्त्रियों की एक बहुत बड़ी बठक में कहा था कि प्लानिंग और शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। श्रीमन्, आज हमार प्रान्त की या किसी भी प्रान्त की हालत देखिये तो मालूम होगा कि अगर डाक्टर की आवश्यकता है तो इंजीनियर बेकार मिले और जब इंजीनियर की आवश्यकता होगी तो डाक्टर बेकार मिलेंगे। तो इस प्रकार की हालत ह---और उसका कारण यह है कि क्योंकि हमारी शिक्षा की कोई पद्धति आज तक नहीं बनी है और उसके पीछे इन पब्लिक स्कूलों का हाथ ह। उनका हाथ इसलिए है कि ये पब्लिक स्कूल जो हैं, जब भी इस शिक्षा में कोई तबादले की बात आती है तो इस झगड़े के बीच पड़ते ह और फिर सुधार की गुंजाइस नहीं रह जाती ह। तो यदि हमारी शिक्षा में कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है, तो उसमें भी य पब्लिक स्कूल रोड़े बने रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

आज हमारे यहां जो सिस्टम है, उसमें आज गांव वालों के लिये दूसरे स्कूल और शहर वालों के लिये पब्लिक स्कूल है। तो इस प्रकार की नीति के कारण गांव और शहर में अन्तर आ गया है। गांव का आदमी सोचता है कि बड़े आदमियों ने यह पब्लिक स्कूल अपने लिय खोल रखे ह और गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिये जिला परिषद् या अन्य स्कूल हैं। इसलिये गांव वालों और शहर वालों के बीच दिन प्रतिदिन अन्तर बढ़ता जा रहा ह जिससे इस सार मुल्क में बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जैसा कि अंग्रेजों की नीति थी 'डिवाइड एण्ड रूल' उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की भी नीति है कि गांव वालों और शहर वालों को बांटो और राज्य करो। गांव वालों के लिये ऐसे स्कूल खोल रखे हैं जहां टाट-पट्टी भी बैठने के लिये लड़कों को मुहैया नहीं होती, अध्यापक नहीं मिलते और दूसरी ओर शहर वालों के लिये पब्लिक स्कूल खोल रखे हैं। इसलिए यह सरकार यदि शहर वालों और गांव वालों में समन्वय चाहती ह तो यह जरूरी है कि गांव वालों और शहर वालों की शिक्षा एक ढंग की होनी चाहिए क्योंकि यदि गांव और शहर की शिक्षा में अन्तर होगा तो यह हमारी समाजवादी सरकार के लिये उचित नहीं है।

एक बात और मैं इसके साथ ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई भी मुल्क अगर जीवित रह सकता है तो अपनी संस्कृति पर। हमारे इस देश के मुसलमानों से लेकर अंग्रेजों तक हमारी संस्कृति को मिटाने के लिये अनेकों प्रयास किये, लेकिन फिर भी यह देश जीवित रहा क्योंकि इसकी अपनी संस्कृति थी और अपनी मान्यता। लेकिन आज इन पब्लिक स्कूलों में स्वयं हमारी संस्कृति को मिटाने की शिक्षा दी जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा? 20 साल, 25 साल, या 30 साल के बाद जब देश की कोई संस्कृति ही नहीं रह जायेगी तो भौगोलिक सीमाएं इस दश को बांध कर नहीं रख सकतीं। किसी देश को अगर बचाया जा सकता है तो संस्कृति के द्वारा ही बचाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गये। कृपया आप समाप्त करें।

श्री इंद्रमणि---

मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। अगर इस देश की संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो यह भी जरूरी है कि पब्लिक स्कूलों को बन्द किया जाय।

इसके साथ ही मान्यवर, कुछ दिनों पहले सी0 आई0 ए0 एजेन्ट की बड़ी भारी चर्चा चली थी। हमारी प्रधानमंत्री ने विरोधियों को कहा कि सी0 आई0 ए0 एजेन्ट हैं। लेकिन

मैं शासकदल से पूछना चाहता हूं और खासकर शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो पब्लिक स्कूल हैं इनमें सी० आई० ए० का पैसा लगता है। जितने भी पब्लिक स्कूल हैं सब अमेरिका या इंगलैंड के ट्रेड से चलाये जाते हैं। और आप जानते हैं इन स्कूलों में किन के लड़के पढ़ते हैं--- मिनिस्टर के, एम० पी० के, एम० एल० ए० और देश के सब पैसों वालों के लड़के पढ़ते हैं। अगर आप इन पब्लिक स्कूलों को बन्द नहीं करते तो सी० आई० ए० के पैसे से इस देश की तमाम आने वाली पीढ़ी को करप्ट किया जा रहा है, इसलिये सी० आई० ए० का पैसा रोकने के लिये इन पब्लिक स्कूलों का बन्द होना जरूरी है।

इसके आलावा इस देश में भ्रष्टाचार की बाबत काफी कहा जा चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पब्लिक स्कूलों का जन्म ही भ्रष्टाचार पर हुआ है। जब समाज में समानता नहीं रह जाती और असमानता का व्यवहार होता है तो मैं उसको भ्रष्टाचार मानता हूं। और मैं समझता हूं कि इन पब्लिक स्कूलों को खड़ा करके भ्रष्टाचार को जन्म देना है।

इसके साथ ही श्रीमन्, इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर शासन दल को समाजवाद में आस्था है तो अन्य चीजों का राष्ट्रीयकरण बाद में हो जायगा, सबसे पहले उन्हें यह करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के लिये, चाहे वह अमीर का हो या गरीब का हो, मिनिस्टर का हो या चपरासी का हो, एक तरह का अध्यापक होना चाहिए और एक तरह की किताब होनी चाहिए एक तरह का स्कूल होना चाहिए। एक और निवेदन मंत्री जी से कर दूं "का वर्षा जब कृषि सुखानी.....''। मंत्री तो आते जायेंगे और बदलते जायंगे लेकिन अगर उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में यह अच्छा कार्य कर दिया तो वह हमेशा याद रखा जायेगा। इस सदन के सदस्यों से भी निवेदन है कि हमारा भी यह सबसे अच्छा काम होगा अगर हम इस संकल्प को पारित करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सच्चिदानन्द गुप्त ने अपने इस संकल्प में कोई नई बात नहीं कही। हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य के निर्देशन हैं उनमें स्पष्ट रूप से राज्य के ऊपर अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत यह जिम्मेदारी डाली गयी है कि शासन को शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो चौदह साल के बच्चे हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा अनिवार्य रूप से मिल सके। जहां तक इस संकल्प का संबंध है यह संकल्प तो एक तरह से शासन को स्मरण दिलाने के लिये सदन में आया है।

मान्यवर, जो अनुच्छेद 45 है उसकी भाषा यह है कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबंध बनान का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार दस वर्ष की अवधि रखी थी। 26 जनवरी, 50 को हमारा संविधान लागू हुआ और अब हम 23वें वर्ष में चल रहे हैं। जो अवधि निश्चित की गयी थी उससे अब दुगनी से भी अधिक अवधि बीत चुकी है। लेकिन शासन अभी तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाया और वह भी सब बालकों के लिये। अगर हम संविधान की इस भावना से इस संकल्प को देखें तो हमारे शासन का यह कर्त्तव्य है कि अविलम्ब इस तरह की व्यवस्था की जाय जिससे संविधान का मंशा पूरा हो।

आज जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं उनके बारे में, मैं समझता हूं, हमारी सबकी एक राय होगी कि वे स्कूल संपन्न परिवारों के बच्चों के लिये हैं। उनमें फीस ज्यादा है और वहां व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि मध्यम श्रेणी या निम्न वर्ग के बच्चे तो उनके दरवाजे तक भी नहीं झांक सकते। चाहे दून स्कूल को लें या ताल्लुकदार स्कूल को लें और भी अनेक स्कूल ऐसे हैं जो समाज में विषमता पैदा करते हैं। संविधान इस बात का डायरेक्टिव देता है कि शासन का हर कदम

[श्री मही लाल]

विषमता को मिटाने के लिये होगा। इन संस्थाओं को मान्यता देकर शासन विषमता को बढ़ावा दे रहा है। इसलिये, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के लोगों से यह निवेदन करूंगा कि वे सोचें, विचारें और इस विषय को उतनी गम्भीरता से विचारें जितनी गम्भीरता का यह प्रश्न है। मैं उन लोगों में से हूं जो हिमायती हैं इस बात के कि शिक्षा का पूर्ण-रूपेण राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हो सकता है किसी अंश में मेरी बात सही न हो, आज हमारे नौजवानों में उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, उद्दण्डता है वह इन पब्लिक स्कूलों की देन है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पब्लिक स्कूलों का यह पेशा है और उनकी आमदनी का भी जरिया है कि बिना पढ़े हुए बच्चों को सार्टिफिकेट देते हैं, बिना पढ़े डिग्री देते हैं, बिना इम्तिहान लिये लड़कों को सर्टिफिकेट थमा देते हैं और इम्तिहान में नकल भी कराते हैं। इन चीजों ने हमारे भावी समाज को भी गलत मोड़ दे दिया है। इसके लिए हमारे देश के विचारवान और विवेकशील व्यक्ति, ऊपर से नीचे तक चिन्तित हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि शिक्षा पद्धति में अविलम्ब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो अनुशासित नागरिक पैदा करे। वह चीज राष्ट्र के लिये आवश्यक होगी।

हमारे कालेजों के लड़के फ्री सिनेमा टिकटों के लिये लालायित रहते हैं। वे इम्तिहान दें या न दें उनको डिग्री मिलनी चाहिए, कुछ जानें या न जानें उनको डिग्री मिलनी ही चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए। काम करें या न करें उन्हें वेतन मिलना चाहिए। इस तरह का आज हमारा ढांचा बनता जा रहा है। यह चिन्ता का विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों ने इस तरफ सोचना आरम्भ कर दिया है। मान्यवर, मैं इस संकल्प के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के शासन को इस मामले में अगुवाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह कदम विषमता को बढ़ावा देता है कि जो बड़े हैं वे बड़े बने रहें और जो लड़का बड़े परिवार में पैदा हुआ है वह बड़ा बना रहे क्योंकि उसकी शिक्षा सुव्यवस्थित होगी और ऊंची होगी। उसके परिवार वाले तो खर्च कर सकेंगे। हमारे जैसे परिवार में पैदा होने वाला बच्चा जाएगा गांव में खुली हुई पाठशाला में जहां फर्श भी बैठने को नहीं मिलती। पक्के फर्श की बात तो दूर रही कच्चे फर्श पर भी टाट और चटाई मयस्सर नहीं है। क्या यह विषमता को बढ़ावा देना नहीं है? बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शासन का सबसे पहले इस तरफ ध्यान जाना चाहिए था और विषमता को मिटाने के लिये सबसे पहले शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में करनी चाहिए थी। मैं बहुत निकट से जानता हूं कि एक तरफ तो साधारण जनता के बच्चों की जो पढ़ने की पाठशालाएं हैं उनमें न भवन हैं, न टाट हैं, न पट्टी हैं और न कोई दूसरे किस्म की व्यवस्था है और दूसरी तरफ शासन के कोष से इन पब्लिक स्कूलों को अनुदान दिये जाते हैं। हमारी जनता के खजाने से बड़े-बड़े अनुदान दिये जा रहे हैं। ये दो विषय हैं। दूसरे विषय का जहां तक ताल्लुक है कम से कम यह इंतजाम तो हो जाए कि जनता के कोष से कोई पैसा इन स्कूलों को न दिया जाए। यह काम तो सरकार अविलम्ब कर सकती है।

मान्यवर, मेरे मित्र, ग्राइस साहब, ने मुझे बहुत कन्विन्स करने की कोशिश की। वह इस समय चले गये हैं। उन्होंने अनुच्छेद 30 का हवाला दिया है कि उसके अनुसार उन्हें अधिकार है। मैंने उसको पढ़ा और उनको समझाने की कोशिश की कि अनुच्छेद 30 में व्यवस्था है लेकिन समाज के धनवानों के बच्चों के लिये नहीं, अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिये है। अल्पसंख्यक लोग यदि चाहें तो अपनी विशेष भाषा में, जो उनकी धार्मिक भाषा हो, उसकी वह व्यवस्था कर सकते हैं। शासन रुकावट नहीं डालेगा। तो अनुच्छेद 30 जो पब्लिक स्कूल्स को कायम रखने के सम्बन्ध में कहा जाता है, वह साधारण लोगों के लिये लागू नहीं हो सकता, केवल अल्पसंख्यकों के लिये लागू होता है और उसकी भाषा बड़ी सीमित है, इतनी व्यापक नहीं है, जितना कि लाभ उठाना चाहते हैं। सभी अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिये अपनी रुचि की

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि साधारण रूप से समाज के सभी लोग अपने बच्चों के लिये विशेष व्यवस्था शिक्षा के लिये कर सकेंगे। अल्पसंख्यकों के लिये अपने धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था करने का अधिकार है। उसमें शासन रुकावट नहीं डालेगा लेकिन अनुच्छेद 30 में यह नहीं है कि पब्लिक स्कूल्स कायम रक्खे जायं और समाज में भेद बना रहे गरीब और अमीर का। समाज से ऊंचे और नीचे का भेद मिटना चाहिए और उसको मिटाने के लिये पब्लिक स्कूल्स की समाप्ति पहला कदम है और वह होना चाहिए।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो भी आप क्रांतिकारी कदम उठावेंगे, निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ इस तरह का कदम उठाना चाहिए और विरोध की परवा नहीं करना चाहिए। अगर विरोध की परवा करेंगे तो जनहित में कुछ भी नहीं कर पायेंगे। शासन का काम व्यक्ति विशेष की रक्षा करना नहीं है, उसका काम है जनहित की रक्षा करना। तो मान्यवर, इस संकल्प के द्वारा मैं शासन से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प की जो भावना है वह पहले से ही हमारे संविधान में मौजूद है। शासन का कर्तव्य है कि उसके अन्तर्गत कार्य करने की कोशिश करे।

मैंने श्री जगदीश गांधी का भी संशोधन पढ़ा है। वह भी कई पाठशालायें चलाते हैं। उस भावना को लेकर उनका संशोधन आया है। इस सदन में उनके अलावा और किसी का संशोधन नहीं आया है। केवल उन्हीं का संशोधन है। क्या ही अच्छा होता यदि उनका संशोधन होता कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिये शासन अलग से व्यवस्था करे लेकिन इस संशोधन में भावना यह है कि ऐन केन प्रकारेण पब्लिक स्कूल्स जो आमदनी के अड्डे हैं, चालू रहें। समाज में विषमता बनी रहे यह ठीक नहीं है। मेरे दल के साथी का संशोधन है लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। यह संविधान की भावना के विरोध में जाता है। मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ पुनः माननीय मंत्री जी से और उनके द्वारा शासन से निवेदन करता हूं कि वह सदन को आश्वासन दें कि शीघ्रातिशीघ्र इस ओर कदम उठाया जावेगा और अनुदान तो किसी भी रूप में इन पब्लिक स्कूलों को दिया ही नहीं जावेगा।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं अपने मित्र सदस्य महीलाल जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने संविधान की ओर ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा, इस देश और प्रदेश का यह है कि संविधान के बने 20 वर्षों से ज्यादा हो गये, आज भी विवाद इस विषय पर हो रहा है और देश में या प्रदेश में एक तरफ फैन्सी स्कूल चल रहे हैं और एक तरफ गरीब बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। जहां तक संविधान का संबंध है, धारा 41 भी कहती है कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक सीमा के अन्दर शिक्षा का प्रसार कर सकती है और धारा 45 में निश्चित रूप से यह दिया हुआ है, जिसको शायद जानबूझ कर छोड़ दिया माननीय सदस्य ने कि :—

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all chidren until they complete the age of fourteen years."

मान्यवर, केवल यही नहीं कि वह भारी शिक्षा की व्यवस्था करें, बल्कि एक निश्चित समय निश्चित किया गया है, निर्देश दिया गया है कि 10 वर्ष के अन्दर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिये कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी। लेकिन उससे दूने से अधिक समय गुजर गया हमारा वह लक्ष्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

पूरा नहीं हुआ । संविधान के प्रिएम्बिल में कहा गया है, संविधान का मेन मंशा है कि स्टेट अवसर की समानता प्रदान करे और संविधान के मंशों में खास बात यह है कि अवसर की समानता हो, आर्थिक और सामाजिक समानता भी हो और शक्षिक समानता हो । जबतक ये समानताएं नहीं होंगी तबतक यह कहना कि समान अवसर है, यह कोरा लिखने की बात रह जायगी, धरती पर उतारी नहीं जा सकती ।

हम जिस देश में रहते हैं उसकी कुछ प्राचीन परम्परायें हैं । इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं कि जो प्राचीन पद्धति रही हैं स्कूलों की उसमें हमारे यहां भेद-भाव नहीं था । चाहे उच्च वर्ग का या नीचे वर्ग का कोई हो, निश्चित रूप से समानता शिक्षा के स्तर पर थी । लेकिन हम ज्यों ज्यों समाजवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम विषमता की ओर बढ़ते जा रहे हैं । ये जो फैंसी स्कूल हैं उनको अगर इस देश में समानता स्थापित करनी है, समाजवाद की स्थापना करनी है, तो उनके अन्दर भेद-भाव को दूर करना होगा । जबतक शिक्षा में विषमता रहेगी तबतक हम देश में समाजवाद या लोक-कल्याणकारी समाज की स्थापना नहीं कर सकते ।

होता यह है कि एक तरफ जो फैंसी स्कूल बने हुए हैं, नफासत और खर्चे वाले स्कूल, शहरों में, उनके सिलसिले बहुत छोटे-छोटे देहातों में, कस्बों में भी प्रारम्भ हो गया है । लेकिन उसके साथ जुड़े हुए दो तीन प्रश्न हैं । किसी देश की संस्कृति के बनाने में वहां की भाषा का और वेश-भूषा का बड़ा हाथ होता है । यह संस्कृति के दो अविभाज्य अंग हैं । हमारे फैंसी स्कूल हमारी वेश-भूषा पर करारा कुठाराघात करते हैं हमारी लोक-भाषा और लोक-भूषा दोनों को मिटा देते हैं । उनमें लड़कों के लिये एक विशेष ड्रेस अनिवार्य रहती है कि वे एक खास तरह की जरकिन पहिनेंगे, एक विशेष तरह की उनकी पेंट होगी और जब यह सड़क पर चलेंगे तो निश्चित रूप से वह चुनौती देश के गरीब बच्चों को देते हुए चलेंगे । और इस बात की याद दिलाते हुए चलते हैं कि इस देश में एक तरफ अमीर हैं और दूसरी तरफ गरीब हैं । यह हमारी भारतीय संस्कृति को एक करारी चुनौती है । हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है कि इस देश में हमारे देश की भाषा चलेगी । ये फैंसी स्कूल अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं । जिस भाषा को न तो हमने स्वीकार किया है, न संविधान ने और न इस प्रदेश की सरकार ने । मगर वह निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ायेंगे और जब लड़का उस स्कूल से निकलेगा तो प्रातः काल उठ कर बजाय माता और पिता कहने के वे डैडी और मम्मी शुरू करता है । एक ओर कोशिश यह हो रही है कि अंग्रेजी की गुलामी से हम अपने को मुक्त करें तो दूसरी ओर मुठ्ठी भर अंग्रेजी जानने वालों का एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है शिक्षा के माध्यम से कि हमारी संस्कृति को ही विषाक्त कर दें तब यह झगड़ा ही समाप्त हो जायेगा । ज्यों ज्यों हम आजादी के बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं यह विषय निर्विवाद होना चाहिये था कि इस देश की भाषा हिन्दी हो, लेकिन इस देश के कुछ नये नये प्रदेशों ने, नागालैंड वगैरह ने, यह तय किया कि हमारे प्रदेश की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए । इस शिक्षा का कुपरिणाम यह हो रहा है । जिस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मैं सदस्य हूं वह खुले आम अपने घोषणा-पत्र में यह कहती है कि अगर हमारे हाथों में कभी शासन सत्ता आयी तो हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि इन फैंसी स्कूलों को तुरन्त बन्द कर देंगे और सबके लिये एक तरह की शिक्षा रखेंगे । अगर बड़े बड़े अफसरों, मंत्रियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लड़के भी गांव के स्कूलों में, जिला परिषद् नगरपालिका या सरकार द्वारा चलाये गय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जायें तो यहां क्या क्या कमियां हैं उनको मालूम होती रहेगी और तब शायद उनका सुधार होने में कुछ आसानी हो जाय । जिला विद्यालय निरीक्षक है, सहायक विद्यालय निरीक्षक है, वह प्राइमरी विद्यालयों को देखेगा ।

हमारे यहां देवरिया में पहले कोई ऐसा स्कूल नहीं था लेकिन इस साल एक फादर डिसोजा पैदा हो गये । उन्होंने स्कूल खोल दिया । उसमें प्रवेश पाने के लिये लाइन लगी

हुई है । जो अमरीकन मिशन्स हैं, स्वीडन के मिशन्स हैं, वैसे हर आदमी को हमारे संविधान में आजादी है कि जो धर्म चाहे स्वीकार करे, लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि क्रिश्चैनिटी और उससे ताल्लुक रखने वाले लिटरेचर को पढ़ा कर उनके मस्तिष्क को विषाक्त किया जाय ताकि भारतीय संस्कृति को कुठाराघात पहुंचे । अगर इस देश में समानता लानी है तो आप पहला काम यह करें कि इन फैन्शी स्कूलों को समाप्त करें । मैं जानता हूं कि मंत्री जी की ओर से यह कहा जायगा कि इन फैंशी स्कूलों को हम कोई अनुदान नहीं देते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि तमाम गिरोहों को भी सरकार अनुदान नहीं देती । लेकिन क्या उनको फंक्शन करने दिया जायगा ? क्या उनको हम चलने देंगे ? इन शिक्षा संस्थाओं के संचालकों का यह एक पेशा सा बन गया है और वे काफी पैसा भी पैदा कर रहे हैं । जिस बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है वह बच्चा कैसे प्रतिभाशाली बन सकता है । वातावरण का बच्चे पर अवश्य प्रभाव पड़ता है । 10 परसेंट इन्सपीरेशन, 90 परसेंट पर्सपीरेशन का प्रभाव पड़ता है। उन गरीब बच्चों को इतना अवसर नहीं ही कहां मिलता है कि वे अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप इन फैन्सी स्कूलों के पास होने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के प्रतिशत को देख लीजिये तथा यूनिवर्सिटी में जाकर वहां उनका प्रतिशत देख लीजिये । वहां जाकर वह कम हो जाता है । गरीब स्कूलों के बच्चे आगे निकल जाते हैं । इसलिये अगर सब को समान सुविधा का अवसर मिले तो गरीब बच्चे भी प्रतिभाशाली बन सकते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गांधी जी अपने संशोधन को वापस ले लें । फैन्सी स्कूलों को खत्म करना चाहिये ।

*श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जिस विषय पर आज यहां चर्चा हो रही है, वास्तव में यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है । यह वास्तविकता है, चन्द लोग चाहे इससे इत्तफाक न करें, कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ है । जो आज के हमारे विद्यालय हैं वे अनइम्पलायमेंट क्रीएट करने की फैक्टरी सा बन गये हैं । बहुत मांग होती है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जायें । लेकिन उनका स्तर शिक्षा का क्या हो यह मुख्य प्रश्न है ? मैं जे0टी0सी0 का इन्टरव्यू ले रहा था, बी0ए0 के एक छात्र से मैंने पूछा कि, वह फर्स्ट क्लास था, हिन्दुस्तान में कितने उपराष्ट्रपति हैं ? उसने कहा 4 । हाई स्कूल के एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे जिले में कितनी तहसीलें हैं तो वह भी ठीक नहीं बता पाया और उसने सुल्तानपुर को भी तहसील में जोड़ दिया । आज उसके पिता से जो अशिक्षित हैं यह पूछा जाय कि तुम्हारे जिले में कितनी तहसीलें हैं तो वह सही-सही बता देगा, मगर आज का शिक्षित नवयुवक नहीं बता पाता कि उसके जिले में कितनी तहसीलें हैं ।

यह है आज की शिक्षा-प्रणाली । मैं इस बात से सहमत हूं और हमारे सदन के माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि आज का जो एजूकेशन सिस्टम है, शिक्षा-प्रणाली है, उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और उस परिवर्तन के साथ-साथ यह बात कि दो किस्म की शिक्षा प्रणाली से, दो किस्म के नागरिक इस देश में पैदा किये जाएं, दो किस्म की ट्रेनिंग नागरिकों को दी जाए । मैं समझता हूं यह व्यवस्था उस सरकार के लिये जो समाजवादी विचारधारा की है और उस मार्ग पर देश को ले जाना चाहती है, यह उसकी नीयत के बिलकुल विपरीत होगा । आज हमने जो प्रिवी-पर्स तोड़ा, उसकी मंशा यही थी कि इस देश में दो किस्म के नागरिक नहीं रह सकते हैं तो प्रिवी-पर्स इसी नीयत से तोड़ा गया था, फिर इस देश में, इस प्रदेश में दो किस्म की शिक्षा प्रणाली क्यों है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रियदर्शी जेटली]

एक तरफ मांटेसरी स्कूल्स हैं, सेंस फ्रांसेज आदि स्कूल हैं और दूसरी तरफ वे स्कूल हैं जो गांव में रहते हैं, स्कूल का भवन नहीं और बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक जो हैं जो हायजीन पढ़ाते हैं और जिन्हें हायजीन का पूरा ज्ञान होना चाहिये, वह खुद उसे नहीं जानते हैं, वह खुद साफ नहीं रहते हैं, फिर बच्चों को स्वच्छता की शिक्षा देने का प्रश्न कहां उठता है । जिससे उम्मीद रखी जाती है प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और देश की सही स्थिति बच्चों को पढ़ा सकें, वही उस बारे में कुछ नहीं जानता है । तो उनमें भी परिवर्तन की जरूरत है और आमूल परिवर्तन की जरूरत है । अच्छे टीचर्स, अच्छे अध्यापक, अच्छी ट्रेनिंग देकर आप वहां भेजिये । उन बच्चों को पढ़ने के लिये वह तमाम सुविधायें दीजिये जो एक पब्लिक स्कूल दे सकता है । सेंट जोजेफ और सेंट फ्रांसेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है । आप सोचिये कि क्या कारण है कि मिशनरियों द्वारा चलाये गये स्कूल और तमाम हमारे साथियों, द्वारा इस प्रकार के चलाये गये स्कूल जो एक खोले गये अब वे सैकड़ों में हो गये हैं । जब वे तमाम सुविधाएं दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं । इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है ।

हमारे सम्मानित सदस्य जानते हैं कि कितनी संस्थायें ऐसी हैं जो जरियाये मास, सोर्स आफ इंकम बनी हुई हैं । उनके संचालकों-प्रबन्धकों को आप देखें तो पता चलेगा कि उनके पास शिक्षा संस्थाओं के सिवा और कोई जरिया मास नहीं है । यदि हमारी सरकार यह कह दें कि हम उनको ग्रांट्स नहीं देते, ऐड्स नहीं देते, तो वह भी गलत होगा । मैंने पिछली दफा एक ऐसी संस्था को ऐड देने का विरोध किया था और कहा था कि यह संस्था केवल जरिया मास है, सोर्स आफ इन्कम है एक व्यक्ति की और उसने एक नहीं बीसों संस्थाएं इस प्रदेश में खोल ली हैं किन्तु उसके कार्यक्रम को सफल बनाने के नाम पर उस संस्था को सरकार ने धन दे दिया । तो इससे सरकार इंकार नहीं कर सकती है चाहे हमारी सरकार हो या विरोध पक्ष के सदस्यों की सरकार हो । उन्होंने भी वही कर्म किया है, जो आज हम कर रहे हैं अर्थात् हमारी सरकार कर रही है और जो आज हम कर रहे हैं वही कार्य वह आगे करेंगे जब कभी उनकी सरकार होगी ।

आज इस देश और इस प्रदेश को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी इस प्रदेश के हर एक राजनैतिक दल पर है और हर विचारधारा के सदस्यों पर है । और यदि यह कहा जाये कि इस देश को बनाने और बिगाड़ने की मुख्य जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो अगुवा हैं तो गलत न होगा । चुनाव के अवसर पर इन संस्थाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जाति पांति और व्यक्तिवाद का बढ़ावा दिया जाता है वह किसी से छिपा नहीं है जो कि बहुत ही हानिकारक है । ऐसी शिक्षा संस्थायें जो जाति के आधार पर खोली गई हैं, व्यक्ति पूजा के लिये खोली गई हैं और जाति-पांति के आधार पर बोर्डिंग हाऊस खोले गये हैं, वह इस देश को संवारने बनाने में नहीं बिगाड़ने में कदम आगे बढ़ा रही हैं । जो आज अपने को इस देश का समाज का अगुवा कहते हैं वह भी ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं । मैं भी एक राजनैतिक व्यक्ति हूं, प्रत्येक दल का सदस्य एक राजनैतिक व्यक्ति है, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है कि वह इस किस्म के कार्यों से उसे प्रोत्साहन न दें । बल्कि इस देश में वह जहरीली बातें जो इस देश की आजादी के लिये बराबर खतरा रही हैं उनको उखाड़ फेंकने में कोई भी कोशिश और कमी बाकी न लगायें ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन पेश किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए कि वह सम्मानित सदस्य इस सदन के सदस्य होने से पहले मेरे साथ लखनऊ विश्वविद्यालयय के साथी थे और जिस समय वह विश्वविद्यालय के अन्दर घुसे, मैं जानता हूं कि जो स्थिति आज है वह नहीं थी, जो विचाराधाराएं उनकी आज हैं कल नहीं थीं आज उनकी विचारधारा में आमूल परिवर्तन है । उनकी विचारधारा बदली हुई है । उनका संशोधन आ सकता है इस किस्म का जो जनहित के विपक्ष में हो केवल इस लिये उन्होंने काफी

संस्थायें खोली हैं, केवल इसलिये वह काफी संस्थाओं की उनकी मानोपली बन गयी । माफ करेंगे । मैं भी एक शिक्षा संस्था का सेक्रेटरी हूं । वह संस्था मेरे पिता द्वारा खोली गयी थी । लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूं जो कमसे कम इस बात को कहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण देश और प्रदेश में होना चाहिये । मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो कहेगा कि हमारी संस्था ले ली जाय । उस संस्था के पास 100 बीघा जमीन भी है और लाखों रुपये की जायदाद है जो आज देने को तयार हूं यदि सरकार सहमत हो जाय राष्ट्रीयकरण करने के लिए ।

जब बेसिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात आयी हमारे सहायक साहब शिक्षा मंत्री थे । मैंने 50 व्यक्तियों के दस्तखत करवाकर दिया था कि आप बेसिक शिक्षा का प्रांतीयकरण कीजिये । म उन व्यक्तियों में हूं जो इस बात से इत्तिफाक करते हैं, और इस देश के उत्थान की भावना जिस व्यक्ति के दिल में होगी वह इन बातों से इत्तिफाक करेगा कि इस देश के अन्दर दो किस्म की शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि इस देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि आज बेसिक एजूकेशन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपी गयी है जिसका संबंध इस प्रदेश और देश म जाने माने क्षिक्षा शास्त्री बाबू सम्पूर्णानन्द जी से रहा है । मुझे विश्वास है कि वे जब इस पद पर आये हैं उनको इस विभाग को दिया गया है । उस महान् व्यक्ति के आदर्शों को आज प्रदेश में स्थापित करने का मौका मिला है । मैं समझता हूं वह इस मौके र चूकेंगे नहीं और जो दो किस्म की शिक्षा प्रणाली है इसमें आमूल परिवर्तन लायेंगे ।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं श्री सच्चिदानन्द गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । राष्ट्रपति गांधी जी का चित्र लगा हुआ है । जो बातें गुप्त जी ने रखी हैं, इस मंशा को ले कर गांधी जी ने 1938 में बार्धा में सारे देश के शिक्षाविदों की एक गोष्ठी बुलायी थी जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय डाक्टर जाकिर हुसैन ने की थी । 1939 में बेसिक शिक्षा प्रणाली की एक नीति बनायी गयी थी । उसके अन्दर गांधी जी की मंशा यह थी कि अगर ये बेसिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे तो अंग्रेज इस देश से चला जायगा । क्योंकि उनका विश्वास था कि क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेजों द्वारा चलाये गये विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी देश की आजादी में कम हिस्सा ले रहे हैं । चार सिद्धांत उन्होंने निर्धारित किये थे तो हम सही रास्ते पर जायेंगे । गांधी जी ने पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बेसिक शिक्षा फ्री तथा कम्पलसरी होगी । दूसरे जो लाखों की संख्या में शिक्षित लोग बेकार हैं उनकी बेकारी को दूर करने के लिये शिक्षा उद्योग प्रधान तथा कृषि प्रधान बनाई जाय और इस संबंध में यह महर्षि ने 1938 में इसकी घोषणा भी की और उन्होंने प्रतीक के रूप में तकली से सूत कातना भी प्रारम्भ किया । तीसरे यह कहा कि अंग्रेजों से कोई अनुदान नहीं लिया जायगा । शिक्षा स्वावलम्बी होगी और बच्चे कताई, बुनाई तथा क्राफ्ट के जरिये से इतना उत्पादन करेंगे कि हमारी शिक्षा स्वावलम्बी हो जायगी और उससे अध्यापकों का वेतन निकल आयेगा । सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही थी कि शिक्षा मातृ भाषा के जरिये से दी जायगी जिसका समर्थन हमारे मित्र जैटली जी ने भी अभी बड़े जोरदार शब्दों में किया था।

प्राइस साहब का मैं आदर करता हूं । उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 का हवाला देते हुए कहा कि माइनारिटीज को हक है कि वे अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकें और उसके लिये वे अपने स्कूल खोल सकें । अंग्रेजी के माध्यम से कुछ ईसाई शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो वे अपने बच्चों के लिये स्कूल खोल सकते हैं । उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है । कुछ मुसलमान भाई अल्पसंख्यक हैं वे उर्दू के माध्यम से अपने बच्चों को कुरान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोपाल संड]

शरीफ तथा धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं । हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन 45 वां अनुच्छेद संविधान का लागू होना चाहिये । जिसके अन्तर्गत सरकार का यह धर्म है कि सभी बालकों के लिये वह फ्री तथा कम्पलसरी एजूकेशन का प्रबन्ध करे जो 5 साल से 14 साल तक के बालकों को दी जायगी।

यह संविधान 26 जनवरी, 50 में लागू हुआ था और 26 जनवरी, 60 तक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी यह संविधान वेत्ताओं की मंशा थी, डाक्टर अम्बेदकर की मंशा थी । काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तथा और कच्छ से लेकर गोहाटी तक समता के साथ अपनी-अपनी मातृभाषा में गुजराती, तमिल, तेलगू, हिन्दी आदि में बच्चों को शिक्षा दी जायगी और अंग्रेजी के माध्यम से नहीं दी जायगी जो शिक्षा प्रणाली मेकाले द्वारा बनाई गई थी और जो शेक्सपीयर, मिल्टन, कीट्स के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है और कपिल रवीन्द्र, अरविन्द, शंकराचार्य तथा विवेकानन्द से दूर करती है, उसका नतीजा आज इसका यह हो रहा है कि अभी काश्मीर की पी0 ए0 सी0 आई थी । वहां पर 19 लाख की आबादी है । 8 हजार की आबादी पर एक एम0 एल0 ए0 है । 500 रु0 वेतन वह लेता है लेकिन वहां प्राइमरी कक्षाओं से ले कर उच्च शिक्षातक अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है । हमने पूछा कि आपके यहां त्रिभाषा फारमूला नहीं है और हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है तो स्वीकर तथा सेक्रेटरी साहब ने कुछ उत्तर नहीं दिया और कहा कि हम आगे प्रयास करेंगे । 5 लाख के आबादी के नागालैंड तथा 7 लाख आबादी के अरुणांचल में भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है ।

पहाड़ी भाषा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं गुप्ता जी का स्वागत करता हूं कि वह यह प्रस्ताव यहां लाये । मैं राज बिहारी जी का भी आदर करता हूं कि वह गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में वार्षिक अधिवेशन में मौजूद थे और उन्होंने यह स्वीकार किया था कि शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिये । इसी सदन के अन्दर जब बेसिक शिक्षा बिल आया था तो उन्होंने कहा था कि जिला परिषद्, नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज को शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और वे बड़े चिन्तित हैं कि अध्यापकों को सभी सुविधायें दी जांय । लेकिन जब कोई विरोध होता है तो वे प्रदर्शन करते हैं । मगर इस नगर के अन्दर कई ईसाइयों के मिशनरी स्कूल चलाये जा रहे हैं । कुछ दिन पहले जब इस पर दबाव डाला गया तो इन स्कूलों ने तीसरे दर्जे से हिन्दी पढ़ना शुरु कर दिया किन्तु उसका असर यह हुआ कि उन्होंने अनुदान लेना ही बन्द कर दिया । इन स्कूलों के अन्दर विदेशी लोग शिक्षा दे रहे हैं फादर बट्स बैठे हुये हैं । ये लोग बड़ा वतन पाते हैं और हमारी प्रारम्भिक कक्षा के अध्यापकों को डेढ़-दो सौ रुपया दिया जाता है । जब कहीं पर कोई सिम्पोजियम होता है तो ये फादर-बट्स बुलाये जाते हैं और बड़े-बड़े भाषण करते हैं क्योंकि उन्हें पांच-पांच छः-छः सौ रुपया तनख्वाह दी जाती है । इसलिये इन पब्लिक स्कूलों को लेना बहुत ही आवश्यक है । समाज में एकरूपता लाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे सभी स्कूलों को समाप्त करना पड़ेगा ।

यहां पर लखनऊ में भी काल्विन ताल्लुकेदार स्कूल है । ताल्लुकेदार तो चले गये लेकिन अभी भी वह स्कूल उसी रूप में चल रहा है । इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिये ढाई-तीन सौ रुपया प्रतिमाह देना पड़ता है । एक आदमी का बच्चा, एक ही मोहल्ले में रहने वाले का, इस स्कूल में जाता है जहां कि उसका वेष-भूशा भी बदल दिया जाता है, कोट, पेंट टाई पहन कर ठाठ से जाता है, अंग्रेजी बोलता है बाप, दादा और मां न कहकर डैडी मम्मी और वाटर मांगता है, वहीं पर एक गरीब आदमी का बच्चा छोटी-मोटी शिक्षा संस्थाओं में जाता है । यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है । 26 जनवरी 1960 को ही ये संस्थायें जो कि विदेशी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही हैं, समाप्त हो जानी चाहिये थी । चीन में जब माउत्सेतुंग का साम्राज्य आया तो उसने सबसे पहले यही काम किया कि इसाई मजहब द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी शिक्षा संस्थायें

थीं, जिनका कि इम्प्रेशन उस देश की नई पीढ़ी पर पड़ता, उन्हें बन्द कर दिया। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जीसे यह विनम्र निवेदन करूंगा यहां पर जितने ऐसे स्कूल हैं जो कि धनाड्य व्यक्तिगत लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं जो कि अपने अध्यापकों को पांच-पांच सौ रुपया वेतन दे रहे हैं उनको अपने हाथ में ले ले। दूसरी ओर हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या नगर पालिकाओं के जो स्कूल हैं, जो कि ज्यादा वेतन अपने अध्यापकों को नहीं दे पाते हैं, वहां के बच्चों के बैठने की सुविधा तक नहीं है, न भवन है, वर्षा धूप और गर्मी में जिन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनकी हालत भी आप देखें। यहां पर कालविन ताल्लुकेदार स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्हें यदि आप मिलने जायेंगे तो मालूम होगा उनके ठाठ-बाट देख कर कि वे कितने बड़े आई० ए० एस० आफीसर हैं, ब्यूरेक्रेट हैं, कैपिटलिस्ट हैं। इसके विपरीत जो हमारे अध्यापक हैं हमारे गरीब साधारण आदमी के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, वकील के बेटे हैं जो किसी तरह से पढ़-लिख कर अध्यापक बनते हैं उनके स्तर से सभी परिचित हैं।

सन् 47 से सन् 73 तक इतने वर्ष हो गये अब तक गांधी जी की जो विचार धारा थी कि 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी, कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज.किर हुसैन जिस प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे जिसमें कि डाक्टर अम्बेदकर जी भी थे उन्होंने कहा था कि हरिजनों, पिछड़े लोगों, गरीब किसानों के बच्चों जो एक प्रकार की शिक्षा दी जायेगी ताकि वे भी देश की प्रगति में कन्धे से कन्धा मिलाकर हिस्सा ले सकें। किन्तु सरकार पर उसका असर नहीं पड़ा। मैं जगदीश गांधी जी का बड़ा आदर करता हूं, मैं जेटली साहब की तरह निर्मम नहीं हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब गिरी साहब का चुनाव होने वाला था तो आप भाग कर वहां चले गये थे। यदि आप जितने भी विद्यालय आपके अधीन हैं उन सभी को आप दे दें हम आपको बधाई देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आपने इस क्षेत्र में काफी मेहनत और प्रयास किया है। चाहे वह किसी का भी बच्चा हो चाहे चीफ सेक्रेटरी सतीशचन्द्र जी का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा, चपरासी के लिये यहां पर एक विवाद भी हुआ। मैं कहता हूं कि क्या वह मनुष्य नहीं है क्या उसको समान अधिकार नहीं है! क्या आई० जी० और चीफ सेक्रेटरी ही बड़े आदमी हैं। हमारे यहां एक स्वीपर भी जो है वह हमारे ही समाज का एक अंग है। सभी लोगों के बच्चे ए साथ पढ़ें। आपके स्कूलों में क्यों जांय, ताल्लुकेदार कालेज में क्यों जांय, या मिशन स्कूलों में क्यों जांय? जहां तक शिक्षा की बात है, मैं भी एक अध्यापक हूं, एक कालेज में ट्रेड यूनियन के कारण ही निलम्बित किया गया और प्रिंसिपलशिप से हटा कर अब केवल प्रोफेसर ही हूं। मैं जानता हूं कि हमारे इन 10–12 कालेजों के बालक कभी किसी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग नहीं लेते, कभी किसी ट्रेड यूनियन या शिक्षक संघ के जलूस में भाग नहीं लेते, कभी किसानों या मेहतरों के जलूसों में भाग नहीं लेते। ये राष्ट्रीय धारा से अलग क्यों रहे हैं। बालक चाहे दून स्कूल में पढ़े, अजमेर में पढ़े या इलाहाबाद के सेंट अम्बुलेंस या सेंट जोजफ स्कूल में पढ़ें लेकिन सब की शिक्षा एक समान होनी चाहिये।

मान्यवर, जहां तक धर्म के प्रचार का प्रश्न है, आप हिन्दू-मुसलमानों के बीच में प्रचार कर सकते हैं कि हमरा धर्म बहुत अच्छा है लेकिन किसी भी समाजवादी राष्ट्र में शिक्षा की बागडोर विदेशियों के हाथ में नहीं होनी चाहिये। अनजाने में हमन न केवल अपने बदले में बल्कि सारे देश में शिक्षा की बागडोर उनके हाथ में दे रखी है। आज नागालैंड का एम० एल० ए० 500 रुपये वेतन लेता है और 30 करोड़ के बजट में 15 करोड़ की ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लेकिन पूछने पर वहां वाले कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है और हम हिन्दी नहीं पढ़ेंगे। यहां के एम० एल० ए० को 450 रुपये ही पाते हैं तो उसके लिये बड़ी आलोचना की जाती है लेकिन नागालैंड जहां की आबादी केवल 8 लाख है वहां की यह स्थिति है। मान्यवर, मेरा तो निवेदन है कि राम और कृष्ण के इस प्रदेश में, राजर्षि टंडन, नेहरू और मालवीय के इस प्रदेश में राष्ट्र-भाषा की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि चीफ सेक्रेटरी और मजदूर का बालक, प्रोफेसर और चपरासी का बालक, कर्मचारी और गजटेड आफिसर का बालक एक साथ बैठ कर प्राथमिक

श्री रामगोपाल संड]

शिक्षा नहीं पावेगा। देश की प्रगति के लिये सब को एक सी शिक्षा देनी पड़ेगी। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये अपनी मातृ भाषा में शिक्षा देनी होगी तथा अपने देशी वेषभूषा-धोती, पैजामा, अंगरखा को अपनाना होगा। जैसा कि बड़ौनी जी ने कहा अक्सर ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के टाई पहनते हैं इससे स्पष्ट है कि इन बालकों की भावना देश के प्रति न होकर विदेश के प्रति ले जाने की कोशिश होती है। मेरी तो प्रार्थना है श्री जगदीश गांधी जी से कि उनके नाम के साथ गांधी शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिये वे आज गांधी जी के रास्ते पर चलते हुये यहां इस बात की घोषणा करें कि हम सबसे पहले अपने विद्यालयों को सरकार को देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री जगदीश गांधी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

गांधी जी, आप तो बोल चुके हैं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

चूंकि संड जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मैं सदन में घोषणा करता हूं कि मेरे स्कूलों का राष्ट्रीयकरण अतिशीघ्र कर लिया जाय। पहले भी मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं और कई पत्र सरकार को लिख चुका हूं कि इन स्कूलों से मुझे मुक्ति दिलायी जाय। क्योंकि मेरे पास और सारे काम करने को हैं। मेरा जो संशोधन है उस पर तो मैं बाद में बोलूंगा। अभी माननीय संड जी के जवाब में यही कहना था।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय गुप्तजी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को यहां रखा और यह स्वागत करने योग्य संकल्प है। अच्छा तो यह होता कि सरकारी प्रस्तावके रूप में यह प्रस्ताव शासन की तरफ से लाया गया होता। क्योंकि इसकी आवश्यकता आज नहीं बल्कि आज से 25 वर्ष पहले से है जब कि देश को आजादी मिली। आजादी के बाद पहला काम यह होना चाहिये था कि सारे देश के बालकों को समान शिक्षा दी जाती। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी समाज का निर्माण करती है, किसी समाज को बनाती है, संस्कृति की रक्षा करती है तथा संस्कृति की मर्यादा को बढ़ाती है। मान्यवर, आप देखें कि जब पुराने जमाने में पहले गुरुकुल की शिक्षा होती थी तो राजा का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, राजा दशरथ का लड़का हो या किसी का लड़का हो, सभी जंगल में आकर शिक्षा लेते थे। सब की समाज में एक सी इज्जत थी लेकिन महाभारत काल में शिक्षा में एक परिवर्तन हुआ और आचार्य द्रोणाचर्य ने एकलव्य को शूद्र कहकर पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समाज आगे चल कर विकृत हो गया और आज स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रयास किया जाता है कि हरिजन के बच्चे, छोटी जाति के बच्चे किस तरह से पढ़ें। महाभारत काल में ही इसकी शुरुआत हुई कि शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिये और उसी का नतीजा है कि समाज की हालत गिरी और देश गुलाम हुआ। तो शिक्षा एक समान हो, हर बच्चे को भगवान पैदा करता है, वह एक प्रकृति की देन है, वह एक ही समान नंगा धड़ंगापैदा होता है तो शिक्षा में दो भाग किये जायं यह कोई अच्छी चीज नहीं है।

एक तरफ तो हम गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है कि वहां पर जो ट्रेंड मास्टर बच्चों को पढ़ाता है तो उसको जो ट्रेनिंग दी गई है वह बेकार हो जाती है क्योंकि उसको बच्चों को पढ़ाने के लिये खिलौने नहीं दिये जाते हैं, बोर्ड नहीं मिलता है, बैठने को टाट पट्टी तक नहीं होती है और हमारे यहां हजारों स्कूल पेड़ों के नीचे लगते हैं और गरमी की कड़ी धूप में और बरसात में पानी बरसने में पेड़ों के नीचे बच्चे अपनी शिक्षा पाते हैं। प्रारम्भिक स्कूलों को देखिये कि गांव वालों के सहयोग से एक फूस का छप्पर डाल दिया जाता है और उसी के अन्दर

बच्चों की 3/4 क्लासें लगते हैं। वहां अध्यापक बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है बल्कि वह सारे दिन बच्चों की फरियाद ही सुनता रहता है। दूसरी तरफ बड़े लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। आप इसको भलीभांति सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा जो इन मामूली स्कूलों में शिक्षा पाता है वह उन बड़े आदमियों के लड़कों के मुकाबले में कम्पटीशन में कभी नहीं आ सकता है। उसकी जड़ ही कट जायेगी। दूसरी तरफ उनके बच्चे हमारे बच्चों से हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। समाज में यह चीज बराबर पैदा होती रहेगी अगर शिक्षा में इसी तरह असमानता बनी रही। ईसाई स्कूल में मेरा नौकर पढ़ता था। जब वह सोने लगता था तो हम लोगों को बताया करता था कि ईसा मसीह किस तरह से पैदा हुआ था और किस तरह से उसने अपने उपदेश दिये। वह राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध को नहीं जानता था। उसका ज्ञान केवल ईसामसीह तक ही सीमित था। इन स्कूलों ने हमारी सभ्यता से अलग सभ्यता कायम की है। जो ताल्लुकदारों के स्कूलों में पढ़ेंगे वे शुरू से ही जानेंगे कि इन गरीब और मामूली आदमियों के बच्चों से बात नहीं करनी चाहिये। जो लड़के इन गांवों के स्कूलों में पढ़ते हैं वे रजील हैं, गिरे हुये हैं। यह भेदभाव हमेशा उनमें पनपता रहेगा जब तक ये स्कूल हमारे यहां कायम रहेंगे।

आज जरूरत इस बात की थी कि सरकार की तरफ इस तरह का बिल आना चाहिये था और वह तुरंत का तुरंत लागू होना चाहिये था। इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। आज अन्य प्रकार के स्कूलों के रहने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। मैं माननीय गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने रखा है जिसमें हमारे खयाल से इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले, सभी लोग अनुभव करते हैं कि एक प्रकार की शिक्षा हमारे देश में होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सदन से सिफारिश करूंगा कि वह इस संकल्प को पारित करे और सरकार से सिफारिश करूंगा कि वह इस संकल्प के पारित होते ही इसको कार्यान्वित करने की कृपा करे।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प माननीय सच्चिदानन्द गुप्त लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है। मुझे मालूम नहीं कि श्री जगदीश गांधी, जो एक बड़े प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वह इसमें ऐसा संशोधन क्यों लाये हैं जिससे कि इस संकल्प की भावना ही समाप्त हो जाती है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, वह आत्मा ही निकल जायगी अगर इनके संशोधन को स्वीकार किया जायगा। इस संकल्प की मूल भावना क्या है? आप अनुभव करेंगे कि हमारे प्रदेश में और सारे देश में आज एक इतनी बड़ी विचित्र विडम्बना है कि एक गरीब परिवार का बच्चा उच्च स्कूलों में पढ़कर अपने प्रतिभा का विकास नहीं कर पाता और उसके कारण वह नीचे पड़ा रह जाता है, वह केवल चपरासी, लिपिक या टीचर बन जाता है और अगर बहुत तरक्की कर ली तो वह तहसीलदार बन जाता है।

मैं आदरणीय जगदीश गांधी जी की नीयत पर आक्रमण नहीं करता लेकिन उनके संशोधन से जो अन्तर संकल्प की मंशा में आ जायगा वह उस पर गौर करें। मैं तो शायद इस पर बोलता भी नहीं लेकिन हमारे गांधी जी बहुत समझदार हैं और उनका संबंध भी शिक्षा संस्थाओं से है, वह गौर करें कि आज हमारे बच्चों को अवसर ही कहां मिल रहा है कि वह कम्पीटीशन्स में बैठकर उन बच्चों को पछाड़ पायें जिन के मुंह में चांदी के और सोने के चम्मचों से दूध पीकर और बड़े होते चले जा रहे हैं। मैं देहरादून में रहता हूं और मैं जानता हूं कि वहां पबलिक स्कूल हैं इतने हैं कि जहां उनकी भरमार है, एक एक में दो दो सौ और तीन तीन सौ बच्चे हैं और चार चार हजार और दस दस हजार रुपया वहां खर्च होता है। माननीय महमूद अली खां बैठे हैं, वह मेरी बात की ताईद करेंगे कि किस तरह से देहरादून में स्कूल चल रहे हैं। हालत यह है वहां के बच्चे पैदा नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

होते और उनके नाम वहां पहले से दर्ज करा दिये जाते हैं, इस उम्मीद पर कि बच्चा पैदा होगा तो दून स्कूल में पढ़ेगा। वहां माननीय इन्दिरा गांधी के और रजवाड़ों के बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। देहरादून में दून स्कूल, सेन्टामस स्कूल, क्वीनमेरी स्कूल, सेन्ट जोन्स अकेडेमी तमामों ऐसे खर्चीले स्कूल हैं जहां गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वह फीस वहां की नहो दे सकते, वहां का भार नहीं उठा सकते। आप जरा कल्पना करें कि कितनी हार्ट बर्निंग आज हमारे सामान्य गरीब लोगों, किसान मजदूरों के दिल में होती होगी कि उनके बच्चे योग्य तो हैं लेकिन पैसे के अभाव में वह वहां शिक्षा नहीं पा सकते। कितने ऐसे डा० अम्बेदकर हो सकते हैं कि जो गरीब घराने के हों और उन्हें किसी तरह से आगे की अच्छी शिक्षा का अवसर मिल जाय, एक रजवाड़े ने उन को यह अवसर प्रदान किया और वह आज अपने समय के मनु कहलाते हैं। लेकिन कितने लोगों को इस तरह का अवसर मिल सकता है? यह लड़ाई ही अवसर मिलने की है। हमारे गांधी जी समाजवाद की बात करते हैं और वह उस पार्टी में छलांग मारकर बैठ भी गये और समजवाद लाने के लिये आप और आपका दल सुबह से शाम तक नारे लगाते हैं। इस में किसी को एतराज नहीं, समाजवाद या समानता आना चाहिये। इस पर किस को एतराज होगा? मैं तो यह कहूंगा कि जितने आप नारे लगाते हैं उसका यदि आप चौथाई, दसवां या सौवां हिस्सा भी पूरा कर दें तो शायद बहुत कुछ प्रदेश का और देश का भला हो जायगा। यह इतना इन्नोमेंट प्रस्ताव है जिसमें कि कहा गया है कि गरीब बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ सकें, हम यह नहीं कहते कि उन स्कूलों को समाप्त कर दिया जाय।

माननीय जगजीवन राम जी देहरादून आये, देहरादून के टाउन हाल में एक विशाल सभा हुई और उसमें उन्होंने भाषण दिया, उन दिनों वह कांग्रेस के प्रसीडेंट भी थे और सेन्टर के मिनिस्टर भी थे। उन्होंने वहां कहा था कि हम हरिजनों की 18 प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग को खत्म कर देंगे अगर सरकार हरिजन बच्चों के लिय पब्लिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दें। उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने उनको एक चिट्ठी लिखकर भेज दी आज तक मुझे उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन शायद उनको समय नहीं मिला लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैंने उनको लिखा कि आपसे बढ़कर और कौन व्यक्ति हो सकता है। आप इस काम को करवायें, आप कांग्रेस के प्रसीडेन्ट हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और आप जो सुझाव दे रहे हैं, उनका कार्यान्वयन करवा सकते हैं दून स्कूल में और दूसरे पब्लिक स्कूलों में।

इस समय सदन में भाई ग्राइस साहब नहीं हैं, वे कहते हैं कि आप इन स्कूलों को खत्म करवाना चाहते हैं। हम खत्म नहीं करवाना चाहते हैं। मैन गांधी जी के स्कूलों को देखा है जिनके आर० डी० एस० ओ० स्कूल में मेरा भान्जा और भान्जी पढ़ती है, इतनी अच्छी शिक्षा उन स्कूलों में है मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। मैं यह भी यहां पर कहना चाहता हूं कि जो इनके स्कूल हैं, वे उस स्तर के तो नहीं जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं। जितने हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, ये वे स्कूल्स हैं जहां पर बड़ी-बड़ी फीस ली जाती है, मेरी प्रार्थना है कि सरकार बच्चों की फीस का प्रबन्ध कर दे, हरिजनों के बच्चों का या उन बच्चों का जो आर्थिक दृष्टि से पढ़ नहीं सकते हैं। गरीब आदमी हरिजन भी हो सकते हैं और दूसरी बिरादरियों में भी हो सकते हैं, सरकार को चाहिये कि वे इनकी फीस क प्रबन्ध करें और उनके बच्चों को पढ़ने का सरकार पूरा मौका दे। यदि ऐसा कर दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अन्दर हजारों गुदड़ी के लाल पड़े हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का। यदि उनको मौका मिला तो उन लोगों से आगे निकल जायेंगे जो इन स्कूलों से निकलते हैं, हमारे ऊपर कलक्टर और कमिश्नर बन कर बैठ जाते हैं। जितने ब्यरोक्रेट हैं, कलक्टर हैं, कमिश्नर्स हैं, उन सब लोगों की शिक्षा इन पब्लिक स्कूलों में ही हुयी है जहां पर खेलने के बड़े-बड़े मैदान होते हैं, अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं, स्वास्थय रक्षा का प्रबन्ध होता है लेकिन हमारे बच्चे आज साधारण स्कूलों में पढ़कर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में क्लर्की के लिये हजारों की संख्या में अपने नाम दर्ज कराते हैं।

इस प्रस्ताव की भावना की कद्र कीजिये । एक प्रस्ताव आया, जहां कहीं से अया । अगर कीचड़ के अन्दर भी गुलाब होता है तो वह गुलाब ही होता है । अगर कीचड़ में सोना होता है तो हम हाथ से ही नहीं मुंह के बल से भी उठा लेते हैं । तो यह प्रस्ताव अगर विरोधी दलों की ओर से आया है, यद्यपि विरोधी दल का भी कोई प्रश्न नहीं है, आज तो असरकारी दिवस है, आप इसका स्वागत करें और मै तो यह कहता हूं कि यह प्रदेश देश में नयी परम्पराएं डालता है, यह प्रदेश देश को नेतृत्व देता है और अगर यह सदन इस प्रस्ताव को पारित करेगा तो हम देश को नेतृत्व देंगे । इन बड़े बड़े महलों में रहने वालों को और गरीब लोगों के बच्चों को अगर समान अवसर मिलेगा तो आप देखगे कि दौड़ में, कम्पीटिशन में, कौन आगे बढ़ते हैं । संक्षेप में, इन शब्दों के साथ में आपके द्वारा माननीय गांधी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें और माननीय सच्चिदानन्द गुप्त के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ?

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सच्चिदानन्द जी जो संकल्प लाये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग सभी उनकी भावनाओं से सहमत हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, जहां तक देश और प्रदेश की शिक्षा का मामला है, सभी लोग जानते हैं 25 वर्षों में शिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि हुई । आज उत्तर प्रदेश में केवल 31·34 प्रतिशत शिक्षा है । यही नहीं जब देश और अन्य प्रदेशों को हम देखते हैं, वहां भी कोई संतोषजनक दशा नहीं है । देश का प्रतिशत इस समय केवल 39 प्रतिशत के लगभग आता है । और पांचवीं पंचवर्षीय योजना का जो एप्रोच पेपर है, जो हमने देखा है, उसके देखने से मालूम होता है कि वास्तव में हम इस योजना में भी प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे लेकिन अधिकतर जो भावनाओं के संकल्प में है, वह तो हो ही सकता है । आज जब कि प्रदेश में जहां कि इतनी बेरोजगारी है, गरीबी है, वहां बड़े-बड़े लोगों के लिये अच्छे पब्लिक स्कूल हों, यह तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिये परेशानी का विषय बन जाता है जो सदियों से पिछड़े हुए हैं । आज स्थिति यह है कि जो देश के बड़े-बड़े लोग हैं, जमींदार हैं, या पैसे वाले हैं, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं, जहां कि एक तरफ इतने गरीब लोग हैं जिन्हें दो जून रोटी और तन ढकने को कपड़ा और दवा आदि सुविधायें हैं ही नहीं, वहीं पर प्रायमरी स्कूल में दो स , ढाई सौ, तीन सौ और चार सौ रुपये खर्च करके अपने बच्चे भेजने वाले लोग बैठे ह । हमारे यहां दुध्धी में भी पांच सौ रुपये तक खर्च करने वाले लोग हैं ही और ऐसे स्कूल हैं । जब हम समता लाने की बात करते हैं और समान अवसर की बात करते हैं, संविधान में भी कहा है कि विकास में सभी को समान अवसर दिया जायगा, तो संविधान में निहित भावना के विपरीत बात नहीं होनी चाहिये कि इस मुल्क में 2, 3 या 4 प्रकार के इन्स्टीट्यूशन हों । हम एक ओर विषमता को कम करने की बात करते हैं और हकीकत में देखते हैं, तो उसमें बढ़ावा मिलेगा । आज ऊंची-ऊंची सर्विसेज में आई0 ए0 एस0 क्लास के 85 फीसदी लड़के, जो कन्वेन्ट और नर्सरी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, आते हैं । आखिरकार हम उन लोगों के लिये क्या करने जा रहे हैं जो सदियों से पिछड़े ह ।

मैं जांति-पांति की बात नहीं करता लेकिन गरीब और अमीर की बात जरूर करता हूं । चाहे किसी धर्म और सम्प्रदाय के लोग हों, आज जरूरत इस बात की है कि सबको समान रूप से शिक्षा दी जाय । 25 वर्ष के बाद चाहिये था कि यह गरीब और अमीर के बीच की खाई पट जाय । अगर इस वर्ग भेद को मिटाना है तो आवश्यकता यह है कि हिन्दुस्तान के सभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम प्यारे]

प्रायमरी स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिये एक जून का खाना, एक तरह की पढ़ाई और वेष-भूषा हों ताकि छोटे परिवार के बच्चों में जो हीनता की भावना है, वह दूर हो जाय। उन लोगों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके। क्या हम प्रदेश की स्थिति को जानते हैं। पश्चिम के जिले हैं, पूरब के जिले हैं और बुन्देलखंड के जिले हैं और पहाड़ के जिले हैं। कहीं 5 प्रतिशत और कहीं 6 प्रतिशत यह स्तर है, यह हालत है शिक्षा की। देहरादून की बात हमारे निश्चानन्द स्वामी जी ठीक कह रहे थे। इस तरह के विद्यालय चल रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से और अपनी सरकार से कहूंगा कि यदि समान रूप से शिक्षा न दी जा सके, तो ये जो पब्लिक स्कूल हैं, उनमें किसी हद तक रोक लगायी जाय कि जिससे यह जो भेद पैदा हो रहा है गरीब और अमीर के बच्चों में वह खतम किया जा सके और समानता आवे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में समानता लाना बहुत आवश्यक है।

यूनिवर्सिटीज और कालेजेज में जो आज तमाम विघटनकारी प्रवृत्तियां जाग रही हैं, उनका मूल कारण यही है कि हमारे नौजवानों में असन्तोष है। हमारे देश में एक ऐसे लोगों की जमात है जो सारी योजनाओं के लाभ उठाती जा रही है। उन नौजवानों में आज यही असंतोष है कि वे उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो कब तक ऐसा चलने देंगे। मैं अपनी सरकार से और माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पंच वर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम प्रायमरी स्कूलों में समाना रूप से शिक्षा दी जा सके। यही नहीं कि बच्चों को समान अवसर हो, बल्कि हर स्कूल में बच्चों की ड्रेस हो और एक सी फीस हो। इसके अलावा सभी अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था एक सी हो, तभी प्रदेश में शिक्षा समान रूप से बढ़ सकेगी।

मान्यवर, 'एकलव्य' का उदाहरण दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कब तक हम ऐसे लोगों को ठुकराते रहेंगे। जब समान अवसर मिलने की बात है तो उसमें असमानता के बीज बोकर हम अपने देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को पैदा करेंगे। मिर्जापुर में ऐसे अनेक स्कूल हैं जहां पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, उनके बैठने के लिये टाट-पट्टी नहीं है, अध्यापकों को बठने के लिये कुर्सी नहीं है। जिन अध्यापकों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है उसके अनुसार वह स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। जहां शिक्षा में एक तरफ इस प्रकार की कमियां हैं वहां दूसरी तरफ 31 प्रतिशत की संख्या बताई जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह संख्या भी बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है। यह सभी जानते हैं कि बच्चों की जो हाजिरी दिखाई जाती है उसमें गड़बड़ी रहती है। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने रखा है वह हमारे देश और प्रदेश के हित में है और सभी को समान अवसर मिले। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपनी सरकार से और मन्त्री जी से कहूंगा कि इस अनिवार्य शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाय। लेकिन मैं गुप्ता जी से यह निवेदन करना चाहता हूं वह कृपा कर यह भी बतायें कि इस अनिवार्य रूप से शिक्षा लाने के लिये संसाधन कहां से आयेंगे। जो पंचवर्षीय योजना की स्थिति है वह सभी जानते ह। समान रूप से सबको अवसर मिले यह मांग जायज है, और यह भी मांग जायज है कि इन पब्लिक स्कूलों पर रोक लगानी चाहिये, लेकिन संसाधनों के बिना इसको पेश करने से कोई लाभ नहीं है।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

यह जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने पेश किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं इस सदन से कि वह सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करे। उसके कुछ कारण हैं। अगर उन कारणों को सुना जाय, चूंकि यह संशोधन विपक्ष की ओर से पेश हुआ और यह मानकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्वीकृत कर दिया जायगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वह अपनी अन्तरात्मा के विपरीत यह कार्य करेंगे । निश्चित रूप से इस देश की और इस प्रदेश की प्रगति के लिये, संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिये, इस देश के भावी स्वरूप को अच्छा बनाने के लिये, यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर शिक्षा ही वह आवश्यकता है जिसके सहारे इस देश के भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है । इस सन्दर्भ में हम इन 25 वर्षों का चित्र भी माननीय सदस्यों से सदन के सामने रखने का अनुरोध करेंगे । आजादी के बाद हमारे समाज का क्या स्वरूप बना, हमने कितनी प्रगति की, हमारा चरित्र बल कितना ऊंचा हुआ, हममें कितनी अनुशासन परायणता आयी । शिक्षा का प्रसार भले ही किया हो लेकिन जो उसका उद्देश्य था मानव निर्माण का उसमें हम असफल रहे, अक्षम रहे । यदि शिक्षा मानव का निर्माण न कर सके, मानव का विकास न कर सके तो ऐसी शिक्षा और शिक्षा पद्धति देश के लिये कलंक होगी जिससे ऐसे लोग निर्मित हो रहे हैं जिनसे देश की राष्ट्रीय एकता टूट रही है, जिनसे देश की रक्षा नहीं हो रही है । हम चाहेंगे कि इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में इस संकल्प पर विचार किया जाना चाहिये । सन् 50 में जब संविधान लागू हुआ तो दस वर्ष की अवधि रख कर यह बात कही गयी कि 14 वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा होगी और सब को समान रूप से शिक्षा पाने का अवसर होगा चाहे वह गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो, हरिजन का लड़का हो या सवर्ण का लड़का हो । किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 20–22 वर्ष बाद आपका ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि महीलाल जी ने कहा था कि यह कोई नई बात नहीं रखी है यह सिर्फ संविधान का स्मरण दिलाता है, उस ओर जिस ओर आपका ध्यान नहीं है ।

आप राष्ट्रीयकरण और समाजवाद की झूठी कल्पनाओं में फंसे हुए हैं । इस संकल्प के द्वारा आपका उधर से ध्यान हटा कर एक बुनियादी चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसकी कल्पना संविधान में की गयी थी और जो हमारी एक पौराणिक परम्परा भी रही है । इस देश में अगर कुछ था तो इस देश का चरित्र बल था, इस देश में बुद्धिमान, योगी, सन्यासी और तपस्वी पुरुष थे । जिन्होंने सारे संसार में शाख कायम कर रखी थी । एक लंगोटी लगाने वाला पुरुष संसार में पूज्य हुआ और बीसवीं शती का युग पुरुष बना । जब तक आपका ध्यान उन चीजों की तरफ नहीं जायगा तब तक आप उन मौलिक चीजों को नहीं पकड़ पायेंगे जिनसे यह देश बनेगा । आपने हदबन्दी कर दी, जोत सीमा कर दी या बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो आप समझते हैं बड़ा क्रांतिकारी कदम हो गया । मैं कहता हूं यह सब निम्न काम हैं उस महान् काम के सामने जो कि शिक्षा के लिये करना चाहिये था । आप आर्थिक प्रगति की बात करते हैं और भौतिक विलासिता में हमको और हमारी पीढ़ी को फंसाना चाहते हैं । आप उससे निकालियें और उस ओर ले चलिये जहां तपस्या है, त्याग है, देश प्रेम है । क्या आज की शिक्षा पद्धति से देश जाग्रत हो रहा है । नहीं हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो वह समय कब आयेगा जब आप देश को जाग्रत करने का काम करेंगे ।

आज जो स्कूल चल रहे हैं उनको मैं दो श्रेणी में विभाजित करना चाहता हूं । एक तो व्यावसायिक स्कूल हैं और दूसरे वे स्कूल हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता पर आक्रमण करना चाहते हैं और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने का नापाक इरादा रख कर काम कर रहे हैं । क्या आप व्यावसायिक शिक्षा को चालू रखना चाहते हैं और क्या संस्कृति और सभ्यता को तोड़ना चहते हैं? क्या आप विदेशी लोगों के इशारे पर ये स्कूल चलने देना चाहते हैं? वह सवाल दूसरा है कि वे खर्चीले हैं और उनमें बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं । वह तो गौण विषय है । मैं तो एक बुनियादी बात आपसे कहता हूं कि इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति आप तोड़ रहे हैं । लार्ड मकाल ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति को इस देश में गुलामी कायम रखने के लिये कायम की । वही शिक्षा पद्धति आज भी स्वाधीन भारत में चल रही है । आप बराबर हमें गुलामी के ढांचे में ढाल रहे हैं । ये स्कूल गुलाम बनाने की फैक्टियां हैं । यह

[श्री राम कुमार दीक्षित]

पद्धति कब बदलेगी? इन समाजवाद की बात कहने वालों के दिमाग में तो यह बात आनी चाहिये थी। समय है, इसको जल्दी करना चाहिये। आइन्दा इसके बड़े ही दुर्गामी परिणाम होंगे।

आज के युवा तर्क की सोचने की दृष्टि कुछ और है। यदि बुनियादी तौर पर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी पी0 ए0 सी0 और फौज उनके विचार बदलने में असफल हो जायेगी। शैशव काल से ही बच्चे के मन में यह बात आनी चाहिये शिक्षा के द्वारा ताकि उसमें देश प्रेम उत्पन्न हो। यह बात बुनियादी शिक्षा से ही हो सकती है। देश की एकता, राष्ट्रीयता, अखंडता और देश के विकास के बारे में सोचना और विचारना है। आज यह विषमता पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति है और विषमता पैदा करने वाले स्कूल हैं। वे निर्विवाद रूप से इस काम को नहीं कर सकेंगे और वे उन परिस्थितियों को नहीं ला सकेंगे। हमारे शिक्षा मन्त्री तो शिक्षा शास्त्री भी हैं। उनके दिमाग में यह बात आनी चाहिये थी और आती भी होगी। कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करेंगे और वे करने वाले हैं। बड़े-बड़े कमीशन,आयोग बैठे हैं और गोष्ठियां हुई हैं देश के स्तर से ले कर प्रदेश के स्तर तक और सभी ने कहा है कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहिये लेकिन क्या करना चाहिये किसी ने नहीं कहा और कौन करेगा किसी ने नहीं सोचा। जो करना है वह आज कीजिये--जो कदम उठाना है वह आज उठाइये। आप कल पर क्यों टालते हैं? आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश की राष्ट्रीयता और अखंडता का नाश हो जायगा।

गुप्ता जी ने सामयिक बात कही है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। आपको सर्वसम्मत से इस प्रकार का निर्णय करके घोषणा करनी चाहिये। भारत एक पुरानी परम्पराओं का देश है। कृष्ण और सुदामा का देश है। आप सोचते हैं कि साज सज्जा वाले स्कूल ही अच्छी शिक्षा देने के सहायक हो सकते हैं। आप पौराणिक परम्पराओं वाली शिक्षा नहीं चलाना चाहते हैं जिसमें जंगलों में वृक्षों के नीचे बैठ कर शिक्षा दी जाती थी। उस शिक्षा से कितने महापुरुष बने और इतिहास में उन्होंने अपना नाम कमाया तथा जिनकी गाथा आज गायी जाती है। आज हमारे पास पैसा नहीं है और संसाधन नहीं हैं। आज के गुरू पैदा करने से काम नहीं चलेगा और न ही आप इन गुरुओं से आशा कर सकते हैं कि उनके शिष्य कृष्ण और सुदामा जैसे पैदा होंगे। यह होना असम्भव है। आज कल जो शिक्षा मिल रही है वह इस प्रकार की है कि बच्चों को प्रदर्शन की ओर आकृष्ट कर रही है। वह शिक्षा उन्हें उस तरफ उन्मुख करती है जिसमें कि वे वेतन के लिये प्रदर्शन करते हैं। अपनी सुविधाओं के लिये प्रदर्शन करते हैं, अपनी नौकरी के संरक्षण के लिये प्रदर्शन करते हैं। उनमे वह भावना नहीं है कि त्याग की भावना से प्रेरित होकर बालकों को शिक्षा दें। इसी लिये श्रीमन्, जहां तक शिक्षा का विषय है इसमें सभी बातों को जोड़ कर सोचना पड़ेगा। बुनियादी बात शिक्षा की प्राइमरी स्कूल्स हैं। अगर वह बिगड़ गये तो विश्वविद्यालय मे आप शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध कर दें, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है।

आज के मिशनरी स्कूल और पब्लिक स्कूल देश को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। वह जिस प्रकार की शिक्षा होना चाहिये उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। आखिर आपने कभी सोचा कि इन पब्लिक स्कूलों की ओर क्यों आकर्षण है हम लोग इसके लिये कोशिश करते हैं। मन्त्री लोग सिफारिश करते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी सिफारिश करते हैं कि हमारा लड़का अमुक पब्लिक स्कूल मे प्रवेश पा जाय। क्या कारण है? इस कारण को हटाना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो आप करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। खुले रहने दीजिये इन पब्लिक स्कूलों को लेकिन कोई उनकी ओर प्रवेश पाने न जाय, इस प्रकार की भावना पैदा कीजिये। आप ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिये कि उन पब्लिक स्कूलों की ओर किसी का मोह न रह जाय। यह मोह घटाने का काम शासन को करना होगा। कहा जाता है कि हमारे पास साधन नहीं है इसलिये हम नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा निश्चित मत है कि

जो 25 साल में इस प्रदेश को बनाया है उससे आने वाला नौजवान रचनात्मक नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बारे में सोचा जाय।

श्री जगदीश गांधी ने अपना संशोधन पेश करके उस भावना को ठेस पहुंचाई है जिसको कि श्री गुप्त जी ने रक्खा है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले। निश्चित रूप से इस प्रदेश में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिये जिससे सारे देश और राष्ट्र को एक रास्ता दिखला सकें। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी और माननीय सदस्यगण, चाहे पक्ष या विपक्ष के हों, इस संकल्प का समर्थन करेंगे और इसे सर्वसम्मत से पास करने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं। यह ठीक है कि शिक्षा मनुष्य, राष्ट्र, देश और समाज के उत्थान के लिये है। अर्थ शास्त्र के अनुसार शिक्षा से देश और समाज का कल्याण होना चाहिये। माननीय गुप्ता जी ने जो संकल्प रक्खा है वह ठीक है। सरकारी राष्ट्रीय कृत विद्यालयों के माध्यम से बालकों की प्रतिभा बढ़नी चाहिये लेकिन क्षमता का प्रश्न आता है। अगर क्षमता नहीं है तो काम नहीं हो सकेगा। सरकार ने अभी भी बेसिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया है। इसके लिये बड़ी भारी मांग थी। क्यों कि दूसरे प्रदेशों में ऐसा किया गया था। राष्ट्रीयकृत बेसिक शिक्षा को दो अधिकारों में दे दिया है। एक ओर बेसिक एजूकेशन की डायरेक्टोरेट बना दी, दूसरी ओर उनकी साज-सज्जा और भवनों का निर्माण जिला परिषदों के सुपुर्द कर दी। एक अजीब सी विषमता पैदा हो गयी कि कहीं भवन नहीं है, कहीं साज-सज्जा नहीं है। तो राष्ट्रीयकरण सिर्फ नारेबाजी से, स्लोगन से नहीं हो सकता और न उससे देश का उत्थान होगा। आज सरकारीकरण और सहकारीकरण के दो सवाल हैं और कहा जाता है कि इसी पर समाजवाद निर्भर है। समाज के बनाने वाले हम हैं। मैं नहीं कहता कि पब्लिक स्कूलों में लोग जायं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सरकार ने शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण किया है उसको एक ऊंची लेविल और दर्जा दिया जाय जिससे उनमें पढ़ने वाले बालकों का कल्याण हो और देश का निर्माण हो। इसकी बड़ी भारी कमी है।

हमारे माननीय नित्यानन्द जी ने पब्लिक स्कूलों की बड़ी तारीफ की कि ऐसी साज-सज्जा है, पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा है, लोग अपनी दरख्वास्तें प्रवेश पाने हेतु लगाते हैं 5-5, 7-7 साल पहले। अब आवश्यकता इस बात की है कि अगर देश का निर्माण होना है तो जिन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उनमें भी वही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। इसका सारा भार शासन के ऊपर जाना है। यह भी बात ठीक है कि संविधान में दिया हुआ है कि निःशुल्क शिक्षा हो। आपका प्रान्त आज भी निःशुल्क परीक्षा नहीं कर सका जबकि और प्रान्त इसमें आगे हैं। मद्रास ने हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा का आज भी विधान कर रखा है, आप छठी के बाद आगे नहीं पहुंच सके। वास्तविकता यह है कि एक अरब रुपया से अधिक शिक्षा के बजट के बावजूद जो उसका स्तर होना चाहिये उसमें आप नहीं बढ़ पाये। आप हमारे बेसिक एजूकेशन के अध्यापक को इतना भी वेतन नहीं दे सकते जितना कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देते हैं, जैसी कि वेतन-आयोग ने सिफारिश की। आज परिणाम यह है कि शिक्षा में अध्यापक लोग थर्ड-रेटर्स ही मिलते हैं। फर्स्ट रेटर्स आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 बनकर चले जाते हैं, सेकेंड रेटर्स इंजीनियर्स और डाक्टर्स बनकर चलेजाते हैं और थर्ड-रेटर्स शिक्षा में हैं, जो शिक्षा देते हैं, वेहमारे देश कानिर्माण करते हैं। वास्तविकता यह है कि वेतन इतना कमकर रखा है कि कोई मनुष्य पसन्द नहीं करता कि प्रोफेसर और लेक्चरर बनकर देश का निर्माण करने के लिये जाय। यह बड़ा गहन और चिन्ता का विषय है।

[श्री श्रीशचन्द्र]

यह बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्य जो कहतें हैं कि पब्लिक स्कूल बन्द कर दिये जायं, वह जब अपने बच्चों के एडमीशन कराते हैं तो पसन्द करते हैं कि उनके बच्च इन पब्लिक स्कूलों में जायं । तो कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । अगर राष्ट्रीयकरण होना है और यदि पब्लिक स्कूल खत्म कर दिये जायं तो आवश्यक है कि हमारे स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाय । हमारे भाई माननीय गांधी जी भी विद्यालय चलाते हैं, लेकिन इनका कोई विशिष्ट स्कूल नहीं । विशिष्ट वह है जैसे कि कालविन ताल्लुकेदार कालेज ह, कनवट स्कूल हैं जिनमें विशिष्ट रूप से शिक्षा दी जाती है और वहां लोग अपने बच्चों को इसलिये भेजते हैं कि वह सर्विसेज में आ पायेंगे, आई0 ए0 एस0 हो जायेंगे । सर्विसेज का लोभ इतना बढ़ गया है कि वह वहां भेजने का इतना प्रयत्न करते हैं । मैं तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह संस्तुति करूंगाकि हमारीजो बेसिक एजूकेशन है तथा हाई स्कूल और उसके ऊपर जो शिक्षा है उसका स्तर इतना ऊंचा कर देना चाहिये जैसा कि पब्लिक स्कूल में है । क्योंकि शिक्षा पर आज भी जबकि उत्तर प्रदेश का बजट 25–30 प्रतिशत होना चाहिये वह उतना नहीं पहुंच पाया । हमारी सर्विसेज को वेतन देने में ही सारा बजट, सारी शक्ति का ह्रास हो जाता है और बजट का जो बड़ा भारी अंग शिक्षा को जाना चाहिये वह नहीं जा पाता । आवश्यकता इस बात की है कि बजट बढ़ाया जाय और जो हमारे बेसिक एजूकेशन के स्कूल हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाय । जो लोग प्रतिभावान हैं वह शिक्षा जगत की ओर आकर्षित हों । आज आप देखते ह कि आजादी के 25 साल बाद भी लोग अनपढ़ हैं और आज भीये कहते हैं कि हम अपना मत प्रदान नहीं कर सकते, हमें हेल्पर चाहिये मत प्रदान करने के लिश व हमारे दश के लिये यह बड़ा भारी कलंक है । सिर्फ भाषा का ज्ञान, लिखना और पढ़ना ही क्षिा। की हमारी परिभाषा रह गयी है । हमारे जो जन नायक हैं वह भी मत देते वक्त यह कहत हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें हेल्पर दो सिर्फ निशान लगाने के लिये । मैं तो कहूंगा कि सरकार को एक ऐक्ट बना कर शिक्षा को कम्पलसरी कर देना चाहिये । आपका जितना भी साहित्य है, या जितना भी आप प्रगति करते हैं, यह योजनायें आपकी कार्यान्वित नहीं हो सकतीं अगर देश का आदमी पढ़ा लिखा नहीं है । इसलिये इस संकल्प में जो शब्द हैं कि शिक्षा कम्पलसरी कर दी जाय, मैं उसकी ताईद करता हूं । यह बात भी ठीक है कि माननीय श्री जगदीश गांधी ने अपने संशोधन में इस बात को कहा है कि जब तक सरकार शिक्षा के मामले में सक्षम न हो जाय तब तक सरकार को यह प्रयास नहीं करना चाहिये कि पब्लिक स्कूल बन्द कर दे । आप यह भी देखिये कि जो सक्षम लोग हैं वह अपने बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं । वह भी एक विशेष प्रकार की शिक्षा की बात है । तो फिर आप ट्यूशन भी बन्द कर दीजिये । आप खुद इस पर विश्वास नहीं करते कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वह पर्याप्त है । तो यह ट्यूशन का जो धन्धा है इसको भी बन्द कर देना चाहिये । समान प्रकार से सब बालक प्रतिभावान बन । म इस बात की ताईद करता हूं जो माननीय जगदीश गांधी ने कहा है कि जब तक सरकार सक्षम न हो जाय एजुकेशन के मामले में तब तक पब्लिक स्कूल बन्द न किये जायं । यह ठीक है कि मिशनरीज का जो रेलीजस (धार्मिक) एजूकेशन देने का तरीका है वह बन्द कर देना चाहिये । दूसरा मेरा यह भी मत है कि इनको कोई ग्रांट नहीं देनी चाहिये । जो सक्षम लोग हैं वह पैसा खर्च कर के अपने बालकों को पढ़ाये । मैं माननीय जगदीश गांधी की इस बात से भी इत्तफाक नहीं करता जो उन्होंने शिक्षा कर की बात कही । संविधान में शिक्षा निःशुल्क देने की बात है। सरकार की बड़ी भारी जिम्मेदारी है मनुष्य को शिक्षित करने की । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बजट का जो रुपया सरकारी अफसरों के सिर्फ वेतन में जाता है उसका बहुत बड़ा अंश काट कर के शिक्षा के ऊपर व्यय करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ माननीय सच्चिदानन्द गुप्त ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और इस संशोधन के मुताफिक हूं कि जब तक सरकार सक्षम न हो जाय शिक्षा के मामले में तब तक पब्लिक स्कूल बन्द न किय जायं ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

मैं क्लोजर मोशन पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं। काफी बहस इस पर चल चुकी है। अभी और महत्वपूर्ण प्रश्न पेश होने को हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसकी बहस बन्द की जाय। मैं क्लोजर मूव करता हूं। अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन, आखिर यह लोग क्या चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

यह निष्कर्ष आप स्वयं निकाल लीजिये।

(श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बलवीर सिंह---

आपने तो मुझे पहले बुलाया था।

श्री अधिष्ठाता---

आपने तो क्लोजर मूव किया था।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)---

अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश और प्रदेश में बच्चों और नवयुवकों के ऊपर शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो विदेशी सभ्यता का असर हमारे बच्चों पर आज पड़ रहा है उसे रोका जाय। शिक्षा ऐसी हो जिससे कि हमारे बच्चे अपने देश की सभ्यता को समझें और उस पर अमल करें। हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन का हर एक सदस्य इस बात की जानकारी रखता होगा कि हमारे देश का सिद्धांत वेदों के आधार पर बनाया गया है। हमारे वेदों के आधार पर मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है।

(इस समय 3 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुए)

25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह कर, कठिन तपस्या, साधना का जीवन व्यतीत करके विद्याध्ययन करे और 25 वर्ष बाद गृहस्थ आश्रम में आए। फिर वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में आये। यह था हमारे प्राचीन भारत वर्ष का सिद्धांत। मैं नहीं समझता कि आज हजार में से 999 विद्यार्थी इस बात की जानकारी रखते होंगे। मुझे एक बार इस बात का सुअवसर मिला, ज्वालापुर के गुरूकुल में जाने का। हम वहां गये और दिन भर ठहरे। उन विद्यार्थियों के साथ भोजन भी किया। यह बात मैं 25 साल पहले की कह रहा हूं। वहां के विद्यार्थियों के रहन-सहन और खाने-पीने के बारे में जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि आज भी उन सिद्धातों का पालन करते हैं जो प्राचीन काल में हमारे देश में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। वहां वह विद्यार्थी न तो जूता पहन सकता है, न चारपाई पर सो सकता है, न छाता लगा कर चल सकता है और न घी आदि चिकनी चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। वह नंगे पैर चलता है या खड़ाऊं पहन कर चलता है, इस प्रकार वह कठिन संयम और तपस्या का जीवन व्यतीत करता है 25 वर्ष तक। मुझे याद है हमारे

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

देश के रहने वाले और अधिकतर हिन्दू समाज के लोग तथा दूसरे धर्म के लोग भी इस बात की जानकारी रखते हैं। अभी हमारे देश में श्री तुलसी दास जी महराज की रामचरित चतुश्ती मनाई गई है, उनके मानस क अनुसार राम क प्रति श्रद्धा-भक्ति के लिये बजरंगबली हनुमान जी ने उन्हें प्रेरित किया। तो उन बजरंगबली के पिता का नाम था---पवन कुमार। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह गुरूकुल में विद्याध्ययन कर रहे थे, तो उस समय ऐसा नियम था जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर विद्या पढ़ता था उसको एक डिप्लोमा मिलता था और उसके बाद 36 वर्ष तक के लिये और फिर 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य रहकर पढ़ने का एक डिप्लोमा कोर्स था। तो इस तरह से डिग्री मिलती थी। तो जब वह दूसरी डिग्री में प्रवेश कर रहे थे तो एक बार वह अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में घूमने गये। जब वह वन में गये तो उन पर उधर से एक शेर झपटा और उन्होंने उस शेर के आगे और पीछे के [illegible] पैर पकड़ कर उसे चीर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि गुरु जी को यह पता न होने देना कि हमसे ऐसी गलती का काम हो गया है। किन्तु उसके बाद 2-4 दिन बाद किसी तरह बच्चों ने गुरु जी से इस विषय पर चर्चा कर दी कि उसने इस काम को किया है। इस पर गुरू जी ने उस छात्र पवनकुमार को प्रेम किया और उसके नाम के आगे "केशरी" जोड़ दिया, इसीलिये बजरंग बली को केशरी नन्दन भी कहा जाता है। तो हमारे देश का इतिहास बताता है हमारे देश के एक निहत्थे विद्यार्थी ने जंगली शेर को चीर दिया था। इतना ही नहीं अभी हाल ही की बात है, हमारे देश में एक श्री जसवन्त सिंह थे, जिनको एक नवाब ने पिंजड़े में बन्द शेर से लड़ने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है कल हो जायगा। अगले दिन जैसे ही वह शेर पिंजरे में लाया गया, जसवन्तसिंह से कहा गया कि अपना शर निकालिये, उन्होंने कहा कि मेरा शेर तो है, आप अपना शेर छोड़िये। जब शेर छोड़ा गया तो उन्होंने अपने लड़के से कहा जो 16-17 वर्ष का किशोर बालक था, कटार लेकर शेर के मुकाबले में कटहरे में जाने लगा, तो जसवन्त सिंह ने कहा कि यह क्या बात? निहत्थे शेर के ऊपर हथियार लेकर जा रहे हो? उसने खाली हाथ शेर से मल्ल युद्ध किया और शेर के दो टुकड़े करके फेंक दिये। यह हमारे देश की शिक्षा थी। यह उस वक्त की बात है जब हमारे मुल्क में ब्रह्मचर्य का पालन होता था, वीर पैदा होते थे। आज हमारे देश की जो शिक्षा है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करके शारीरिक शक्ति बढ़ाने में हजारों में मुश्किल से एक-आध विद्यार्थी मिलेगा।

श्री बंशीर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अब दलबदलू पैदा होते हैं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि---

अब तो बाल अधिक बढ़ायेंगे, विदेशी सभ्यता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है हमारे भारत-वर्ष की शिक्षा और सभ्यता का पतन ह्वास हो रहा है। मेरे एक मित्र थे। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। इसी सदन में रहे विधायक। वह डिप्टी मिनिस्टर भी रहे। उनके नाम के पीछे शास्त्री भी लिखा है। जहां तक मेरा ख्याल है गुरूकुल, ज्वालापुर की प्रबन्धक समिति के वह सदस्य भी हैं। आज भी हैं। तो एक बार उनक साथ कार पर मुझे बाहर जाने का अवसर मिला। मुझे आश्चर्य हुआ। जब वह कहने लगे ड्राइवर से कि यूनि-वर्सिटी के सामने ताल्लुकेदार कालेज ले चलो। जब वहां पर हम लोग गये तो उनका पुत्र उसमें पढ़ता था। 12-13 साल की अवस्था थी। उनसे मिले। कुछ बात समझायी। मेरे साथ शाहजहांपुर या पीलीभीत की तरफ जा रहे थे। रात को एक डाक बंगले में ठहरे। मैंने पूछा कि शास्त्री जी आप ज्वालापुर में प्रबन्धक समिति में है गुरुकुल की उसके सदस्य भी हैं शायद आपका लड़का वहां ताल्लुकेदार कालेज में पढ़ता है। तो वह कहने लगे कि वहां शिक्षा अच्छी मिल जाती है बच्चों को जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है यह बड़े खतरे की चीज

है। हमारे देश में जितना भ्रष्टाचार, जितना रिश्वतखोरी, कत्ल, डाका, चोरी, जितनी चीजें आज तेजी से बढ़ रही हैं इसका मूल कारण शिक्षा का तरीका है। उस शिक्षा में भारतवर्ष के सिद्धांतों को नष्ट करके विदेशी सभ्यता के आधार पर जो चीजें लायी जा रही हैं, विनाशकारक है यह बड़ा जरूरी था, मुनासिब टाइम पर यह संकल्प गुप्ता जी ने रखा है। यह बहुत पहले आ जाना चाहिये था। मैंने देखा है, बड़े अच्छे परिवार के लड़के ब्राह्मण परिवार, बड़े बड़े उच्च जाति के लड़कों को देखा है, उन्हें शराब के नशे में माग में उल्टी करते हुए देखा है। सिगरेट तो खुले तौर से पीते हैं। उसमें बंदिश कौन करे? वह अफसर लोग हैं। वह भी ताल्लुकदार कालेज, लोरेटो कानवेंट, ला मार्टीनियर कालेज से पढ़े हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। वह नहीं जानत कि हमारा कल्चर या सभ्यता क्या थी। ऐसे लोग जो सचिवालय या दूसरी जगह बड़े,बड़ अफसर हैं भले ही उनको जानकारी हो क्योंकि किताबें पढ़त हैं लेकिन उन्होंन अमल करन का तरीका सीखा नहीं। यह तो भारतवर्ष का सिद्धांत है बुराइयों से बच कर तप करना, तप का मतलब आग तापने का नहीं है।

बुराइयों से मन को हटाकर मनुष्य जब अच्छाइयों की ओर ले जाता है इसे तप कहते हैं। चरित्र का जो पतन आज हमारे देश में बच्चों तथा नौजवानों में हो रहा है इसका मूख्य कारण है शिक्षा का दूषित होना। श्रीचन्द्र अग्रवाल जी ने ठीक ही कहा था उनका सुझाव मुनासिब ही है कि इन स्कूलों को समाप्त करके धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय। आज भी ऐसे स्कूल हैं कि हरिजन लड़के विशेषकर भंगी के बच्चे प्रवेश पाते हैं तो उनको अलग बैठाया जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश की कन्याओं पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। प्राचीन भारत में तो गार्गी आदि ऐसी महिलायें होती थीं जो बड़े-बड़े महर्षि तथा मुनियों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो मिश्र जी की स्त्री ने कहा कि स्त्री पुरुष की अर्द्धांगिनी होती है उन्होंने अभी आधे भाग को ही हराया है उसे भी उसको हराना होगा। शास्त्रार्थ हुआ तो शंकराचार्य मंडन मिश्र की स्त्री को नहीं हरा सके। इस तरह की महिलायें हमारे देश में हो गयीं। लेकिन आज जैसे-जैसे शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है समाज विनास की ओर जा रहा है। बड़ा हुआ महल बन गये लाखों रुपये के बैंक बैलेंस हो गये चांदी और सोने के चमचों से उनके बच्चे खाना खाने लगे लेकिन हमारे देश का चारित्र नष्ट हो गया देश का पतन हो गया।गुलामी के समय में भी हमारे देश में अधिक अच्छे नागरिक थे लेकिन आज आजादी के जमाने मे हम गिर चुके हैं। किसी जमाने मे हिन्दुस्तान सारी दुनिया का गरु कहलाता था लेकिन आज हमारे चरित्र का ह्रास हो चुका है। मैं महाभारत काल की एक गाथा बतला दूं। कौरवों ने पांडवों को लाख के मकान में ठहराकर उसे जलाने की योजना बनाई थी। अब आग कौन लगाये? कौरवों के घर में एक भंगी सफाई करने आता था। सोचा भंगी लालच में आ जायेगा। उससे कहा कि तुम आग लगा दोगे तो बहुत सा धन मिलेगा। भंगी ने कहा कि एक घंटे की मोहलत उसे दी जाय। उसने घर जाकर स्त्री से कहा कि कौरव उसे अपार धन देना चाहते हैं अगर वह लाख के मकान में आग लगा दे। उसकी स्त्री ने उस समझाया ऐसा करने में हजारों योनियों तक इसका फल भोगना पड़गा लिहाजा एसा जघन्य पाप मत करो। इस जगह को छोड़ दो। हम जंगलों में रह कर सूखी घास से पेट भर लेंगे। लेकिन ऐसा अपराध नहीं करेंगे शास्त्रों के आधार पर और सिद्धान्तों के आधार पर उक्त महिला ने ऐसा उपदेश दिया। एक जमाना था जब हमारे मुल्क की महिलायें इस प्रकार की थीं। आज हम देखते हैं कि सिनेमा के सामने और गंज में तथा बड़े-बड़े बाजारों में हमारे सीता और सावित्री के मुल्क में लड़के और लड़कियां एक साथ घूमते फिरते हैं। इस सबका एक ही कारण है कि हमारी शिक्षा की प्रणाली त्रूटिपूर्ण है। इसलिये जो यह सुझाव आया है वह बहुत ही अच्छा है इसके लिये मै गुप्ता जी को बधाई देता हूं।

*श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)

कायम मुकाम स्पीकर साहब मैं इस रिजोल्यूशन के ऊपर जो कि गुप्ता जी ने पेश किया है उसकी तायीद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमार मूल्क को आजाद हुये 25 वर्ष हो गये। हमारे मुल्क के जो बुनियादी उसूल थे मजहबी और सियासी जहां स कि ऊंच-नीच क मिटान की बुनियाद कायम होती है मझे अफसोस है कि आज 25 साल गुजरने के बाद वह निजामन बन सका और वह हुकूमत न बन पायी। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बेसिक और बुनियादी जो चीज है जो कि इंसान के लिये जरूरी है वह है एजूकेशन, वह है तालीम, और उस तालीम का निजाम कोई भी सरकार हो, वही कायम करती है। आज जब हम उसका नक्शा दखत ह तो वे लोग तांल्लूकेदार कालेजों में, काल्विन कालेजों और दून कालेज में तालीम हासिल कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वे वह लोग हैं जो छूत कहलाये जाते हैं। वे वह लोग हैं जिनके पास खेती या और कोई दूसरी चीज नहीं है। मेरे अंदाजे में इस सूबे की यह बद-किस्मती है कि आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब वक्त आया है, ध्यान आ सकता था, इस तरफ काम किया जा सकता था लेकिन फिर भी गफलियत हो रही है। अभी बक्त नहीं गया, वक्त है। इस तरफ कुछ काम किया जा सकता है। वजीरे आजम इंदिरा गांधी कैसे हुकूमत कर सकती हैं। बहुत सी कंपनियों को बन्द करना पड़ा और बहुत से कामों को नेशनलाइज करना पड़ा। इसके अलावा भी जैसे-जैसे जरूरतें पेश आती रही निजाम को चलाने के लिये, डैम बनाने के लिये, बड़े-बड़े बिजली घर बनाने के लिये, सड़कें बनाने के लिये और बड़े बड़े दफ्तर बनाने के लिये क्या-क्या किया गया। जितनी भी जरूरतें पेश आई उनका इन्तजाम किया गया। लेकिन अफसोस है कि जो बूनियादी हक था उस तरफ ध्यान नहीं गया और आज भी गरीब के बच्चे चाहे वह कितना ही काबिल हो काबलियत होते हुये भी पसा न होने की वजह से अच्छी तालीम नहीं दे पाते। जाहिर है वे कैसे किसी कम्पीटीशन में आ सकत ह और जब वह किसी कम्पीटीशन में नहीं आ सकते तो मसवात और बराबरी के जजबात उनमें पैदा नहीं हो सकते। जो उनका बुनियादी हक था वह उससे महरूम हो जाते हैं। हम आज अब इस वक्त का हाल देख रहे हैं कि सरकार ने बेसिक एजूकेशन को अपने हाथ में लिया है जो एक बहुत ही अच्छा कदम है और मैं उसको सराहना करता हूं। लेकिन अफसोस यह है कि वहां भी जब कई संस्थाओं में हम जाकर देखते हैं कि निजाम में तो तबदीली आयी लेकिन वहां टाट पट्टी नहीं है, टीचस के लिय मेज कुर्सी नहीं है। टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है। यही नहीं बल्कि ऐसा भी है कि ज्यादातर इमारतें भी नहीं हैं, फिर कहां बैठा जाय, कहां पढ़ाया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है? वह तरीका जो हमारे अन्दर खलीज पैदा करता रहा, ऊंच, नीच और नाबराबरी का जजबा पैदा करता रहा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। मेरा ख्याल है कि उसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊप है जो गरीब को गरीबतर और रईस को रईसतर बनाते रहे हैं और नारा यह दे रहे हैं कि गरीबी को हटा रहे हैं। यह फरेबकारी अब नहीं चल पायेगी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी संस्थायें जिनमें बहुत खर्च करने पर वह तालीम हासिल हो सकतीं है उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहां कोई गरीब का लड़का एजूकेशन नहीं पा सकता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार इन संस्थाओं को ऐसा बनावें कि एजूकेशन एक तरीके का हो सके और सब को एक सा एजूकेशन मिले और किसी को इस बात की हसरत न रह जाय कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिये हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाये। जरूरत इस बात की है कि हर एक को पढ़ने का मौका मिले, तथा पढ़ने के बाद किसी को भी कम्पीटीशन में बैठने का मौका मिले। किसी को इस बात को कहने का मौका न मिले कि हमार पास पैसे नहीं थे इसलिये हम अपने लड़के को तालीम नहीं दे सके। हम चपरासी थ इसलिये अपने लड़के को नहीं पढ़ा सके और जो आई0 ए0 एस0 थे उन्होंने अपने बच्चे को आई0ए0एस0 होन

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

की वजह से पढ़ा लिया। जब यह ऊंच-नीच का भेदभाव दूर होगा तभी इस देश की तरक्की हो सकेगी। इन अल्फाज के साथ आखिर में मैं यह कहता हूं "ये इल्म के जीने हैं, इन पर बशर सदियों से चढ़ता चला जाता है और बाम नहीं मिलता।" मैं इस रेज्योल्यूशन की ताईद करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)

मान्यवर, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

थोड़ी देर पहले क्लोजर मूव हो चका है, बाद में प्रश्न उपस्थित किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

अजेंडे पर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रेज्योलूशन है।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है लेकिन अभी चलने दीजिये। अभी बोलने वालों की संख्या काफी मालूम पड़ती है इसलिये उनको बोलने दीजिये। अगर कोई दिक्कत की बात हो तो आप बाद में क्लोजर मूव कर दीजिएगा प्रश्न उपस्थित कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

दूसरे प्रस्ताव पर बोलने वालों की संख्या दुगुनी होगी।

श्री अधिष्ठाता---

जहां तक इस प्रस्ताव के महत्व का सवाल है वह तो अपनी जगह पर है। यह भी है और दूसरा भी महत्व का है लेकिन अभी काफी तादाद में जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और इसमें कोई परेशानी व दिक्कत की बात नहीं है, इसलिये आप अभी उनमें से दो एक को बोल लेने दीजिये। अगर आवश्यक होगा तो बाद में प्रश्न उपस्थित कर दिया जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

इस पर बोलने के लिये आप समय तो बांध दें।

श्री अधिष्ठाता---

समय का तो यह है कि 15 मिनट से ज्यादा भाषण नहीं चल सकता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस समय में कमी कर दी जाये।

श्री अधिष्ठाता---

15 मिनट का समय है। माननीय शफीक अहमद साहब बोले, उन्होंने 10 मिनट में अपना भाषण खत्म कर दिया। 15 मिनट से आगे नहीं बोलने दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन्, हमारा निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य के लिये 5-5 मिनट का समय रखा जाये।

श्री अधिष्ठाता---

समय तो 15 मिनट का है। लेकिन यह माननीय सदस्य की इच्छा है, यदि वे चाहें तो अपने भाषण को जल्दी खत्म कर दें।

*श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)---

माननीय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया। मैंने सदन के दोनों पक्षों के भाषणों को सुना दोनों तरफ के भाषणों में एक बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि आज शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा संकल्प है, हमारा लक्षय है कि हम अपने देश में ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो समता के सिद्धान्त पर आधारित हो। लेकिन ऐसे समाज की रचना करने के लिये शिक्षा का ढांचा क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, यह अत्यधंत आवश्यक प्रश्न है। आज जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वही शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। अगर हमने उसको पूरा नहीं किया तो हमको बड़ा खामियाजा भुगतान पड़ेगा।

इस संकल्प के दो हिस्से हैं। पहले भाग में यह कहा गया है कि समता और बराबरी लाने के लिये राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दी जाये। इसका दूसरा यह है कि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और समान रूप से देने की व्यवस्था की जाये। जहां तक पहले हिस्से का सवाल है, वह राज्य सरकार की शक्ति से परे की बात है कि वह किसी संकल्प द्वारा इन स्कूलों के संचालन में प्रतिबन्ध लगा सके। पब्लिक स्कूलों का संचालन मायोनिरिटीज द्वारा हो रहा है और संविधान ने गारंटी दे रखी है कि वह ऐसे विद्यालयों का संचालन करे। इसको केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि अगर इन स्कूलों को बन्द कर दिया जाये तो फिर कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये, कोई विकल्प होना चाहिये। वैसे मैं इन स्कूलों को चलाये चाने का कतई हामी नहीं हूं और माननीय सदस्यों की भावना बिलकुल सही है कि इस तरह के स्कूलों के चलने से समाज में खाई बढ़ रही है और भेदभाव बढ़ रहा है। हम उन पर रोक लगा दें लेकिन रोक लगाने से पहले जब तक हम कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक रोक लगाने से समानता नहीं आयेगी। इसके लिये शासन को वैकल्पिक स्कूलों की स्थापना करनी चाहिये। लेकिन इसमें धन का सवाल सामने आयेगा कि इतना धन कहां से आयेगा। चाहे शासन को इसके लिये जनता के ऊपर अतिरिक्त कर लगाना पड़े तो उसमें शासन को हिचकना नहीं चाहिये क्योंकि अगर हम देश में अच्छे स्कूलों की स्थापना कर सकेंगे तो अपने यहां अच्छे नागरिक भी पैदा कर सकेंगे।

आज प्राथमिक स्कूलों की स्थिति सबके सामने है और सब जानते हैं कि हमारी प्राथमिक पाठशालायें किस प्रकार से चल रही हैं। उनके भवनों की हालत बड़ी दयनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे पर्वतीय प्रदेश में जो अधिकतर पाठशालायें शिक्षा परिषद् द्वारा चलाई जाती हैं वहां की हालत यह है कि वहां के अध्यापकों को 8–8 और 10–10 मास से वेतन नहीं मिल रहा है और कितने ही विद्यालय ऐसे हैं कि जिनके अपने भवन नहीं हैं। वहां ऐसी भी बहुत सी प्राइमरी पाठशालायें हैं कि जो सप्ताह में केवल दो तीन दिन ही खुलती हैं और जहां से ज्यादातर अध्यापक नदारद रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम केवल परम्परा को पीट रहे हैं और यह केवल नाममात्र के स्कूल हैं। यदि हम चाहते हैं कि देश में हम ऐसे नागरिक पैदा करें जो इस देश की सेवा कर सकें और उस का नाम आगे बढ़ा सकें और हमारी भावी योजनाओं को सफल बना सकें। तो हम बुनियादी तौर पर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी।

आज अच्छी पाठशालाओं का न होना, अच्छे अध्यापकों का न होना और वहां से अच्छे छात्रों का निकल पाना, कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में हमेशा असन्तोष का कारण बनी रहेंगीं। इसके लिये यह जरूरी है कि हम राज्य की जनता की शिक्षा के लिये बजट में निश्चित धनराशि का प्राविधान करें। हमारी केन्द्रीय सरकार ने अभी तक केवल 6 प्रतिशत बजट का शिक्षा के लिये रखा है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर सारे देश का विकास और प्रगति निर्भर है उसके लिये यदि इतनी कम धनराशि का प्राविधान होगा तो हम शिक्षा की उचित व्यवस्था न कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकेंगे। हम इतने से यह आशा नहीं कर सकते कि हमारे यहां अच्छे भावी नागरिक निकलेंगे। आज शासन सारी प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में ले ले। जो अभाव जिला परिषदों के पास है वह सब जानते हैं और पिछले 5–6 साल में इन प्राइमरी शिक्षण संस्थाओं में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस गति से वह पहले चल रहे थे उसी गति से बेसिक शिक्षा के माध्यम से वे आज भी चल रहे हैं। हम समझते थे कि एक संस्था से दूसरी संस्था को देकर हमने कोई बुनियादी परिवर्तन कर दिया है लेकिन यह हमारी भूल है। जब तक उनके पास साधन न हों और उनका सदुपयोग न हो तब तक उससे बड़ा लाभ नहीं होने वाला है।

पिछली बार जब यह संकल्प आया था तो यहां से निकलने वाले एक दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड ने एक सम्पादकीय लिखा था और उसमें सम्पादक ने लिखा था कि यह कहना आसान है कि कुछ स्कूलों को बन्द कर दिया जाय लेकिन ऐसा कहना तब तक साथक नहीं होगा जब तक कि हम अन्य सार्वजनिक स्कूलों की उत्तम व्यवस्था न कर दें और उनके लिये संसाधन न जुटायें और वहां अच्छे अध्यापक न हों। केवल इस तरह की बात करने से समाज को लाभ न होगा। यह सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता होनी चाहिये और समाजवादी व्यवस्था म यह बहुत आवश्यक है। हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि हम किस चीज पर रोक लगा रहे हैं और रोक लगाने से पहले हम आलटरनेटिव साधन जुटा लें ताकि उस दूसरी व्वयस्था में समाज के छोटे वर्ग को समान रूप से उसका लाभ दे सकें।

कहा जाता है कि आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसर इन पब्लिक स्कूलों से मिलते हैं। अगर शिक्षा का लक्ष्य हम केवल यही समझें कि केवल इन शिक्षा संस्थाओं से हमें आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसर निकालना है तब तो बात दूसरी है लेकिन शिक्षा का लक्ष्य केवल बाबू, अफसर या अध्यापक पैदा करना ही नहीं है, यह तो मेकाले की पुरानी पालिसी की देन है कि हमारे पढ़े लिखे लोग केवल नौकरियों की तरफ दौड़ते हैं। आखिर इतनीं नौकरियां नहीं हैं कि आप हर शिक्षित आदमी को दे सकें। शिक्षा की बुनियाद का ढांचा ऐसा होना चाहिये कि शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त वह इस योग्य बन सके कि स्वयं कोई उद्योग धन्धा खड़ा कर सके और आत्म निर्भर हो सके ऐसा न हो कि हाई स्कूल इन्टर पास करके छोटी-मोटी नौकरी के पीछे भागता फिरे। अगर यही व्यवस्था रही तो आराजकता की बुनियाद अवश्य पड़ जायगी। आज समस्त युवक वर्ग में बहुत बड़ा असन्तोष है और उसका मूल कारण शिक्षा की व्यवस्था है। हमारी शिक्षा जिन सिद्धान्तों पर आधारित है, वे अब आउट आफ डेट हो गये हैं और यदि उन्हीं के माध्यम से आपने शिक्षा संस्थाओं को चलाने का प्रबन्ध किया तो बहुत बड़ी निराशा हाथ लगेगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि शिक्षा के बुनियाद वसूलों में परिवर्तन करने के के संबंध में कुछ सोचे और इस बात को हृदयंगम कर लें कि जो असंतोष उभर रहा है शिक्षा के जगत में, उसे कैसे नियंत्रित किया जाय। किस रचनात्मक दिशा में हम डाल सकते हैं। यह कार्य प्राइमरी स्तर से हो क्योंकि हमारे बच्चे जो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको पढ़ाई का जो करीकुलम है, उसमें बुनियादी तौर पर यह नहीं है कि जो किसी देश के नागरिक को राष्ट्र-भक्त और देश भक्त बनाता हो। इनके करीकुलम में उन बातों का समावेश नही है जिनसे कोई नागरिक बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्राथमिक स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिये प्रार्थना करूंगा कि वे एक योजना उपस्थित करें और उसके लिये यदि सरकार को राष्ट्र के नागरिक पर कर भी लगाने की बात आये तो हमें सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिये।

*श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, हमारे माननीय सच्चिदानन्द जी ने इस शिक्षा के संकल्प को लाकर हमें संविधान की धाराओं के प्रति जागरूक किया है, उनकी याद दिलायी है। हमारे संविधान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

दिया हुआ है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिये और हम सब इस सफल प्रयास में लगे हुये हैं कि हमारे देश और प्रदेश में एक ऐसा अवसर आये लेकिन ये इससे भाग जाते हैं। आज भी हमारे प्रदेश में पब्लिक, नरसरी स्कूल्स आदि खोल दिये गये हैं जिनमें हमारे गरीब बच्चों का पठन-पाठन नहीं हो सकता है और सर्विसेस में इन मामूली स्कूलों में पढ़ कर नहीं आ पाते हैं। यह सरकार कहती है कि हरिजनों और पिछड़े लोगों के बच्चे रिजर्वेशन में भी नहीं आ पाते हैं और उनका कोटा भी पूरा नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है! आपने प्रदेश में 2 प्रकार की शिक्षा का ढंग बना रखा है जिससे हमारे देहात के गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और हमारा कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हम यह कारण जानते हैं तो यह आवश्यक है कि गरीब आदमी के बच्चे, जिनके लिये संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि उनको समान अवसर मिलने चाहिए, तो इस प्रकार के अवसर क्यों नहीं दे रहे? धारा 45 में, संविधान की, लिखा है कि 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए।

हमारे यहां पर जो बड़े-बड़े विद्यालय खोले गये हैं, खर्चीले विद्यालय खोले गये हैं, इन विद्यालयों में हरिजनों का और पिछड़ी जातियों के बच्चों का कोई कोटा निश्चित नहीं कर रखा है, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिससे वे इनमें दाखिला प्राप्त कर सकें। अगर सरकार यह चाहती है कि गरीब और अमीर की खाई मिटे और गरीब और दूसरे वर्ग के लोग भी आ सकें और देहात में भी स्वतन्त्रता का आनन्द आ सके तो क्यों नहीं ऐसा लागू कर देते ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमारा बच्चा जिस प्रायमरी स्कूल में पढ़ता है, वहां बैठने के लिये टाट भी नहीं है, अध्यापकों के लिये कोई फर्नीचर नहीं है। कैसे गरीबों के बच्चे हमारे शहरों के बच्चों के मुकाबले में आ सकेंगे? कैसे वे फारेन में जा पायेंगे। अगर आप चाहते हैं कि समान अवसर, जो संविधान में हमको मिला है, वह हमें प्राप्त हो सके, तो देहात के बच्चों के लिये ऐसा वातावरण पैदा करें कि प्रजातंत्र में वह आगे बढ़ सकें। हमारे डा0 अम्बेदकर जी ने लिखा है कि सभी बालकों को समान अवसर मिलना चाहिये। तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका आदर करें और उसको सर्वसम्मति से पास कर और दुनियां को दिखला दें कि हम वास्तव में समानता लाना चाहते हैं। हम उसके अगुवा बनें। मान्यवर, आप देखें कि आज समाजवाद का नारा लगाया जाता है। नारा किया जाता है कि हम समानता लावेंगे। संविधान में लिखा है कि सबको समानता का अधिकार है मैं इस सदन के माध्यम से चाहता हूं कि संविधान में दिये उस अधिकार का संरक्षण किया? हम देखते हैं कि कहीं-कहीं उच्च शिक्षा संस्थाओं में ट्यूशन का प्राविधान रखा गया है। गरीबों के बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, उनके लिये कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती धनाभाव के कारण। बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि अध्यापकों को एजूकेशन के हिसाब से वेतन दिया जाता है।

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप भी यहां ऐसा क्यों नहीं करते कि अध्यापकों को एजूकेशन के हिसाब से वेतन दिया जाय प्रायमरी और जूनियर हाई स्कूलों में ताकि हमको योग्य और पढ़े-लिखे अध्यापक मिल सकें। अगर यह व्यवस्था यहां भी कर दी जाय, तो हमारी बच्चों की और अच्छी शिक्षा हो सकेगी। बिहार में अच्छे अध्यापक जाते हैं और वहां अच्छी तालीम दी जाती है। यहां पर आपने रोक लगा रखी है कि 40/50 बच्चों पर दो मास्टर देंगे। कम से कम क्लासवाइज अध्यापक रख सकें, ऐसा क्यों नहीं रखते ताकि वे अच्छी तालीम दे सकें। आज बड़े-बड़े विद्यालयों को संरक्षण दे रहे हैं। दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम समानता लाना चाहते हैं। तो क्या यह ढोंगमात्र नहीं है? समानता का अधिकार सबको है, यह कोई नयी बात नहीं। यह तो संविधान की प्रस्तावना में दिया है। इसलिये आप इसको अलग करें। मैं माननीय सदस्यों से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो संकल्प लाया गया है गुप्ता जी द्वारा, उसका स्वागत करें और उसे सर्व-सम्मति से पास करें।

*डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे श्री सच्चिदानंद गुप्त के प्रस्ताव के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। माननीय श्री सच्चिदानन्द जी गुप्त का यह जो प्रस्ताव है यह वास्तव में एक बहुत सुन्दर मोटर कार के समान है। वास्तव में यह मोटर कार बहुत अच्छी है। ऐसी मोटर कार के लिये जिस पेट्रोल की आवश्यकता है, समाज की परिस्थितियों में, उनका जो भाव है, वह माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि उनके इस प्रस्ताव के लाने के पीछे क्या भावना निहित है। यों यह प्रस्ताव देखने में बहुत ठीक है, बहुत सुन्दर है और अगर हम इसका समर्थन न करें तो हमारे ऊपर यह दोषारोपण किया जायेगा कि हम समाजवादी कदम जो हमारे समाज को और हमारी सरकार को उठाना चाहिये उसको पूरा करने के लिये, हम कृतसंकल्प नहीं हैं। परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वास्तव में बात यह है कि समाज के अन्दर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो विश्वास पर आधारित हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा धर्म और तीसरी चीज है चिकित्सा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

और बेईमानी भी.....

डाक्टर श्यामकिशोर--

इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। यह तीन चीजें ऐसी हैं जो विश्वास पर आधारित हैं। अभी हमारे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने कि किस प्रकार यहां शिक्षा का बूषण योरुप से लाकर पैदा किया गया और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की गई, इस पर विशुद्ध रूप से प्रकाश डाला है। मुझे उस पर पुनः प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु आप देखें कि उन्हीं विश्वासों को समाज के अन्दर अपने फायदे के लिये इस्तेमाल करने के लिये, अपने शोषण के लिये उन्होंने हमारी इन तीनों चीजों के ऊपर अधिकार करने की दूरभि-संधि खड़ी की। उन्होंने उस शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। चिकित्सा को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया और धर्म के विषय में जो परिस्थितियां हमारे देश में चल रही हैं उससे भी आप लोग अवगत हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केरल में जब वहां पर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात हुई थी तो वहां पर जिस प्रकार का आन्दोलन हुआ था वह आपसे छिपा नहीं है.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

छिपा हुआ है, आप बताइये।

डाक्टर श्याम किशोर--

जब हमने प्राइवेट प्रेक्टिस पर बैन करने के लिये कदम उठाया तो उसके लिये हमारे सम्मानित साथियों ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है वह आपसे छिपा नहीं है और विषय में आप लोग कितने मुखर और प्रखर हैं यह आप तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा समाज शिक्षा के विषय में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से धीरे-धीरे समाजवादी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप यह जो प्रस्ताव लाये हैं बहुत सुन्दर है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे जो इसी प्रकार के प्रस्ताव हैं कदम हैं हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे उन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में हमको सहयोग दें।

एक सदस्य--

वह प्रस्ताव क्या है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर श्याम किशोर---

चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का जो कदम उठाया है क्या वह समाजवादी कदम नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, यह शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बहस हो रही थी, चिकित्सा की बात कहां से आ गई ।

डाक्टर श्याम किशोर---

यह कोई विषयान्तर नहीं है । यह समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक कदम है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपकी नीति को अमल में लाने के लिये हमने दूसरे प्रस्ताव रखे हैं । कृपया आप अपने मेम्बरों से कहें कि हमारा साथ दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हम तो नेगी जी से कहेंगे कि वह हमरा साथ दें ।

डाक्टर श्याम किशोर---

जिस समाजवाद की हम बात करते हैं, उसके लिये उन कदमों को उठाने के लिये हमको उसी प्रकार सहयोग दें जिस प्रकार आप यह चाहते हैं कि हम आपके इस प्रस्ताव पर आपको पूर्णरूप से समर्थन करें । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी भी यही कल्पना है जो आपके इस प्रस्ताव में है । हमारा भी यही स्वप्न है । हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार की शिक्षा के संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नाम पर चल रहे हैं और हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं । हमारी संस्कृति की भी उनसे अधोगति हो रही है । वे हमारी समाजवादी समाज की संरचना में सहायक नहीं होंगी । इसीलिये हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं परन्तु हमारे मित्र खां साहब ने कहा था कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार पर है तो इन चीजों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं हुआ करती । हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां आज हैं और जो गरीबी व्याप्त है उसमें सरकार जो वह कदम पहले उठाने हैं जिनकी आज आवश्यकता है और इस बात को आप भी माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे । हम बार-बार कहते हैं कि आपका प्रस्ताव बहुत सुन्दर है परन्तु इसको कार्यान्वित करने के लिये जितने धन की आवश्यकता है, जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है क्या उस धन को और परिस्थितियों को आगे बढ़ाने में, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने स्वयं सहयोग दिया ? क्या इन स्कूलों के खिलाफ, इन कंवेंट्स के खिलाफ आपने जन आन्दोलन खड़े किये और हमारा समर्थन मांगा ? अब आप हड़ताल करा देते हैं और अगर आप कहने के लिए क्षमा करें तो मैं कहूंगा कि गलत हड़ताल करा देते हैं और उनसे जो विसंगतियां पैदा होती हैं उन्हें आप सभी जानते हैं । उनमें आप हमारा सहयोग स्वीकार नहीं करते और सरकार को गलत परिस्थितियों में डाल देते हैं । इसीलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि समाज को गतिशील बनाने के लिये कौन कौन सी बातें आपने ऐसी की हैं जो हमारे प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में मदद करती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि समाज को गतिशील बनाने के लिए जो कदम आपने उठाये क्या उनमें उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया । जब हमने प्रिवी पर्स को समाप्त किया तो उसका विरोध किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसका विरोध किया, डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त किया तो उसका

उन्होंने विरोध किया । जब गल्ले के व्यापार को समाप्त करने की बात हुई तो उसका भी उन्होंने विरोध किया और माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि यही हमारे सहयोगी, जो इतना बढ़िया प्रस्ताव लाये हैं उस मोटर कार के समान जिसके पास पेट्रोल नहीं है, विरोध में खड़े होंगे, चौराहे पर नारे लगायेंगे, व्यापारियों को प्रश्रय देंगे और उनके साथ झंडा लेकर चलेंगे । गरीबी हटाने का सवाल है तो यह दायित्व क्या अकेले कांग्रेस का है अकेले इंदिरा गांधी का है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

माननीय डाक्टर साहब गरीबी हटा रहे हैं और हम अमीरी बढ़ा रहे हैं तो आप उपाध्यक्ष महोदय तय कर दीजिये. . . .

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय सदस्य इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं । वे तो यहां हैं भी नहीं । अगर उनको नाम लेना है तो पंडित जी का नाम लें ।

डाक्टर श्यामकिशोर--

कहिये तो आपका नाम ले लूं । आप भी पुराने सहयोगी हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या इनको भी घसीट कर ले जायेंगे ।

डाक्टर श्याम किशोर--

कच्चे धागे से बंधे आयंगे सरकार मेरे । मैं समझता हूं कि सुन्दर प्रस्ताव होते हुए भी अभी इसको कार्यान्वित करने का समय नहीं आया है । जैसा महीलाल जी ने कहा इसकी जो भावना है संविधान के अन्तर्गत उसको हमने पहले स्वीकार कर लिया है कि हम अनिवार्य शिक्षा को मान्यता देंगे । गांधी जी के जो विचार थे बेसिक शिक्षा के विषय में उनको भी हमने स्वीकार किया है और हम उन्हें कार्यान्वित हर प्रकार से कर रहे हैं ।

एक सदस्य--

कौन से गांधी जी की बात कहते हैं ?

डाक्टर श्याम किशोर--

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की । हमारे बन्धुवर जगदीश गांधी जी ने जो संशोधन रखा है उसके विषय में वे स्वयं बता देंगे । मुझे उसके विषय में कुछ नहीं कहना है। वह ठीक ही होगा । जो परिस्थितियां हैं उनको समझकर उन्होंने अपना वह संशोधन रखा है । हमारे सम्मानित सदस्यगण उन चीजों को देखें और अपने संशोधन को वापस कर लें और उसे सरकार की सद्भावना पर छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा । (धन्यवाद)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री मोहनलाल कपूर को पुकारने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, 2 मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो मैंने मोहन लाल कपूर जी का नाम ले लिया है ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्री सच्चिदानन्द जी के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि प्राथमिक शिक्षा पर जितना ध्यान इन 25 सालों में दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया । प्राथमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चे के ऊपर सबसे अच्छा असर पड़ता है क्योंकि उस समय वह अबोध होता है । ऐसे समय में अगर बच्चे को सही शिक्षा न मिले तो बच्चा उच्छृंखल होगा और वह समाज के विपरीत दिशा में जा सकता है । इसलिये प्राथमिक शिक्षा की ओर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये । इस दृष्टि से ही यह प्रस्ताव सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है ।

उपाध्यक्षजी, खर्चीले विद्यालयों का जिक्र किया गया है । मैं ऐसा समझता हूं कि इसका इशारा कुछ इस प्रकार के मांटेसरी स्कूलों या उन स्कूलों से है जो कनवेंट्स द्वारा चलाये जाते हैं । इसके अलावा नगरपालिकाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के द्वारा भी स्कूल चलते हैं। उनकी हीन अवस्था को सुधारने के लिये सरकार ने उन्हें ले लिया है । मेरे पूर्व वक्ता ने जो दृष्टिकोण रखा शायद वह इस कारण रखा कि हम लोग चाहते हैं कि सारे स्कूलों का सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए । मैं समझता हूं कि इसकी वह भावना नहीं है कि सरकारीकरण कर दिया जाये । प्रश्न यह है कि जितने प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय है उनमें एक पाठ्यक्रम हो और अध्यापकों का एक ही वेतन हो । उनके साधन एक से होने चाहिये । नगरपालिकाओं के स्कूलों में, निजी क्षेत्र के स्कूलों में और कनवेंट स्कूलों में भिन्नता नहीं होनी चाहिये और कोई भेद नहीं करना चाहिये । होता क्या है महोदय अगर अच्छे परिवार के बच्चे नगरपालिकाओं के स्कूलों में जाते हैं और कनवेंट के स्कूलों में नहीं जाते हैं तो उनमें हीन भावना पैदा होती है । हमारा भारत एक है और इसकी परम्परायें हैं । इसमें बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं । इस नाते बच्चों में एक सी भावना होनी चाहिये । आज तो नगरपालिकाओं और निजी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अन्दर एक हीन भावना उत्पन्न होती है । यहां पर माननीय मंत्री, बेसिक शिक्षा बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा बोर्ड का केवल उद्देश्य इतना ही नहीं है कि नगरपालिका और जिला बोर्ड के ही स्कूल आ जाएं । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कानपुर, मेरठ आदि आदि नगरों में जितने भी नगरपालिका व निजी क्षेत्र के स्कूल हैं और दूसरे भी स्कूल हैं उन सब स्कूलों के पाठ्यक्रम को देखें और उनमें जो अध्यापक हैं उनकी योग्यता को तय करें । उनकी जो नियुक्तियां हैं उनको देखें । उन्हें भविष्य निधि मिलती है या नहीं, इसको देखें । इन सब बातों पर सरकार का नियंत्रण जरूर रखें। मैं तो यह करना चाहूंगा कि इन लोगों को आपने इस प्रकार की छूट दे दी है कि उनका साम्राज्य स्थापित हो गया है।

यानी इस मांटेसरी के नाम से या प्राइवेट स्कूल के नाम से लोगों से यह सम्पर्क स्थापित कर लें और इन लोगों ने यहां तक किया है कि अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों को भी इसमें रख लिया है और उनसे फायदा उठाते हैं । सरकारी स्तर पर उनके द्वारा संबंध स्थापित करते हैं और अनुदान प्राप्त करते हैं । इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी पैसा प्राप्त करने का एम इनका रहता है । इन स्कूलों के नाम से ज्यादा जमीन चाहते हैं और भवन बनवाना चाहते हैं । इस तरह से लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है । अगर इन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं । तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि बच्चों में जो हीन भावना भिन्न-भिन्न स्कूलों में पढ़ने से पैदा होती है वह समाप्त होनी चाहिये। समाज एक है, ऐसी भावना बच्चों में आनी चाहिये। यह भावना इन पर आपका नियंत्रण होने पर ही आ सकती है। अगर कोई संस्था किसी अच्छे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उद्देश्य से किसी स्कूल का संचालन करती है तो उससे कुछ भला हो सकता है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाये गये स्कूलों से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि आपने जो बेसिक शिक्षा बोर्ड बनाया है उसके कारण कोई भी काम नहीं हुआ है। वहां केवल स्थानान्तरण की ही बात चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द से जल्द व्यवस्था करें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी जो बनाई गई है, वह बनाये, ग्राम लेवल पर जो कार्य करना है वह करें। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा में रक्खे गये हैं, उसी तरह से उप शिक्षा निदेशक रक्खें सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा अपने नियंत्रण में रक्खें। आपने नगर पालिका और जिला परिषद् के ही स्कूल लिये है यह कार्य अपूर्ण है। को सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये और उसकी देखरेख करनी चाहिये। तभी शिक्षा में सुधार हो सकेगा। हम बातें तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं कि राष्ट्रीय एकता आना चाहिये और समानता आनी चाहिये परन्तु यह राष्ट्रीय एकता और समानता तभी होगी जब सभी स्कूलों का वातावरण एक होगा। एक योग्यता के अध्यापक और अध्यापिकायें होंगी तभी एकता हो सकती है। मैं इन शब्दों के साथ शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि सारे प्राथमिक स्कूलों पर अपना नियंत्रण रक्खें जिससे अच्छे बच्चे पढ़कर निकल सकें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा प्रस्ताव है कि यह प्रस्ताव समाप्त हो। आप कहते हैं कि विरोधी पक्ष आपका साथ नहीं देता है। आज विरोधी पक्ष आपके साथ है। आप खुद इसको लायें और इसको समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

जब कोई कम्युनिस्ट बहस बन्दी चाहता है तो मैं खुली बहस की बात कहूंगा। अभी क्लोजर का प्रस्ताव हुआ तो बहुत से लोग खड़े हो गये। इससे जाहिर है कि लोग बोलना चाहते हैं। उसके बाद वोट लेंगे।

श्री जगदीश गांधी---

मेरा अमेंडमेंट भी है, उसके बाद मैं उस पर बोलना चाहूंगा।

*श्री राज मंगल पान्डेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी करीब एक मत होंगे कि इस देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वह जिस भी संप्रदाय के मानने वाले, जिस भाषा को पढ़ने वाले हों, सबको समानरूप से अवसर मिले समाज में ऊपर उठने का और यह भी निश्चित है कि ऊपर उठने के लिये शिक्षा के माध्यम में एक-रूपता होनी चाहिये। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि एक आइडियलिज्म को सामने रखकर कार्य करना दूसरी चीज है और सही माने में उस आइडियालिज्ड को पूरा करने के लिये हमें जिन प्रयासों की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, हमारे अन्दर जो जागरूकता की आवश्यकता होती है, जो शुद्धीकरण को आवश्यकता है, समाज को बढ़ाने के लिये अगर आवश्यक हो तो उन कदमों को उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि जनता से वही योगदान मिल सके। लेकिन एक बनी बनायी संस्था को खत्म कर देना जब तक कि वह कदमन उठाये जायं, केवल यह कहकर कि इसनें एक विभेद पैदा किया इस देश के नागरिकों के बीच में, इसनें ऊंच नींच की खाई पैदा की, एक विषमता पैदा की, क्योंकि आई० ए० एस और आई० पी० एस० और जितने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

सेवा में आने वाले लोग हैं वह इन्हीं स्कूलों के माध्यम से आये, यह गलत होगा। क्योंकि यह भी सही है कि पब्लिक स्कूल ने किसी न किसी मानों मे सवा की है। यह मानना पड़ेगा और विरोधी पक्ष के लोग मानते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों का स्टन्डर्ड, अनुशासन, कार्यदक्षता प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में काफी ऊंची है। जब हम एक चीज जो मानते हैं तो केवल एक नारे के बल पर उसको खत्म करना कहां तक उचित है।

हमारे माननीय सदस्यों को यह भी भ्रम हो गया कि राष्ट्रीकरण का ऐसा नारा है जिसके अन्दर 1974 के चुनाव जीत लियें जायं। और इस भ्रम में पड़कर जिन चीजों के राष्ट्रीयकरण की कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने, उसको भी करने की सोच रहे हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिये। दुनियां के बहुत से देश हैं जिन्होंन माना है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कोई बहुत बड़ी हित की बात नहीं हैं और संविधान के अन्दर अधिकार मिला है कि पढ़ने के लिये हर व्यक्ति और हर संस्था अपने को लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये जिस तरह की शिक्षा देना चाहते हों वह दे सकेंगे, क्योंकि उस में यह कहा गया है कि उसमें इसका अवसर समान रूप से मिलना चाहिये। इसमें अवसर की बात नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि जब तक हमारे इन पब्लिक स्कूलों का स्टैन्डर्ड ऊंचा है प्राइवेट स्कूलों से और जब तक प्राइवेट स्कूलों के स्टैंडर्ड को उनके स्तर तक लाने के लिये हमारे माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जनमत के माध्यम से जनता के सहयोग के माध्यम से मौका नहीं मिलता है तब तक एक बनी बनाई चीज को बिगाड़ना घातक होगा।

आज भी आप उनके स्तर को देंखे। आप तो अनुभवी हैं और हर देश का आपको अनुभव है और आपको देहात में भी रहने का अनुभव है और उस पार्टी का भी अनुभव रहा है जिसनें समाजवाद की बहुत बड़ी व्याख्या की और समाजवाद के लाने में अग्रणी रही है। लेकिन आप सहमत होंगें कि वावजूद शिक्षा के सरकार के हाथ मे ले लेने के जैसा कि विरोधी पक्ष और सरकार ने भी अनुभव किया, कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह हुआ कि कुछ सरकारी अधिकारी जरूर नियुक्त हो गये। हमारे अधिकरियों की तनख्वाहें जरूर कुछ बढ़ गयीं, लेकिन विरोध-पक्ष से और इधर के सदस्यों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि वेतन क्रम के देने के बाद प्राथमिक शिक्षा का कोई स्तर ऊंचा हुआ है? किसी माने में कोई स्तर ऊंचा नहीं हुआ। इस स्तर को ऊंचा करने के लिये हम रोज भाषण देते हैं कि हमें शिक्षा की पद्धति बदलनी पड़ेगी। बदलनी पड़ेगी। ठीक है, शिक्षा की पद्धति बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिर वह शिक्षा किस किस्म की होगी इसकी रूप रेखा कहीं नहीं है।

अभी हमारे सेन्ट्रल एजूकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम 10 क्लास तक कोई परीक्षा लेंगे ही नहीं। इसके ऊपर भी बड़ा भारी कमेन्ट हुआ कि लड़के नकल की बात करते हैं, किस-किस तरीके से अनफेयर मीन्स एडाप्ट करते हैं। अगर हम इम्तहान को बन्द कर दें तो मुझे यह कहने में रत्ती भर संकोच नहीं है कि हमारे इन अध्यापकों मे से बहुतों का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वह विद्यार्थियों से पैसा लेकर उन्हें पास कर देंगे। इस देश के बहुत से अध्यापक इस हद तक गिरे हैं कि अगर वह विद्यार्थियों से पैसा लेकर या सेन्टर पर अनकेयर मीन्स एडाप्ट करा कर पास कराने की सोच रहे हैं तो उनके हाथों में यह चीज सौंपना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इस देश का नैतिक स्तर आज इतना गिर चुका है कि चाहे जो बात सोंचें जब तक जनता का सहयोग हमें ईमानदारी से प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ कर सकने में अकेले सरकार समर्थ नहीं होगी। माननीय कमलापति के मुख्य मंत्री गनने से पहले हम मे से भी बहुत से विरोध पक्ष में रहे हैं। बहुत से मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कम से कम 15 वर्ष से लगातार इसी सदन में कहा कि शिक्षा मे परिवर्तन होना चाहिये। लेकिन जब पूंछा गया कि क्या परिवर्तन होना चाहिये तो किसी के दिमाग में कोई विस्तृत रूपरेखा नहीं थी। तो क्या हम केवल नारों से शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे? वह कौन सी पद्धति होगी कि जिससे हम सभी स्कूलों का स्तर पब्लिक स्कूलों के स्तर के समान हो जाय? आज स्वार्थपरता की भावना, लालच की भावना

जो ऊपर उठे हुए हैं उनको गिराने की भावना सारे प्रदेश में व्याप्त है। यह कहना कि केवल एक व्यक्ति दोषी है, सरकार दोषी है, विधान मंडल के सदस्य दोषी हैं, ऐसी बात नहीं है। आज इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का स्तर उसके दस साल पहले के स्तर से नीचे गिरा है। अंग्रेजों के जमाने में गुलाम होने के बावजूद भी इस देश का जो स्तर थी उससे काफी नीचे वह गिरा है यह कहना कि 25 साल तक कांग्रेस हुकूमत रही, तो हुकूमत से कोई चीज नहीं बदलती। कम्युनिस्ट देशों में भी आप महसूस करेंगे कि आज उनका भी स्तर इतना गिर चुका है कि आज हिंसा की प्रवृत्ति उनके देश में फैल रही है। अमरीका वगैरह में भी हिंसा की प्रवृत्ति हो गयी। आज मामली मामूली बातों पर इस देश में रक्तपात हो रहा है। तो जब सारे विश्व में ही ऐसी समस्या हो गयी है तो उससे अलग करके इस समस्या को देखें यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। आज जब हम प्राइमरी शिक्षकों जो रेगुलर वेतन नहीं दे सकते, बच्चों को टाट पट्टी नहीं दे सकते उनके गुरुजनों को एक कुर्सी तक नहीं दे सकते तो फिर हमें यह भी चाहने का अधिकार नहीं है कि इस शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर दें क्योंकि उसके लिये यह देखना पड़ेगा कि जिनके माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं उनके स्तर को सुधारें। तो क्या जितना वेतन हमने उनको दिया उसके हिसाब से उन्होंने शिक्षा की पद्धति में सुधार किया। उधर से भी कहा गया कि कोई प्रगति नहीं हुई है पिछले 5–6 महीने में। तो जब कोई प्रगति नहीं हुई तो क्या राष्ट्रीयकरण के नारे से गति ले आयेंगे ? उससे कुछ होने वाला नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

राष्ट्रीयकरण की मांग तो इस संकल्प में नहीं है।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों को बन्द कर देना चाहिये। मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि वह कैसे संभव हे जब कि आप यह मानते हैं कि जिन लोगों के माध्यम से हम यह शिक्षा दे रहे हैं उनका स्तर ही नीचा है, उसमें ही एकरूपता नहीं है। आज टीचर्स को ही तीन तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी में अभी एकरूपता नहीं आ पायी है। डा0 रामजीलाल सहायक जी चाहते थे कि इसमें एकरूपता आये, मगर नहीं आ पायी। यह जो चीज चली आ रही है आपके जमाने से ही तो चली आ रही है। एकरूपता क्या केवल नारों से आ जायेगी ? जब ट्रेनिंग में आप एकरूपता शिक्षकों में नहीं ला सकते, तो कैसे आप पब्लिक स्कूलों को बन्द करने आदि की बात करते हैं। केवल नारे लगाने से क्या यह संभव हो जायेगा ? क्या सदस्यों ने कभी यह कोशिश की अन्य मदों से सारे खर्चे घटाकर शिक्षा बजट में अधिक रुपया रख दिया जाय ? एक तरफ आप सवा 6 एकड़ होल्डिंग्स पर लगान माफी कराते हैं, उससे सरकार को 18 करोड़ का घाटा दिलवाते हैं अन्य करों को भी समाप्त करने का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ यह सब मांग करते हैं तो यह कैसे सम्भव होगा ? जब हमारे पास धन की ही कमी है तो हम कैसे यह कर सकते हैं कि हमारा यह बजट भी डेफिसिट बजट होगा। अगर ऐसा होगा तो निश्चय ही कर भार पड़ेगा। जब कर लगाया जाता है तो विरोध पक्ष वाले उसका विरोध करते हैं। तो विना धन के शिक्षा में कैसे आमूल परिवर्तन संभव है और कैसे एकरूपता लायी जा सकती है। इसके लिये पहले धन की आवश्यकता होगी कर आप लगाने नहीं देते। बिना उसके तो यह सब सोचना एक कल्पना की बात होगी।

यह भी कहना सही नहीं है कि आई0 ए0एस0 या आई0 पी0 एस0 आदि मे पब्लिक स्कूलों के ही लड़के आते हैं कि इनका परसन्टेज ज्यादा हो, मगर और बच्चे भी आते हैं। बलिया एक ऐसा जिला है जहां 10 साल पहले शायद ही कोई पब्लिक स्कूल हो। इस सर्विसेज में वहां के जितने लोग हैं, वहां के लोगों का जितना प्रतिशत है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्य किसी भाग का शायद ही प्रतिशत हो। उतना प्रतिशत किसी अन्य जिले का नहीं है

[श्री राजमंगल पांडेय]

जब कि वहां कोई पब्लिक स्कूल नहीं था उस समय। वही पुराने स्कूलों में पढ़कर, उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं गुरुजनों के चरणों के नीचे बैठकर, उसी पेड़ के नीचे प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा ग्रहण की। फिर दूसरे बड़े स्कूल कालेजों में गये। लेकिन आज दृष्टिकोण ही बदल गया है। केवल यही कारण नहीं कि शिक्षा की जो संस्थायें हैं, वे खराब हैं बल्कि बात यह है कि गुरुजनों के आदर के प्रति, समाज की मान्यता के प्रति और शिक्षा के सम्मान के प्रति जो पहले विश्वास और आस्था थी वह घट गई है, और मैं तो कहूंगा कि समाप्त हो गई है। जब यह होगा तो आप चाहे जो कर लें शिक्षा बदल नहीं सकती है, उसका जोई लाभ समाज को नहीं पहुंच सकता है। हम सब लोग प्राइमरी स्कूल में पड़ने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की शिक्षा किसी मायने में पब्लिक स्कूलों के स्टैन्डर्ड से कम नहीं रही है। अब केवल मनोवृत्ति बदल जाने की बात है, जो काफी बदल गई है। यह केवल समय और परिस्थितियों की बात है। जब हम एक पब्लिक स्कूल में जायं जहां, फीस और ज्यादा फीस ली जाती है, वहां पर केवल अनुशासन के कारण विद्यार्थियों की भरमार है। जहां 100 का स्थान है वहां हजारों बच्चे प्रवेश पाने जो इच्छुक हैं और यहां पर दूसरे स्कूल हैं, जहां पर 100 की जगह है, किन्तु 50 भी नही जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कौन आदमी होगा जो अपने बच्चों को अधिक से अधिक खर्च करके अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दिलाना चाहेगा। हर व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता हैयह सभी की प्रवृत्ति है। आप उत्तर प्रदेश में सेंसस करा लें, जिन कालेजो अच्छे का रिजल्ट अच्छा है, उसमें भरती होने वालों की भरमार है और जिनका रिजल्ट खराब है, 25–30 परसेंट रहा है, वहां कोई जाने वाला नहीं है। तो अच्छा रेजल्ट कैसे बनेगा। आप उनके लिये अच्छी साज-सज्जा की व्यवस्था करें, अच्छे और ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध करायें, स्वस्थ और स्वाच्छ स्थान प्रदान करें। प्रश्न यह है कि क्या ये सारी सुविधायें सरकार दे सकती है और यदि नहीं दे सकती है और देश इस कर के भार को सहन करने के लिये तैयार नहीं है तो आडियल के रूप में यह कहना कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके सारे पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दिया जाय तो इससे बड़ा घातक परिणाम निकलेगा। यह कोई समझदारी की बात नहीं होगी कि इस देश को ऊंचा उठाने वाले जो सही स्कूल हैं उनको भी बन्द कर दिया जाय और उनकी पूरक व्यवस्था न की जाय, जो कि इस देश की स्थिति को देखते हुए संभव नही प्रतीत होता इससे वैकूम क्रियेट होगा और फिर यह वैकूम कब तक रहेगा। मैं समझता हूं इस तरह का वैकूम क्रियेट होगा सैकड़ों हजारों साल तक रहेगा। तो हमारे माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि यह वैकूम क्रियेट किया जाये। मैं समझत हूं कि कोई सरकार और कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसके लिये तैयार नहीं होगा। यह क्या ठीक होगा कि हम कोई ऐसी परिस्थिति को ले आवें जिसमें हर आदमी चिंतित रहे कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज देश में जो पस्थितियां हैं, उसमें यह संभव नहीं है। लिहाजा इस संकल्प को आगे आने वाले समय के लिये टाल दिया जाए। जब हमारी आय इतनी नहीं है कि हम इस खर्च को वहन कर सकें, तो तब तक इस पर विचार करना कोई बहुत बुद्धिमाती की बात नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह नगी ––

श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री जगदीश गांधी––

मेरा संशोधन है, मुझे भी अभी बोलने का अवसर दें, तब तक यह हो।

श्री उपाध्यक्ष––

आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा, फिर प्रस्ताव वाले को मिलेगा, फिर मंत्री जी को मिलेगा, आप अधीर क्यों हो रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सदन क्या चाहता है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं विवादान्त का प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप अकेले बार-बार प्रस्ताव के बारे में कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अकेले ही हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अकेले नहीं हैं । आज उनके साथ कई लोग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप हैं या नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आज आप भी हमारे साथ हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय गोविन्द सिंह नेगी द्वारा प्रस्तावित बहसबन्दी स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(श्री बलबीर सिंह द्वारा विभाजन की मांग करने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

बहसबन्दी और बहस चले, इसमें बहस चलने के पक्ष में पीठासीन अधिकारी को हमेशा रहना चाहिये । ऐसा लगता है कि उससे आप का मन्तव्य पूरा नहीं होगा ।

श्री बलबीर सिंह--

पता चल जायगा कि बिड़ला के समर्थक उस ओर कितने बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसी आपकी इच्छा हो सकती है, अगर सहयोग करेंगे तो आज समाप्त हो सकता है यह लेकिन अभी तीन भाषण होंगे । एक माननीय मंत्री का एक माननीय जगदीश गांधी का एक माननीय प्रस्ताविक महोदय का, यह जो आप का दूसरें पर आया है वह रुक जाता है । तो लाभ क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हम चाहते हैं कि यह विवाद समाप्त करके माननीय पांडेय जी से कहता हूं कि वह दूसरा वाला आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष:--

समाप्त किया जायगा तो तीन भाषण तो होंगे ही ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इनके भाषण पढ़े हुए माने जायं ।

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज गुप्त जी के संकल्प पर धरती से लेकर वेद, और बजरंगबली के बाप पवन तक की भी बहस हुई। इस संकल्प पर तीन चार दिन तक काफी वाद-विवाद हुआ। प्रस्तावक महोदय की भावना बहुत अच्छी है। मान्यवर, जहां तक आदर्श की बात है, आदर्श बहुत ऊंचा हुआ करता है लेकिन वह आदर्श आप समाजवाद के आचार्य हैं, वह सिद्धांत जो प्रक्टिस में न लाया जा सके उसका क्या मतलब होता है इसको आप समझें। यह सही है कि आज इस देश में बिषमता बहुत है। हम किसानों के प्रतिनिधि हैं। किसान झोपड़ी में रहता। उसको रोशनी नहीं मिलती है। वह भूखा रहता है। हम यहां पर पंखे के नीचे हैं और अच्छे मकानों में रहते हैं। यह बिषमता है। आज लाखों किसान, अगर कहीं बलिया जिले में कोई हवाई जहाज आ जाय, तो देखने के लिये इकट्ठा होते हैं।

प्रेस को बजट लीकेज के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज यहां पर 1973–74 का बजट पश होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बाद में आयेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन समय के पहले आउट हो गया है। उसकी कापियां प्रेस गैलरी में बट गई हैं। बजट पहले से दे दिया गया है, सदन में पेश होने से पहले ही।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रेस को दे देते हैं कहते हैं कि इस तारीख को छपे। उनको दे दिया जाता है। आप को भी दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यहां पर प्रश्न यह है कि बजट विधिवत् सदन में पश नहीं दिया गया। प्रेस लाबी मे आप देख लें। अपने आदमियों से आप चेक करवा लें। और वहां पर बजट स्पीच की कापी पहुंच गयी है या नहीं पहुंच गयी। वह स्वयं वहां पढ़ा जा रही है काफी समय पहले से तो कैसे यह समझा जाय कि वह बाहर नहीं पहुंच गयी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या इस सदन में पेश करने स पहले प्रेस को बजट बांटा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

हमेशा प्रेस को पहले से दे दिया जाता है। यह हमेशा से होता आया है। सिर्फ पूर्व प्रकाशित नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

बजट के बारे में ऐसा नहीं होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आप इस विषय पर विचार कर लें। बजट क बारे में यह व्यवस्था नहीं है। और सब विषयों के बारे में ऐसा हो सकता है और कह दिया जाता है कि अमुक तारीख से पहले यह भाषण नही छापा जायगा। लेकिन बजट के बारे में ऐसा नही होता। अगर बजट पहले से दे दिया जाय और वह लीकेज हो जाय भले ही न छापे जाय तब क्या होगा ? जल्दी में आप व्यवस्था न दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप इसकी जांच करालें और उसके बाद व्यवस्था दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस सदन का यह विषेषाधिकार है कि सबसे पहले बजट यहां पेश किया जायगा। प्रेस अथवा कोई अन्य संस्था इस सिद्धान्त के ऊपर नहीं कि यहां पर पेश करने से पहले उसे बजट दे दिया जाय। सदन का विशेषाधिकार का प्रश्न भी इसमें जुड़ा हुआ है। प्रेस को किसीतरह से पहले कापी नहीं दी जाय सकती। न कोई ऐसा नियम है, न पद्धति है जिससे वहां पर पहले दे दी जाय। इस पर आप निर्णय दें कि यह गलत काम क्यों किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर मुझे कुछ कहना नहीं है। इस पर आप व्यवस्था देंगे। केवल यह कहना चाहता हूं कि 20-22 वर्ष तक में खुद अखबार का सम्पादक था। सन् 30 से 52 तक 22 वर्ष तक मुझे स्मरण आता है हमेशा बजट के एक्सट्रेक्ट्स हमारे पास आ जाया करते थे और हम उसका अनुवाद करके तैयार रखते थे और उस पर लिखा रहता था कि इतने बजे से पहले प्रकाशित न किया जाय और ज्योंही वह टाइम आता था हम उसे प्रेस में भेज देते थे। लिहाजा यह कोई नई व्यवस्था नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मुख्य मंत्री ने जो कहा कि सन् 30 में ऐसा होता था तो उस समय यह सदन नहीं था और न इस माननीय सदन के प्रविलेजेज डिफाइंड थे। आज अब संविधान बन चुका है और माननीय सदन के प्रविलेजेज डिफाइन हो चुके हैं और बजट पेश होगा तो सर्वप्रथम इस सदन में पेश होगा और यह इस दन का विशषाधिकार है तो बजट को पहले से लीकेज हो जाना प्रागदर्शन में इस माननीय सदन के विशेषाधिकार को अवहेलना है। मेरा निवेदन है कि आप इसकी व्यक्तिगत रूप से जांच करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

कल्पनाथ सिंह जी ने नोटिस दे तो दिया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

लेकिन यह सदन के सामने हुआ है। इस पर इसी समय बहस होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

उस पर हम सोचेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुख्य मंत्री ने कहा कि ऐसा हो आया है । इसका मतलब यह है कि प्रेस को पहले से ही बजट सदन में आने से पूर्व ही बटवा दिया गया । प्रेस में पहले से ही उसके सदन में आने से पहले चला गया । चूंकि मुख्य मंत्री ने बयान दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते हैं तो इस पर मैं अपनी व्यवस्था देता हूं । मेरी यह व्यवस्था हाउस आफ कामन्स.....

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जब आपका विवेक काम न करे तो आप हाउस आफ कामन्स की रूलिंग के आधार पर कहें यह ठीक नहीं है । आप ही अगर ऐसी परम्परा डालेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे । आपको रूलिंग अपने विवेक पर होनी चाहिये । मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा गंभीर प्रश्न है । बजट का यदि लीकेज हुआ है तो यह ठीक नहीं है । यह नहीं होना चाहिये । यह बड़ा एक आफेन्स है । नियमों में यह है कि बजट किसी को तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि वह माननीय सदस्यों में न बांटा जाय । हम पिछले 5।6 दिनों से देख रहे हैं बल्कि पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि यहां पर आयेदिन नियमों का उल्लंघन हो रहा है । सरकारी पक्ष के लोग कुछ भी कह दें उस ओर आपका कुछ भी ध्यान नहीं जाता । आप मुझे क्षमा करेंगे कि इतना महान अपराध आप करने को तैयार हैं तो फिर बिरोधी दल बेकार है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । नियम कहां है । देश में डिमोक्रेसी कहीं नहीं चल रही है तो यहीं पर क्यों चले ?

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ उसी दिन से संविधान के खिलाफ परम्पराओं की दुहाई दी जा रही है । राज्यपाल का अभिभाषण नही कराया जाता और कहा जाता है कि परम्परा सन् 1969 से इसी आधार पर चली आ रही है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजट की सिक्रेसी या कैबिनेट के डिसीजन की सिक्रसी की हिफाजत करना समझता हूं कि सरकार का कर्त्तव्य है । यदि इस तरह से ही बजट लीकेज होगा, बजट के प्रोविजन्स पहले से ही पब्लिक में चले जायेंगे तो सिक्रेसी कैसे रह सकती है, वह समाप्त हो जायगी और यदि यह बात आपके जरिये हो, इस सदन के जरिये हो तो यह बड़े दूख की बात होगी । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी परम्पराओं की दुहाई दे रहे हैं । हर बात में सन् 1930 में क्या हुआ था, उसके बाद हम क्या करते चले आये और हमेशा से ऐसा काम करते चले आये हैं, यह कहना मैं ठीक नहीं समझता । मेरा निवेदन यह है कि जो आप पढ़ना चाहते हैं लोक सभा की रूलिंग, उसे पढ़ने से पहले मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ऐसा न करें । इस पर आप समय मुकर्रर कर दें और हमें बहस करने का मौका दें ताकि हम लोग समझ सकें । जो गल्ती हुई है उसे न होने देना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

लोक सभा की तो आप मानेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वित्त मंत्री जी आ गये हैं, इनसे पूछिये कि बजट का लीकेज कैसे हो गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

जहां तक समाचार पत्रों का सवाल है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यह जान बूझकर.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

फिर आप सुबह वाली रूलिंग शामिल कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रश्न यह है कि प्रेस वाले और रिपोर्टर्स सदन के हरावल दस्ता हैं जो बजट को कापी पहले उनको दी जायगी और बाद में यहां इस सदन में उसे पेश किया जायेगा? माननीय मुख्य मंत्री जी ने परम्परा का हवाला दिया, कोई नियम का हवाला नही दिया। हम लोग जब से यहां आये हैं, यह देखते रहे हैं कि बराबर पहले यहीं बजट पेश होता था और तब प्रेस को जाता था लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि बजट सदन में पेश करने से पहले प्रेस वालो को दे दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुरानी परम्पराओं का हवाला दिया लेकिन जो नियम और कांन्स्टीट्यूशनल प्राविजन है उसकी तहत सबसे पहले यहां बजट पेश होना चाहिये और उसके बाद प्रेस तथा बाहर जनता में जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो लीकेज का प्रश्न उठाया है, लीकेज का अर्थ यह होता है कि बजट का प्रकाशन समय से पूर्व हो जाय, तो उसे लीकेज माना जाय। परम्परा यह रही है कि प्रेस को काफी विस्तार से इसको छपाना पड़ता है जनता को सूचित करने के लिये, तो इसीलिये पहले भी हमेशा से यह परिपाटी रही है कि यहां के प्रेस को दे दिया जाय एक डेड लाइन निश्चित करके कि इतने बजे से पूर्व उसका प्रकाशन नहीं होगा। तो उसी आधार पर प्रेस वालों को यह सूचना दी गयी है कि किसी भी हालत में इतने से पहले बजट का प्रकाशन न हो। और प्रेस वालो नें इसका वादा कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह सदन जानना चाहता है कि वह नियम कहां है?

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

कितने बजे बजट प्रेस वालों को दिया गया?

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बतलाया कि लीकेज का यानी बजट के प्रकाशन का अर्थ क्या है। मेरा निवेदन है कि प्रकाशन का अर्थ प्रिन्टेड नहीं होता। मंत्रिमंडल के सदस्यों को छोड़कर यदि किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी हो जाय और वह जनता को मालूम हो जाय तो वह बजट का लीकेज है। लीकेज का मतलब यह नहीं है कि किसी को जानबूझकर दिया गया हो तब उसे लीकेज माना जायेगा। किसी भी तरह से सिक्रेसी को मेंटन करने में सरकार असफल हो तो लीकेज की पेनाल्टी के लिये वह उत्तरदायी हो गयी। चाहे दो घंटे पहले ही किसी व्यक्ति को इसकी सूचना दी तो वह लीकेज माना जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद तिपाठी]

(इस समय 4 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, यहां यह विषय विवादग्रस्त है कि पहले बजट की कापी हम लोगों को मिलनी चाहिये लेकिन मुझे सूचना मिली है कि बजट की कापी पहले प्रेस को बांट दी गयी और माननीय सदस्यों को नहीं मिली । विरोधी पक्ष का आरोप है कि इस तरह से बजट का लीकेज हो गया और हम भी कहते है कि यह बजट का लीकेज है । बजट के लीकेज का अर्थ क्या है ? सबसे पहले माननीय सदस्यों को ही पहले बजट की कापी बंटती थी लेकिन आज पहले प्रेस वालों को दे दिया गया, इस तरह से यह बजट का लीकेज है । हमारे वित्त मंत्री जी का कहना है कि जब तक उसका प्रकाशन न हो तब तक उसे लीकेज न माना जाय । हमारा कहना है कि प्रकाशन में और प्रिंटेड में फर्क है । मेरा कहना है कि मंत्रि-मंडल जो छोड़ कर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मालूम हो जाय तो वह प्रकाशन हो गया और इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि हर तरह से यह लीकेज है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर रूलिंग के लिये पहले सोचना पड़ेगा । इसलिये किसी रूलिंग का सहारा लेने की जरूरत नहीं है । बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से निजी तौर पर रूलिंग देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

5 बजे तो बजट पेश होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अब नहीं पेश हो सकता । उपाध्यक्ष जी जब यहां विराजमान थे तो उन्होंने हाउस आफ कामन्स की एक बात कही ।

श्री अध्यक्ष---

उसके बारे में जो भी निश्चय करेगा वह सदन ही निश्चय करेगा । आइन्दा हम आप सब लीडरों को बुला लेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आइन्दा का सवाल नहीं है श्रीमन् इस सदन का आइन्दा बजट इस सदन में नहीं आयेगा। मैं निवेदन कर दूं कि बजट की लीकेज नहीं होगी जब कि वह प्रकाशित न हो जाये । ऐसी बात नहीं है । इंगलैन्ड के वित्त मंत्री जा रहे थे और लाबीं में पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया और उनसे यह पता चल गया कि उनकी कापी महंगी मिलेगी तो इससे लीकेज हो गया । दो घंटे पहले पत्रकारों को बजट दे दिया गया तो यह हो सकता है कि कोई मेरठ आदि जगहों को फौरन कर दे ।

श्री अध्यक्ष---

आप निर्णय चाह रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सही बात है कि प्रथा यह रही है कि प्रेस को बजट कुछ देर पहले दे दिया जाता था और उनसे यह शर्त करा ली जाती थी कि इसका प्रकाशन बजट पेश होने के बाद किया जायेगा । लेकिन बजट पेश होने के बाद ही प्रेस को बजट दिया जाये, यदि आप यह निश्चित करना चाहते हैं तो यह बात दूसरी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, इससे अन्दाजा लगा लें कि हमारे प्रेस के बंधुओं ने मुझ से ही कहा अन्यथा मुझे यह बात कैसे मालम हो गई ।

श्री अध्यक्ष---

बजट को रोका नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, ऐसा बजट जो सदन में पेश न करके पहले जनता में बांट दिया गया हो तो उसको सुनने के लिये हम लोग तैयार नहीं हैं इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(इस कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम लोग भी दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री माधत प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

आय-व्ययक साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

सचिव, बजट साहित्य के प्रोग्राम की सूचना माननीय सदन को देंगे ।

सचिव विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन को निम्न सूचना देता हूं :-

सदस्यगण कृपया अपना बजट साहित्य ही "नहीं" सभा कक्षों में, हस्ताक्षर करके प्राप्त करने का कष्ट करें ।

"हां," सभा कक्ष में निर्वाचन हेतु संख्या 1-254 जिनमें उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और वाराणसी आते हैं माननीय सदस्य कृपया अपना बजट साहित्य ले लें ।

"नहीं" सभा कक्ष में निर्वाचन हेतु संख्या 255-425 जिसमें जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, देहरादून जिले आते हैं, के माननीय सदस्य तथा माननीय नाम निर्देशित सदस्य कृपया अपना बजट साहित्य ले लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, यह लिस्ट किस लिये पढ़ी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

यह बजट साहित्य आप लोगों को लाबी में दे दिया जायेगा । स्पीच यहां बंट गई है । अब वित्त मंत्री जी भाषण देंगे ।

वित्तीय वर्ष 1972-73 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1972-73 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1973-74 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1973-74 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गयीं)

कुछ थोड़े समय के लिए लेखानुदान लेने का विचार है। इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव कुछ दिनों बाद प्रस्तुत करूंगा।

शासन द्वारा कुछ समय से विचार किया जा रहा है कि वित्तीय शासनिक व्यवस्था को क्या मोड़ दिया जाय जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक गतिशीलता लाई जा सके और निर्धारित लक्ष्यों को अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सके। तदनुसार यह विचार हुआ कि यदि प्रशासनिक विभागों में आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर दिये जायं तो वित्तीय स्वीकृतियों और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुगमता से हो सकेगी एवं चालू कार्य-क्रमों का मूल्यांकन भी समयानुसार हो सकेगा। इस उद्देश्य से शासन ने तीन विभागों---कृषि उत्पादन, शिक्षा व चिकित्सा में एक-एक आंतरिक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। अभी यह नियुक्ति प्रयोगात्मक रूप में की गयी है और अनुभव के आधार पर यथासमय इस योजना को अन्य विभागों में भी लागू करने पर विचार किया जायगा। साथ-साथ शासन के विभागों को कार्य करने में अधिक शीघ्रता एवं सुगमता हो, इस उद्देश्य से इस वर्ष प्रशासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों तथा निर्माण विभागों के अभियंताओं आदि के वर्तमान वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ा दी गयी है और कुछ नये वित्तीय अधिकार भी उनको प्रतिनिहित कर दिये गये हैं। प्रशासकीय विभागों को भी यह अधिकार दे दिया गया है कि वे कुछ प्रकार के प्रासंगिक व्ययों के संबंध में बिना वित्त विभाग की सहमति के अपने अधीनस्थ जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उनके अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों को वित्तीय प्रतिनिधान कर दें।

इस समय राज्य की प्राप्तियों एवम् व्यय के आंकडे विलम्ब से प्राप्त होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि शासन के स्तर पर एक आधार सामग्री विधायन केंद्र (Data Processing Centre) की स्थापना की जाय जिसके अन्तर्गत डेटा प्रोसेसिंग मशीनें रखी जायेंगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी कोषागारों से निर्धारित शैड्यूल में धन के संवितरण आदि की आद्यावधिक सूचना लखनऊ केंद्र को प्राप्त होगी और उसे डेटा प्रोसेसिंग मशीन द्वारा प्रोसेस किया जायगा और अंततः आयोजनेतर तथा आयोजनागत विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों की आद्यावधिक स्थिति शासन को दूसरे महीने के अन्त तक प्राप्त हो सकेगी। इसके फलस्वरूप, वित्तीय नियंत्रण अधिक सुचारु रूप से होगा और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी अधिक उपयोगी प्रकार से होगी। अन्ततोगत्वा, कम्प्यूटर की सहायता से प्रदेश को विभिन्न मुख्य विभागों व प्रोजेक्टों में सामग्री व सज्जा नियंत्रण (Inventory Control) आदि की व्यवस्था कराने का भी विचार है। आधुनिक प्रशासनों में कम्प्यूटर की वैज्ञानिक सहायता बड़ा योगदान दे रही है।

राज्य की आय

वर्ष 1960-61 में उसी वर्ष के भावों पर राज्य की कुल आय 1799 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1960-61 से वर्ष 1971-72 तक पिछले 11 वर्षों में अर्थ व्यवस्था में लगभग 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई और 1960-61 के भावों पर वर्ष 1971-72 में राज्य की कुल आय 2367 करोड़ रु0 आंकी गयी है। वर्ष 1972-73 के लिये यद्यपि पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं तथापि उपलब्ध संकेतों के आधार पर इस वर्ष राज्य की आय लगभग 2410 करोड़ रु0

हो जाने की आशा है जो गत वर्ष की आय से 1.8 प्रतिशत अधिक होगी। यदि खरीफ की फसल निराशाजनक न हुई होती तो वर्ष 1972–73 में राज्य की कुल आय काफी अधिक होती। वर्ष 1960–61 के भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1968–69 में 256 रु0 थी। धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 1971–72 में यह 266 रु0 हो गयी। यद्यपि अर्थ व्यवस्था में 1972–73 में 1971–72 की अपेक्षा 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथापि राज्य की जन संख्या में भी इतनी ही वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और यह 1972–73 में भी 266 रु0 ही रहेगी।

कुल राज्य की आय में विभिन्न उत्पादक वर्गों से हुई आय का अंश राज्य की आर्थिक संरचना एवं अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता पर प्रकाश डालता है सर्वांगीण विकास के अनिवार्य प्रभावों के कारण कृषि पर हमारी निर्भरता क्रमशः कम होती जा रही है। वर्ष 1960–61 में कृषि वर्ग का कुल राज्य की आय में अंश 59.5 प्रतिशत था जो कम होकर वर्ष 1972–73 में 52.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। खनिकर्म, उद्योग एवं निर्माणवर्गों से राज्य की आय का अंश जो 1960–61 में 10.3 प्रतिशत था बढ़कर 1972–73 में 13 प्रतिशत हो गया। सभी उत्पादक खंडों में वृद्धि की दर महत्वपूर्ण और स्थायी है, जो हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था की प्रगति की द्योतक है।

वार्षिक योजना 1973–74

जैसा मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, प्रदेश की चौथी योजना का आकार 965 करोड़ रुपये से बढ़कर 1038 करोड़ रुपये हो गया था। अब यह निश्चित है कि योजना में उपरोक्त परिव्यय से अधिक ही व्यय होगा।

चालू वित्तीय वर्ष के 225.28 करोड़ रुपये के परिव्यय विपरीत राज्य सरकार के प्रयासोंके फलस्वरूप वर्ष 1973–74 की वार्षिक योजना का आकार 250.37 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें सिंचाई एवं विद्युत के लिये 117.64 करोड़ रुपये, कृषि एवं संवर्गीय कार्य-क्रम के लिये 45.02 करोड़ रुपये, समाज सेवाओं के लिये 49.13 करोड़ रुपये, सड़क एवं परिवहन के लिये 15.22 करोड़ रुपये, उद्योग एवं खनिकर्म के लिये 10.48 करोड़ रुपये, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास के लिये 7.80 करोड़ रुपये तथा विविध मदों के लिये 5.08 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। उपरोक्त 250.37 करोड़ रुपयेके बजट वर्ष के योजना परिव्यय के विपरीत भारत सरकार से हमें 121.05 करोड़ रुपये (ऋण 82.87 करोड़ तथा अनुदान 38.18 करोड़) मिलने का अनुमान है।

केन्द्रीय योजना कमीशन की सलाह पर प्रदेश के विकास तथा उत्पादन के सर्वतोमुखी नियोजन के लिये मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राज्य योजना आयोग गठित किया गया है।

इस राज्य योजना आयोग की सहायता के लिये राज्य निवेदन संस्थान के अन्तर्गत पहले से चल रहे 6 डिवीजनों के अतिरिक्त तीन नये प्रभागों को खोलने का प्रस्ताव है अर्थात मोनीटरिंग ऐंड इन्फार्मेशन डिवीजन, प्रोजेक्ट फारम्यलेशन ऐंड एप्रेजल डिवीजन तथा मेटीरियल प्लानिंग ऐंड कोआर्डिनेशन डिवीजन।

योजना आयोग से स्टेट प्लानिंग मशीनरी के सुदृढ़ीकरण के लिये 2।3 भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने की आशा है जो चौथी योजना के लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

विधान नगर अधिवेशन में इंगित समयबद्ध कार्य-क्रम

पूर्व इसके कि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ अन्य विशिष्ट मदों की ओर आकृष्ट करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान नगर अधिवेशन में संकल्पित समयबद्ध कार्य-क्रमों का उल्लेख करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । यह कार्य-क्रम देश एवं प्रदेश की जनता द्वारा अनुमोदित आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर आधारित है और उनकी वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने का एक व्यापक प्रयास है । इनका सफल कार्यान्वयन पांचवीं योजना के लिये भी एक ठोस आधार होगा । सरकार के अगले वर्ष के प्रस्तावों पर इनकी पूरी छाप है । अतः उनके कार्यान्वयन के लिये जो निश्चय किये गये हैं उनका उल्लेख यहां प्रासंगिक होगा ।

खाद्यान्नों की कीमतों पर अपने देश की पृष्ठ भूमि में, बहुत सी अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और सामान्य जीवन-स्तर भी निर्भर है । अतः अखिल भारतीय नीति के अनुसार मुख्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में आगे कहे गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ले रही है

(1) बाजार में बिक्री हेतु लाये गये माल पर प्रभावकारी सार्वजनिक नियंत्रण रखना ताकि सट्टा और उसके कारण भाव तथा उपलब्धता में होने वाले विकार को दूर किया जा सके ;

(2) किसान उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना ताकि उनको उत्पादन बढ़ाने और उसे सार्वजनिक एजेंसियों को बेचने के लिये प्रोत्साहन मिल सके ।

(3) उपभोक्ताओं को, विशेषरूप से समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को, उचित भाव पर खाद्यान्नों को सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराना ; तथा

(4) अनावश्यक मध्यवर्तियों को दूर करके तथा कार्य प्रणाली में अन्य सुधारों द्वारा दक्षता लाकर व्यापार की लागत में कमी लाना ।

साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति घी, चीनी इत्यादि में भी मुनाफाखोरी रोकने का पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

विधान नगर कार्य-क्रम के अनुसार शारदा सहायक परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं से विकसित होने वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये विशेष प्रोजेक्ट अथारिटी (अधिकरण) का गठन करना था । तदनुसार गंडक प्रायोजना क्षेत्र के लिये प्रायोजना अधिकरण (Project Authority) का गठन कर दिया गया है । इसी तरह शारदा, रामगंगा व टिहरी प्रायोजनाओं के लिये भी अधिकरणों का गठन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य सम्यक् क्षेत्रीय विकास होगा ताकि सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध होने के पहले ही उसके पूरे उपयोग की तैयारी रहे । टेहरी अधिकरण के सुपुर्द टेहरी बांध के निर्माण से प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास का काम भी रहेगा ।

विधान नगर कार्य-क्रम में उत्पादन बढ़ाने वाली कुछ चुनी हुई सिंचाई व विद्युत् परियोजनाओं को निर्धारित समय से बहुत पहिले ही पूरा करने का निश्चय भी किया गया । इस हेतु शारदा सहायक सिंचाई परियोजना व ओबरा थर्मल विद्युत परियोजना को छांटा गया है व केन्द्र से शारदा परियोजना के लिये अतिरिक्त 3 करोड़ रुपये व ओबरा थर्मल के लिये 3 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुए हैं । इन दो योजनाओं के साथ-साथ गंडक व रामगंगा परियोजनाओं एवं यमुना हाइडिल विद्युत् परियोजनाओं को भी समय से पहले ही चालू कर देने के लिये अधिक तेजी से सम्पन्न कराया जा रहा है ।

विधान नगर कार्य-क्रम के अनुसार डल्ला तथा चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं उनसे यह आशा है कि सीमेंट का वार्षिक उत्पादन 6.75 लाख टन से बढ़कर 7.25 लाख टन हो जायेगा। इनकी क्षमता बढ़ाने का भी कार्य-क्रम बनाया गया है जिसमें लगभग 54 करोड़ रु0 पूंजी लगेगी।

भूमि सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने, पेयजल, इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। एक बार पुनः सरकार की ओर से मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन विधान नगर कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करन के लिये सरकार कृतसंकल्प है।

विशेष रोजगार प्रायोजनाएं

वर्ष 1971 के अन्त में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी कम करने के लिये 58.78 करोड़ रुपये की हमारे द्वारा भेजी गयी एक प्रायोजना पर योजना आयोग ने 432 लाख रु0 की सहायता देना स्वीकार किया तथा यह भी सूचित किया कि इस कार्य के लिये इतनी ही धन-राशि राज्य सरकार को लगानी होगी। 864 लाख रु0 की इस पुनरीक्षित प्रायोजना के अन्तर्गत तकनीकी एवं शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के अतिरिक्त अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को भी विभिन्न प्रायोजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने की व्य-वस्था है। कुल मिलाकर चालू वर्ष में इस प्रायोजना के कार्यान्वयन से लगभग 1.14 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकने का अनुमान है। रोजगार पाने वालों में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के लोग सम्मिलित होंगे।

विशेष रोजगार प्रायोजनाओं के लिये वर्ष 1973–74 में 1,019 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसका आधा भाग केन्द्र सरकार से उपलब्ध हो जाने की आशा है। शेष लगभग 5 करोड़ रु0 की धनराशि का प्राविधान आय-व्ययक में किया गया है।

इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारी कम करने के आशय से निम्न 7 केन्द्रीय योजनाएं प्रदेश में संबंधित विभागों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिनका कुल व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा:––

1––प्राइमरी शिक्षा में सुधार एवं विस्तार,

2––ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण,

3––कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना,

4––सहकारी उपभोक्ता भंडारों का विस्तार करना,

5––उद्योग स्थापना में उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता,

6––ग्रामीण जल सम्पूर्ति के लिये डिजाइन यूनिट स्थापित करना,

7––पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली सड़कों से संबंधित योजनाओं के लिये अनुसंधान कार्य।

इन 7 योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के आशय से कुछ प्रमुख केन्द्रीय योजनायें जैसे ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना व ड्राउट प्रोन एरिया कार्य-क्रम, सामुदायिक विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं।

विधान नगर कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1973–74 में 5 लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पूरे देश में उपलब्ध किये जायं। सरकार का यह प्रयास है कि इस प्रस्तावित योजना का समुचित लाभ प्रदेश को मिले। इस निमित्त अगले वर्ष के लिये लगभग 30 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक प्रायोजना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अलग से योजना आयोग की स्वीकृत्यर्थ भेजी गयी है। इसके लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की गयी है। इस प्रायोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लगभग 63 हजार हाई स्कूल तथा इंटर पास युवकों, 2,700 स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों, 1,100 इंजीनियरों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों तथा 2,500 कृषि स्नातकों को लाभ मिल सकेगा।

भूमि संबंधी सुधार

जनमत द्वारा इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि जोतों की सीमा जैसी कि वह सम्बन्धित अधिनियम के द्वारा पहले 40 एकड़ से 128 एकड़ के बीच थी, को और घटा दिया जाये ताकि भूमि का उचित वितरण किया जा सके और अधिकाधिक हरिजन भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों आदि को कृषि हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा सके। इस मांग की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप सामान्यतः किसी परिवार के लिये अधिकतम जोत सीमा 7.30 हेक्टर नियत की जा रही है। डेढ़ हेक्टर असिंचित भूमि अथवा ढाई हेक्टर बाग भूमि एक हेक्टर सिंचित भूमि के बराबर मानी गयी है। परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होने तथा परिवार में भूमिहीन अथवा 2 हेक्टर से कम भूमि रखने वाले वयस्क पुत्रों के होने की दशा में अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का भी प्राविधान है। पहले अधिनियम में बड़ी संख्या में विमुक्तियां दी गयी थीं जिनका कुछ खातेदारों ने दुरुपयोग किया, अतः कुछ विमुक्तियों (exemptions) को या तो बिल्कुल वापस ले लिया गया है अथवा उन्हें सीमित कर दिया गया है। विधेयक में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि इसके प्राविधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिये 24 जनवरी, 1971 के बाद अधिकतम सीमा से बचने के लिये किये गये भूमि के समस्त हस्तान्तरण को मान्यता नहीं दी जावेगी।

उत्तर प्रदेश में शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी का विधेयक विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत है व केन्द्र भी इस प्रसंग में अखिल भारतीय आधार पर अधिनियमन हेतु कार्यवाही कर रहा है।

अनुसूचित व भूमिहीन वर्ग

स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष में शासन ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक पात्र भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण शिल्पकार परिवार को ग्राम क्षेत्रों में आवास स्थल हेतु भूमि दी जाये। इस फैसले के अनुसार 2 अक्तूबर, 1972 तक 14,314 ग्रामों के 1,54,269 व्यक्तियों को 1948.26 हैक्टर्स भूमि दी जा चुकी है। 30 जून, 1972 तक 7,27,230 एकड़ गांव सभा भूमि का भी 3,51,228 व्यक्तियों में वितरण किया गया है। चीनी मिलों के फार्मों की अतिरिक्त घोषित भूमि को भी भूमिहीनों को दिये जाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1972 तक 2,57,393 एकड़ घोषित भूमि में से 2,19,675 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जा चुका है और इसमें से 1,32,930 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त भी कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये शासन का विस्तृत कार्य-क्रम है। केवल शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर लगभग 7 करोड़ रुपये की धनराशि आगामी वर्ष में व्यय करने का प्रस्ताव है। इन वर्गों के आर्थिक कार्य-क्रमों हेतु बजट में लगभग 60 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

गृह निर्माण हेतु अनुदान देने के लिये लगभग 30 लाख रुपये व भवन निर्माण हेतु ऋण देने के लिये 21 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। पेयजल की व्यवस्था हेतु अनुदान देने के लिये 34 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

शासन अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आतंकवादी तत्वों से सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्प है। जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि वे अपने दौरों के समय पिछड़े वर्गों के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था पर अनिवार्यतः ध्यान दें। शासन ने यह निर्णय लिया है कि उन स्थानों पर जहां हरिजनों तथा अन्य अल्प संख्यकों के विरुद्ध ज्यादती की घटनाएं होती हैं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था करके सामूहिक आर्थिक दंड (प्यूनिटिव टैक्स) लगाया जाय। हरिजनों तथा अल्प संख्यकों के विरुद्ध घटनाओं को शीघ्रातिशीघ्र जांच के लिये एक विशेष सेल भी गठित किया जा रहा है। शासन द्वारा अभी हाल में यह भी आदेश दिये गये हैं कि हरिजनों के विरुद्ध अहस्तक्षेपनीय अपराधों के मामलों में भी आवश्यकतानुसार आदेश प्राप्त करके जांच कराई जाय। यह निर्णय भी लिया गया है कि संविधान के विभिन्न प्राविधानों व शासन द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक हरिजन आयोग का गठन किया जाय।

कृषि

पिछले कई वर्षों में प्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति की, पर वर्ष 1971–72 में प्रदेश को असामयिक वर्षा एवं बाढ़ से काफी हानि उठानी पड़ी जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन केवल 174.64 लाख मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 1972–73 में सूखे की स्थिति के कारण खरीफ की बुआई तथा बोई हुई फसलों को काफी क्षति पहुंची। इस हानि को पूरा करने के लिये आपातकालीन उत्पादन कार्यक्रम चलाये गये। अब खरीफ के उत्पादन की 55 से 60 लाख टन तक आशा की जाती है। रबी में भी विशेष कार्य-क्रम सम्पादित किये जा रहे हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि रबी उत्पादन भी 127 से 132 लाख मीट्रिक टन तक हो सकेगा। वर्ष 1973–74 का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 205 लाख मीट्रिक टन है।

उर्वरक वितरण का कृषि कार्य-क्रम में विशेष महत्व है और उस पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है। पौध सुरक्षा कार्यक्रम 1971–72 में 87.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सम्पादित किया गया। इस वर्ष का लक्ष्य 84·25 लाख हैक्टेयर है जिसकी पूर्ति की संभावना है। वर्ष 1973–74 में 96.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर पौध सुरक्षा कार्य-क्रम करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि संरक्षण का कार्य-क्रम 1972–73 में 2.67 लाख हैक्टेयर भूमि पर किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1973–74 के लिये योजना आयोग के परामर्श से भूमि संरक्षण कार्य-क्रम के अन्तर्गत सिंचाई तथा भूमि के समतलीकरण कार्य को भी समन्वित रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस समन्वित कार्य-क्रम का वर्ष 1973–74 का लक्ष्य 0·75 लाख हैक्टेयर रखा गया है।

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिक कार्य-क्रमों को तीव्र गति से चलाया जा रहा है। चार पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल में 1971–72 तक लगभग 43,992 हैक्टेयर भूमि फल उद्यानों और 4,304 हैक्टेयर भूमि सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत आ चुकी है। विपणन की जटिल समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया गया है। पर्वतीय विकास निगम द्वारा फल उपयोग विभाग की सहायता से आगामी वर्षों में फलों के विक्रय में जनता को सहयोग देने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

उद्योग

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार मथुरा में पैट्रोलियम रिफाइनरी फर्टिलाइजर फैक्टरी, रायबरेली में टेलीफोन फैक्ट्री व लखनऊ में स्कूटर फैक्ट्री लगाने पर सहमत हो गयी है। कानपुर में रक्षा उत्पादन मंत्रालय द्वारा दो नयी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। इन उद्योगों से सम्बन्धित लघु उद्योग क्षेत्र में कई पूरक उद्योगों के लगने की सम्भावना है। राज्य औद्योगिक निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले में मैंगनेसाइट प्लान्ट लगाया गया है जिसमें शीघ्र उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त राज्य औद्योगिक निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में बलिया में मिनी स्टील प्लान्ट, उन्नाव में प्रिंटिग मशीनरी प्रोजेक्ट और बुलंदशहर में जी0 एल0 एस0 लैम्प प्रोजेक्ट लगाये जायेंगे। ऋषीकेश के निकट एक सीमेंट फैक्ट्री को लगाने पर भी सीमेन्ट निगम विचार कर रहा है। सीमेन्ट निगम को एसबस्टास सीट बनाने का आशय-पत्र प्राप्त हो गया है। बरेली स्थित इंडियन टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन फैक्ट्री द्वारा सर्वश्री आराकाबा कैमिकल्स लि0, जापान के सहयोग से रबर इमल्सीफायर प्लान्ट लगाया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में कायमगंज (फर्रुखाबाद), रसड़ा (बलिया) में चीनी मिलें लगाने के लाइसेंस तथा हरदुआगंज (अलीगढ़) में चीनी मिल लगाने के लिये भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त हो गया है। पांचवीं योजना काल में कम से कम दस सहकारी चीनी मिलें प्रदेश में लगें, इसके लिये कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। बिजली काटन मिल, हाथरस, लार्ड टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर तथा विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ का कस्टोडियन राज्य वस्त्र निगम को नियुक्त किया गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा झांसी में लगभग 7–8 करोड़ रुपये की लागत पर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री व कालागढ़ में हरद्वार हैवी इलेक्ट्रिकल्स की शाखा खोलने का प्रश्न विचाराधीन है व प्रदेश सरकार इनकी स्वीकृति के लिये प्रयास कर रही है।

भूतत्व तथा खनिकर्म निदेशालय द्वारा बुन्देलखंड में डायसपोर के नये निक्षेपों की खोज की गयी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से झांसी जिले में तांबे के निक्षेपों की सम्भावना परिलक्षित हुई है। बांदा में जो बाक्साइट पाया गया है उस पर विस्तृत जांच की दिशा में कार्य हो रहा है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा को प्रोत्साहन देने के लिये एक नये निदेशालय की स्थापना की गयी है तथा हथकरघा उद्योग के लिये एक वित्तीय व विकास निगम बना दिया गया है। लघु उद्योग निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में पिछड़े हुए जिलों में उद्योग लगाये जा रहे हैं। गाजीपुर की प्लान्ट प्रोटेक्शन यूनिट तथा फतेहपुर की काटन यूनिट पर काम शुरू हो चुका है। इनके अतिरिक्त पढ़े-लिखे बेरोजगारों को उद्योग में खपाने हेतु लघु उद्योग निगम द्वारा 30 नये उद्योग स्थापित करने की योजना बनायी गई है जिनमें कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपये की होगी। इलेक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिये एलेक्ट्रानिक स्टेट स्थापित की जा रही है और एक टेस्टिंग तथा डिजाइन सेन्टर की केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक कमीशन के सहयोग से स्थापित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। लखनऊ में एक इन्डियन इन्स्टीट्यट आफ मैनेजमेंट की स्थापना के लिये भारत सरकार राजी हो गयी है।

पांच करोड़ रुपये की पूंजी प्रस्तावित के आधार पर नवगठित निगम "पिकअप" ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, जिसका व्यापक प्रभाव शीघ्र ही प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये लाभ कारी होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये भारत सरकार से निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु अनुज्ञा-पत्र अथवा आशय-पत्र प्राप्त कर लिये हैं :

	अनुमानित लागत करोड़ रु० में
1—माइल्ड स्टील बिलेट	8. 00
2—स्कूटर	4. 00
3—मुद्रण मशीनरी	2. 00
4—सेफ्टी रेजर	3. 00
5—बल्ब तथा फ्लोरेसेन्ट लैम्प्स	1. 00
6—ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स	7. 00
7—नाइलोन फ्लामेन्ट यार्न	9. 00
8—लाइट कमर्शियल व्हीकिल्स	10. 00
9—राइटिंग प्रिंटिंग एवं रैपिंग पेपर	51. 00
10—रेफ्रेक्ट्रीज	5. 00
	100. 00

प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत भी उद्योगों की स्थापना में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 से सितम्बर 1972 तक 21. 48 करोड़ रुपया विनियोजन मूल्य के 23 अनुज्ञा-पत्र प्राप्त हुये।

निदेशालय द्वारा पंजीकृत निजी लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 31 मार्च, 1972 के अन्त तक 33,873 थी जो बढ़कर दिसम्बर, 1972 तक 37,390 हो गयी।

विद्युत्

प्रदेश एवं देश मे विद्यमान वर्तमान बिजली उत्पादन एवं उपलब्धि में भारी कमी से विद्युत् योजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1310 मैगावाट थी। चौथी योजना काल के लिये अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि का मौलिक लक्ष्य 1230 मैगावाट रखा गया जिसे कि पुरानी एवं अप्रचलित मशीनों के निष्कासन के उपरान्त 1170 मैगावाट होना था। उपरोक्त लक्ष्य के विरुद्ध अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि की वास्तविक उपलब्धि 797 मैगावाट की आशा की जाती है जिससे चौथी योजना के अन्त तक प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2107 मैगावाट होने की आशा है। अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि में यह कमी मुख्यतः भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा मशीनों की सम्पूर्ति में विलम्ब के कारण है। वर्ष 1973–74 में ओबरा तापीय विस्तार प्रथम चरण की 100 मैगावाट की तीन मशीनों तथा यमुना जल विद्युत् द्वितीय चरण भाग 1 की 60 मैगावाट मशीनों के चालू हो जाने की पूरी आशा है।

प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत् सम्बन्धी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये गठित कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना के अन्त तक 4830 मैगावाट वृद्धि की संस्तुति की है। इस विद्युत् मांग की पूर्ति हेतु कम से कम 6100 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी। उपरोक्त मांग के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय विद्युत योजना के सम्पूर्ण परिव्यय का आकार 1785 करोड़ रुपया का होगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक 65,513 नलकूपों पम्पसेटों का विद्युतीकरण हो चुका था, तदुपरान्त 99,504 अतिरिक्त नलकूपों पम्पसेटों का विद्युतीकरण कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप इस समय कुल संख्या बढ़कर 1,65,017 हो गयी है। ग्रामों के विद्युतीकरण ने भी ग्रामीण विकास में एक प्रधान भूमिका निभाई है। प्रदेश के कुल 1,12,624 ग्रामों में से चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक केवल 12,926 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था। तत्पश्चात् 12,515 अतिरिक्त ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त 2,563 हरिजन बस्तियों एवं 59 प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रों का भी वर्ष 1972–73 में अब तक विद्युतीकरण कर दिया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में विस्तृत ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में 60 प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण होने का अनुमान है।

भारत सरकार ने नरोरा जिला बुलन्दशहर में लगभग 280 करोड़ रुपये की लागत पर एक आणुविक विद्युत् गृह लगाने का निर्णय लिया है। इस विद्युत् गृह के लिये आवश्यक भूमि आध्याप्ति का कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा जिन मार्गों से यहां आवश्यक मशीनरी व संयंत्र आयेंगे उन मार्गों का तथा उन पर पड़ने वाले पुलों इत्यादि का सुदृढ़ीकरण अथवा पुनर्निर्माण कार्य के लिये आवश्यक सर्वेक्षण तथा अन्य अग्रिम कार्यवाही हो रही है। आणुविक स्टेशन पर कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त लगभग 5 वर्ष में विद्युत् गृह के पूरा हो जाने की आशा है।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इसी 1 मार्च, 1973 को केन्द्रीय सरकार ने ओबरा में कुल 400 मैगावाट क्षमता की दो मशीनों को विदेशों से आयात करने की स्वीकृति दे दी है। इस के अन्तर्गत ओबरा से लखनऊ व मुरादनगर तक 400 के0 वी0 तंतुपथ की स्वीकृति भी हो गई है जो देश में अपने किस्म की पहली लाइनें होगी। इस योजना में लगभग 90 करोड़ रु0 का व्यय होगा। गोरखपुर व माताटीला परीच्छा में 400 मैगावाट के थर्मल विद्युत्-गृह बनना प्रस्तावित है। हम हैवी इलैक्ट्रिकल्स से आग्रह कर रहे हैं कि माताटीला परीक्षा विद्युत्-गृह बनाने का पूर्ण दायित्व वह ले लें।

विद्युत् उत्पादन में भारी कमी से उत्पन्न संकट की इस असाधारण घड़ी में विद्युत् परिषद् को मजबूरन अनेक प्रकार की कटौतियां करने व सीमायें लगाने का दुःखद दायित्व निभाना पड़ा है। प्रदेश की जनता ने इस सदन के कृपा पूर्ण सहयोग से यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना कर इस संकट का जिस प्रकार मुकाबला कर कठिनाइयों का सामना किया उसके लिये मैं सभी बिजली उपभोक्ताओं के प्रति सरकार की कृतज्ञता व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

मुझे पूरी आशा है कि आने वाले चन्द सप्ताहों में भी सदन व जनता की यह सहयोग भावना बनी रहेगी। वर्षा के आगमन व विद्युत् परिषद् के द्वारा उठाये गये या उठाये जाने वाले अन्य कदमों के कारण स्थिति भविष्य में सुधरेगी, ऐसी पूरी आशा है। विद्युत् परिषद् के इंजीनियरों एवं अन्य सभी कमचारियों से जिनकी बहुत सी कठिनाइयों एवं समस्याओं का हल पिछले दिनों निकालने का प्रयास किया गया है, मेरा आग्रह है कि वह संकट की इस घड़ी में प्राणपण से विद्युत् उत्पादन व वितरण कार्य में जुटे रहें ताकि प्रदेश के विद्युत् उपभोक्ताओं को कम से कम कठिनाई व उत्पादन को कम से कम हानि हो।

सिंचाई

वर्ष 1972–73 के आरम्भ में वृहत् एवं माध्यमिक सिंचाई कार्यों की कुल सिंचाई क्षमता 37.85 लाख हेक्टर थी और राजकीय लघु सिंचाई कार्यों की 21.38 लाख हेक्टर थी। वर्तमान वर्ष में अनुमान है कि वृहद् एवं माध्यमिक सिंचाई प्रायोजनाओं से 1.10 लाखहेक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता मुख्यतः गंडक नहर प्रायोजना, नारायणपुर पम्प नहर, दोहरीघाट

नहर की क्षमता वृद्धि और टोन्स पम्प नहर के द्वारा प्राप्त होगी। इसी प्रकार राजकीय लघु सिंचाई प्रायोजनाओं से 1.35 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता मुख्यतः 900 नलकूपों के निर्माण के फलस्वरूप प्राप्त होगी। रामगंगा प्रायोजना की फीडर नहर को भी इस वर्ष चालू कर दिया गया है और इसके द्वारा रामगंगा व खो नदियों के सामान्य जलप्रवाह से निचली गंगा नहर के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा। वर्ष 1973–74 में वृहद् एवम् माध्यमिक सिंचाई प्रायोजनाओं से 2.08 लाख हैक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह अतिरिक्त सिंचन क्षमता मुख्यतः रामगंगा व गण्डक प्रायोजना, जामनी बांध और हरिपुरा जलाशय से प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

इस वर्ष में कुछ नवीन सिंचाई प्रायोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। बुन्देलखंड क्षेत्र के पिछड़े हुए झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिलों को सिंचाई सुविधा देने वाली राजघाट बांध प्रायोजना पर कार्य आरम्भ किया जायगा। यह प्रायोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई प्रायोजना होगी जिससे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रायोजना से लगभग एक लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि को प्रति वर्ष सिंचन सुविधा मिल सकेगी। बांदा जिले में केन नहर प्रणाली के अन्तिम छोर पर पानी की कमी दूर करने के लिए यमुना नदी से औगासी पम्प नहर के निर्माण का कार्य इस वर्ष आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना से 9,310 हेक्टर अतिरिक्त भूमि को सिंचन सुविधा प्राप्त होगी। राजकीय लघु सिंचाई प्रायोजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम 900 राजकीय नलकूपों के निर्माण व विद्युतीकरण का रखा गया है। इन नलकूपों की सिंचन क्षमता का तुरन्त लाभ उठाने के उद्देश्य से 1,280 किलोमीटर पक्की गूलें भी बनाने का प्राविधान किया गया है। मिर्जापुर के दक्षिणी पर्वतीय इलाके जहां सदा पानी का संकट रहता है, सोन नदी से पानी उठा कर सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष सारे प्रदेश में सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चला है व लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षमता को अधिक गतिशील बनाने के लिये इस वष अनेक कदम उठाये गये, जिनमें मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पुनर्गठन, सड़कों के अग्रिम सर्वेक्षण की व्यवस्था, शीघ्र भूमि अध्याप्ति करने के लिये विशेष दलों की नियुक्ति, संयंत्रों के अग्रिम क्रय का इन्तजाम, नियमों के उचित शिथिलीकरण, अधिक अधिकारों की प्रदत्ति, आवश्यकतानुसार खुले बाजार से माल के क्रय कर सकने की अनुज्ञा और उसकी ट्रकों से ढुलाई कर सकने के आदेश मुख्य हैं। अनेकों बाढ़ सुरक्षा कार्य सम्पन्न किये गये, जिनमें लखनऊ शहर की बाढ़ योजना का प्रथम चरण भी शामिल है। सेतु निगम की स्थापना की गयी और कार्यों की प्रगति देने के लिये उच्च स्तरीय मंडलीय सम्मेलन किये गये। ग्रामीण रोजगार योजनायें, संपर्क मार्ग, टेस्ट वर्क्स और सूखाग्रस्त, डाकूग्रस्त, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सड़क निर्माण योजनायें चालू की गयीं। अगले वर्ष में सड़कों व पुलों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं हमीरपुर व बेतवा और इटावा में यमुना पुल के पूर्ण हो जाने की आशा है। गाजीपुर और हरिद्वार में गंगा नदी और जौनपुर में गोमती नदी के पुलों में भी कार्य का आरम्भ किया गया है। बिजनौर जिले में गंगा नदी पर पुल का सर्वेक्षण कार्य भी शुरू हो गया ह। वर्ष 1973–74 में 1,756 किलोमीटर नई सड़कों, 510 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 27 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु 110 प्राइमरी स्कूल 1972–73 में खोले गये तथा छात्रों की संख्या को और बढ़ाने के उद्देश्य से 8,200 अध्यापक नियुक्त किये गये। वर्ष 1973–74

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में 60 प्राइमरी स्कूल खोलने तथा 7,200 अतिरिक्त अध्यापकों की नियक्ति का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप स्कूल जाने वाले कुल छात्र/छात्राओं के प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि होगी। प्रारम्भिक विद्यालयों के भवनों के अभाव की पूर्ति की दिशा में पांच करोड़ रुपये की लागत पर पांच हजार कम लागत वाले पूर्व निर्मित (प्री-फैब्रिकेटेड) भवनों के निर्माण की योजना केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के सहयोग से प्रारम्भ की गयी है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रसार हेतु वर्ष 1972–73 में 197 स्कूल खोले गये तथा वर्ष 1973–74 में 60 स्कूल और खोलने का प्रस्ताव है। माध्यमिक स्तर पर वर्ष 1972–73 में 8 नये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इसी वर्ष 12 राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नत किया गया एवं सात हाई स्कूल इण्टर स्तर पर क्रमोन्नत किये गये। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिये जखनी तथा जैहरी खाल में राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना की गयी।

प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार एवं प्रसार हेतु उसे शासन द्वारा वर्ष 1972 में अपने नियंत्रण में लेने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया तथा सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये। बसिक शिक्षा को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्" की स्थापना की गयी।

पर्वतीय क्षेत्र के दो मंडलों में एक-एक नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। फैजाबाद में भी एक विश्वविद्यालय खोलने का विचार है। इन विश्व-विद्यालयों को स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

इस वर्ष के बजट में लखनऊ मेडिकल कालेज के तत्वावधान में विकलांक सैनिकों और गैर सैनिकों के लिये कृत्रिम अंग लगवाने के लिये एक कृत्रिम अवयव केन्द्र खोलने की योजना सम्मिलित की गयी थी। 19–11–72 को इस केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इस केन्द्र को खोलने के लिये एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये प्रधान मन्त्री के सुरक्षा कोष से प्राप्त हुए हैं। यह उत्तर भारत में अपनी तरह का एक बहुत बड़ा केन्द्र होगा।

राज्य सरकार इस ओर भी प्रयत्नशील रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें बढ़ायी जायं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस वर्ष राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 209 नये एलोपैथिक औषधालय, 50 आयुर्वेदिक औषधालय और 20 होम्योपथिक औषधालय स्थापित करन की स्वीकृति प्रदान की है। आय-व्यय क वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 109 एलोपैथिक औषधालय, 25 आयुर्वेदिक औषधालय और 35 होम्योपैथिक औषधालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

इस समय राज्य में कुल मिलाकर 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। वर्ष 1970–71 की जनगणना के आधार पर आय-व्ययक वर्ष में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि आय-व्ययक वर्ष में 70 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों में शल्य चिकित्सा और गायनाकोलोजी की विशेष सुविधा होगी और 25 शय्याओं की व्यवस्था की जायगी।

प्रदेश के अलाभकर क्षेत्रों में स्थित 37 विकास खण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों को आकर्षित करने के लिये उन्हें 150 रुपये प्रति माह की दर से विशेष वेतन स्वीकृत कर दिया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 व्यक्ति प्रति हजार के आधार पर 9.12 लाख नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया था। सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त गत वर्ष बुलन्दशहर तथा गोरखपुर में आयोजित विशाल परिवार कल्याण उत्सवों की सफलताओं से प्रेरित होकर इस वर्ष प्रदेश के समस्त जिलों में दो चरणों में इस तरह के आयोजन किये गये और उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इन उत्सवों में जनवरी के दूसरे सप्ताह तक कुल मिला कर लगभग 2 लाख नसबन्दी की जा चुकी है। इन विशाल शिविरों में प्रत्येक केस पर 10.5 रुपये का व्यय किया जा रहा है जिसमें से 5 रुपये प्रति केस तक व्यय राज्य सरकार अपने साधनों से वहन कर रही है। अगले वर्ष 5 लाख नसबन्दियों का लक्ष्य है।

विशाल परिवार कल्याण उत्सवों के आयोजन तथा कार्यक्रम को और अधिक सुगठित करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 75 परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र तथा 375 उपकेन्द्र स्थापित किये जायं। मेरठ, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद नगरों में जहां जनसंख्या दो लाख से अधिक है एक-एक नगरीय परिवार नियोजन ब्यूरो स्थापित किया जाय।

मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में यह भी इंगित किया था कि भारत सरकार के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम में विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार को सफलता प्राप्त हुई है और विश्व बैंक से 10 करोड़ रुपये की सहायता पांच वर्षों में प्राप्त होने का आश्वासन मिला है। यह कार्यक्रम लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में परिचालित किया जा रहा है।

परिवहन

जनता के हित में राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवाओं के प्रसार की प्रगति को तीव्र करने के अभिप्राय से तथा परिवहन सेवाओं के सुव्यवस्थित विकास के लिये शासन ने दिनांक 1–6–1972 से राष्ट्रीयकृत परिवहन संगठन को निगम के रूप में गठित किया। निगम में राज्य सरकार की 12 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है तथा लगभग 18 करोड़ रूपये ऋण के रूप में भी लगा हुआ है। 31–3–1972 के अन्त तक रोडवेज के बेड़े में 4,253 बसें, 410 ट्रकें तथा 95 टैक्सियां थीं। वर्ष 1972–73 में 860 बसें क्रय करने का लक्ष्य था जिसमें से 651 बसें प्रतिस्थापना कार्य में और शेष 209 नये मार्गों पर अथवा वर्तमान मार्गों पर यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या की पूर्ति के लिये प्रयोग में लायी जानी थीं। आय-व्ययक वर्ष में इस बेड़े में 200 बसें बढ़ाने का लक्ष्य है। निगम के कर्मचारियों के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिये तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये निगम के अधीन कार्यरत रोडवेज कर्मचारियों को, जिनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी सम्मिलित है, वर्ष 1971–72 के लिये 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रह भुगतान इस वर्ष निगम के स्रोत से ही स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों के अतिरिक्त प्राइवेट क्षेत्र में भी बसों व ट्रकों का समुचित संचालन होता है। माल परिवहन का अधिकांश दायित्व प्राइवेट क्षेत्रीय परिवहन पर है। माल परिवहन बेड़े में 1950–51 के अन्त में ट्रकों की संख्या 8,040 थी जो वर्ष 1971–72 के अन्त तक 20,022 हो गयी।

पांच महानगरों एवं मेरठ तथा बरेली में यातायात की सुविधा करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ट्रान्सपोर्ट नगरों की स्थापना करने का विचार है। इन स्थानों पर परिवहन नगरों में ट्रक्स टरमिनल्स, बस स्टेशन, माल रखने के गोदाम तथा बैंकिंग इत्यादि की सुविधा होगी। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये प्रवर्तन दलों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की संख्या में भी वृद्धि प्रस्तावित है। जिससे मोटर मालिकान देय करों को सुविधानुसार यथाशीघ्र समय पर जमा कर सकें।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सामुदायिक विकास

बहुधिक ग्रामीण अंचलों में हरिजन क्षेत्र, अब भी पेयजल सुविधाओं से वंचित हैं, अतएव वर्ष 1972–73 में इन क्षेत्रों में पेयजल कार्यों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 30 सितम्बर 1972 तक 4,742 पेयजल कार्यों का निर्माण 1.12 करोड़ रुपये की लागत से हो चुका है। 41 सूखाग्रस्त जिलों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु 30.00 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है।

व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम वर्ष 1972–73 में 90 विकास खंडों में चलाया गया है। वर्ष 1973–74 में यह कार्यक्रम 107 विकास खण्डों में चलाये जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 में 18,760 पूर्व पाठशाला के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पौष्टिक आहार वितरण का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1973–74 में 19,700 पूर्व पाठशाला के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पौष्टिक आहार वितरण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 120 महिला मंडलों को आर्थिक सहायता भी दी जायेगी।

स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव को "जयन्ती ग्राम" के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहायता से जो त्वरित योजना प्रदेश में चलाई जा रही है उसका श्रीगणेश 1971–72 में 2 अक्टूबर, 1971 से हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 12.50 लाख रु0 प्रति वर्ष के हिसाब से तीन वर्षों में 37.50 लाख रु0 व्यय करने का लक्ष्य है। इसी क्रम में वर्ष 1973–74 में 6.79 करोड़ रु0 व्यय करके 1.35 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार सृजित करने का निश्चय है।

ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम राज्य के मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर व जालौन जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 1970–71 व 1971–72 से शतप्रतिशत कन्द्रीय सहायता से चल रहे हैं। तदनुसार 1,104.792 लाख रु0 की लागत की सिंचाई, सड़कें व वनीकरण की परियोजनाओं पर निर्माण-कार्य चल रहा है तथा 95.20 लाख रु0 की लागत की स्कीमों पर कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

वर्ष 1973–74 में 35,000 सिंचाई कूप, 1,00,000 बोरिंग, 25,000 रहट, 30,000 पम्पिंग सेट, 46,500 निजी नलकूप, 900 कूपों को गहरा करना, 23,047 हैक्टर बन्धी निर्माण तथा 1,780 हेक्टर पर्वतीय क्षेत्र में गूल एवं हौज के कार्यों के निर्माण करने का लक्ष्य है जिनसे 5.61 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजित होने की आशा है।

प्रदेश के सूखाग्रस्त 36 जनपदों के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972–73 के लिये 2.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि 4,500 अतिरिक्त डीजल चालित नलकूप-पम्पसेट के निर्माण हेतु प्राप्त हुई है जो ऋण के रूप में 3 हेक्टर तक की जोत के कृषकों को भूमि विकास बैंक के माध्यम से कम ब्याज की दर से वितरण करने हेतु स्वीकृत कर दी गयी है।

ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 में 200 किलोमीटर छोटी ग्रामीण सड़कें बनाने का उद्देश्य है जिससे अनुमानतः 4 लाख मानव दिवसों का सृजन होगा।

सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन ने प्रदेश के छोटे किसानों, समाज के अन्य निर्बल एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक समृद्धि हेतु सराहनीय भूमिका अदा की है। रिजर्व बैंक के परामर्श से चलाये गये

मास्टर प्लान नामक सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1972 तक 9.32 लाख नये सहकारी सदस्य बनाये गये व 2.75 लाख पुराने सदस्यों को क्रियाशील सदस्य बनाया गया। कृषक वर्ग को सहकारी समिति की अंशपूजी क्रय करने और सहकारी सहायता से पूरा लाभ उठाने के लिये 3 करोड़ रुपया मध्यकालीन ऋण भी दिया गया।

प्रदेश में उर्वरक वितरण का उत्तरदायित्व मुख्यतया यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन को सौंपा गया है और इस बर्ष में 20 करोड़ रुपये के उर्वरक वितरण की आशा है। फेडरेशन के तत्वावधान में एक लाख मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम निर्मित हो चुके हैं और द्वितीय चरण में 1.20 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण-कार्य, कृषि पुनर्वित्त निगम से प्राप्त 1.55 करोड़ रुपये की सहायता से पूरा किया जा रहा है। बदायूं में उक्त संघ वनस्पति तेल उद्योग संस्थान में साल्वेंट एक्सट्रेशन की स्थापना का कार्य संपादित कर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। सहकारी संस्थाओं के ही माध्यम से समाज के पिछड़े और निर्बल वर्ग को सस्ते कपड़े उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त संघ को सरकार ने एकमात्र एजेन्ट चुना है और लगभग 60 लाख मीटर कपड़े का आवंटन हो चुका है।

केन्द्र की सहायता से सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से 2 करोड़ रुपया छोटे किसानों को डीजल पम्पसेट ट्यूबवेल के लिये 9 प्रतिशत के बजाय केवल साढ़े छः प्रतिशत की दर से ऋण बटवाने का प्रबन्ध किया गया है। मेरठ तथा वाराणसी जिलों में इंडियन डेरी कारपोरेशन की सहायता से लगभग तीन करोड़ रु0 की लागत की 'आपरेशन' फ्लड नामक विशाल दुग्ध उत्पादन योजना को चालू करने के लिये प्रादेशिक सहकारी दुग्ध फेडरेशन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। श्रमिक स्वयं निर्माण-कार्य के ठेके ले सकें इसलिये प्रान्तीय स्तर पर श्रमिक सहकारी संघ का गठन भी किया गया है जिसके अन्तर्गत निर्माण मजदूर अपनी सहकारी समिति के माध्यम से ठेके ले सकेंगे और अपने श्रम से हुए मुनाफे के हकदार भी हो सकेंगे।

पेय जल सम्पूर्ति तथा मल निकासी प्रणाली (सीवरेज)

प्रदेश में कुल 293 नगर निकाय हैं जिनमें से 170 नगर निकायों में मार्च, 1972 तक पेयजल व्यवस्था कराई जा चुकी है। वर्ष 1972–73 में 4 अतिरिक्त निकायों में पेय जल व्यवस्था पूर्ण हो जायगी तथा वर्ष 1973–74 में 6 और नगर निकायों में पेय जल व्यवस्था कराये जाने का लक्ष्य है।

1972–73 में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था में शीघ्रता लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार की शत प्रतिशत सहायता से त्वरित जल सम्पूर्ति योजनायें चालू की गई हैं जिनके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 199 जल सम्पूर्ति योजनाओं पर स्वीकृति दी गयी है। भारत सरकार ने इन योजनाओं की पूर्ति के लिये राज्य सरकार को लगभग 6 करोड़ रुपये की सहायता देने का बचन दिया है।

राज्य के कुल 1,12,624 ग्रामों से 7,896 ग्रामों में मार्च 1972 तक शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी है। मार्च, 1973 तक 438 अतिरिक्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा पूर्ण होने की आशा है तथा वर्ष 1973–74 में 483 ग्रामों में और पेयजल प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

मार्च, 1972 तक प्रदेश के कुल 33 नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था की जा चुकी है तथा मार्च, 1973 तक कुल 36 नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था लागू की जा चुकेगी।

शुष्क शौचालयों के स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन हेतु वर्ष 1972–73 में 8 लाख रुपये तथा वर्ष, 973–74 में 25 लाख रुपये स्थानीय निकायों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रम कल्याण

इस वर्ष में भी राज्य का श्रम विभाग श्रमिकों के रहन-सहन की दशायें सुधारने, औद्योगिक शांति स्थापित कराने तथा इन दशाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न श्रमिक कानूनों का प्रशासन करता रहा। आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत संराधन तंत्र के माध्यम से 853 विवाद आपसी समझौते से सुलझाये गये तथा, 1,921 मामले अभिनिर्णय हेतु विभिन्न श्रमिक न्यायालयों में प्रेषित किये गये। इन न्यायालयों द्वारा वर्ष में सब मिलाकर 2,128 निर्णय दिये गये।

विभाग ने विभिन्न श्रमिक समस्याओं को श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए त्रिदलीय वार्ता के द्वारा सुलझाने का सतते प्रयत्न किया है। बिजली, इंजीनियरिंग एवं शकर उद्योगों से संबंधित वेतन मंडलों की अनुसंज्ञाओं से उत्पन्न फिटमेंट संबंधी विवादों क निपटाने के लिये प्रदेश में दो नये औद्योगिक न्यायाधिकरण और स्थापित किये गये ह। वर्ष 1972–73 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 10 नियोजनों में वेतन देने का पुनीरीक्षण किया गया तथा अन्य 17 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन दरें प्रथम बार निर्धारित की गयी हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1972 क अन्त तक 16,933 व्यक्तियों को 30 रु0 प्रतिमास पेंशन मिल रही है। सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 28,971 आवास निर्मित किये गये हैं।

ट्रेड यूनियन के सदस्यों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने एवं उनमें विकासशील कार्यक्रमों के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिये वर्ष 1972–73 में एक यूनियन विकास अधिकारी के पद का सृजन किया गया है। श्रमिकों को कानूनी सलाह देने के लिये श्रम वकीलों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक विवादों एवं संबंधों को सुधारने के लिये तथा ट्रेड यूनियनों के दक्षतापूर्ण सुसंगठिन के लिये नये कानूनी संशोधन लाने का भी प्रस्ताव है।

खाद्य एवं रसद

वर्ष 1972–73 में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न तथा चीनी का वितरण 10,000 जनसंख्या वाले शहरों तथा पर्वतीय प्रदेश के शहरी तथा देहाती इलाकों में अनौपचारिक राशनिंग द्वारा बनाये रखा गया। खाद्यान्नों के उपयुक्त गोदामों के निर्माण में वृद्धि करने की एक योजना बनाई जा रही है। अक्टूबर 1, 1972 की तिथि से सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा चीनी एक समान दर पर उपलब्ध की जा रही है। दिसम्बर, 1,1972 से कंट्रोल के कपड़ों के वितरण का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है। नमक, सीमेंट, कोयला तथा ईटों की संपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। प्रत्येक जिले में परमावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिये मूल्य कोष्ठकों की स्थापना की गयी है। काला बाजारी तथा जखीरेबाजी करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिये उड़न दस्तों की स्थापना की गयी है।

वर्ष 1972–73 में कृषकों को मूल्य संरक्षण का लाभ देना जारी रखा गया और शासन द्वारा किसानों से गेहूं की सीधा खरीद करक एसी खरीदारी में बिचौलियों की समाप्ति की गयी। कमचारियों के लिये खोली गई दुकानों तथा जलपान गृहों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, राज्य में खाद्यान्नों के थोक व्यापार को शासन द्वारा अपने हाथों में ले लेने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

गन्ना विकास

वर्तमान वर्ष 1972–73 में सूखे की स्थिति के कारण गन्ने की फसल को कुछ क्षति तो हुई परन्तु गन्ने के क्षेत्र के बढ़ने के कारण गन्ना उत्पादन अधिक होने की आशा है। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार से प्राप्त 1 करोड़ रु0 का ऋण छोटे उत्पादकों को उर्वरक के लिये बांटा गया है। इस वर्ष चीनी उत्पादन बढ़कर 10 लाख मी0 टन होने की सम्भावना है।

गन्ना विकास कार्य के क्षेत्र में मुख्य कार्य सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराना, खाद वितरण, गन्ने के रोग रहित तथा स्वीकृत जातियों से बदलना, फसल को कीटाणुओं तथा बीमारियों से बचाना है। इसके लिये अब तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। 1972–73 तथा 1973–74 में 60,000 व 70,000 मी0 टन उर्वरक नत्रजन के रूप में किसानों को बांटन का कायक्रम रक्खा गया है एवं 94,000 व 97,000 हेक्टेयर भूमि म अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जायगी।

वर्ष 1972–73 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ को उर्वरक क्रय करने हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की धनराशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 8.50 करोड़ कर दी गई है।

गन्ना उत्पादकों को नयी स्वीकृत एवं उन्नतिशील गन्ने की किस्मों में बीज की पौशालायें रखने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु गन्ने के आधार बीज के यातायात पर अनुदान दिये जाने का भी प्रस्ताव है। इसमें चालू वर्ष में 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना है। आधार गन्ना बीज के उत्पादन की विशेष योजना भी लागू की जा रही है।

गन्ने के सघन संरक्षण की योजना अभी 27 चीनी मिल क्षेत्रों के ब्लाकों में चलाई जा रही है परन्तु इसकी उपयोगिता तथा कृषकों के उत्साह को देखते हुए इसे समस्त चीनी मिल क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के संबंध में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जल्दी ही केन्द्र को प्राप्त होने की आशा है। तत्पश्चात् हमारे चीनी मिलों के भावी प्रबन्ध संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिये जाने की आशा है।

विविध

प्रदेश में स्वच्छ और सुदक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रयत्न पूर्ववत् जारी रहेंगे। प्रदेश में दो पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1972 के आरम्भ में दोनों प्रशासनाधिकरणों के पास कुल 29 मामले विचाराधीन थे। वर्ष में 31 दिसम्बर, 1972 तक दोनों प्रशासनाधिकरणों को 13 नये मामले जांच के लिये भेजे गये। दोनों प्रशासनाधिकरणों ने वर्ष में 16 मामलों में जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की। इनमें 20 अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें से तीन अधिकारियों को बर्खास्त करने की, एक अधिकारी को सेवा से हटाये जाने की, 6 अधिकारियों को हल्का दंड देने की तथा 10 को दोषमुक्त करने की सिफारिश की गयी। 31 दिसम्बर, 1972 को दोनों प्रशासनाधिकरणों के पास 24 मामले विचाराधीन रहे।

वर्ष 1972 में सतर्कता अधिष्ठान को 177 खुली जांचें सौंपी गयीं। इस अविध में अधिष्ठान ने 170 खुली जांचों में अन्तिम रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की। 31 दिसम्बर, 1972 को अधिष्ठान के पास 243 खुली जांच शेष रहीं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उल्लेखनीय प्रस्ताव

अब मैं कुछ अन्य विशिष्ट मदों का जिक्र करूंगा। प्रदेश के हथकरघा एवम् शक्ति चालित करघा उद्योग के पुनर्जीवीकरण तथा उसमें लगे लाखों बुनकरों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदश राज्य हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा वित्त पोषण एवम् विकास निगम (स्टेट हण्डलूम ऐण्ड पावरलूम फाइनेन्स एण्ड डेलवेलपमेन्ट कारपोरेशन) की स्थापना की गयी है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, वित्तीय तथा विपणन सहायता प्रदान करना तथा इस उद्योग की समृद्धि हेतु तकनीकी एवं अन्य शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। सरकार द्वारा इस निगम की अंश पुजी के क्रय के लिये बजट में 49 लाख रुपय का प्राविधान किया गया है। हथकरघा तथा शक्ति चालित करघा बुनकरों के आर्थिक विकास हेतु तथा वस्त्र उद्योग के अन्य कार्यों की देख-भाल के लिये एक हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग निदेशालय भी अलग से स्थापित कर दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने तथा उनको धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक पंचायती राज वित्तनिगम की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। निगम की अंश पूजी में प्रदेश सरकार तथा प्रदेश की विभिन्न पंचायती राज संस्थायें भाग लेगीं। इसके अतिरिक्त यदि बैंक तथा भारत सरकार भी चाहे तो वे अंश पूंजी में भाग ले सकेंगी।

प्रदेश में जो खनिजों का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है उससे कई आशाजनक परिणाम निकले हैं। खनिजों के पाये गये निक्षेपों (Deposits) के सार्वजनिक हित में उपभोग करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की जाय।

शासन द्वारा पहली बार गन्ना समितियों को प्रोत्साहित करने के लिये उनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण के आधे व्यय को वहन करने की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना से जहां एक ओर चीनीं मिल क्षेत्रों में एक ग्राम से दूसरे ग्राम के लिये सड़क बनाने का प्राविधान होगा वहां दूसरी ओर हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की गन्ना विकास समितियों ने इस योजना के अन्तर्गत 500 से अधिक सड़कें बनाने का निर्णय किया है, जिनमें लगभग चार करोंड़ रुपया लगेगा।

प्रदेश में तो दो नये मडिकल कालेजों की स्थापना की जायेगी। चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष में ही उपरोक्त मेंडिकल कालेज खोलने के लिये आवश्यक भूमि का अर्जन आदि की प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी करने हेतु गजट में प्राविधान किया गया है।

तकनीकी उद्योग कर्ताओं को वित्तीय निगम से मिलने वाले ऋण पर 'मार्जिन मनीं उपलब्ध कराने हेतु निगम को 5 लाख रुपये का ऋण देने के लिये बजट वर्ष में प्राविधान किया गया है ताकि वित्तीय निगम तकनीकी उद्योग कर्ताओं को कम मार्जिन पर ऋण दे सके।

प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुये कार्यभार के समुचित सम्पादन हेतु राजकीयि शिक्षा निदेशालय का प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के रूप में पुनगर्ठन किया गया और यह तीनों अंग अब तीन अलग-अलग शिक्षा निदेशकों के निदेशन में कार्यरत हैं। संस्कृत तथा विज्ञान की शिक्षा के विकास तथा उसकी व्यवस्था की देख-रेख के लिये उप-शिक्षा निदेशकों के नये पद सृजित किये गये हैं।

कानपुर नगर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। किसी भी महानगरी की तरह इसके विकास की भी बहुत विषम तथा विस्तृत योजना है; इस महानगरी की सफाई, आवास या यातायात

की समस्याओं के समाधान के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जायगा जिसका एक अंग कानपुर में गंगा बांध (बैराज) के निर्माण की योजना होगी। इसकी अग्रिम कार्यवाही के लिये बजट वर्ष में 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त योजना को पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित किया जायेगा। यह बड़ी लाभप्रद योजना होगी जिससे इस नगर को पेयजल, यातायात साधन में सुधार होगा, नगर की स्वच्छता में सहायता मिलेगी तथा विद्युत् स्टेशन को भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

कैदियों को एक जिले से दूसरे जिले को स्थानांतरित करते समय या उनके छूटने के समय खाने के लिये इस समय प्रति कैदी 37 पैसे दिये जाते है, जो बहुत कम है। यह निश्चय किया गया है कि 37 पैसे के स्थान पर 1 रुपया प्रतिदिन दिया जाय और अतिरिक्त व्यय के लिये बजट वर्ष में प्राविधान किया गया है।

राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवा दशाओं में सुधार करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो तीन वर्षों तक अपने वर्तमान पद या समकक्ष पदों पर कार्य कर चुके हों और जिनके पदों के आगे भी चलने की संभावना हो चाहे वे निर्माण कार्य के लिये हों अथवा मरम्मत एवं रख–रखाव के लिये उनको नियमित अस्थाई अधिष्ठान में ले आया जाय। इस प्रकार लगभग 90 प्रतिशत कार्य प्रभारित कर्मचारी जो मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्य पर लगे हुए हैं तथा 33 प्रतिशत कर्मचारी जो निर्माण कार्य पर लगे हैं। नियमित अधिष्ठान मे आ जायेंगे। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 75 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये मासिक कर दिया जाय।

इस वर्ष टेस्ट वर्क्स कराने के तरीकों को भी सरल बना दिया गया है तथा मजदूरों की दरें भी 3 रुपये तक बढ़ा दी गयी हैं। जिलाधिकारियों के माध्यम से इस समय 1217 स्थानों पर टेस्ट वर्क्स चलाये जा रहे हैं और फरवरी के मध्य तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को कार्य दिया जा चुका है। जिलाधिकारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, सामुदायिक विकास विभाग और कृषि विभाग भी इस वर्ष टेस्ट वर्क्स करा रहे हैं और इन विभागों द्वारा 4 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जाने की संभावना है। अनुमान है कि इन विभागों द्वारा भी 50 हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है।

मेडिकल कालिज के अध्यापकों तथा अन्य सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सालयों के डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस समाप्त करने का निर्णय मार्च 1, 1973 से कार्यान्वित कर दिया गया है। रोगियों की सुविधा के लिये पे-क्लीनिक्स की योजना के स्वरूप के संबंध में विचार किया जा रहा है। निजी प्रैक्टिस समाप्त किये जाने के फलस्वरूप डाक्टरों की कुछ मांगें हैं जिन पर सरकार समयानुसार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश जल परिषद् अधिनियम के द्वारा एक जल परिषद् बनाने का प्राविधान किया जा रहा है। इस परिषद् के द्वारा पीने के पानी एवं सीवेज की स्कीमें नगर एवं देहाती क्षेत्रों में कार्यान्वित की जायेंगीं।

उत्तर प्रदेश नागर नियोजन तथा विकास अधिनियम भी शीघ्र ही पारित किया जा रहा है। इस अधिनियम के द्वारा एक एथोरिटी नागर क्षेत्रों के बहुमुखी विकास करने के लिये बनायी जा रही है। प्रारम्भ में विचार है कि यह इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी एवं गाजियाबाद में बनायी जायेगी।

हाल ही में 24 जनवरी, 1973 को प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के 2,34,000 अध्यापकों का जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराया जा चुका है, जिसके अनुसार इन अध्यापकों का लगभग 47 करोड़ रुपये का बीमा किया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश समूचे देश में पहला राज्य है जिसने इन श्रेणियों के अध्यापकों का सामूहिक बीमा कराया । इस प्रकार की योजनायें सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा पुलिस के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी तैयार की जा रही हैं । इसी प्रकार राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के हित के लिये भी सामूहिक बीमा योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

इस समय प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 16 हजार व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है । पेंशन की दर 20 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 30 रुप प्रतिमाह कर दी गई है ।

प्रदेश में विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और यहां की जनसंख्या आदि की स्थिति पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो 197 विकास खण्ड वर्ष 1966 में समाप्त कर दिये गये थे उन्हें पुनर्जीवित कर दिया जाय ।

गाजीपुर, डलमऊ व बिजनौर में गंगा नदी के ऊपर पुल निर्माण करने की मांग बहुत दिन से की जा रही है । इन पुलों पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है ।

इलाहाबाद के भरवारी नामक स्थान पर मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मैथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स नामक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव संबंधित ट्रस्ट ने किया है बशर्ते कि राज्य शासन उनकी आवर्त्तक सहायता करें । यह देखते हुये कि यह इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च के समकक्ष राष्ट्र के इनेगिने रिसर्च संस्थानों में होना प्रस्तावित है शासन ने इस संस्थान को आवर्तक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया है ताकि यह इंस्टीट्यूट प्रदेश में ही स्थापित हो सके । प्राप्त सूचनानुसार इंस्टीट्यूट का ट्रस्ट अब तक एक करोड़ रु0 के लगभग पूंजी जुटा चुका है ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि शिक्षा क्षेत्र में उर्दू भाषा के प्रसार के लिये इस सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । भाषाई अल्पसंख्यकों को जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, अथवा आश्वासन दिये गये हैं उनको हर प्रकार से पूरा किया जा रहा है । शिक्षा निदेशालय में एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) का पद विशेष तौर पर सृजित किया गया ताकि लिये गए फैसलों को लागू कराया जा सके । इस बात की सख्त ताकीद की गई कि बालकों के दाखिले के समय अभिभावकों को एडवान्स रजिस्टर में मातृभाषा दर्ज कराने की पूरी सुविधा रहे । दाखिले फार्म में भी मातृभाषा का कालम बनाया गया है ।

अखिल भारतीय नीति के अनुसार उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों में 40:10 के फार्मूले के अनुसार की जाती है जिसके अर्थ यह हैं कि अगर किसी स्कूल में 40 या किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी उर्दू के माध्यम से पढ़ना चाहें तो इसकी व्यवस्था की जाय । पिछले साल सरकार ने यह एलान किया था कि इस फार्मूले के अतिरिक्त कुछ शहरों में मोहल्लों-मोहल्लों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था की जायगी । इस सुविधा का अब और व्यापक विस्तार करने का सरकार ने निर्णय लिया है । आगामी वित्तीय वर्ष में नगरपालिकाओं के ऐसे सभी प्राइमरी स्कूलों में जहां उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं, उर्दू अध्यापकों को नियुक्त किया जायगा । माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह उर्दू के प्रोत्साहन की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा ।

जिला अधिकारियों, कमिश्नरों व विभागाध्यक्षों को सख्त आदेश दिये गये हैं कि जो भी व्यक्ति उर्दू में पत्र इत्यादि देना चाहे उन्हें पूरी सुविधा रहे । उर्दू के दस्तावेजों की रजिस्ट्री की पूरी व्यवस्था है । गजट इत्यादि भी उर्दू मे उपलब्ध हैं ।

प्रदेश की सरकार ने एक मौलिक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उर्दू अकादमी की स्थापना करके उठाया था । इसका उद्देश्य उर्दू साहित्य एवं वाङ्मय का प्रोत्साहन एवं संवर्धन है ।

इसके द्वारा साहित्य एवं साहित्यिक दोनों की सेवा हो रही है। आठवें दर्जे तक की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को उर्दू में भी छपवाया गया है।

उर्दू अकादमी का 5,10,000 रु0 का अनुदान इस वर्ष दिया गया जिसमें से अकादमी ने 1.5 लाख रु0 147 उर्दू पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को उर्दू की किताबें, अखबार तथा मैगजीन इत्यादि खरीदने के लिये वितरित किया।

उर्दू के 87 प्रमुख लेखकों को उनकी स्टैन्डर्ड किताबों के लिये कुल 88,550 रु0 पुरस्कार के रूप में दिया गया, विभिन्न उर्दू के लेखकों की लगभग 100 पांडुलिपियों (मैनुस्क्रिप्ट्स) को जांच कर 20,750 रु0 का अनुदान 23 लेखकों को दिया।

एक अरसे से प्रदेश के बहुधिक शिक्षाविदों एवं अध्यापकों की यह राय रही है कि माध्यमिक स्कूलों को राज्य अपने हाथ ले ले, ताकि इनकी वित्तीय कठिनाइयों का निराकरण हो सके तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को भी वांछित लाभ हो सके। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस राय में निहित सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। संविधान के अन्तर्गत इस प्रसंग में विस्तृत योजना बनानी आवश्यक होगी, जिसे प्रस्तुत करने के लिये शासन ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निश्चय किया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि होंग।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधायें प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शासन का यह कर्तव्य है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं का समय-समय पर जानकारी एवं विचार करके उनके कल्याण हेतु आवयक कार्यवाही करें। अतः शासन ने उक्त कार्य के लिये राज्य स्तर पर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिषद् के गठन के आदेश जारी कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक जिले में परिषद् की शाखा स्थानीय समिति के रूप में भी स्थापित की जा रही है।

वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय

माननीय सदस्यों ने वर्तमान सरकार द्वारा माननीय श्री सैयद अली जहीर की अध्यक्षता, में जुलाई, 1971, में गठित उत्तर प्रदेश, वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के विषय में अपनी उत्कंठा प्रकट की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी, 1973 को शासन को प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट लगभग 1800 से अधिक टाइप पृष्ठों में है तथा समयाभाव के कारण आयोग द्वारा अंग्रेजी में ही प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद कराने तथा छपवाने में कुछ समय और लगने की आशंका है। चूंकि शासन की इच्छा है कि आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष हिन्दी में ही प्रस्तुत की जावे, अतः फिलहाल माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये आयोग की मुख्य संस्तुतियों का सारांश हिन्दी में, अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट सदन के समक्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रखना सम्भव होगा।

आयोग को राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये एक न्यूनतम निर्वाह वेतन निर्धारित करने तथा अन्य कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों को भी, आवश्यकतानुसार, पुनरीक्षित करन का कार्य सौंपा गया था। अस्तु उक्त आयोग ने उपरोक्त कर्मचारियों के वेतनमानों, महंगाई-भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, परियोजना प्रतिकर भत्ता, अन्वेषण विकास तथा डिजाइन भत्ता आदि के विषय में, जो कि आयोग के विचार क्षेत्र में थे, अपनी संस्तुतियां दी हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम निर्वाह योग्य वेतन के बारे में है। आयोग ने इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के निम्न आय वर्ग के, एक प्रौढ़ व्यक्ति के भोजन के लिए 1959 में संस्तुत कैलोरीज की

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आवश्यकताओं को एवं 15वें इण्डियन लेबर कांन्फ्रेन्स, 1957, द्वारा संस्तुत कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, एक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की संख्या 3 प्रौढ़ इकाई मानते हुए, प्रदेश के उपरोक्त सभी वर्गों के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों, जैसे चपरासी, अर्दली, स्वीपर (मेहतर), माली, खलासी, बेलदार, अकुशल मजदूर, चौकीदार, हेल्पर, कुली, एटेन्डेन्ट, गेट कीपर, कुक, क्लीनर, धोबी, भिश्ती, प्रोसेस सर्वर, चेनमैन, डाकरनर ड्रेसर, आया, वार्डव्याय आदि के लिए, बिना किसी भेदभाव के, रु0 165 प्रतिमाह के न्यूनतम, निर्वाह वेतन की संस्तुति की है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की संस्तुति भी आयोग ने विभिन्न पदों, के वेतनक्रम, निर्धारित अर्हताओं, शैक्षिक योग्यताओं, भरती की विधि तथा दायित्व आदि को ध्यान में रखते हुए की है तथा वर्तमान वेतनमानों में जहां कोई असंगतियां थीं उन्हें भी दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है। आयोग ने अल्पतम वेतन भोगी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनमानों को भी उदारतापूर्वक सुधार करने का प्रयास किया है, उदाहरणार्थ जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के वर्तमान वेतन-क्रम रु0 80–140 के स्थान पर रु0 200–320 (हाई स्कूल एवं प्रशिक्षित) तथा रु0 185–265 (जूनियर हाई स्कूल एवं प्रशिक्षित) के वेतन मान प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार सहायक अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के वर्तमान वेतन क्रम रु0 80–125 के स्थान पर रु0 185–265 (हाई स्कूल एवं प्रशिक्षित) तथा रु0 175–250 (जनियर हाई स्कूल एवं प्रशिक्षित) के वेतन क्रम संस्तुत हैं। सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के वर्तमान वेतन क्रम रु0 120–200 के स्थान पर रु0 230–380 का पुनरीक्षित वेतन क्रम तथा सहायक अध्यापक और अध्यापिकाओं के वर्तमान वेतन-क्रम रु0 100–160 के स्थान पर रु0 200–320 (हाई स्कूल एवं प्रशिक्षण सहित) तथा रु0 185–265 (जूनियर हाई स्कूल एवं प्रशिक्षण सहित) प्रस्तावित हैं। एस प्रकार संस्तुतियों का लाभ लगभग ढाई लाख अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पहुंचेगा। कांन्सटेबिल, हेड कांन्सटेबिल, फारेस्ट गार्ड, सिंचाई विभाग के जिलेदार, अमीन, मुंशी, हेड मुंशी, मोहर्रिर, विधान भवन रक्षक तथा विधान सभा रक्षक भी, वेतन आयोग की संस्तुतियों से पर्याप्त रूप से लाभान्वित होंगे। ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख से कम न होगी। वेतन आयोग के प्रस्तावों से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं व अरबी मदरसों तथा सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के कर्मचारियों को भी विशेष लाभ पहुंचेगा। उपरोक्त वर्गों के कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 6 लाख है, पर वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन (पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते पर) लगभग 38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।

वेतन आयोग की अन्य प्रमुख संस्तुतियां निम्नलिखित हैं :—

1—प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों की संख्या 108 के स्थान पर केवल 38 नये वेतनमानों की संस्तुति की गई है। स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के वर्तमान वेतन-क्रमों की संख्या में भी यथासम्भव कमी की गई है। आयोग ने वेतनमानों का निर्धारण कृषि वर्ष 1970–71 के मूल्यों पर किया ह तथा वेतनमानों के निर्धारण में कुल महंगाई भत्ता तथा 1–10–71 तथा 1–8–72 से स्वीकृत अन्तरिम सहायता को छोड़कर शेष अन्तरिम सहायता, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1–3–70 से स्वीकृत दरों के बराबर ह, को वेतनमानों में शामिल कर दिया है।

2—वर्तमान न्यूनतम तथा अधिकतम वेतनमानों के अधिकतम वेतनों में असमानता का अनुपात 1:30 है जिसे घटा कर 1:12·8 कर दिया गया है। यदि आय कर की कटौती की तथा महंगाई भत्ते की भी गणना कर ली जाय, तो विषमता का अनुपात 1:17.2 से घटकर 1:8 ही रह जाता है।

3––महंगाई भत्ते के बारे में आयोग ने यह संस्तुति की है कि प्रस्तावित वेतन-क्रमों के अतिरिक्त महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर, समान रूप से, राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिया जाय :––

	रु0
रु0 209 तक	14
रु0 210 से 399 तक	18
रु0 400 से 499 तक	20
रु0 500 से 1,250 तक, सीमान्त समायोजन सहित	24

आयोग की यह भी सिफारिश है कि 1–8–72 के बाद अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 माह के औसत में वृद्धि होने पर, प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उसी दर तथा उस वेतन सीमा तक दिया जाय जो केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट करे।

4––आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान वर्गीकरण की प्रथा को समाप्त करने की संस्तुति की है ।

5––इस समय प्रदेश के कैंवाल नगरों में रु0 500 प्रतिमास तक वेतन पाने वाले पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों को 5 प्रतिशत की दर से रु0 10 की अधिकतम राशि तक नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है । आयोग ने अब यह संस्तुति की है कि यह अधिकतम सीमा 10 रु0 से बढ़ा कर 25 रु0 कर दी जाए तथा इसका लाभ सामान्यत: रु0 750 प्रतिमास तथा सीमान्त समायोजन सहित रु0 775 तक, वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनुमन्य हो।

6––इस समय डाक्टरों को उनके वेतन का 25 प्रतिशत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर आदि को देय न्यूनतम धनराशि रु0 300 प्रतिमास से कम न हो और अधिकतम धनराशि रु0 400 से अधिक न हो तथा अन्य डाक्टरों को देय धनराशि रु0 75 से कम तथा रु0 200 से अधिक न हो। आयोग ने अब यह संस्तुति की है कि यदि डाक्टरों की प्रैक्टिस बन्द करना अभीष्ट हो तो मेडिकल कालिजों के शैक्षिक स्टाफ को छोड़कर प्रदेशीय चिकित्सा सेवा तथा प्रदेशीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को, उनके वेतन का 33 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता या वेतन इस शर्त के साथ दिया जाए कि इसकी मात्रा रु0 400 से अधिक न हो तथा कुल परिलब्धियां मिलाकर रु0 2,750 से अधिक न हो। इसी प्रकार मेडिकल कालेजों के अध्यापकों के लिए भी यह सिफारिश की है कि उनको उनके वेतन का 50 प्रतिशत प्रक्टिस बन्दी भत्ता इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाए कि उनकी अधिकतम मात्रा रु0 600 से अधिक न हो और प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल को कुल परिलब्धियां प्रक्टिस बन्दी भत्ता मिला कर, क्रमश: रु0 2,500 तथा रु0 2,750 प्रतिमास से अधिक न हो। आयोग ने दन्त चिकित्सकों को भी प्रैक्टिस बन्दी भत्ता या वेतन देने की सिफारिश की है।

7––आयोग ने कुछ अन्य वर्तमान भत्तों, यथा हाई आल्टीट्यूड एलाउन्स, विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, परियोजना प्रतिकर भत्ता तथा अन्वेषण विकास एवं डिजाइन भत्ता को चालू रखने की सहमति दी है। यह उल्लेखनीय है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए हाई एल्टीट्यूड भत्त की न्यूनतम दर रु0 5 के स्थान पर रु0 12 प्रस्तावित की है, तथा अधिकतम रु0 30 के स्थान पर रु0 50 प्रतिमास। यह भत्ता 4,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर तथा नए वेतन-क्रमों में रु0 1,200 तक अनुमन्य होगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

8—आयोग ने नये वेतनमानों को 1 अगस्त, 1972 से लागू करने की संस्तुति की है किन्तु बढ़े हुए अतिरिक्त व्यय भार का विचार करके, यह भी सिफारिश की है कि पुनरीक्षित वेतन-मानों में उच्चतर उपलब्धियां शासकीय संकल्प के जारी होने की तिथि से दी जाएं तथा 1 अगस्त, 1972 अथवा कर्मचारियों द्वारा विकल्प की तिथि से पिछले बकाये की धनराशि उनके भविष्य के निर्वाह लेखे में जमा कर दी जाए या यदि किसी केस में आवश्यक हो तो बकाया धन नशनल सेविंग्स सार्टीफिकेटों के रूप में दे दिया जाय।

9—नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण के लिए आयोग ने हर 3 वर्ष की सेवा के लिए नये वेतन-मान के न्यूनतम वेतन में एक अग्रिम वेतन-वृद्धि की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की है कि इस प्रकार दी जाने वाली वेतन वृद्धि 5 से अधिक न हों तथा उससे अधिक की सेवा के लिए हर अतिरिक्त 5 वर्ष की सेवा के लिए एक और अग्रिम वेतन वृद्धि की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की ह कि इस प्रकार दी जाने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि 2 से अधिक न हो। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी रखा गया है कि कुल 7 से अधिक वेतन वृद्धि न दी जाए तथा उपरोक्त फार्मूले के अनुसार जो वेतन निर्धारित हो वह वर्तमान परिवब्धियों के ऊपर अगले उच्चतर स्तर से कम न हो।

आयोग के इस प्रस्ताव से ऐसे कर्मचारी विशेषरूप से लाभान्वित होंगे जिनका वेतन-मान इस समय रु0 100 से कम से शुरू होता है। आयोग द्वारा संस्तुत फार्मूले के परीक्षण से यह पता चला कि इस फार्मूले के आधार पर वेतन निर्धारण करने से कुछ कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक धनराशि में कुछ कमी हो जायगी। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान परिलब्धियों में कुल महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता का कुल भाग सम्मिलित होने के कारण, उनके द्वारा देय मकान के किराये तथा भविष्य निर्वाह निधि के अंशदान की मात्रा बढ़ जायेगी और इस तरह आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन निर्धारण के फार्मूले के अनुसार, जो पे-पैकेट वे घर ले जायेंगे, वह वर्तमान पे पैकेट से कम होगा। अतः शासन ने इस संस्तुति को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि किसी कार्यरत कर्मचारी को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी भी दशा में पुनरीक्षित वेतन मानों में अनुमन्य प्रारम्भिक "वर्तमान परिलब्धियों" के अगले उच्च स्तर के ऊपर एक वृद्धि देकर जो स्तर आयेगा उससे कम न होगा परन्तु वेतनमान के अधिकतम से अधिक न होगा। इस संशोधन से न केवल उपरोक्त हानि समाप्त हो जायगी बल्कि हर कर्मचारी का पे पैकेट पहिले की अपेक्षा बड़ा होगा।

10—आयोग के प्रस्तावों के फलस्वरूप शासन पर अनुमानतः रु070. 38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आंका गया था जिसमें से 37. 97 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पर, 8·77 करोड़ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर तथा 23. 6 करोड़ रुपये सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर व्यय होने का अनुमान था। शासन ने जो संशोधित वेतन निर्धारण फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है, उसके फलस्वरूप कुल रु0 74. 38 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय भार के संसाधनों को कहां से जुटाया जाय, इस संबंध में भी वेतन आयोग न अपनी कुछ संस्तुति दी हैं, जिन पर अलग से विचार किया जायगा।

शासन ने सार रूप में वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1-8-72 से लागू करने का निश्चय कर लिया है तथा तद्नुसार बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की जा रही है शासन ने यह निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ता वेतन आयोग द्वारा संस्तुत दरों पर, रुपये 1,250 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से रु02,250 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, सीमांत समायोजन सहित, स्वीकृत किया जाय एवं राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को समान

रूप से महंगाई भत्ता दिया जाय । वेतन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्टाफ ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जो परिश्रम किया है उसके लिये वे धन्यवाद के विशेष पात्र हैं । आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न विभागों के परामर्श से विस्तार से आदेश प्रसारित करना आवश्यक होगा । इसलिए वेतन आयोग की प्रायः सभी प्रासंगिक संस्तुतियों पर विचार तथा उचित कार्यान्वयन संबंधी कार्य जारी रहेगा ।

शासन को विश्वास है कि आयोग की संस्तुतियों तथा उन पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयों का सामान्यतः स्वागत होगा । उनके कार्यान्वयन एवं परीक्षण के प्रसंग में अलग-अलग कठिनाइयां या असंगतियां सामने आवेंगी उनके यथोचित समाधान का प्रयास किया जावेगा । मैं प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शैक्षिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के विशाल एवं उत्तरदायी समुदाय से हार्दिक अपील करता हूं कि वे राज्य के आर्थिक संकट की इस विषम घड़ी में शासन के मुख्य अंग के रूप में अपना पूरा सहयोग पूर्ववत् देते रहेंगे व अपने दायित्वों को निभायेंगे ।

अवकाश को एनकैश करने की सुविधा

मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं बजट भाषण में राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश को एन-कैश करने की सुविधा प्रदान की जाने के संबंध में निर्णय से सूचित करूंगा । राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है और यह निर्णय लिया है कि राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश एन-कैश करने की सुविधा प्रदान कर दी जाय। इस संबंध में नियम बनाये जा रहे हैं ।

संस्थागत वित्त

मैंने गत वर्ष इंगित किया था कि सरकार संस्थागत वित्त अनुभाग को निदेशालय में परिवर्तन करने का विचार कर रही है । ऐसा करने का बड़ा कारण यह था कि इस प्रदेश में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा जमा धन तथा वितरित ऋण के अनुपात में बहुत कमी थी और प्रयत्न यह करना था कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से इस प्रदेश को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी स्कीमों के लिये धन प्राप्त हो सके । मुझे कहने में प्रसन्नता है कि प्रस्तावित संस्थागत वित्त निदेशालय स्थापित हो चुका है और इसके स्थापित होते ही संस्थागत वित्त मिलने में तेजी आ चुकी है ।

1 अप्रैल, 1962 से 31 जनवरी, 1973 तक 482 योजनायें जिन पर अनुमानित लागत 367. 12 करोड़ रुपया थी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत की गयी है जिनके समक्ष 264 योजनाओं के लिये 182. 68 करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं । यह धनराशि एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल एलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत तथा अराष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त हुई हैं ।

उत्तर प्रदेश में बैंकों का विस्तार प्रगति से हो रहा है । जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में औसतन एक बैंक शाखा पर 1,18,000 व्यक्ति थे । इस समय बड़ी मात्रा में नई बैंक शाखायें खुलने से उत्तर प्रदेश में एक बैंक शाखा के ऊपर केवल 67,000 व्यक्ति हैं । यह आशा है कि यह अनुपात धीरे-धीरे कम होता जायगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संभव हो सकेगा कि एक बैंक शाखा में 25,000 से लेकर 30,000 से अधिक व्यक्ति न हों । रिजर्व बैंक ने सिद्धांततः हमारा यह सुझाव मान लिया है कि हर विकास क्षेत्र में कम से कम एक बैंक शाखा हो और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में 2 या 3 शाखायें खोली जायं ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कृषि क्षेत्र में 97. 21 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत की 106 योजनायें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भेजी गई है जिसमें अल्प सिंवाई, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन आदि को योजनायें भी सम्मिलित हैं । 70. 61 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 29 जिलों में 13 मंडियों के विकास में 18·6 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को प्रस्वत की गई है । 14 पूर्वी जिलों के सघन विकास के लिये लगभग 56 करोड़ रुपये की एक योजना भी विश्व बैंक के विचाराधीन है । आशा है कि विश्व बैंक द्वारा यह दोनों योजनायें निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायगी ।

इसके अतिरिक्त छः पर्वतीय जिलों में फलोत्पादन विकास के लिये 65 करोड़ रुपये से अधिक की योजना जिसमें सड़क निर्माण, वन-आश्रित उद्योग भी शामिल है बनाई गई है जो विश्व बैंक को भेजने के लिये भारत सरकार को भी प्रस्तुत कर दी गई है ।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित नये निगमों में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य यातायात निगम भी हैं । सेतु निगम ने तीन नये पुलों को बनाने के लिये 85. 48 लाख रुपये की सहायता बैंकों से प्राप्त कर ली है और 194. 854 लाख रुपये की छः योजनायें बैंकों में प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी स्वीकृति होने की पूरी संभावना है । इसके अलावा यह निगम विभिन्न जिलों में सेतु बनाने का प्राजेक्ट तैयार कर रही है । जिनको वित्तीय संस्थाओं की सहायता से पूरा किया जायगा । मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि Syndicate Bank द्वारा बृन्दाबन पर पुल बनाने की योजना पर स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । यातायात निगम अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है । और इस हेतु इस निगम को 7. 87 करोड़ रुपये की सीमा स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

सन् 1972 में राज्य हथकर्घा उद्योग एवं रिक्शा चालकों को सुविधायें प्रदान करने हेतु एक समिति का गठन किया गया । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीकृत बंकों ने बुनकरों को एक हथकरघे पर रु0 1,500 और शक्ति चालक करघे पर रु0 5,000 देना स्वीकृत किया । रिक्शा चालकों को 10 प्रतिशत मार्जिन पर रु0 750 ऋण देना भी स्वीकृत किया गया है ।

संस्थागत वित्त निदेशालय की ओर से प्रदेश में एक अभियान हथकर्घा बुनकरों को बैंकों द्वारा सहायता उपलब्ध कराने के लिये 15 जनवरी से 15 फरवरी, 1973 तक चलाया गया । प्रदेश के सभी भागों में जहां बुनकर भाई रहते हैं वहां यह सुविधायें अब प्राप्त होना शुरू हो गई हैं ।

विद्युत शक्ति के लिये इस प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं से जो धन प्राप्त हुआ है उसमें विशेष बातें यह है कि बैंकों ने विद्युत उत्पादन के लिये तथा आवश्यक मशीनों के खरीदने के लिये पहली बार आयोजनागत प्राबिधान होने तक की अवधि के लिये अग्रिम धन दिया है । इस धन के उपयोग से मशीनों के निर्माण कारखाने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को अग्रिम देकर के इस प्रकार जो खरीदारी का कार्य दो साल के बाद किया जाना था वह तुरन्त ही कर लिया गया है । इस मद में अब तक कुल 10 करोड़ रु0 प्राप्त हो चुका है ।

31 जनवरी, 1973 तक विद्युत संबंधी 144 योजनायें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भेजी गई हैं जिनकी अनुमानित लागत रु0 242. 62 करोड़ थी । अब तक इन योजनाओं में से 31 स्वीकृत हो चुकी हैं और 30 करोड़ रुपये प्राप्त हों चुका है विद्युत् उत्पादन तथा ट्रांसमिशन में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पहली बार 1972 में काफी रुपया प्रदेश के लिये दिया ।

जीवन बीमा निगम के बारे में मुझे अलग से निवेदन करना आवश्यक है । पिछले वर्ष से इस निगम ने इस राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । दो वर्ष पूर्व जीवन बीमा निगम का योगदान लगभग 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता था और वहां पर बहुत सीमित प्रकार की योजनायें भेजी जाती ी जिनमें राज्य बा ार ऋण एवं जल सम्पूर्ति योजनायें प्रमुख हुआ करती थीं । पिछले 3 वर्षों में राज्य विद्युत परिषद को भी इस निगम से ऋण मिलना प्रारम्भ हो गया है । अगले वर्ष सन् 1973–74 में बीमा निगम ने लगभग 30 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया है जिसमें राज्य विद्युत परिषद, से निगम, आवास परिषद् जल सम्पूर्ति योजनायें तथा अन्य योजनायें सम्मिलित हैं । बीमा निगम के अध्यक्ष श्री पुरी ने यह भी आश्वासन दिया है कि बम्बई की बोरिविली आवास योजना की भांति इस राज्य के दो स्थानों पर उसी प्रकार की योजनायें बनायेंगे । यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसी प्रकार से पांचवीं योजना में जीवन बीमा निगम से कम से कम लगभग 150 करोड़ रुपया अलग-अलग ऋणों के रूप में निश्चित योजनाओं के लिये प्राप्त हो सकेगा ।

विश्व बैंक की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के माध्यम से निम्नलिखित योजनायें भेजी गयी हैं :

1—टेहरी डैम योजना—जिसके विद्युत् भाग की लागत लगभग 150 करोड़ है ।

2—कवाल नगरों की जलसम्पूर्ति योजनायें—जिनकी लागत 50 करोड़ आयेगी ।

3—मंडी योजनायें—लागत 18. 63 करोड़ रुपये ।

4—कृषि सघन विकास योजनायें—लागत 56 करोड़ रुपये ।

5—पर्वतीय जिलों में फल उत्पादन योजनायें—लागत 65 करोड़ रुपये ।

हाल में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बम्बई गया और वर्ष 1973–74 तथा आग की योजनाओं के लिये वित्तीय संस्थाओं से निश्चित आश्वासन प्राप्त किये गये । इस प्रकार जो धन 1972–73 के अंतिम महीनों में एवं 1973–74 में प्राप्त होगा वह कुल मिलाकर 161. 40 करोड़ रु0 होगा । विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का प्रस्तावित योगदान निम्न-लिखित है :—

	करोड़ रु0
(1) जीवन बीमा निगम	30. 00
(2) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	3. 07
(3) यूनियन बैंक आफ इंडिया	17. 87
(4) बैंक आफ इंडिया	10. 87
(5) स्टेट बैंक आफ इंडिया	40. 87
(6) बैंक आफ बड़ौदा	11. 79
(7) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	26. 50
(8) बैंक आफ महाराष्ट्र	1. 00
(9) आई0 डी0बी0 आई0	3. 50
(10) बांड्स एवं डिबेंचर्स	6. 00
(11) सिंडीकेट बैंक	1. 00
(12) इलाहाबाद बैंक	1. 00
(13) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा	8. 00
	0
कुल योग ..	161 ·4

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस आश्वासित धनराशि में विद्युत् परिषद् के लिये 60 करोड़ रु0, परिवहन निगम के लिये 9. 80 करोड़ रु0, पुल निम ण निगम के लिये 8. 50 करोड़ रु0 तथा शहरों में "शापिंग सेंटर्स" के निर्माण के लिये 3. 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जिन वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय सहायता देने के लिये हमारी योजनाओं पर विचार कया है उनमें से हम विशेषतः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, कृषीय वित्त निगम लिमिटेड तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा सभी बैंकों के विशेष आभारी हैं।

1973–74 के बजट अनुमान तथा घाटे की आंशिक पूर्ति

वर्ष 1973–74 में राजस्व तथा पूंजी पक्षों को मिलाकर कुल 838. 79 करोड़ रुपय की प्राप्ति अनुमानित है। इनमें 664. 35 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति तथा 174. 44 करोड़ रुपये पूंजी पक्ष (ऋण पक्ष को मिलाकर) की प्राप्ति शामिल है। भारत सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान के 148. 84 करोड़ रुपये उपरोक्त राजस्व प्राप्त में शामिल हैं, जिसमें 41. 30 करोड़ रुपये आयोजनागत योजनाओं के लिये, 99. 51 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा पुरोनिधानित तथा केंद्र पोषित योजनाओं के लिये 4. 93 करोड़ आयोजनेत्तर योजनाओं के लिये तथा 3. 10 करोड़ रुपये रेल भाड़े पर कर के बदले में अनुदान के लिये हैं।

बजट वर्ष के लिये राजस्व व्यय के अनुमान 675. 93 करोड़ रुपये हैं जिसमें 167. 58 करोड़ रुपये आयोजनागत योजनाओं के लिये (केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करके) हैं। पूंजी पक्ष में व्यय के अनुमान 207. 57 करोड़ रुपये हैं, जिसओं 174. 15 करोड़ रुपये आयोजनागत योजनाओं के लिये (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनासओं को सम्मिलित करके) निर्धारित हैं।

इस प्रकार कुल अनुमानित व्यय 883. 50 करोड़ रु0 व कुल अनुमानित प्राप्ति 838. 79 करोड़ रुपये है, जिसके कारण बजट में 44. 71 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है। चालू वर्ष में 31. 60 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। इसे सम्मिलित करके 1973-74 में कुल घाटा 76. 31 करोड़ रुपये हो जायगा।

पिछले वर्ष विदेशी शराब की दूकानों के नीलाम के निर्णय को हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किये जाने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण आबकारी नियंत्रण प्रणाली पर विचार किया जाय। अवैध शराब तथा जिंजर-टिंचर आदि मादकीय द्रव्यों के प्रसार पर अधिक नियंत्रण होना भीज आवश्यकीय है। इस प्रसंग में यह प्रस्ताव है कि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों ने जो नियंत्रण तथा दूकान वितरण प्रणाली अपनायी है उसको संशोधित रूप में राज्य में लागू करने पर विचार किया जाय। डिस्टीलरीज एवं शीरे आदि के नियंत्रण को भी प्रभावकारी बनाने का विचार है। इन कार्यवाहियों से लगभग 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1973 से बंगला देश सरचार्ज समाप्त करने का निर्णय किया है जिसे प्रदेश में भी एक अधिनियम द्वारा सन् 1971 में लागू किया गया था। अब यह प्रस्ताव है कि महाराष्ट्र आदि कुछ प्रदेशों की तरह प्रदेश को त्रस्त करने वाली सूखे व बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए उक्त सरचार्ज में प्राप्त लगभग 4 करोड़ रुपया वार्षिक धनराशि को नया रूप देकर 1 अप्रैल, 1973 के बाद प्रदेश के कनसोलिडेटेड फंड में डाल दिया जाय। इससे मुख्य लाभ यह होगा कि सूखा एवं बाढ़ आदि में सहायता के लिये भारत सरकार जो आर्थिक सहायता देती है उसके लिए अनिवार्यतः निर्धारित अंशदान की पूर्ति काफी मात्रा में हो सकेगी और इस प्रकार अधिक धनराशियों का उपयोग हो सकेगा।

राज्य सरकार के जो पहले बकाया हैं उनकी भी अधिक से अधिक वसूली के प्रयास किये जायेंगे तथा टैक्स प्रशासन को सुदृढ़ किया जायेगा, जिससे अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है । अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जो शुद्ध जमा होती है उसका लगभग दो तिहाई ऋण के रूप में राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त होता है । सदन को जान कर यह प्रसन्नता होगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अल्प बचत में 40 करोड़ रुपए एकत्र करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी संभावना है अतएव अगले वर्ष अधिक बचतें एकत्र करने के लिये एक विशेष अभियान चलाने का विचार है । यह आशा की जाती है कि इस विशेष अभियान के कारण अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 20 करोड़ का रुपये का संग्रह हो सकेगा जिसके फलस्वरूप लगभग 13 करोड़ का अतिरिक्त ऋण भारत सरकार से प्राप्त हो सकेगा । अनुमानित प्राप्तियों के बाद भी जो 45.31 करोड़ रु0 का घाटा रह जायगा, इस घाटे को आंशिक रूप से लोक लेखे के अन्तर्गत 36.28 करोड़ रु0 की शुद्ध प्राप्ति से पूरा किया जायगा । उपरोक्त उपायों के बाद भी जो घाटा रह जायेगा उसकी पूर्ति के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । इस दृष्टि से कि कार्य-कुशलता पर विपरीत प्रभाव न पड़े और साथ ही साथ किफायत भी हो जाय, आयोजनेत्तर व्यय में भी यथासंभव कमी करने का प्रयास किया जायेगा । और आशा है कि इसके फलस्वरूप भी घाट को आंशिक रूप से पूरा करने में किसी सीमा तक सहायता मिलेगी ।

अक्सर यह कहा जाता रहा है कि राज्य सरकार बजट में योजनाओं पर प्राविधान तो कर देती है लेकिन वर्ष के अन्त में स्वीकृत सीमा तक व्यय न हो सकने के कारण प्रस्तावित घाटा नहीं होता व खर्च न की गई धनराशियां समर्पित करनी पड़ती हैं । सरकार द्वारा किय गये विशेष प्रयासों और समय से व्यय करने संबंधी कड़ाई के कारण स्थिति बदल गई है व विकास की तमाम मदों में अब व्यय की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है यह उल्लेखनीय है कि अधिकांशतः विकास व्यय के परिणामस्वरूप सन् 1971–72 में पहली बार राज्य सरकार को रिजर्व बैंक से 26 करोड़ रु0 का ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ा । अन्य कुछ प्रदेशों की तरह हमने भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस ओवर ड्राफ्ट को ऐसे विशेष ऋण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय जो 10 वर्ष में प्रतिदेय हो । भारत सरकार ने इस ओवर ड्राफ्ट के ऋण में बदल कर कुछ अंश 4 वर्षों में प्रतिदेय करने का संकेत दिया है । हमने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया है कि इस बात को देखते हुए कि इस प्रदेश, हमारे प्रदेश ने कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है वह इस ओवर ड्राफ्ट ऋण को विशेष ऋण (स्पेशल एकामोडेशन) के रूप में दीर्घकालीन ऋण के बतौर दे दें । हमें आशा है कि भारत सरकार हमारी न्यायोचित मांग को स्वीकार करेगी ।

प्रदेश सरकार नई वर्षों से केंद्रीय सरकार, योजना आयोग, एवं रिजर्व बैंक से यह आग्रह करती रही है कि उत्तर प्रदेश के लिये जो बाजार ऋण की निर्धारित की गई है वह उत्तर प्रदेश में बैंकों के बढ़ते हुए डिपाजिटों को देखते हुए नितांत अपर्याप्त है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाजार ऋण द्वारा प्रदेश को शुद्ध 17 करोड़ रु0 प्राप्त हुए थे । सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष सरकार के निरन्तर प्रयास से बाजार ऋण की सीमा अब 11 करोड़ रुपया बढ़ाकर 28 करोड़ रु0 शुद्ध कर दी गई है । जहां हम केंद्र एवं रिजर्व बक इस निणय के लिए आभारी हैं वहां हमारा आग्रह अवश्य है कि बढ़ते हुए डिपाजिटों को देखते हुए यह धनराशि 35 करोड़ रु0 होनी चाहिये । इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की बिक्री-कर आय में लगभग 11–12 करोड़ रुपये की वृद्धि की निश्चित आशा है जो लगभग 20 प्रतिशत होती है । इस प्रकार इस वर्ष बिक्री-कर राजस्व से कुल आय लगभग

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

70 करोड़ रुपए अपेक्षित है । इस वृद्धि के लिये विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये परिश्रम, कार्यकुशलता तथा करापवंचन की रोक-थाम संबंधी कार्यवाही के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं ।

व्यापारियों को बिक्री-कर संबंधी सुविधायें देने के संबंध में शासन ने हाल में कुछ प्राविधान किय ह । इनके अनुसार व्यापारियों को अब रिफंड संबंधित आदेश की तिथि से 6 माह के अन्दर दे दिया जायेगा । यदि ऐसा न हो सका तो उन्ह 6 प्रतिशत साधारण व्याज दिया जायगा । इच्छुक उद्योग निर्माताओं को अब उत्पादन प्रारम्भ करने से पहले ही प्रदेशीय पंजीकरण मिल सकेगा, जिससे वे केंद्रीय पंजीकरण प्राप्त कर अन्य राज्यों से मशीनरी आदि'सी' फार्म के अन्तर्गत, रियायती दर से मंगा सकेंगे । इसमें पिछड़े जिलों के नए उद्योगों को उनके उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तथा अन्य जिलों के नये उद्योगों को 3 वर्ष तक की अवधि में की गई, प्रदेशीय बिक्री-कर जमा की गई बिक्री-कर की राशि, व्याज रहित ऋण के रूप में लगभग 10 वर्ष के लिये दी जायगी ।

आगरे तथा अन्य स्थानों छोटे-छोटे जूता निर्माताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से बिक्री-कर के स्थान पर निर्धारित शुल्क पर कर मुक्ति प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की जायगी । इस सुविधा का बड़े व्यापारी अनुचित लाभ न उठावें इसके लिये भी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी । नीवार, फीते और लेस पर 1 मार्च 1973 से बिक्री-कर की दर घटा कर दो प्रतिशत कर दी गई है ।

षष्टम् वित्त आयोग

राष्ट्रपति महोदय ने संबंधित केन्द्रीय करों के राज्यों के मध्य से वितरण तथा भारतीय संविधान की धारा 275 के अन्तगत राजस्व से अनुदान की संस्तुति करने के लिये संविधान की धारा 280 के अन्तगत जून, 1972 में षष्टम वित्त आयोग का गठन किया । यह आयोग वित्तीय संक्रमण के विषय में राज्य सरकार के सदस्यों एवं अधिकारियों से विचार विमर्श करने हतु 17 तथा 18 माच, 1973 को इस राज्य में पधार रहे ह । आशा है कि आयोग इस राज्य के प्रति उचित ध्यान देगा और विशेषकर अपने वित्तीय संक्रमण की संस्तुति में ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे यह पिछड़ा और गरीब राज्य अधिक समृद्धशाली राज्यों के स्तर तक पहुंच सके । इस दिशा में आशा को जाती है कि जनसंख्या क आधार पर व धारा 295 के अधीन हमें अधिक संक्रमण प्राप्त हो सकेगा ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

आगामी वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है कि 1974–75 से पांचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होगी । राज्य की पांचवीं योजना के तीन मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार है:—

(1) आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना ।

(2) उत्पादक रोजगारों के पर्याप्त अवसर देकर निर्धनता कम करना जिससे निजी उपयोग का न्यूनतम स्तर प्राप्त करक आर्थिक विषमतायें कम की जा सकें ।

(3) न्यूनतम सामाजिक उपभोग की व्यवस्था करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक आहार, भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थान, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मलिन बस्तियों की सफाई के कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

इस संबंध में जो अभ्यास अभी तक किये गये हैं उनके अनुसार राज्य की पांचवीं परियोजना का कुल परिव्यय लगभग 4,300–4,400 करोड़ रु0 होने का अनुमान है। इस परिव्यय में लगभग 1,000 करोड़ रु0 का विनियोजन संस्थागत वित्त द्वारा प्राप्त करने का प्रयास सम्मिलित है। लगभग 1,100 करोड़ रु0 की परियोजनायें न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिये प्रस्तावित हैं जो केंद्रीय योजना आयोग के पास विचारार्थ भेजी जा चुकी हैं। यदि राज्य योजना के लिये वांछित केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश में 1,500 करोड़ रु0 का सार्वजनिक क्षेत्र से विनियोग भी हो जाय जो देश भर के विनियोग का छठा भाग होगा तो कुल योजना का आकार बढ़कर लगभग 5,800–5,900 करोड़ रु0 होगा। इसके अतिरिक्त यह भी परिकल्पना है कि निजी क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रु0 का विनियोग कृषि, उद्योग एवं अन्य धंधों में हो। अगर इसे भी शामिल कर लिया जाय तो पांचवीं योजना का कुल विचारित परिव्यय 7,300–7,400 करोड़ रु0 हो जाता है।

आशा है कि वर्ष 1973–74 के मध्य तक केंद्रीय योजना आयोग के परामर्श से प्रदेश की पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अगले वर्ष के केंद्रीय बजट में 150 करोड़ रु0 का प्राविधान पांचवीं योजना की अग्रिम कार्यवाही के लिये किया गया है। उन्हें यह जानकर संतोष होगा कि प्रदेश की सरकार ने इस जानकारी के पहले ही 1973–74 की वार्षिक योजना बनाते समय सिंचाई, विद्युत कृषि, सड़क आदि कार्यक्रम में पांचवीं योजना की तैयारी के लिये लगभग 68 करोड़ रु0 के प्रस्ताव से भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भजे हैं। मुझे विश्वास है कि इस पहले का लाभ प्रदेश को मिलेगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुये मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि 150 करोड़ रु0 में से बांछित धनराशि की सहायता हमें अग्रिम कार्यवाही हेतु दी जाय।

आगामी वर्ष चौथी योजना का अंतिम वर्ष है। वर्तमान वर्ष चुनौतियों भरा आर्थिक संकट का वर्ष रहा है। किसी भी राष्ट्र की जनता की महानता, एकता व संकल्पवद्धता की परीक्षा संकट की घड़ियों में ही होती है। इस महान् सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी इस दायित्वपूर्ण अवसर में सही नेतृत्व प्रदान किया है और करना है। मार्ग में बाधायें अवश्य आयेंगी परन्तु उनसे निरुत्साहित नहीं होना है। वास्तव में यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस पावन कार्य में योगदान करने का अवसर मिला है। यह बजट हमारे राष्ट्रीय अभियान का एक कदम मात्र है, लेकिन यह कदम भी उठाना ही है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस बजट को पारित करने में सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक योगदान प्राप्त होगा।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री स्वतंत्र-वीर सिंह जुनेजा को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस बजट के तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री मजूमदार व श्री राजकुमार भार्गव, संयुक्त सचिव, श्री सुरेन्द्र मोहन व श्री बजाज, उप सचिव, श्री धेसी तथा बजट अधिकारी, श्री एस0 के0 गोयल को भी धन्यबाद देता हूं। मैं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार तथा संकलित करने के काम में सहायता दी। म भाषा तथा सूचना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सहायता के लिमे धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक श्री अशोक दर, संयुक्त अधीक्षक श्री जगदीश स्वरूप गुप्ता, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, मैं वर्ष 1973–74 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि नियम 51 के पांच लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिये सूचना दी गयी थी, उनमें से कोई भी स्वीकृत नहीं हुई है ।

अब हम उठते हैं और 12 तारीख, सोमवार, को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 44 मिनट पर सोमवार, 12 मार्च, 1973 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
9 मार्च, 1973 ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 179 पर]

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश,
शाखा लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

द्वारा: जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

महोदय,

लखीमपुर-खीरी जनपद के राज्य कर्मचारी आप पर पूर्ण आस्था रखते हुए अपनी निम्न-लिखित कठिनाइयों के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करते हैं कि: –

1––सहायक अभियन्ता श्री जे० के० अग्रवाल एवं श्री आर० पी० अवस्थी ओवरसियर द्वारा सरकारी ड्यूटी पर कर्मचारियों को पुलिस द्वारा पकड़वाकर बन्द कराने के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

2––सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी जो कटना नदी के पुल पर सरकारी ड्यूटी पर थे, गोला पुलिस के थानेदार सर्वश्री पाल सिंह व रामजी लाल मिश्र द्वारा उनकी बराबर पिटाई तथा सरकारी का गजात फाड़ने के उपरान्त भी अब तक पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । संबंधित थानेदारों को तुरन्त लाइन हाजिर करके न्यायिक जांच कराई जाय ।

3––वन विभाग में अरण्यपाल तथा कुछ उप अरण्यपालों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निरन्तर चलाई जाने वाली दमनमूलक कार्यवाहियों को समाप्त कराया जाय जो निम्न हैं :––

(क) अवैध निलम्बन को समाप्त कराया जाय ।

(ख) अवैध स्थानान्तरण रद्द करायें जायं ।

(ग) तीन-तीन महीनों से रुके हुए वेतन तथा यात्रा भत्तों का भुगतान किया जाय ।

(घ) वर्षों से अकारण रोकी गई दक्षतारोक पार कराई जाय।

(ङ) तृतीय श्रेणी कर्मचारी निवासों को राजपत्रित अधिकारियों से खाली कराया जाय।

4––बिना कारण बताये नोटिस दिये निकाले गये तकाबी अमीनों को तुरन्त सेवा में वापिस लिया जाय।

5––शारदा सहायक खंडों में कार्य होते हुए भी निकाले गये वर्क चार्ज कर्मचारियों को शीघ्र सेवा में वापिस लिया जाय ।

6–तहसीलदार लखीमपुर खीरी द्वारा निरन्तर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, गालियां देना तथा माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार को अशोभनीय शब्दों से सम्बोधित करने के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय।

7--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा बेगार करने से मना करने पर उन्हें झूठे आरोप लगाकर सेवा से मुक्त किये जाने की कार्यवाही को समाप्त कराया जाय।

हम कर्मचारियों की उपर्युक्त कठिनाइयों व समस्याओं के संबंध में समय-समय पर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने के उपरान्त भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः माननीय महोदय से जनपद के कर्मचारियों का विनम्र निवेदन है कि अधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे दमन-चक्र को समाप्त कराकर न्याय दिलाने की महती कृपा की जाय। क्योंकि 15-1-72 में उक्त कठिनाइयों के कारणक्रमिक भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी गई है।

(कृपा शंकर त्रिपाठी)
अध्यक्ष

(शिवराम सिंह चौहान)
मंत्री

(विजय ब्रह्म सक्सेना)
संयुक्त मंत्री

(सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव)
संगठन मंत्री

(आत्मानन्द पांडेय)
सांस्कृतिक मंत्री

(पी० सी० विश्नोई)
कोषाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:--

1--श्रीमन्, जिलाधीश लखीमपुर खीरी ।
2--श्रीमन् अरण्यपाल, केंद्रीय वृत्त उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी ।
3--श्रीमन् पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी ।
4--श्रीमन् अधीक्षक अभियंता शारदा सहायक लखीमपुर खीरी ।
5--माननीय श्री पशुपतिनाथ सुकुल 18-ए कैपर रोड, लाल बाग, लखनऊ ।
6--श्रीमन् उपमंत्री राजस्व, उत्तर प्रदेश ।
7--श्रीमन् उपमंत्री श्रम एवं पुर्नवास, मंत्री भारत सरकार।

(शिवराम सिंह चौहान)
मंत्री ।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश,
शाखा लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

द्वारा : श्रीमान् जिलाधीश, खीरी ।

महोदय,

लखीमपुर खीरी जनपद के राज्य कर्मचारी आप पर पूर्ण आस्था रखते एवं लखीमपुर आगमन पर आपका हृदय से स्वागत करते हुए यह विनम्र निवेदन करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लगभग 6 लाख कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय अवश्य प्रदान करेंगे। इस राज्य के कर्मचारी लगभग 5 वर्षों के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के संबंध में संघर्षरत रहे हैं। यहां पर हम कर्मचारीगण आपके नेतृत्व में गठित सरकार को 76 दण्डित राज्य कर्मचारियों को पुनः वापस लेने पर बधाई देते हैं तथा भविष्य में यह आशा भी करते हैं कि आपने सरकार एवं राज्य कर्मचारियों के बीच सौहार्द्र पूर्व वातावरण कायम रखने की अपने शासन की नीति को घोषित किया है तथा 5 अप्रैल को विधान भवन के सामने चालीस हजार राज्य कर्मचारियों के बीच अभिनन्दन स्वीकार करते समय हम राज्य कर्मचारियों की मांगों को न्यायोचित सिद्धांत स्वीकार कर शीघ्र पूर्ति करने का विश्वास दिलाया था। आज हमें आम सभा के माध्यम से पुनः उन्हीं मांगों की ओर ध्यान दिलाने पर विवश होना पड़ रहा है वह भी इस आशा के साथ कि समाजवादी सरकार के मुख्य मन्त्री महोदय सिद्धांततः स्वीकार की गई मांगों की पूर्ति अविलम्ब करने की कृपा करेंगे।

इस आम सभा में सर्व सम्मति से जनपद खीरी के समस्त कर्मचारियों ने संकल्प लिया है कि निम्नलिखित मांगों के लिये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रान्तीय नेतृत्व जो भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनायेगा उसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं।

हमारी मुख्य मांगें

1—महंगाई भत्ते में केन्द्र राज्य समानता, तात्कालिक अंतरिम सहायता तथा दैनिक वेतन भोगी तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन में समानुपातिक वृद्धियां

2—रोडवेज कर्मचारियों को सन् 1960 की नई सेवा शर्तों की समाप्ति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमन एवं उनके वेतन में वृद्धि।

3—छटनी एवं एक मास के नोटिस की प्रथा की समाप्ति।

4—वेतन आयोग में कर्मचारियों का प्रतिनिधि, उसके विचारणीय विषयों में संशोधन तथा समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत का प्रतिपादन।

5—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 80 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि।

6—तीन वर्ष से सेवारत सभी कर्मचारियों का स्थायीकरण।

7—सरकार द्वारा घोषित अंतरिम सहायता में सुधार किया जाय।

(कृपा शंकर त्रिपाठी)	(रसूल अहमद)	(शिवराम सिंह चौहान)
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	मन्त्री
(सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव)	(विजय ब्रह्म सक्सेना)	(पी० सी० विश्नोई)
संगठन मन्त्री	संयुक्त मन्त्री	कोषाध्यक्ष

(आत्मा नन्द पांडे)
सांस्कृतिक मन्त्री

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:—

1—श्री पशुपतिनाथ सुकुल, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ० प्र०, 90—ए०, कैंपर रोड, लालबाग, लखनऊ।

2—मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 180 पर)

दिसम्बर सन 1971 में पी0 एच0 आई0, लखनऊ से सेनेटरी इन्सपेक्टर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची।

क्रम-संख्या	सेनेटरी इन्सपेक्टर का नाम	प्राप्तांक
1	श्री ज्ञान सिंह	474
2	श्री दया नन्द शर्मा	465
3	श्री ओम प्रकाश द्विवेदी	461
4	श्री छोटे लाल वर्मा	461
5	श्री हरी शंकर	456
6	श्री प्रभू नारायण सिंह	456
7	श्री जगमल सिंह	447
8	श्री सिपाह सिंह	446
9	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	444
10	श्री चमन सिंह	444
11	श्री सतीश चन्द्र सक्सेना	444
12	श्री राम प्रकाश उपाध्याय	442
13	श्री राम नाथ वर्मा	439
14	श्री मुरारी लाल	431
15	श्री घनश्याम सिंह	431
16	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	430
17	श्री बचन सिंह जयारा	429
18	श्री बांके लाल वर्मा	427
19	श्री अकबाल नारायण सिंह	425
20	श्री श्याम सुन्दर	424
21	श्री राकेश मोहन गुप्ता	422
22	श्री विक्रम सिंह	419
23	श्री सेवा राम	418
24	श्री शिव प्रताप शुक्ला	418
25	श्री सोमेन्द्र कुमार	418
26	श्री चन्द्र प्रकाश सैनी	418
27	श्री जगदीश प्रसाद	417
28	श्री बद्री प्रसाद	413
29	श्री काली चरण	413
30	श्री मोती प्रसाद अहेरवार	411
31	श्री शशि भुषण सरण श्रीवास्तव	409
32	श्री आनन्द बल्लभ	407
33	श्री राम प्रकाश यादव	407
34	श्री सुभाष चन्द्र सिंह	406
35	श्री भुवनेश्वर चौबे	406
36	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	405

क्रम-संख्या	सेनेटरी इन्सपेक्टर का नाम				प्राप्तांक
37	श्री अहमद जिलानी	..	..	..	404
38	श्री होरी लाल संखवार	..	..	..	403
39	श्री भगवान दीन	..	..	..	402
40	श्री हरी कृष्ण दीक्षित	..	..	..	401
41	श्री ब्रह्मजीत]	..	..	..	400
42	श्री सुरेश चन्द्र	..	..	..	399
43	श्री प्यारे लाल	..	..	..	398
44	श्री फौजदार सिंह	..	..	..	396
45	श्री राज नारायण त्रिवेदी	..	..	..	394
46	श्री किरण शंकर दीक्षित	..	..	..	392
47	श्री मोहित राम	..	..	..	387
48	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता	..	..	..	386
49	श्री राम सिंह	..	..	..	422
50	श्री राजा बेटा पाल	..	..	..	416
51	श्री सत्यनारायण सिंह	..	..	..	414
52	श्री हीरा सिंह यादव	..	..	..	408
53	श्री कौशल किशोर	..	..	..	406
54	श्री महेन्द्र सिंह	..	..	..	405
55	श्री नफीस अहमद	..	..	..	394
56	श्री रमेन्द्र मोहन मिश्रा	..	..	..	391
57	श्री राम दीन	..	..	..	384

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 188 पर)

तहसीलवार निम्न कार्य शुरू है :—

तहसील देवरिया

1 रुद्रपुर सतआभार निवहो रोड ।
2 पथरदेवा से रामपुर अवस्थी ।
3 स्वांग पट्टी से नौतान
4 केसरपुर हिरन्दपुर चौराहा
रामपुर तिवारी सरेजो ।

तहसील सलेमपुर

1 छितपुर भागलपुर बांध ।
2 सोहनपार से सिकटिया दोनाचक-वाया-टीकमपार ।
3 पैना से संतराव ।
4 देवरिया से बरहज रोड ।
5 सलेमपुर से भटनी रोड ।
6 लार से चनुको घाट ।
7 भोगारो से भटनी रोड ।

तहसील हाटा

1 कोटवा से बेलवाघाट ।
2 खड़हा से गुरली घाट ।
3 रधिया देवरिया से भिसवा ।
4 टेकुआटार से रामपुर बुजुर्ग पान्डेय राम ।

तहसील पडरौना

1 ओझवलिया से सिसवा नाहर ।
2 अमवाखास से जमुआनघाट ।
3 जोकवा से देवपोखर ।
4 तेनुआ कुवेरनाथ ।
5 पुरानी सड़कों में हुए कुन्ड की मरम्मत ।
6 मन्साछापर से वलकुड़िया ।
7 कमया से कुरमोटा ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 193 पर)

जिले का नाम	प्रभावित गांवों की सं0	क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1—गाजीपुर	118	3622	20 से 50
2—जौनपुर	204	7283	10
3—आगरा	..	20535	10 से 20
4—खीरी	19	9841	30 से 40
5—इटावा	..	369	10 से 35
6—हमीरपुर	6	2200	80
7—उन्नाव	70	16421	3 से 50
8—बलिया	54	7825	50 से 75
9—गोरखपुर	..	15977	15 से 20
	7	8448	20
10—बस्ती	2394	115589	10 से 100
11—बदायूं	8	1560	
12—कानपुर	..	5182	5 से 40
13—शाहजहांपुर	199	21445	5 से 13
14—देवरिया	7	2.75	25
15—फैजाबाद	..	—	20 से 45
16—सुल्तानपुर	844	32837	25 से 100
17—फर्रुखाबाद	155	12719	0 से 100
18—प्रतापगढ़	11	—	30
19—मेरठ	7	—	—
20—पीलीभीत	4	—	—
21—आजमगढ़	352	—	10 से 50

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 196 पर)

सलोन ब्लाक (जिला राय बरेली) के उन ग्रामों की सूची जिनका धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन अभी नहीं हुआ है।

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
1	चक नेकनामपुर	37	शमसपुर खालसा
2	हर किशुन पुर	38	केवली महिमा
3	असई पुर	39	रेवली
4	मटनोसा	40	सहरी
5	जमूखा खुर्द	41	दासवा
6	कपूरीपुर	42	खेहारा
7	केमूपुर	43	मुर्तजानगर
8	राघूपुर	44	मटका
9	चकमीरा	45	जमुर्वा बुजुर्ग
10	खेमरियापुरे कुशल	46	पक सरावां
11	रायपुर महेवा	47	गमनी
12	तिवारीपुर	48	केरमुआ
13	लालापुर	49	पाल्हीपुर
14	जोतभाटी उर्फ रोरीडीह	50	सोनवरसा
15	कन्डी	51	पुरे मीरा
16	राजापुर माफी	52	मोहम्दाबाद
17	केशवपुर	53	आशकाबाद
18	कालूपुर जलालपुर	54	जहानपुर
19	गद्दीपुर	55	ओनानोस
20	इटारा	56	दुबहन
21	घूरनपुर	57	भवानीपुर
22	परहरी	58	रसासो
23	दान्दूपुर	59	किढावां
24	रतनपुर	60	मोहनगंज
25	विजवलिया	61	अलीपुर
26	पृथ्वीपुर	62	कमालुद्दीनपुर
27	पीरानगर	63	जोवहा
28	पुरे मो0 सईद उर्फ फजल अहमद	64	बैरमपुर
29	रामपुर कसिहा	65	कान्हूपुर
30	कोन्डरी	66	प्यारेपुर
31	रूनीपुर	67	नूरुद्दीनपुर
32	शोनसदरा	68	जयरामपुर
33	खानपुर उर्फ वीरभानपुर	69	सान्डा सैदन
34	लहुरेपुर	70	बखलिया
35	राजापुर चक बीबी	71	माधोपुर निमटपा
36	गढ़ी इस्लामनगर	72	अताजंज उसरी

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाल ग्राम
73	सिरसिरा	86	खैरहनी पहाड़ढ़ग
74	विसटपा	87	नेवली
75	अतर थरिया	88	सलोन
76	कटेह	89	कमालपुर
77	नूमरी	90	धरई
78	नायन	91	डोमापुर
79	सेमरी झकरासी	92	अशरफगंज
80	बधौला	93	अलीगंज
81	सूर्चा	94	खन्पारा
82	वराडीह	95	टिकरिया भाट
83	टिकरिया तालुकेवराडीह	96	पट्टी आशानन्द
84	पीरी	97	मखदूमपुर
85	हरपुर हस्ला	98	सटवा

ऊंचाहार ब्लाक, जिला राय बरेली के उन ग्रामों की सूची जिनका धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन अभी नहीं हुआ है ।

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
1	खालिकपुर कलां	29	मोहम्मदपुर चंदौऊ
2	मिर्जापुर रोहारी	30	सवैया राज
3	गोपालपुर घुखस	31	सराय परसू
4	राम सान्डा	32	चन्दरई
5	किशुनदासपुर	33	मियांपुर
6	जब्बारीपुर	34	जसौली
7	खरौली	35	सराय हरदो
8	डिडौलीती	36	प्रयागपुर नन्दौरा
9	ऊंचाहार	37	गनसरी
10	कन्दरावां	38	पुखारा
11	अरुखा	39	सवैया हसन
12	मुहमदपुर	40	पचखरा
13	कोटरा बहादुरगंज	41	कोटिया चिन्ना
14	सुकल्लागपुर	42	सोंवापुर नेवादा
15	निगोहा	43	मतरौली
16	गंगौली	44	सवैयाघनी
17	इटौरा बुजुर्ग	45	भामीपुर
18	सरेनी	46	सराय सहजन
19	मवई	47	खुर्रमपुर
20	उमरन	48	गोपालपुर उधवन
21	खानपुर	49	छतौना मरियानी
22	कमौली	50	दौलतपुर
23	रसूलपुर	51	बहेरवा
24	गोकना	42	भीलमपुर
25	गंगहेरा गुलालगंज	53	रामचन्द्रपुर
26	नरायनपुर	54	सरबढ़हा
27	बिकई	55	सलीमपुर भैरों
28	मीरापुर दमगानी		

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 196 पर)

प्रदेश में 5-1-73 तक शीतलहरी से मृतकों की सूची

जिला	मृतकों की सं0	नाम व पता
1--मिर्जापुर ..	2	दोनों का नाम व पता ज्ञात नहीं, क्योंकि एक भिक्षुक तथा दूसरा पागल था ।
2--शाहजहांपुर ..	1	स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नरायन पंडा, निवासी, गुप्त काशी, जिला शाहजहांपुर ।
3--बिजनौर ..	1	नाम व पता ज्ञात नहीं क्योंकि मृतक परदेशी व्यक्ति था ।
4--मुरादाबाद ..	2	नाम व पता ज्ञात नहीं ।
5--आजमगढ़ ..	1	स्वर्गीय श्री चन्दर पुत्र रामदास, निवासी ग्राम मधवा, पोस्ट धौरहरा, तहसील मुहम्मदाबाद-योहना जिला आजमगढ़ ।
6--प्रतापगढ़ ..	2	(1) स्वर्गीय श्री सूरज पुत्र ओरी, सा0 ग्राम उतरौली, जिला प्रतापगढ़ ।
		(2) स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी पुत्री हीरा सिंह, सा0ग्राम सपहा छात, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ।
7--अलीगढ़ ..	1	नाम व पता ज्ञात नहीं क्योंकि मृतक एक साधू था ।
8--बलिया ..	1	स्वर्गीय श्री शिवधारी पुत्र शकल यादव, ग्राम हल्धरपुर तहसील रसड़ा, जिला बलिया ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 336 एल0 ए0--1973--835 (प्रे0) ।